



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

G20
भारत 2023 INDIA

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



वाणिज्य विभाग

विषय वस्तु

सिंहावलोकन	2
1 संगठनात्मक संरचना और कार्य	5
2 वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति	24
3 भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ	29
4 विदेश व्यापार नीति और प्रमुख योजनाएं	35
5 निर्यात संवर्धन तंत्र	53
6 वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन	81
7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)	117
8 विशेषीकृत एजेंसियां	126
9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांग जन के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम	182
10 पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता और संबद्ध गतिविधियां	190
अनुलग्नक	199



सिंहावलोकन

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

1. वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

अनेक आघातों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। महामारी के कारण आई गिरावट से उबरने के बाद, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य कारकों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है, जो विकास को धीमा कर रही है और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), अक्टूबर 2022 के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अशांत चुनौतियों का सामना कर रही है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य महत्वपूर्ण रूप से मौद्रिक नीति के सफल अंशांकन, यूक्रेन युद्ध की अवधि और आगे महामारी से संबंधित आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों की संभावना पर निर्भर है। आईएमएफ ने 2021 में वैश्विक विकास दर 6.0 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जा रहे कई आघातों वैश्विक व्यापार और उत्पादन पर प्रभाव के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों देशों को अलग-अलग अंश तक प्रभावित कर रहे हैं। आईएमएफ के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) का कुल उत्पादन 2022 में 2.4 प्रतिशत और 2023 में 1.1 प्रतिशत बढ़ेगा, जबकि 2021 में यह 5.2 प्रतिशत था। इसके विपरीत, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का कुल उत्पादन (ईएमडीई) के वर्ष 2021 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2022 और 2023 दोनों में 3.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

2. वैश्विक व्यापार

वैश्विक व्यापार तेजी से धीमा हो रहा है और बढ़ती अनिश्चितताओं और बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर 2023 में इसके और खराब होने की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से माल व्यापार 2022 में धीमा हो गया था क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ महामारी के प्रभाव से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती रही। अक्टूबर 2022 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2021 में 9.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि की तुलना में 2022 में 3.5 प्रतिशत और 2023 में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। जबकि 2022 के लिए 3.5 प्रतिशत का पूर्वानुमान अप्रैल 2022 में पूर्वानुमानित 3.0 प्रतिशत से थोड़ा बेहतर है, जबकि 2023 के लिए 1.0 प्रतिशत का पूर्वानुमान अप्रैल 2022 में पूर्वानुमानित 3.4 प्रतिशत से अत्यधिक कम है।

उल्लेखनीय क्षेत्रीय विषमताएं बनी हुई हैं, कुछ क्षेत्र वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं। डब्ल्यूटीओ के नवीनतम अनुमान

निर्यात के साथ-साथ आयात के लिए मध्य पूर्व को 2022 में सबसे मजबूत व्यापार मात्रा में वृद्धि दिखाते हैं। हालांकि, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के निर्यात और आयात दोनों में वर्ष 2022 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।

3. भारत का पण्य वस्तु व्यापार

कई चुनौतियों के बावजूद भारत के पण्य निर्यात ने लचीलापन दिखाया है और भारत के विकास के पुनरुत्थान के लिए उज्ज्वल संभावनाएं देना जारी रखा है। वर्ष 2021-22 में पण्यवस्तु निर्यात ने 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड को प्राप्त किया लिया, जो वर्ष के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से अधिक हो गया और इसमें 2020-21 के दौरान 291.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 44.62 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी प्रयास और सभी हितधारकों—संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विदेश में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदों, निर्यातकों और उद्योग संघों के साथ एक राष्ट्रीय प्रयास आयोजित किया गया। वर्ष 2022-23 में निर्यात की निगरानी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फिर से इसी तरह के प्रयास किए गए हैं। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान, पण्य वस्तु निर्यात 332.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान यह 305.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वर्ष 2021-22 के दौरान पण्यवस्तुओं का आयात वर्ष 2020-21 में 394.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 55.43 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में 613.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान आयात अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 441.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 551.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

2020-21 में 102.63 बिलियन के घाटे के मुकाबले 2021-22 में व्यापार घाटा 191.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। अप्रैल- दिसंबर 2022 (क्यूई) में व्यापार घाटा अप्रैल- दिसंबर 2021 के 136.45 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 218.94 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

4. भारत का सेवा व्यापार

निर्यात और एफडीआई में महत्वपूर्ण योगदान के साथ सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्र रहा है। महामारी का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, हालांकि, सेवा क्षेत्र ने आर्थिक व्यवधानों के प्रति लचीलापन दिखाया है। सेवा निर्यात 2020-21 में 206.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में 23.5 प्रतिशत की

वृद्धि के साथ 254.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 184.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 235.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो 27.71 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि है।

सेवा आयात 2020-21 में 117.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 25.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021-22 में 147.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान आयात का अनुमानित मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 105.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 134.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

2021-22 और अप्रैल-दिसंबर 2022 में क्रमशः 107.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 100.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष उत्पन्न हुआ।

5. भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पहल

वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रहा है। किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- ❖ विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- ❖ प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को अभिज्ञात करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं का समर्थन करके जिलों को निर्यात हब के रूप में शुरू किया गया है।
- ❖ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि निर्यात योजना के

लिए व्यापार बुनियादी ढांचा (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना।

- ❖ इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।
- ❖ लदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- ❖ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना 01.01.2021 से लागू की जा रही है।
- ❖ भारत यूई व्यापार आर्थिक भागीदारी करार (सीडीपीए) पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए और 1 मई 2022 को लागू हुआ।
- ❖ भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और 29 दिसंबर 2022 को लागू हुए।
- ❖ व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- ❖ भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशन की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

अध्याय 1



संगठनात्मक संरचना
और कार्य

1. विजन और मिशन

विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना और भारत के बढ़ते महत्व के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करना है।

अपनाए जा रहे नीति साधनों में मध्यम अवधि में लक्षित वस्तु और देश पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति और लंबी अवधि में विदेश व्यापार नीति शामिल है।

2. कार्य

विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार करता है, लागू करता है और उसकी निगरानी करता है जो पालन की जाने वाली बुनियादी रूपरेखा और रणनीति प्रदान करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उभरते आर्थिक परिदृश्यों की देखभाल के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए व्यापार नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सुविधाकरण और कतिपय निर्यात-मुखी उद्योगों और वस्तुओं के विकास और विनियमन से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

विभाग का नेतृत्व एक सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, तीन अतिरिक्त सचिव, चौदह संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

विभाग कार्यात्मक रूप से निम्नलिखित नौ विंगों/प्रभागों में संगठित है:

- ❖ व्यापार वार्ता विंग – द्विपक्षीय
- ❖ व्यापार वार्ता विंग – बहुपक्षीय
- ❖ प्रादेशिक, कमोडिटी और उत्पाद विंग
- ❖ व्यापार नीति विंग
- ❖ ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स विंग
- ❖ ग्लोबल ट्रेड प्रमोशन विंग –इंडिया ट्रेड
- ❖ प्रशासन, स्थापना और सामान्य विंग
- ❖ वित्त विभाग
- ❖ आपूर्ति प्रभाग

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न कार्यालय/संगठन हैं:

- ❖ दो संलग्न कार्यालय,

- ❖ दस अधीनस्थ कार्यालय,
- ❖ दस स्वायत्त निकाय,
- ❖ पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
- ❖ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत सृजित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)।
- ❖ तेरह निर्यात संवर्धन परिषदें
- ❖ एक सलाहकार निकाय
- ❖ पांच अन्य संगठन।

डाक पते सहित इन कार्यालयों/संगठनों की पूरी सूची अनुबंध (क) में दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/संगठनों की व्यापक संगठनात्मक संरचना और प्रमुख भूमिका और कार्यों की चर्चा नीचे की गई है:

(क) संबद्ध कार्यालय

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं। अपनी स्थापना से लेकर 1991 तक, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण हुआ, यह संगठन अनिवार्य रूप से विदेशी व्यापार के नियमन और प्रचार में शामिल रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण और निर्यात में वृद्धि के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, डीजीएफटी को तब से एक 'सुगमकता' की भूमिका सौंपी गई है। बदलाव देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आयातधनिर्यात के निषेध और नियंत्रण से निर्यातधनिर्यात को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए था।

नई दिल्ली में मुख्यालय वाले इस निदेशालय का नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं। यह विदेश व्यापार नीति के निर्माण में सरकार की सहायता करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ एफटीपी के तहत विदेश व्यापार नीति और योजनाओं का किर्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को प्राधिकरण भी जारी करता है और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
1	अहमदाबाद	14	लुधियाना
2	बैंगलोर	15	मुंबई
3	भोपाल*	16	नागपुर
4	चेन्नई	17	नई दिल्ली (सीएलए)
5	कोयंबटूर	18	पानीपत
6	गुवाहाटी	19	पुणे
7	हैदराबाद	20	राजकोट
8	इंदौर	21	श्रीनगर
9	जयपुर	22	सूरत
10	जम्मू	23	वाराणसी
11	कानपुर	24	विशाखापत्तनम
12	एर्नाकुलम (कोचीन)	25	वडोदरा
13	कोलकाता		

*डब्ल्यूपी 21039/2019 में जबलपुर में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश प्रधान सीट के दिनांक 04.10.2019 के आदेश के अनुपालन में, भोपाल में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय पर यथास्थिति को अंतिम/अगले आदेशों के अधीन बनाए रखा जाता है।

विदेश व्यापार नीति और एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात डब्ल्यूटीओ समझौते, उत्पत्ति के नियम और पाटनरोधी मुद्दे आदि अंतर्राष्ट्रीय स्फूर्तिदायक वातावरण में उनके आयात और निर्यात निर्णयों में विकास के संबंध में निर्यातकों को सुविधा प्रदान करते हैं।

यह मानते हुए कि निर्यात को बढ़ावा देने में राज्य सरकारें प्रमुख हितधारक हैं, डीओसी अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। डीओसी ने राज्य सरकारों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों का गठन करने की सलाह दी है जिसमें डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी सह-संयोजक हैं। राज्य निर्यात संवर्धन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए डीओसी से अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। यह समिति निर्यात संवर्धन परिषदों और एफआईआईओ के परामर्श से राज्य निर्यात संवर्धन रणनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य कर रही है।

डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को राज्य निर्यात नीति/रणनीति के निर्माण/कार्यान्वयन में सहायता करने और राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र सरकारों में वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क

करने के लिए बड़ी हुई भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

(ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले पाटन-रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। 1997 में गठित पाटन-रोधी एंड एलाइड ड्यूटीज (डीजीएडी) के महानिदेशालय को सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों यानी पाटन-रोधी ड्यूटी (एडीडी) को शामिल करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित और फिर से डिजाइन करके मई 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। , प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी), रक्षोपाय शुल्क (एसजीडी), रक्षोपाय उपाय (क्यूआर) को समाहित करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित और पुनरु डिजाइन करके मई 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार, डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स, राजस्व विभाग तथा डीजीएफटी के सेफगार्ड्स (क्यूआर) कार्यों को आमेलित करके डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर, एक व्यवसायिक रूप से एकीकृत संगठन है जिसमें विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञताओं से आनेवाले अधिकारियों के पास विविध प्रकार के कौशल हैं। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच करता है।

यह पाटन—रोधी, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय साधनों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने करने वाला एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्थाओं, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों और अन्य प्रासंगिक कानून और अंतराष्ट्रीय समझौता के प्रासंगिक ढांचे के तहत व्यापार उपचारात्मक तरीकों का उपयोग करके किसी भी निर्यातक देश से पाटन और कार्रवाई योग्य सब्सिडी जैसे अनुचित व्यापार व्यवहारों के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से एक समान अवसर का प्रावधान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई व्यापार उपाय जांच के मामलों के निपटन में व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएनएस)

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएनएस) भारत के व्यापार संबंधी आंकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और वितरण के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। निदेशालय, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं, का कार्यालय कोलकाता में है और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ विदेशों में खरीदारों द्वारा अपेक्षित व्यापार के आंकड़ों और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाओं को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। यह निर्यात और आयात संबंधी आंकड़ों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाला पहला बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग संगठन है और भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए इसका आईएसओ प्रमाणन 9001:2015 है।

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विकास आयुक्तों के कार्यालय।

एसईजेड योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, अवसरचननागत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करना है। भारत के सभी

कानून एसईजेड में लागू होते हैं जब तक कि एसईजेड अधिनियम/नियमों के अनुसार, उन्हें विशेष रूप से छूट न दी गई हो। प्रत्येक क्षेत्र की अध्यक्षता एक विकास आयुक्त करता है और इसका प्रशासन एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के अनुसार किया जाता है। एसईजेड में विनिर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिए इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। एसईजेड में इकाइयों को शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक होना चाहिए, लेकिन वे (रत्न और आभूषण इकाइयों) या न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन अपेक्षाओं को छोड़कर किसी भी पूर्व निर्धारित मूल्यवृद्धि के अध्यधीन नहीं हैं। एसईजेड इकाइयों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को माल आयात किया जाना माना जाता है और ये लागू सीमा शुल्क भुगतान के अध्यधीन हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

डीजीएसएंडडी सहित आपूर्ति प्रभाग का भुगतान और लेखांकन, विभागीय लेखा प्रणाली के तहत नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अपने क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति प्रभाग) के अधिकारी द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के डीजीएसएंडडी को 31.10.2017 से बंद करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है और बचे शेष कार्यों को अब मुख्य लेखा नियंत्रक (वाणिज्य) द्वारा नई दिल्ली और कोलकाता में नाममात्र के कर्मचारियों और 02 पीएओ द्वारा निपटाया जा रहा है। आरपीएओ (आपूर्ति), मुंबई और आरपीएओ (आपूर्ति), चेन्नई का काम क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई और आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई ने ले लिया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य और वस्त्र)

सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है। वह मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की मदद से अपने दायित्व का निर्वहन करता है। सचिव, विनियोजन लेखाओं को प्रमाणित करता है और लोक लेखा समिति और लेखा पर स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

वाणिज्य विभाग और कपड़ा मंत्रालय, दोनों के लिए एक साझा लेखांकन शाखा है। लेखा विंग, मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है और लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) और 10 वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ), (दिल्ली में 4 पीएओ और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, प्रत्येक स्थान पर दो-दो पीएओ) से इसे सहायोग

किया जाता है। मंत्रालय के बजट प्रभाग का दायित्व भी सीसीए को सौंपा गया है। सीसीए, वित्तीय सलाहकार को बजट बनाने, निगरानी और व्यय के नियंत्रण में सभी सहायता प्रदान करता है, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों में, एफआरबीएम अधिनियम, वार्षिक वित्त लेखा, विनियोजन लेखाओं के तहत आवश्यक प्रकटीकरण विवरण, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों आदि का अनुमान और प्रवाह तैयार करने में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करता है।

लेखा विंग के कार्यों में दावों का भुगतान करना, लेखांकन संयवहार, लेखाओं का समेकन करना और अन्य संबंधित मामले जैसे पेंशन को अंतिम रूप देना और भुगतान करना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की मदद से पेंशन का संशोधन और अंतिम जीपीएफ मामलों का भुगतान, ऋण और अग्रिम, सहायता अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का रखरखाव, अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान (एलएससी और पीसी) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सीसीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस मॉड्यूल अर्थात् ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, सीडीडीओ पैकेज, एनटीआरपी, एलओए आदि के सुचारु कार्यकरण की निगरानी के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में पीएफएमएस (ईएटी/डीबीटी/एसीएनए/टएसए) के कार्यान्वयन और सुचारु कामकाज का भी समन्वयन किया जाता है।

विभाग की एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है जहां सभी विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किया जाता है। वाणिज्य विभाग और वस्त्र मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में 347 इकाइयाँ हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही और पर्याप्त हैं, लेखांकन और निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन का अध्ययन करना है।

(ग) स्वायत्त निकाय

(i) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के तहत किया गया है। बोर्ड में सचिव, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सहित 33 सदस्य हैं, और शेष 31 सदस्यों में संसद सदस्य, कॉफी उत्पादक राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और

आंतरिक संवर्धन और श्रम कल्याण उपायों के लिए क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर फोकस करता है। कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय के साथ कार्यात्मक है। बालेहोनुरु, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है, जिसका एक उप-स्टेशन, चेतल्ली (कर्नाटक) में है और इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चुंडाले (केरल), थंडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में हैं। विस्तार नेटवर्क, पारंपरिक तौर पर कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है। अनुसंधान विभाग का कॉफी गुणवत्ता प्रभाग, गुणवत्ता मानकों का निर्धारण, कॉफी भूने और खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार कॉफी के प्रमाणीकरण का कार्य करता है। संवर्धन विभाग, निर्यात बाजार में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार में कॉफी की खपत को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

(ii) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यात्मक है। बोर्ड की अध्यक्षता, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें कार्यकारी निदेशक, संसद सदस्य (लोकसभा से दो और राज्यसभा से एक) और प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि जैसेकि रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रम हित के प्रतिनिधियों, प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों सहित 28 अन्य सदस्य हैं। बोर्ड की कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ, कार्यकारी निदेशक में निहित हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। बोर्ड द्वारा भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और नियामक कार्यों का निर्वहन, प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर के आंकड़ों का संग्रह, रबर के विपणन को बढ़ावा देना और श्रम कल्याण गतिविधियां करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई), कोट्टायम में स्थित है और देश के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों में इसके इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) स्थित हैं।

आरआरआईआई ने देश में प्राकृतिक रबड़ का जैविक और तकनीकी सुधार सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियाँ की हैं। बोर्ड का कोट्टायम में स्थित एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात्, राष्ट्रीय रबड़ प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) भी है और यह अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विस्तार गतिविधियों के बीच लिंक का कार्य करता है और इसके लिए एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास अधिदेशित है।

(iii) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 सदस्य शामिल हैं। जो संसद सदस्यों को शामिल करते हुए उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी प्रमुख हैं और उपाध्यक्ष, संगठन के कार्यकारी अधिकारी हैं। दो कार्यकारी निदेशक हैं जो आंचलिक कार्यालयों में तैनात हैं, एक असम के गुवाहाटी में (पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और दूसरा तमिलनाडु के कुन्नूर में (पूरे दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए)। बोर्ड का मुख्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने व्यापार सुगमीकरण और निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास कार्यों में आवश्यक सहायता देकर, ताकि छोटे उपजकर्ताओं सहित उत्पादकों को अधिकतम आवक सुनिश्चित हो सके, कामगारों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, उद्योग से सम्बंधित सांख्यिकी और अन्य संगत आंकड़े एकत्र करने और उद्योग के विभिन्न खण्डों को उसका संवितरण करने, विभिन्न शेयरधारकों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग का कार्य करता है। बोर्ड के गुवाहाटी (असम) और कुन्नूर (तमिलनाडु) में दो संभागीय कार्यालय, 17 क्षेत्रीय कार्यालय और मास्को में एक विदेश स्थित कार्यालय है जिसका प्रबंधन दूतावास के अधिकारी करते हैं।

(iv) तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। उत्पादन विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति व मांग में बार-बार असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी। तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसकी अध्यक्षता, एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य, देश में तम्बाकू उद्योग का नियोजित विकास करना है। अधिनियम में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लिखित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- ❖ भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और क्यूरिंग को विनियमित करना।
- ❖ वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैकर्स सहित) और तम्बाकू उत्पादों के निर्माताओं और अन्य संबंधित लोगों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना।
- ❖ उत्पादकों के स्तर पर तम्बाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- ❖ पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी मंचों की स्थापना करना और नीलामी मंच पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- ❖ मौजूदा बाजारों का रखरखाव और सुधार और भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- ❖ भारत और विदेश, दोनों में वर्जीनिया तम्बाकू बाजार की निरंतर निगरानी करना और उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- ❖ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से, उत्पादकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना, जब ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

(v) स्पाइसेस बोर्ड

स्पाइसेस बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (3) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यात्मक है। बोर्ड में सचिव, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सहित 31 सदस्य हैं, और इसका संचालन, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय केरल में कोच्चि में है। मसाला बोर्ड, इलायची उद्योग के समग्र विकास और 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। बोर्ड के कार्यों में छोटी और बड़ी इलायची का अनुसंधान एवं विकास और घरेलू विपणन, कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार करना, मसालों का विकास और निर्यात संवर्धन और भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों का गुणवत्ता नियंत्रण करना शामिल है। बोर्ड के देश भर में 83 कार्यालय हैं, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी और बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन

प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं। बोर्ड मसालों के निर्यात संवर्धन और छोटी एवं बड़ी इलायची के विकास के लिए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाने के लिए मसालों के पणधारकों के साथ कार्य करता है।

बोर्ड द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में निर्यातकों को अवसरचक्रागत विकास और मूल्यवर्धन के लिए सहायता करना है। किसानों, निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच बाजार संबंध स्थापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, प्रमुख उत्पादक केंद्रों में (स्पाइसेस पार्कों) प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करके प्राथमिक प्रोसेसिंग में सहायता करना, अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में हितधारकों की सह-भागीदारी का आयोजन सहित भारतीय मसालों के लिए व्यापार एवं ब्रैंड संवर्धन कार्यक्रम करना गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से, जो परीक्षण और प्रमाणन करके गुणवत्ता निगरानी करती है और विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं, भारत से निर्यातित मसालों का गुणवत्ता प्रबंधन करना, नीलामी प्रणाली से इलायची की प्राथमिक बिक्री सुकर बनाना, स्टैकहोल्डरों को छोटी और बड़ी इलायची संबंधी अनुसंधान सहायता प्रदान करना, छोटी और बड़ी इलायची के उपजकर्ताओं को उत्पादन विकास में सहायता देना और अन्य मसालों के उपजकर्ताओं को फसल कटाई पश्चात प्रबंधन में सहायता करना, आयातक देशों के विनियामक निकायों, व्यापार सहायता संस्थानों, अन्तर दृसरकारी संगठनों के साथ मसाला निर्यात संवर्धन के लिए कार्य करना शामिल है।

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय का गठन 1972 में देश में समुद्री उत्पादों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है और इसमें एक अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) सहित 30 सदस्य हैं। हितधारकों को समय पर सलाह सुनिश्चित करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रोसेसरों और एक्वा कृषकों की सहायता के लिए पूर्वोत्तर भारत में एक कार्यालय सहित तटीय राज्यों में 18 फील्ड कार्यालय हैं। एमपीईडीए के न्यूयॉर्क, जापान और नई दिल्ली में तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं और पांच पूर्ण विकसित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। एमपीडी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निर्यात संवर्धन सहायता देने के लिए विविधीकृत जलकृषि संवर्धन के लिए राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र (आरजीसीए) मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन सम्बंधी

प्रसार कार्यों के लिए नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एण्ड सस्टेनेबल फिशिंग (नेटफिश) और जल कृषि कृषकों को जलकृषि में संधारणी कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने में जलकृषि कृषकों को सक्षम बनाने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग एण्ड नेशनल सेक्टर फॉर अक्वाकल्चर (एनएसीएसए) नामक तीन पंजीकृत सोसाइटियां स्थापित की हैं।

(vii) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।

एपीडा ने भारत के लगभग सभी कृषि संभावित राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय और मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, त्रिपुरा, वाराणसी और भोपाल में 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कृषि –निर्यात समुदाय को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 10 के अनुसार प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं।

- ❖ वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से या अन्यथा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन, संयुक्त उद्यमों और अन्य राहत और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से जांच पूंजी में भागीदारी के लिए निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास
- ❖ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण
- ❖ निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विनिर्देशों का निर्धारण
- ❖ बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों या अन्य स्थानों पर मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना जहां ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे उत्पादों को रखा या संभाला जाता है
- ❖ अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार
- ❖ भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार
- ❖ निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना

❖ अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन या निर्यात में लगे कारखानों या प्रतिष्ठानों के मालिकों से या ऐसे अन्य व्यक्तियों से जो अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित आंकड़ों का संग्रह है, से करना और इस तरह संग्रहित आंकड़ों का या उनके किसी भाग का या उनके सार का प्रकाशन करना।

❖ अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण

❖ ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का तीव्र विकास सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। ईआईसी भारत सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ईआईसी के कार्यकारी प्रमुख निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) हैं जो निर्यात के लिए विभिन्न वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और प्री-शिपमेंट निरीक्षण के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ईआईसी नई दिल्ली में स्थित है और अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) पर तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ईआईए का मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में है, उसके 24 उप-कार्यालयों का एक नेटवर्क है, जो आईएसओ 17025 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है और अखिल भारतीय आधार पर निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करता है। ईआईसी की प्रमुख भूमिका आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन या तो एक खेप-वार निरीक्षण प्रणाली या गुणवत्ता आश्वासनध्वाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, ईआईसी ने वैश्विक स्वीकृति विकसित की है। ईआईसी प्रमाणन को भारत के व्यापारिक भागीदारों, जैसे,

यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन, सऊदी अरब, वियतनाम, चीन, दक्षिण अफ्रीका, आदि द्वारा मान्यता प्राप्त है। ईआईसी ने हितधारकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल हैं खाद्य सुरक्षा घटनाओं के बढ़ते प्रसार के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी।

ईआईसी हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है और निर्यातकों के हितों की अच्छी तरह से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(क) सिंहावलोकन

❖ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 2 मई, 1963 को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी जिसका फोकस विदेश व्यापार संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर था।

❖ अपनी सर्वांगीण उपलब्धियों की मान्यता में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में संस्थान को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून 2018 में श्रेणी – I 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

❖ राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएससी) ने आईआईएफटी को वर्ष 2015 के सीजीपीए स्कोर के साथ उच्चतम ग्रेड शए (इस समय ए++ के समकक्ष)

❖ संस्थान ने एएसीएसबी व्यवसाय मान्यता प्राप्त की है और 21 दिसंबर 2021 को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

(ख) संगठनात्मक संरचना और कार्य

प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। बीओएम में 11 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता संस्थान के कुलपति करते हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव संस्थान के कुलाधिपति हैं। संस्थान के कुलपति संस्थान के प्रमुख कार्यकारी होते हैं और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं।

(ग) आईआईएफटी की संस्थागत स्थापना

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए आईआईएफटी के निम्नलिखित प्रभाग हैं:

- ❖ कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग
- ❖ प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग
- ❖ प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग
- ❖ अर्थशास्त्र प्रभाग
- ❖ अनुसंधान प्रभाग
- ❖ पूर्व छात्र मामलों का प्रभाग
- ❖ कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग
- ❖ पत्रिका प्रभाग
- ❖ दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

(ख) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था। संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1976), चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006), अहमदाबाद (2017) और विशाखापत्तनम (2021) में हैं।

संस्थान घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और प्रमाणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें खतरनाक/खतरनाक सामानों के परिवहन के लिए पैकेजिंग का अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परियोजनाओं और क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शामिल हैं।

संस्थान का सर्वोच्च सलाहकार निकाय शासी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष और उद्योगों के अन्य सदस्य हैं जो पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनरी और उपयोगकर्ता उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, शासी निकाय के कुछ सदस्यों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और कमोडिटी बोर्डों द्वारा नामित किया जाता है। निदेशक संस्थान के प्रमुख और प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं जो संगठन के समग्र प्रभारी हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

एसटीसी की स्थापना 18 मई 1956 को मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने और देश से निर्यात के विकास में निजी व्यापार और उद्योग के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। एसटीसी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था की और भारत से बड़ी संख्या में वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एसटीसी के पास ₹60 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी है। 31.03.2021 तक एसटीसी की इक्विटी में भारत सरकार का हिस्सा 90% था। 01.11.2022 को निगम की कुल जनशक्ति 153 है। वर्तमान में एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रहा है।

एसटीसी की सहायक कंपनी एसटीसीएल लिमिटेड (पूर्व में स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) समापन की प्रक्रिया में है और इससे 2014-15 से अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया है।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड को 1963 में मुख्य रूप से खनिजों और धातुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए निगमित किया गया था। एमएमटीसी लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क/कंसन्ट्रेट के निर्यात के लिए एक कैनालाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और अन्य वस्तुओं में व्यापार के अलावा सोने और चांदी और यूरिया के आयात के लिए नामित एजेंसी थी। नीलाचल इस्पात निगल लिमिटेड (एनआईएनएल) एमएमटीसी और 5 अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम, का विनिवेश 4.7.2022 को पूरा हुआ। वर्तमान में, कंपनी के व्यवसाय संचालन की समीक्षा की जा रही है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर, एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे अक्टूबर 1994 में सिंगापुर के कानूनों के तहत व्यापार और वाणिज्य के उदारीकरण/वैश्वीकरण का लाभ उठाने के उद्देश्य से निगमित किया गया था ताकि वस्तु में व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का दोहन किया जा सके। स्थापना के बाद से, कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी

हुई है और इसने खुद को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी के रूप में 'द प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' के रूप में निगमित किया गया था और यह 1991 में एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। 25 नवंबर 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड कर दिया गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में इंजीनियरिंग उपकरण और परियोजनाओं का निर्यात, बुलियन का आयात और औद्योगिक कच्चे माल और कृषि वस्तुओं का व्यापार शामिल है। कंपनी सितंबर 2019 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

पीईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो 2002 से परिसमापन के अधीन है।

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक प्रीमियर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) की स्थापना 1957 में मुंबई में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत देश से निर्यात की सुविधा के लिए निर्यातकों और बैंकों को आधार अल्पावधि (एसटी) और मध्यम और लंबी अवधि (एमएलटी) पर निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। ईसीजीसी दुनिया के 200 से अधिक देशों के निर्यात लेनदेन को कवर करता है। कंपनी का अधिदेश निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा के माध्यम से प्लो-प्रॉफिट नो-लॉस के आधार पर देश से निर्यात को बढ़ावा देना है।

निर्यातक विदेशी खरीदारों से देय भुगतान के संबंध में डिफॉल्ट, दिवालियापन और अस्वीकृति जैसे राजनीतिक या वाणिज्यिक जोखिमों की घटना की स्थिति में अपने नुकसान की रक्षा के लिए क्रेडिट बीमा कवर प्राप्त करते हैं। निर्यात ऋण (कार्यशील पूंजी ऋण) के संबंध में निर्यातक उधारकर्ता की चूक या दिवालिया होने के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बैंक निर्यात ऋण बीमा कवर प्राप्त करते हैं।

ईसीजीसी ने 1 अप्रैल, 2022 से रत्न, आभूषण और हीरा (जीजेडी) क्षेत्र के संबंध में अपने अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों को उदार बना दिया है ताकि डब्ल्यूटी-ईसीआईबी (यानी संपूर्ण

टर्नओवर – बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा) के तहत निर्यात-खातों को समायोजित किया जा सके, जिसमें निर्यातक-समूह की ₹100 करोड़ तक सीमा हो। और 1 जुलाई, 2022 से अपने मौजूदा डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर के ₹20 करोड़ तक की निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों के संबंध में प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को 90% तक (औसत 70% कवर से) बढ़ा हुआ कवर भी पेश किया है। तहत, ताकि छोटे निर्यातकों को सहायता दी जा सके। उच्च कवर सहित नई योजना डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर धारक बैंकों को छोटे निर्यातकों के लिए ब्याज दरों को और कम करने में सक्षम बनाएगी।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के उपघटक पहली बार एमएसई निर्यातक (सीबीएफटीई) की क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत, एमएसई निर्यातक ईसीजीसी को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10,000 तक के पात्र हैं, बशर्ते उनका आयात निर्यात कोड तीन साल से अधिक पुराना न हो और उनके पास वैध उद्योग पंजीकरण हो। इस कदम से एमएसई निर्यातकों को निर्यात में उद्यम करने और क्रेडिट बीमा कवर की लेनदेन लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

(ख) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

भारत सरकार ने भारत से उन परियोजना निर्यातों जो रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना ₹66 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। वर्षों से भारत सरकार द्वारा ₹4,285 करोड़ के योगदान के साथ, ट्रस्ट का कुल कोष ₹6,289.26 करोड़ है। हालांकि, ट्रस्ट के पास हाल ही में दायर किए गए दावों को देखते हुए, हामीदारी के लिए (31.10.2022 तक) उपलब्ध कोष केवल ₹1,041.09 करोड़ है।

एनईआईए के तहत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निर्माण, इंजीनियरिंग सामान की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, बिजली पारेषण और वितरण परियोजनाएं आदि शामिल हैं, जबकि कवर किए गए प्रमुख देशों में श्रीलंका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया शामिल हैं। सफल परियोजना निर्यात विदेशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर निरंतर स्पष्ट प्रभाव को सक्षम बनाता है। एनईआईए परियोजना निर्यात के लिए

अपने कवर के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय रणनीतिक हित के क्षेत्रों में एक मजबूत पैर जमाने में मदद करता है। सफल परियोजना निर्यात विदेशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर निरंतर स्पष्ट प्रभाव को सक्षम बनाता है।

आर्थिक कार्य सम्बंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में एनईआईए ट्रस्ट के लिए कॉर्पस प्रतिबद्धता को 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,741 करोड़ रुपये कर दिया और पांच साल की अवधि में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 1650 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें से 1,574.99 करोड़ अर्थात् 2021-22 के दौरान 744 करोड़ और रु. 2022-23 (31 दिसंबर 2022 तक) के दौरान 830.99 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता, पहले ही ट्रस्ट को जारी किया जा चुका है। 1,650 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता पूरी क्षमता पर 33,000 करोड़ मूल्य के परियोजना निर्यात को सहायत देने के लिए एनईआईए को।

31 अक्टूबर, 2022 तक, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा दिए गए 152 कवर के तहत भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा ₹44,495 करोड़ मूल्य की कुल 160 परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(v) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का गठन वर्ष 1976 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीएफएआई) का नाम बदलने और भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीए) के विलय के बाद किया गया था। आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा 100% शेयरधारिता के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' मिनिस्ट्रल श्रेणी-1 सीपीएसई है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं, जो भारत और विदेशों में इसके आयोजनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधि भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार उद्योग को सेवाओं का व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आईटीपीओ भारत और विदेशों में व्यापार मेलों का आयोजन धागीदारी करके व्यापार को बढ़ावा देने हेतु विधा प्रदान करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि हो रही है।

मुख्य उद्देश्य हैं:

- ❖ भारत और विदेशों में औद्योगिक व्यापार और अन्य मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजित करना और उनमें भाग लेना और देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सभी उपाय करना
- ❖ भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का भारत और विदेशों में प्रचार करना और विदेशी प्रतिभागियों को उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना
- ❖ भारत और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों से संबंधित या उससे जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देना
- ❖ निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात की पारंपरिक वस्तुओं के लिए नए बाजारों का पता लगाना और निर्यात व्यापार को बनाए रखने, विविधीकरण और विस्तार करने की दृष्टि से नई वस्तुओं का निर्यात विकसित करना।

(इ) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस- कंपनी अधिनियम, 2013 (जीईएम-एसपीवी) की धारा 8 के तहत बनाया गया विशेष प्रयोजन वाहन

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित दिशा पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) निर्बाध, परेशानी मुक्त, पारदर्शी और डिजिटल खरीद सेवाओं के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जीईएम द्वारा दिए गए प्रतिस्पर्धी लाभों का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में विस्तृत वर्णन किया गया है, जो जीईएम को एक अनुकरणीय नीतिगत उपाय के रूप में उद्धृत करता है जिसने सरकारी खर्च की दक्षता को बढ़ाया है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जीईएम से पहले, सरकारी खरीद मूल्य बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक थे और अक्षमता की लगातार शिकायतें थीं। जीईएम पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की तुलना कंपनी की वेबसाइटों या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करने पर पता चलता है कि चुने गए नमूने के लिए जीईएम पर कीमतें औसतन 9.5 प्रतिशत कम हैं। इसके अलावा, नमूने में शामिल 22 में से 10 जिंस अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में जीईएम पोर्टल पर सस्ते थे।

जीईएम के रणनीति सलाहकार अध्ययन के अनुसार, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच जीईएम पर जीईएम मान्य

जीईएम के बाहर की तुलना में निविदा चक्र समय में लगभग 15% की कमी देखी गई (बोली शुरू होने से बोली अवार्ड तक, नमूना: खरीदारों द्वारा साझा किए गए 700+ संविदा) जिससे पिछले 6 वर्षों में प्रणालीगत हस्तक्षेपों के माध्यम से परिचालन क्षमता बढ़ाने के वैद्य बनाया। इसके अलावा, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच 700+ संविदाओं के लिए खरीदारों द्वारा साझा किए गए नमूना डेटा के आधार पर, जीईएम के बाहर लगभग 72% लेनदेन की तुलना में 92% लेनदेन में 3 या अधिक विक्रेताओं की भागीदारी देखी गई।

पोर्टल पर तैनात प्रमुख विशेषताएं और कार्यात्मकताएं—

- ❖ फॉरवर्ड ऑक्शन— जीईएम ने फॉरवर्ड ऑक्शन के लिए एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्क्रेप, चल और अचल संपत्ति आदि की बिक्री के लिए किया जा सकता है।
- ❖ ई-ग्राम स्वराज एकीकरण— जीईएम सफलतापूर्वक ईजीएस (ई-ग्राम स्वराज) के साथ एकीकृत हो गया है, जहां जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम पंचायत जैसे विभिन्न स्तरों पर सभी पंचायती राज खरीदार अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी ईजीएसप्रणाली का उपयोग करके जीईएम पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर सकेंगे। इससे देश भर में फैली सभी 2.5 लाख पंचायतों को लाभ मिलेगा।
- ❖ जीईएम पर खरीदार के रूप में सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग — 01.08.2022 से, जीईएम ने जीईएम पर खरीदारों के रूप में बहु-राज्य और एकल राज्य सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग शुरू की है। 09.08.2022 को, माननीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से पहल की शुरुआत की गई। अब तक 426 सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है।
- ❖ रेलवे के साथ एकीकरण — जीईएम — आईआरईपीएस (इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) एकीकरण को लाइव कर दिया गया है। शुद्धिपत्र के साथ रेलवे द्वारा जारी सभी निविदाएं जीईएम के सभी विक्रेताओं को दिखाई देती हैं और सिस्टम उन्हें ऐसी निविदाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
- ❖ खरीद विवरण दृ जीईएम वित्त वर्ष 21-22 में आईएनआर 1.06 लाख करोड़ का कुल वार्षिक जीएमवी प्राप्त कर सकता है जो वित्त वर्ष 17-18 (6,207 करोड़ रुपये) से 17 गुना अधिक है। जीईएम चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक जीएमवी हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।

- ❖ जीईएम पर 63,000 से अधिक क्रेता संगठन पंजीकृत हैं। जीईएम पर कुल 10,600 उत्पाद श्रेणियां और 263 सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं। कुल ऑर्डर मूल्य का 55.23: एमएसई विक्रेताओं को प्रदान किया गया है।
- ❖ ग्रीन प्रोक्योरमेंट एनेबलमेंट / जीईएम : डीओई के परामर्श से, जीईएम ने ग्रीन एसी और ग्रीन पेपर जैसे उत्पादों को जीईएम पर उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ भागीदारी की है। जेम ने पर्यावरण के अनुकूल खरीद जैसे पुनर्खरीद विकल्प, आगे की नीलामी, अपशिष्ट प्रबंधन, हस्तकला और प्राकृतिक उत्पादों के लिए समर्पित श्रेणियों का समर्थन करने के लिए विभिन्न कार्यात्मकताओं के साथ-साथ श्रेणियों को भी सक्षम किया है।
- ❖ प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायिक विकास को विश्वसनीयता और प्रदर्शन के साथ मंच द्वारा समर्थित किया गया है, जीईएम ने कुशल कैचिंग, सक्रिय भंडारण का अनुकूलन, डेटाबेस में प्रोग्रामिंग भाषाओं की परतों में प्रौद्योगिकी मुद्रा में सुधार और उन्नत सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसे विभिन्न सुधारों को लागू किया। मंच लगभग 13500 समवर्ती प्रयोक्ताओं को सहायता दे रहा है जिसमें कुछ डीबी लोड 35 के क्यूपीएस (पृष्ठा प्रति सेकेण्ड) तक बढ़ गया है। जीईएम ने संपूर्ण ऑडिट के लिए बाहरी सुरक्षा सलाहकारों को भी नियुक्त किया है और 75 अतिरिक्त सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है। जबकि प्लेटफॉर्म पर लोड 70% बढ़ गया है, पृष्ठ प्रतिक्रिया समय में 40% का सुधार देखा गया है। औसतन, प्रति दिन बोलियों की संख्या भी अप्रैल 2021 में 1,100 से बढ़कर मार्च 2022 में 2,800 हो गई है। इसी अवधि में प्रति दिन विक्रेता की भागीदारी भी 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई है। जीईएम में खरीदार/विक्रेता की यात्रा में सहायता करने के लिए खोज मॉड्यूल में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का उपयोग करके बुद्धिमान खोज भी शामिल है और बुद्धिमान आभासी सहायक भी शामिल है।
- ❖ जीईएम एआई-एमएल आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने और अन्य स्मार्ट सुविधाओं जैसे क्रेता-विक्रेता की मिलीभगत, मांग का विभाजन, अंतर-विक्रेता सहयोग, पक्षपातपूर्ण बोलियां — प्रतिबंधित पैरामीटर विश्लेषण आदि को लागू करने की प्रक्रिया में है।
- ❖ प्लेटफॉर्म संवर्द्धन/ग्राहक अनुभव पहल: जीईएम पिछले 2 वर्षों में बीओक्यू आधारित बोली, मांग एकत्रीकरण, बायबैक सुविधा, विक्रेता रेटिंग प्रणाली आदि जैसी 2400 से

अधिक कार्यात्मकताओं के कार्यान्वयन के साथ खरीदार और विक्रेता की संतुष्टि में सुधार और प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। साल। इनमें से कई सीपीएसई की खरीद की अनूठी जरूरतों के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

- ❖ जीईएम ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि अंतिम मील कनेक्टिविटी, तेजी से विक्रेता ऑनबोर्डिंग और पंचायतों और सहकारी समितियों के खरीदारों को जीईएम पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ बेईमान खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा किसी भी श्रेणी के दुरुपयोग को रोकने के लिए श्रेणियों के स्वच्छताकरण के लिए एक विस्तृत अभ्यास पूरा कर लिया गया है। सुधार या स्थायी विलोपन के लिए 5500 से अधिक श्रेणियों को हटा दिया गया था।

(च) निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं, जो कंपनी अधिनियमध्वंसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा निर्देशित हैं, जो उन्हें निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता देता है। वर्तमान में, वाणिज्य विभाग के तहत तेरह निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (कैमेक्सिल)

कैमेक्सिल का गठन 1963 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, बेंगलूर, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है:

- ❖ रंजक और रंजक मध्यवर्ती
- ❖ कृषि रसायन सहित अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन
- ❖ सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, प्रसाधन और आवश्यक तेल
- ❖ अरंडी का तेल

(ii) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद

(कैपेक्सिल)

कैपेक्सिल, एक प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषद, 1958 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित की गई थी। परिषद का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है। परिषद को रासायनिक आधारित संबद्ध उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के साथ सौंपा गया है जिसमें थोक खनिज और अयस्क, प्राकृतिक पत्थर उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, पेपर और पेपर बोर्ड उत्पाद, ऑटो टायर और ट्यूब, रबर उत्पाद, सिरेमिक और संबद्ध उत्पाद, ग्लास और ग्लासवेयर शामिल हैं। प्लाइवुड और संबद्ध उत्पाद, सीमेंट, क्लंकर और एस्बेस्टस उत्पाद, ग्रेफाइट और विस्फोटक, किताबें, प्रकाशन और प्रिंटिंग उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग इंक और संबद्ध उत्पाद, विविध रासायनिक उत्पाद, ओसीन और जिलेटिन और पशु उप – उत्पाद।

(iii) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) की स्थापना जुलाई 1984 में हुई थी। यह भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसे निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों और भारतीय जूते और चमड़ा उद्योग के विकास के लिए सौंपा गया है। यह पूरी दुनिया में सदस्य-निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक सेतु का काम करता है। इसका चेन्नई में पंजीकृत प्रधान कार्यालय है और कानपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में पांच क्षेत्रीय कार्यालय और आगरा, यूपी और जालंधर, पंजाब में विस्तार कार्यालय हैं।

(iv) ईईपीसी इंडिया

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में स्थापित परिषद है। यह निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम 1956 (कंपनी लाभ के लिए नहीं) की धारा 25 के तहत स्थापित एक कंपनी है। विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ईईपीसी इंडिया नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठन का मुख्यालय कोलकाता में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालयों और अहमदाबाद,

बेंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ है। इंजीनियरिंग निर्माताओं और निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बेहतर पहुंच बनाने की दृष्टि से, ईईपीसी इंडिया ने देश भर में फैले 15 टियर II / टियर III शहरों में अपनी शाखा भी खोली है।

एक सलाहकार निकाय के रूप में, यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान देता है और इंजीनियरिंग उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। 1955 में स्थापित, ईईपीसी इंडिया के पास अब लगभग 11,000 का सदस्यता आधार है, जिसमें से लगभग 60% एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से सोर्सिंग की सुविधा प्रदान करता है और एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानक को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है। यह एसएमई को अपने व्यवसाय को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'इंजीनियरिंग द फ्यूचर' को आदर्श वाक्य के रूप में रखते हुए, ईईपीसी इंडिया भारत को एक प्रमुख इंजीनियरिंग निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयासों में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

(v) प्लास्टिक ईपीसी

प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना 1955 में हुई थी और भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत किया गया था। परिषद का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं। परिषद का अहमदाबाद में एक शाखा कार्यालय भी है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में और वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है। परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पाद पैनल के निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है।

- ❖ उपभोक्ता और हाउस वेयर उत्पाद
- ❖ कॉर्डेज, फिशनेट और मोनो फिलामेंट्स
- ❖ एफआईबीसी बुने हुए बोरे, बुने हुए कपड़े, तिरपाल
- ❖ फ्लोर कवरिंग, लेदर क्लॉथ और लेमिनेट्स
- ❖ एफआरपी और समिश्रण
- ❖ मानव बाल और संबंधित उत्पाद
- ❖ प्लास्टिक के मेडिकल आइटम

- ❖ विविध उत्पाद और आइटम
- ❖ पैकेजिंग आइटम – लचीला, कठोर
- ❖ प्लास्टिक की फिल्म और शीट
- ❖ प्लास्टिक पाइप और फिटिंग
- ❖ प्लास्टिक के कच्चे माल
- ❖ लेखन उपकरण और स्टेशनरी
- ❖ व्यापारी निर्यात

(vi) स्पोर्ट्स गुड्स ईपीसी

स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में भारत से स्पोर्ट्स गुड्स और खेलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। एसजीईपीसी का प्रबंधन एक प्रशासन समिति (सीओए) द्वारा किया जाता है, जिसमें भारतीय उद्योग के निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीओए का नेतृत्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय निदेशक करते हैं।

एसजीईपीसी की गतिविधियों की श्रेणी में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो एक ओर उद्योग के प्रदर्शन को बढ़ावा देती हैं और ऐसी गतिविधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। एसजीईपीसी भारत से खेलौनों और खेल के सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य गतिविधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचार अभियान आदि जैसी व्यापार संवर्धन गतिविधियों का आयोजन करती है।

(vii) शेलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सल)

शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना जून, 1957 में कंपनी एक्ट, 1956 के तहत की गई थी। इसका नाम बदलकर 08.02.2007 को शेलैक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सल) कर दिया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में और वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है।

शेफेक्सल गैर-इमारती वन उपज और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उत्पादों के लिए भी नामित नोडल ईपीसी है। परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहन

गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है:

- ❖ चपड़ा और लाख आधारित उत्पाद
- ❖ सब्जियों के रस और जड़ी बूटियों के अर्क
- ❖ ग्वार गम
- ❖ पौधे और पौधे का भाग (जड़ी बूटी)
- ❖ फिक्सड सब्जी, तेल केक और अन्य
- ❖ अन्य सब्जी सामग्री
- ❖ उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित बहु उत्पाद

(viii) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल)

फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारतीय दवा उद्योग की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है, मुंबई और नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में शाखा कार्यालय हैं। परिषद में 4120 सदस्य हैं।

फार्मेक्सिल के दायरे में आने वाले उत्पाद और सेवाएं सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई) समाप्त खुराक प्रपत्र (एफडीएफ) हर्बल/आयुर्वेदिक यूनानीय सिद्धांत होम्योपैथीय बायोलॉजिकलस निदानय सर्जिकल य न्यूट्रास्यूटिकल्स सहयोगी अनुसंधानय अनुबंध विनिर्माणय नैदानिक परीक्षण और परामर्शय नियामक सेवाएं हैं। फार्मेक्सिल के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि विशेष रूप से चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के अलावा, परिषद अपने सदस्यों को पेटेंट मुद्दों, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार संबंधी सहायता आदि जैसे क्षेत्रों में पेशेवर सलाह भी प्रदान करती है। फार्मेक्सिल पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। परिषद विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेती है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और क्रेता-विक्रेता बैठकों का भी आयोजन करती है।

(ix) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी एक निर्यात संवर्धन परिषद है जिसकी स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत से सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है।

एसईपीसी सेवा उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देती है।

यह भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में प्रचार गतिविधियों का आयोजन करती है, जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), व्यापार मेले/प्रदर्शनियां, और चयनित प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप/सूचना बूथ। एसईपीसी सदस्य भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एसईपीसी की भूमिका और कार्य

एसईपीसी सरकार में सेवा क्षेत्र के उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत के एक मंच के रूप में कार्य करती है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित कार्य करती है

- ❖ सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन रणनीति लागू करती है
- ❖ विदेशी सेवाओं के पूछताछकर्ताओं को सुविधा प्रदान करती है
- ❖ संचार और प्रचार को चैनलाइज करती है
- एसईपीसी के पास निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने का अधिदेश है:
- ❖ नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवाएं
- ❖ शैक्षणिक सेवाएं
- ❖ ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित मनोरंजन सेवाएं
- ❖ परामर्शदात्री सेवाएं
- ❖ संरचना सेवाएं और संबंधित सेवाएं
- ❖ वितरण सेवाएं
- ❖ अकाउंटिंग/ऑडिटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज
- ❖ पर्यावरण सेवा
- ❖ समुद्री परिवहन सेवाएं
- ❖ विज्ञापन सेवाएं
- ❖ मार्केटिंग रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सर्विसेज/मैनेजमेंट सर्विसेज
- ❖ मुद्रण और प्रकाशन सेवाएं

- ❖ कानूनी सेवाएं
- ❖ होटल और पर्यटन संबंधी सेवाएं
- ❖ अन्य

(x) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), सरकार द्वारा स्थापित एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद, निम्नलिखित में से किसी भी मॉड्यूल में अनुबंधित विदेशी परियोजनाओं से युक्त परियोजना निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष समन्वयक एजेंसी है:

- ❖ सिविल निर्माण परियोजनाएं
- ❖ टर्न की परियोजनाएँ

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (अवधारणा से शुरूआत तक) सहित और अनिवार्य रूप से सिविल कार्य / निर्माण और इन टर्नकी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सभी आपूर्तियां शामिल हैं:

- ❖ प्रक्रिया और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं और
- ❖ परियोजना निर्माण सामग्री (स्टील और सीमेंट को छोड़कर):
- ❖ निर्माण इंजीनियरिंग उत्पाद (फिटिंग और फिक्स्चर/सामग्री)
- ❖ निर्माण उपकरण और सहायक उपकरण
- ❖ अन्य परियोजना सामान

पीईपीसी वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है।

(क) विकास के क्षेत्र

पीईपीसी, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे बांधों, जलविद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों, उपयोगिता भवनों, बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और कॉम्प्लेक्स, मोटरवे, सुरंग और पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाएं, ऊंची-ऊंची और प्रतिष्ठित इमारतें, होटल और पर्यटक रिसॉर्ट आदि के निर्माण में परियोजना निर्यात के विकास और प्रचार में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

(ख) बाजार

भारतीय प्रक्रिया और निर्माण इंजीनियरिंग ठेकेदारों और सलाहकारों के लिए मुख्य बाजार रहे हैं और हैं:

- ❖ एशिया (सार्क, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व)
- ❖ अफ्रीका
- ❖ रूस और सीआईएस
- ❖ यूरोप
- ❖ लैटिन अमेरिका

(xi) ईओयू और एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयू) योजना 1981 की शुरुआत में शुरू की गई थी, इसे साठ के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्रनिर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) योजना की पूरक योजना के रूप में पेश किया गया था। यह एसईजेड (पूर्ववर्ती ईपीजेड) के समान उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है लेकिन स्थानों में एक विस्तृत विकल्प प्रदान करती है।

निर्यात-आयात नीति के अनुसार, डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं के अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयों को निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) कहा जाता है। ईओयू भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं।

ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 के प्रावधानों और इसकी प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं, जैसा कि हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) में निहित है।

30 सितंबर 2021 में 1650 ईओयू की तुलना में 30 सितंबर 2022 तक ईओयू योजना के तहत 1638 इकाइयां परिचालन में हैं।

(xii) भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) तिलहन, तेल और खली के विकास और निर्यात संवर्धन से संबंधित है। इसका गठन 23 जून 1956 को किया गया था। आईओपीईपीसी, जिसे पहले आईओपीईपीसी के नाम से जाना जाता था, छह दशकों से अधिक समय से निर्यातकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। निर्यात पर ध्यान

केंद्रित करने के अलावा, परिषद भारत में तिलहन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों, शेलर्स, प्रोसेसर, सर्वेक्षकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी काम करती है।

(xiii) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग के शीर्ष व्यापार निकाय ने इस साल अपने अस्तित्व के 56 साल पूरे कर लिए हैं। दिसंबर 2022 तक इसके लगभग 8502 सदस्य हैं। रत्न और आभूषण क्षेत्र भारत के प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। वित्त वर्ष 2022-23 (सितंबर, 2022 तक) के दौरान भारत से रत्न और आभूषणों के निर्यात ने पिछले वर्ष की समान अवधि के 19,383.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6.87% की वृद्धि दिखाते हुए 20,715.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रदर्शन दर्ज किया। बढ़ती ब्याज लागत और यूएसए, हांगकांग, इजराइल, यूके और नीदरलैंड जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों से सुस्त मांग के बावजूद, रत्न और आभूषण निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहे हैं, जो सहायक सरकारी नीतियों और व्यापार करने में आसानी के मद्देनजर आगे भी जारी रहने की संभावना है।

(छ) सलाहकार निकाय

व्यापार मंडल (बीओटी)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संवाद के लिए दिनांक 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना द्वारा परामर्श प्रक्रिया में अधिक सुसंगतता के लिए जिम्मेदार एक मंच, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) को व्यापार और उद्योग के साथ चर्चा और परामर्श के लिए एक सलाहकार निकाय व्यापार बोर्ड (बीओटी) के साथ मिला दिया गया था य और नया फोरम व्यापार मंडल के रूप में बना हुआ है। वर्तमान में 29 गैर-सरकारी सदस्य, 25 पदेन सदस्य और 39 आधिकारिक सदस्य जिनमें डीजी, डीजीएफटी सदस्य सचिव, एमओएस वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार और वाणिज्य के प्रभारी मंत्री सदस्य और माननीय सीआईएम अध्यक्ष के रूप में व्यापार मंडल का गठन करते हैं।

वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ नियमित रूप से हितधारक परामर्श आयोजित किया है। परामर्श के भाग के रूप में, 13.9.2022 को व्यापार

मंडल की बैठक आयोजित की गई। व्यापार मंडल की बैठक निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर केंद्रित थी। व्यापार मंडल, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है। यह राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

व्यापार मंडल की बैठक के दौरान, भारत के आयात/निर्यात प्रदर्शन, वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन, एफटीपी और आगे की राह, राज्यों के निर्यात प्रदर्शन, निर्यात हब के रूप में जिला, नई प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति, व्यापार उपचारात्मक, सीमा शुल्क द्वारा किए गए व्यापार सुविधा उपाय, सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

राज्यों के मंत्रियों ने बैठक में अपने राज्य-विशिष्ट सुझाव देकर हस्तक्षेप किया और विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

बैठक में विभिन्न राज्य मंत्रियों और प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमुख व्यापार और उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों ने भाग लिया।

(ज) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठनों का संघ (एफआईओ)

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईओ) की स्थापना 1965 में निर्यात संवर्धन संगठनों के एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ पंजीकृत है। एफआईओ के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और जयपुर, कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में

शाखाएँ हैं। संगठन आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

एफआईआईओ की 35,000 से अधिक की सीधी सदस्यता है। विदेश व्यापार नीति में, एफआईआईओ को स्टेटस होल्डर निर्यात करने वाली फर्मों के लिए और बहु-उत्पादों में काम करने वाले निर्यातकों के लिए एक पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। एफआईआईओ उत्पत्ति का प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करता है जिसकी आवश्यकता कई देशों को माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में होती है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के सभी सामान और सेवा क्षेत्र के हितों की सेवा करता है।

एफआईआईओ निर्यातकों और केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में लगी अन्य एजेंसियों के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है। यह व्यापार की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समितियों में कार्य करता है। यह व्यापार के विभिन्न मामलों पर सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

एफआईआईओ भारत से निर्यात में उनके योगदान की मान्यता में निर्यातकों और निर्यात सुविधाकर्ताओं को क्रमशः 'निर्यात श्री' और 'निर्यात बंधु' पुरस्कार देता है। एफआईआईओ राज्यों के निर्यातकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार भी आयोजित करता है।

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट (आईडीआई) की स्थापना 1978 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत की गई थी, जिसमें हीरा, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आईडीआई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई डायमंड मैनुफैक्चरिंग, डायमंड ग्रेडिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और ज्वेलरी मैनुफैक्चरिंग और जेमोलॉजी के क्षेत्रों में व्यावसायिक शैक्षिक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें एक ही छत के नीचे रत्न और आभूषण के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रशिक्षण शामिल है। संस्थान स्वर्ण मूल्यांकन, कच्चे हीरे की छंटाई और हीरे की ग्रेडिंग पहलुओं पर सीमा शुल्क अधिकारियों को कौशल का उन्नयन/प्रदान करता है। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट (सीडीडी), गुजरात सरकार की कौशल वृद्धि योजना के तहत संस्थान एमएसएमई जी एंड जे इकाइयों के मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन भी करता है। आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय,

गुजरात सरकार द्वारा एक एंकर संस्थान रत्न और आभूषण के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

संस्थान की जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी हीरों, रत्नों और आभूषणों के परीक्षण और पहचान में लगी हुई है, और हीरे की ग्रेडिंग, रत्न पत्थर की पहचान और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करती है। हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए एफटीपी 2015-2020 के अध्याय 4 के अनुसार संस्थान की डायमंड ग्रेडिंग प्रयोगशाला डीजीएफटी, एमओसी एंड आई द्वारा अधिकृत है। आईडीआई अपने कटारगाम परिसर में डायमंड डिटेक्शन एंड रिसोर्स सेंटर (डीडीआरसी) भी संचालित करता है ताकि छोटे/मध्यम हीरा निर्माता/हीरा व्यापारियों/ज्वैलर्स को सस्ती दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। आईडीआई इस विषय पर हीरा और स्वर्ण बुलियन व्यापार में जागरूकता फैलाने के लिए आईएसरू 1418:2009 द्वारा 'सिंथेटिक हीरे की पहचान' और 'सोने की परख' पर विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का भी आयोजन करता है।

(iii) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीटीआई के समापन को मंजूरी दे दी है और परिसमापन प्रक्रिया प्रगति पर है।

(iv) मूल्य स्थिरीकरण फंड ट्रस्ट (पीएसएफटी)

मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट को 11 सितंबर 2003 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में नाबार्ड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को लागू करने के लिए 10 साल की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया था। वाणिज्य विभाग द्वारा कॉफी, चाय, रबर और तम्बाकू के उत्पादकों को इन वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए। ट्रस्ट को 11/9/2013 से आगे यानी 11/09/2023 तक दस साल की एक और अवधि के लिए फिर से पंजीकृत किया गया था। पीएसएफटी की गतिविधियों को 31/03/2015 को बंद कर दिया गया था।

(v) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और बनाना और भारतीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज्ञान के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है। इस उद्देश्य

की दिशा में, आईबीईएफ सरकार और उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

(I) वाणिज्य भवन

‘वाणिज्य भवन’ 16-ए, अकबर रोड, नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक नवनिर्मित कार्यालय परिसर है। भवन का शिलान्यास 22 जून 2018 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। भवन का उद्घाटन 23 जून 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

इमारत में छह मंजिलें और दो बेसमेंट हैं। इसे आसपास की

इमारतों, विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट की वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है।

वाणिज्य भवन को ऊर्जा की बचत और इनडोर गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ हरित वास्तुकला के सिद्धांतों को शामिल करते हुए एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ सार्वभौमिक पहुंच के सिद्धांतों पर भी आधारित है।



माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वाणिज्य भवन का उद्घाटन

अध्याय 2

वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति



1. वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था

- ❖ वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर करने वाली समस्याओं की श्रृंखला के कारण अपेक्षित वृद्धि से धीमी चल रही है। महामारी के कारण गिरावट के बाद दृढ़ लेकिन असमान रिकवरी के बाद, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उच्च और लगातार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत सख्ती, महामारी के प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय तनाव ने वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर दिया है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सुस्पष्ट कमजोर स्थिति के दौर से गुजर रही हैं और परिणामी अधिक लाभ से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के सामने आने वाली अन्य चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव के संयोजन के कारण मुद्रास्फीति चरम पर है और प्रत्याशित से अधिक स्थिर है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूओ), अक्टूबर 2022 के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अशांत चुनौतियों का सामना कर रही है और इसका भविष्य मौद्रिक नीति के सफल अंशांकन, यूक्रेन

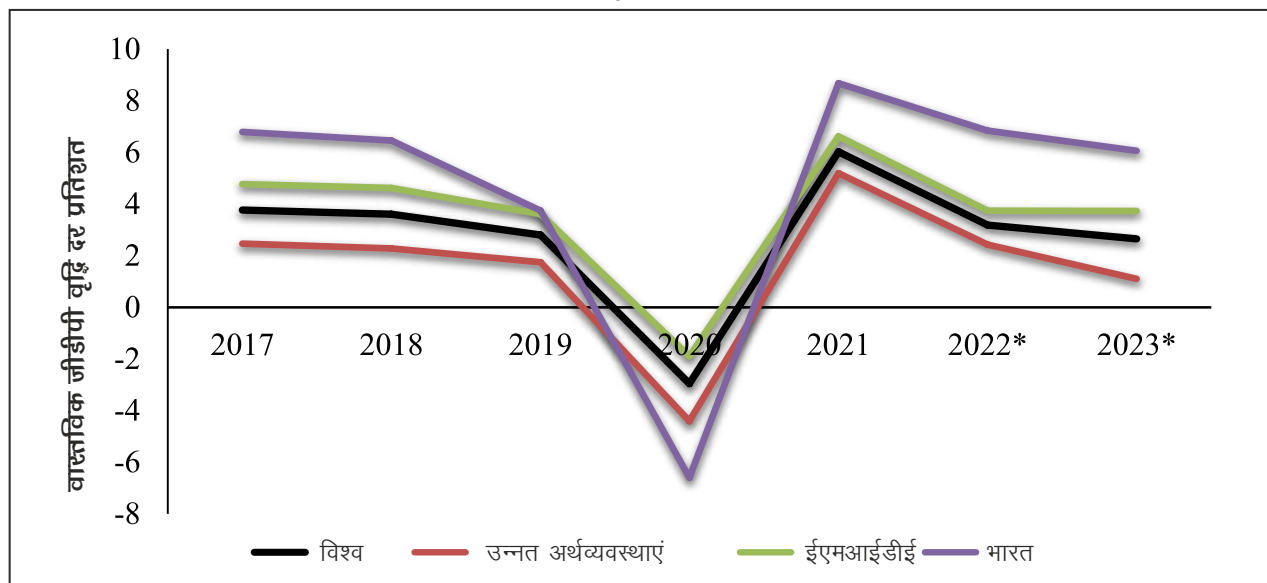
में युद्ध होने और आगे महामारी से संबंधित आपूर्ति-पक्ष से होने वाले व्यवधानों की संभावना पर निर्भर है। वैश्विक वृद्धि दर 2021 में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आईएमएफ द्वारा पहले अनुमानित की तुलना में दृष्टिकोण काफी कमजोर है। वैश्विक वित्तीय (2008) और कोविड-19 (2020-2021) संकट के दौरान के अपवादों से, 2001 की वैश्विक मंदी के बाद से 2023 के लिए पूर्वानुमान सबसे कम है। आउटलुक के जोखिम अधोगामी हैं और असामान्य रूप से राजनीतिक तनाव में तेजी, मुद्रास्फीति के रुझान में वृद्धि, बढ़ती वित्तीय अस्थिरता, निरंतर आपूर्ति तनाव आदि के कारण बड़े हैं।

- ❖ 2021 में 5.2 प्रतिशत की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) का कुल आउटपुट 2022 में 2.4 प्रतिशत और 2023 में 1.1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसके विपरीत, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) का कुल आउटपुट 2021 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2022 और 2023 दोनों में 3.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार नवीनतम विकास अनुमान (% परिवर्तन) इस प्रकार हैं:

	2021	2022	2023	2022	2023
विश्व आउटपुट	6.0	3.2	2.7	0.0	(-)0.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	5.2	2.4	1.1	(-)0.1	(-)0.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	5.7	1.6	1.0	(-)0.7	0.0
यूरो क्षेत्र	5.2	3.1	0.5	0.5	(-)0.7
उभरता बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	6.6	3.7	3.7	0.1	(-)0.2
उभरता और विकासशील एशिया	7.2	4.4	4.9	(-)0.2	(-)0.1
चीन	8.1	3.2	4.4	(-)0.1	(-)0.2
भारत	8.7	6.8	6.1	(-)0.6	0.0

स्रोत: आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2022

वैश्विक वृद्धि में रुझान



स्रोत: आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक डाटाबेस, अक्टूबर 2022

नोट: *अनुमान

2. वर्ष 2022-23 में वैश्विक व्यापार

❖ महामारी के बाद मजबूत रिकवरी के बाद वैश्विक व्यापार तेजी से धीमा हो रहा है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ महामारी के प्रभाव से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण वस्तु व्यापार 2022 में धीमा हो गया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा 2022 में 3.5 प्रतिशत और 2023 में 1.0 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है, 2021 में यह 9.7 प्रतिशत थी। डब्ल्यूटीओ का मौजूदा पूर्वानुमान वर्ष 2022 में विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा में 3.5 प्रतिशत वृद्धि होने का है जो अप्रैल में 3.0 प्रतिशत के पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक मजबूत। इसके विपरीत, 2023 के लिए 1.0 प्रतिशत का पूर्वानुमान पहले के 3.4 प्रतिशत के अनुमान से

काफी कम है। हालांकि, बढ़ती अनिश्चितताओं और बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के कारण पूर्वानुमान के लिए कई और अंतर-संबंधित जोखिम हैं।

- ❖ व्यापार पैटर्न क्षेत्रों / देशों में भिन्न हैं। निर्यात पक्ष में, मध्य पूर्व में 2022 में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के बाद सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। इसके विपरीत, सीआईएस निर्यात 2022 में कम होने का अनुमान है। आयात पक्ष में भी, मध्य पूर्व में उच्चतम वृद्धि होने का अनुमान है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया का स्थान है।
- ❖ विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार 2022 और 2023 में दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि निम्नानुसार है :

	वार्षिक % परिवर्तन					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा	3.2	0.5	(-)5.2	9.7	3.5	1.0
निर्यात						
उत्तरी अमेरिका	3.9	0.4	(-)8.9	6.5	3.4	1.4
दक्षिण और मध्य अमेरिका	0.6	(-)1.3	(-)4.9	5.6	1.6	0.3
यूरोप	1.8	0.6	(-)7.8	7.9	1.8	0.8
सीआईएस	4.1	(-)0.1	(-)1.7	0.5	(-)5.8	3.3
अफ्रीका	3.2	(-)0.4	(-)8.1	5.2	6.0	(-)1.0
मध्य पूर्व	4.8	(-)1.3	(-)8.9	1.4	14.6	(-)1.5
एशिया	3.7	0.9	0.5	13.3	2.9	1.1
अल्प विकसित देश	5.4	0.0	(-)1.8	4.9	7.1	3.8

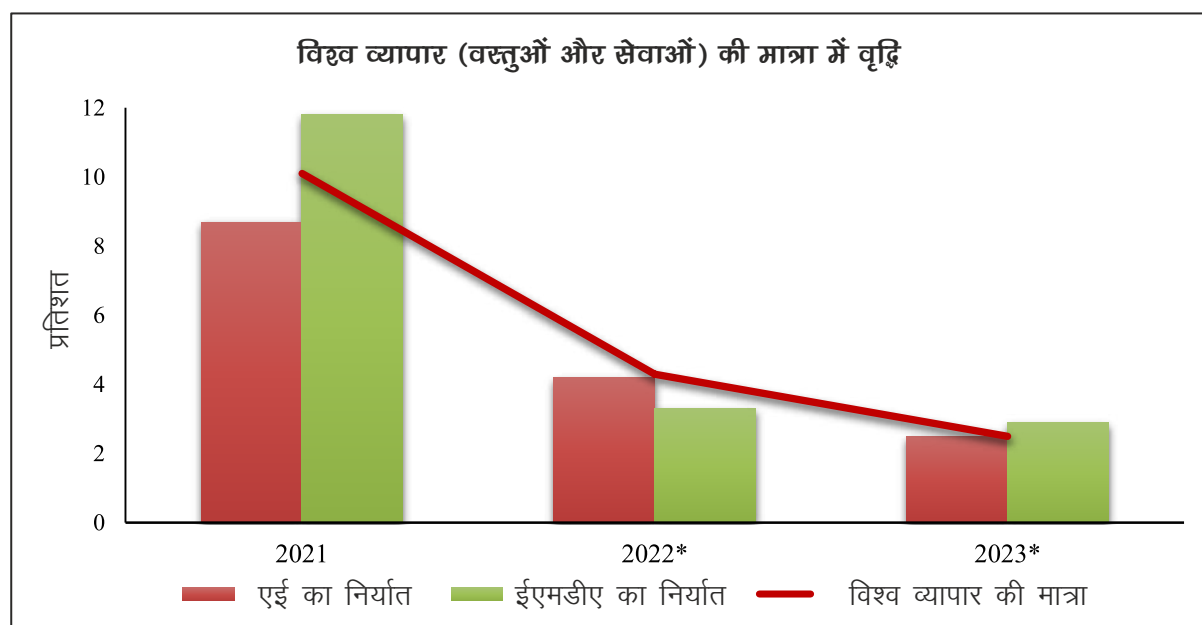
	वार्षिक % परिवर्तन					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
आयात						
उत्तरी अमेरिका	5.1	(-)0.6	(-)5.9	12.3	8.5	0.8
दक्षिण और मध्य अमेरिका	4.6	(-)1.8	(-)10.7	25.4	5.9	(-)1.0
यूरोप	1.9	0.3	(-)7.3	8.3	5.4	(-)0.7
सीआईएस	4.0	8.3	(-)5.5	9.1	(-)24.7	9.4
अफ्रीका	5.5	3.1	(-)14.7	7.7	7.2	5.7
मध्य पूर्व	(-)4.4	11.2	(-)10.1	8.4	11.1	5.7
एशिया	5.0	(-)0.4	(-)1.0	11.1	0.9	2.2
अल्प विकसित देश	4.9	3.1	(-)10.9	9.5	6.6	8.9

स्रोत: डब्ल्यूटीओ की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5 अक्टूबर 2022

नोट: *अनुमान

❖ आईएमएफ के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तुओं और सेवाओं) में वृद्धि 2021 में 10.1 प्रतिशत से घटकर

2022 में 4.3 प्रतिशत और 2023 में 2.5 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है।



स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2022

नोट: *प्रक्षेपित, ई-उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीए-उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

3. अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का व्यापार

नीचे की सारणी में चयनित अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया, यूके और यूएसए के आयात (वस्तु+ सेवाएं) वृद्धि की तुलना की गई है।

सितंबर 2022 से इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। भारत की समग्र आयात वृद्धि जनवरी 2022 में 26.8 प्रतिशत से बढ़कर मई 2022 में 57.1 प्रतिशत हो गई थी और अक्टूबर 2022 में कम होकर 7.5 प्रतिशत हो गई।

कुल निर्यात: महीने-वार वर्ष-दर-वर्ष माह-वार वृद्धि (%)

अवधि	ऑस्ट्रेलिया	ब्राज़ील	कनाडा	चीन	भारत	जापान	कोरिया, गणराज्य	यू.के.	संयुक्त राज्य अमेरिका
जनवरी	19.1	29.3	14.2	26.4	26.7	-1.4	17.0	21.8	14.8
फरवरी	15.3	40.8	18.1	8.9	28.6	6.7	22.1	13.0	19.9
मार्च	21.2	21.0	25.2	15.1	27.7	3.5	20.3	1.5	17.3
अप्रैल	25.5	12.8	26.0	4.4	30.7	-3.7	13.2	9.9	19.9
मई	20.6	15.1	29.1	17.4	27.8	-2.2	20.7	12.9	21.1
जून	26.3	18.0	24.2	17.4	31.2	-1.7	7.1	6.5	21.3
जुलाई	5.9	17.1	21.3	17.4	12.5	-5.0	9.0	14.7	20.7
अगस्त	15.0	14.0	18.1	8.6	16.0	-0.3	6.5	23.5	21.0
सितम्बर	27.5	18.6	15.9	4.8	14.5	-1.5	1.3	10.1	21.5
अक्टूबर	18.4	19.9	7.1	-1.4	-1.7	-3.4	-6.0	-3.6	12.5

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस

नोट: किसी विशेष महीने की वृद्धि दर की गणना पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में की जाती है।

❖ नीचे सारणी में चयनित अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया, यूके और यूएसए के आयात (वस्तु, सेवाएं) वृद्धि की तुलना की गई है। आयात ने जनवरी 2022 से इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में

सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल आयात वृद्धि जो जनवरी 2022 में 26.8 प्रतिशत थी, मई 2022 में बढ़कर 57.1 प्रतिशत हो गई और अक्टूबर 2022 में घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई।

कुल निर्यात: वर्ष-दर-वर्ष माह-वार वृद्धि (%)

अवधि	ऑस्ट्रेलिया	ब्राज़ील	कनाडा	चीन	भारत	जापान	कोरिया, गणराज्य	यू.के.	संयुक्त राज्य अमेरिका
जनवरी	22.7	32.7	11.5	22.2	26.8	23.8	32.7	40.2	23.0
फरवरी	27.8	31.6	16.8	14.1	34.8	20.0	25.4	36.7	24.5
मार्च	28.6	28.3	20.3	2.2	28.4	16.7	25.5	37.2	26.9
अप्रैल	21.2	33.4	25.0	1.8	29.6	6.0	16.5	26.3	23.0
मई	29.2	40.6	20.2	4.8	57.1	18.1	27.7	19.7	25.8
जून	27.4	39.6	22.3	3.1	55.9	14.3	17.8	10.2	20.2
जुलाई	28.7	34.3	18.4	3.9	39.3	13.2	19.0	14.1	15.5
अगस्त	43.2	36.7	23.7	1.2	38.1	21.4	27.1	18.6	16.0
सितम्बर	30.0	25.9	17.5	0.0	16.4	9.9	14.9	1.5	13.9
अक्टूबर	23.9	17.6	10.3	0.3	7.5	13.4	8.0	0.6	13.1

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस

नोट: किसी विशेष महीने की वृद्धि दर की गणना पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में की जाती है।

अध्याय 3

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां



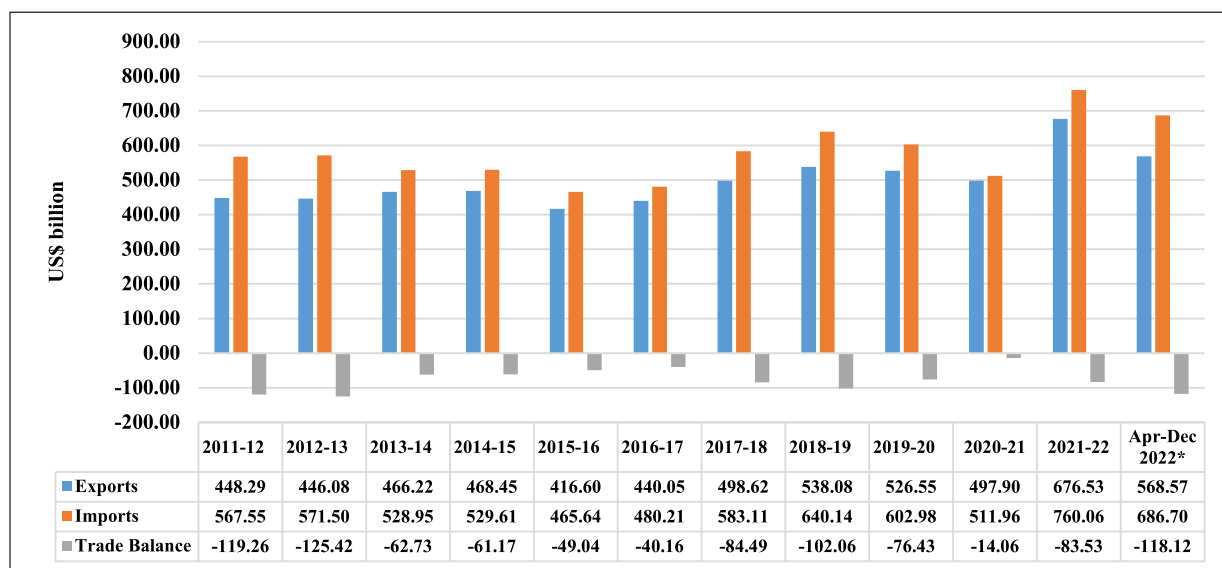
1. सिंहावलोकन

- ❖ 2021-22 में भारत का समग्र (मर्चेडाइज एंड सर्विसेज) निर्यात 2020-21 में 497.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 35.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए निर्यात अनुमानतः 568.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हुए जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 489.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जिसमें 16.11 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में समग्र निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि, 2021-22 में इसमें वृद्धि हुई और यह 21.30 प्रतिशत रही।
- ❖ 2021-22 में कुल आयात 760.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 48.46

प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए आयात अनुमानतः 686.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 546.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, जिसमें 25.55 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- ❖ 2021-22 में कुल व्यापार घाटा 83.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2020-21 में 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे से अधिक था। अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए समग्र व्यापार घाटा 118.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान घाटा 57.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- ❖ वर्ष 2011-12 से समग्र निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन में व्यापक प्रवृत्तियां निम्नानुसार ग्राफ में दर्शाई गई हैं:

पिछले 10 वर्षों में भारत का समग्र व्यापार (मर्चेडाइज एंड सर्विसेज)



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञापित

*नोट: आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के नवीनतम आंकड़े नवंबर 2022 के लिए हैं। दिसंबर 2022 के आंकड़े एक अनुमान हैं, जिन्हें आरबीआई की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) अप्रैल-दिसंबर 2021 और अप्रैल-सितम्बर, 2022 के आंकड़ों को तिमाही भुगतान संतुलन आंकड़ों का उपयोग करते हुए आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

2. भारत का पण्यवस्तु व्यापार

- ❖ भारत के पण्यवस्तु निर्यात ने लचीलापन दिखाया। पूरे वित्त वर्ष अर्थात् 2021-22 के लिए निर्यात 44.62 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 2020-21 के दौरान 291.81 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 422 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
- ❖ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का मासिक पण्यवस्तु निर्यात 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 45 बिलियन

अमेरिकी डॉलर की सीमा में रहा, जिसमें मार्च 2022 के महीने में 44.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का उच्चतम निर्यात दर्ज किया गया।

- ❖ वाणिज्य विभाग ने 2021-22 में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के लक्ष्य की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2021-22 में 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात दर्ज करके भारत के व्यापारिक निर्यात ने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी

हितधारकों – संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदों, निर्यातकों और उद्योग संघों के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और बातचीत के साथ एक राष्ट्रीय प्रयास किया गया था। 2022-23 में निर्यात की निगरानी और बढ़ावा देने के लिए फिर से इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। अप्रैल-दिसंबर 2022 (क्यूई) के दौरान निर्यात 332.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान 305.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 9.09 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- ❖ जीडीपी अनुपात ने वस्तु निर्यात, कुछ वर्षों की गिरावट के बाद, 2021-22 में बढ़ती प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2021-22 में 13.92 प्रतिशत का अनुपात दर्ज किया गया था।
- ❖ 2021-22 के दौरान आयात में 2020-21 के 394.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 55.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

की गई, जो 2021-22 में 613.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- ❖ अप्रैल-दिसंबर 2022 (क्यूई) के दौरान आयात 551.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 441.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 24.96 प्रतिशत अधिक है।
- ❖ 2021-22 में व्यापार घाटा 191.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया था, जबकि 2020-21 में 102.63 बिलियन का घाटा था। अप्रैल-दिसंबर 2022 (क्यूई) में, व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2021 में 136.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 218.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ❖ 2011-12 से पण्य वस्तु निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की व्यापक प्रवृत्तियां निम्नानुसार सारणी में दी गई हैं:

पण्यवस्तु व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि%	आयात	वृद्धि%	व्यापार संतुलन
1	2011-12	305.96	22.48	489.32	32.33	-183.36
2	2012-13	300.40	-1.82	490.74	0.29	-190.34
3	2013-14	314.41	4.66	450.20	-8.26	-135.79
4	2014-15	310.34	-1.29	448.03	-0.48	-137.69
5	2015-16	262.29	-15.48	381.01	-14.96	-118.72
6	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	-108.50
7	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	-162.05
8	2018-19	330.08	8.75	514.08	10.42	-184.00
9	2019-20	313.36	-5.06	474.71	-7.66	-161.35
10	2020-21	291.81	-6.88	394.44	-16.91	-102.63
11	2021-22	422.00	44.62	613.05	55.43	-191.05
	अप्रैल-दिसंबर 2022 (क्यूई)	332.76	9.09	551.70	24.96	-218.94

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, क्यूई से तात्पर्य त्वरित अनुमान है

3. भारत का सेवा व्यापार

- ❖ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र रहा है, जिसमें निर्यात और एफडीआई में महत्वपूर्ण योगदान है। महामारी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, हालांकि, सेवा क्षेत्र ने आर्थिक व्यवधानों के प्रति लचीलापन दिखाया है। 2020-21 में रिकॉर्ड किए गए 206.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में सेवा निर्यात 254.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 23.50 प्रतिशत की

सकारात्मक वृद्धि है।

- ❖ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा निर्यात का योगदान 2018-19 में 7.70 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 8.01 प्रतिशत हो गया है।
- ❖ भारत का सेवा निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2021 में 184.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 में 235.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 27.71 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि है।

❖ सेवा आयात 2020-21 में 117.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में 147.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 25.09 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि है। अप्रैल-दिसंबर 2022* के दौरान आयात का संचयी मूल्य 134.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 28.01 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

❖ 2021-22 और अप्रैल-दिसंबर 2022* में सेवा व्यापार में क्रमशः 107.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 100.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष सृजित हुआ।

❖ पिछले दस वर्षों में सेवा निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की व्यापक प्रवृत्तियां निम्नानुसार तालिका में हैं:

सेवा व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वस्तु	निर्यात	वृद्धि%	आयात	वृद्धि%	सेवाओं का निवल
1	2011-12	142.32	14.19	78.23	-2.89	64.10
2	2012-13	145.68	2.36	80.76	3.24	64.91
3	2013-14	151.81	4.21	78.75	-2.50	73.07
4	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
5	2015-16	154.31	-2.40	84.63	3.75	69.68
6	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
7	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
8	2018-19	208.00	6.62	126.06	7.26	81.94
9	2019-20	213.19	2.50	128.27	1.75	84.92
10	2020-21	206.09	-3.33	117.52	-8.38	88.57
11	2021-22	254.53	23.5	147.01	25.09	107.52
	अप्रैल-दिसंबर 2022*	235.81	27.71	134.99	28.01	100.82

स्रोत: आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञापित

*नोट: आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के नवीनतम आंकड़े नवंबर 2022 के लिए हैं। दिसंबर 2022 का आंकड़ा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई द्वारा बाद में जारी आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) तिमाही भुगतान संतुलन आंकड़ों का उपयोग करते हुए अप्रैल-दिसंबर, 2021 और अप्रैल-सितंबर, 2022 के आंकड़ों को आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

4. वर्ष 2021-22 में निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएं।

वर्ष 2021-22 में शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वस्तु	2020-21	2021-22	अप्रैल-नवंबर 2022 (अन.)	2020-21 की तुलना में 2021-22 में वृद्धि प्रतिशत	शेयर %
1	पेट्रोलियम उत्पाद	25.80	67.47	65.34	161.47	15.99
2	मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्न	18.15	27.68	17.61	52.51	6.56
3	लोहा और इस्पात	12.12	22.91	9.29	88.93	5.43
4	दवा फॉर्मूलेशन, जैविक	19.04	19.00	12.74	-0.22	4.5
5	सोने और अन्य कीमती धातु के गहने	6.63	11.06	8.67	66.9	2.62
6	कार्बनिक रसायन	7.64	10.95	6.65	43.34	2.59
7	एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम के उत्पाद	5.80	10.64	6.16	83.56	2.52
8	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	8.13	10.35	7.11	27.37	2.45
9	आरएमजी कॉटन एवसेसरीज सहित	6.87	9.04	6.00	31.64	2.14
10	लोहे और इस्पात के उत्पाद	6.56	8.79	6.41	33.98	2.08
	कुल	291.81	422.00	298.29	44.62	100

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता, अन. का तात्पर्य अनंतिम है

वर्ष 2021-22 में शीर्ष 10 वस्तुओं का आयात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	वस्तु	2020-21	2021-22	अप्रैल-नवंबर 2022 (अन.)	2020-21 की तुलना में वृद्धि प्रतिशत 2021-22	शेयर%
1	पेट्रोलियम: कूड	59.48	122.45	113.64	105.87	19.97
2	सोना	34.60	46.17	27.21	33.41	7.53
3	पेट्रोलियम उत्पाद	23.21	39.36	32.79	69.61	6.42
4	कोयला, कोक और ब्रिकयूड्स आदि	16.27	31.72	37.25	94.9	5.17
5	मोती, कीमती, अर्ध-कीमती रत्न	18.89	31.01	21.05	64.17	5.06
6	इलेक्ट्रॉनिक्स सामान	15.30	25.94	16.27	69.58	4.23
7	वनस्पति तेल	11.09	18.99	14.28	71.26	3.1
8	कार्बनिक रसायन	11.09	17.77	13.02	60.22	2.9
9	दूरसंचार उपकरण	14.88	15.22	10.63	2.31	2.48
10	कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स	10.43	15.17	10.32	45.44	2.48
	कुल	394.44	613.05	493.46	55.43	100

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता, अन. का तात्पर्य अनंतिम है

5. वर्ष 2021-22 में प्रमुख निर्यात गंतव्य और आयात स्रोत

वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	देश	2020-21	2021-22	अप्रैल-नवंबर 2022 (अन.)	2020-21 की तुलना में 2021-22 में वृद्धि प्रतिशत	शेयर%
1	यू एस ए	51.63	76.18	53.14	47.53	18.05
2	संयुक्त अरब अमीरात	16.68	28.04	20.83	68.14	6.65
3	चीन	21.19	21.26	9.90	0.36	5.04
4	बांग्लादेश	9.69	16.16	8.10	66.70	3.83
5	नीदरलैंड	6.47	12.55	12.32	93.78	2.97
6	सिंगापुर	8.68	11.15	8.01	28.53	2.64
7	हांग कांग	10.16	10.98	6.54	8.09	2.60
8	यू के	8.21	10.50	7.31	27.94	2.49
9	बेल्जियम	5.24	10.08	6.12	92.61	2.39
10	जर्मनी	8.13	9.88	6.71	21.64	2.34
	कुल	291.81	422.00	298.29	44.62	100.00

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता, अन. का तात्पर्य अनंतिम है

वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2021-21	2021-22	अप्रैल-नवंबर 2022 (अन.)	2020-21 की तुलना में 2021- 22 में वृद्धि प्रतिशत	शेयर %
1	चीन	65.21	94.57	67.92	45.02	15.43
2	संयुक्त अरब अमीरात	26.62	44.83	36.95	68.39	7.31
3	यू एस ए	28.89	43.31	34.20	49.94	7.07
4	सऊदी अरब	16.19	34.10	29.10	110.67	5.56
5	इराक	14.29	31.93	24.93	123.47	5.21
6	स्विट्ज़रलैंड	18.23	23.39	12.06	28.31	3.82
7	हांग कांग	15.17	19.10	12.73	25.86	3.12
8	सिंगापुर	13.30	18.96	14.95	42.52	3.09
9	इंडोनेशिया	12.47	17.70	21.48	41.95	2.89
10	कोरिया आरपी	12.77	17.48	14.24	36.83	2.85
	कुल	394.44	613.05	493.46	55.43	100.00

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता, अन. का तात्पर्य अनंतिम है

अध्याय 4



1. परिचय

महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 को वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 2015-20 की नीति में एफटीपी विवरण, प्रक्रिया पुस्तिका, परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र शामिल हैं। एक ओर जहां एफटीपी आयात और निर्यात की नीति योजना निर्धारित करता है, वहीं प्रक्रिया पुस्तिका विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं (किसी निर्यातक या आयातक, या लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकरण, या किसी प्राधिकरण द्वारा) को अधिसूचित करती है। प्रक्रियाएं निम्नलिखित दस्तावेजों में अंतरनिहित हैं:

- ❖ प्रक्रिया पुस्तिका
- ❖ परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र, और
- ❖ मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन)

वर्ष 2015-20 के लिए एफटीपी(यथा विस्तारित) व्यापार और सेवाओं, नियमों को लिंक करने, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों में विदेशी व्यापार के लिए एक स्थिर और टिकाऊ नीति वातावरण प्रदान करना चाहता है। यह निर्यात संवर्धन मिशन बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया' जैसी अन्य पहलों के अनुरूप है, भारत की निर्यात टोकरी के विविधीकरण को बढ़ावा देता है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मदद करता है, इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक बाजारों में गहरी पैठ बनाने और प्रमुख क्षेत्रों के साथ बेहतर एकीकरण के लिए भारतीय बाजारों का विस्तार करना भी है जिससे भारत के उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। समय-समय पर नीति में संशोधन किया गया है, और नई पहल जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी), केंद्रीय टैक्स और शुल्क में छूट योजना (आरओएससीटीएल), निर्यात हब के रूप में जिले का विकास आदि को बाद में इसमें शामिल किया गया है, जिससे बदलते वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में आवश्यक गतिशीलता प्रदान की जा सके।

2. विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और वाणिज्य विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहल, भारतीय आर्थिक विकास के पुनरुद्धार और गति देने के लिए, सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करने और बनाने के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री

द्वारा बताए गए आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों द्वारा निर्देशित हैं ताकि भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाते हुए 'भारत को वैश्विक विनिर्माण और व्यापार का हब' बनाया जा सके।

संशोधित विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त योगदान देना और वैश्विक बाजारों में भारतीय स्थानीय व्यवसायों की अपार संभावनाओं को उजागर करना है। यह एक ब्रांड अर्थात 'ब्रांड इंडिया' के रूप में भारत की अभिव्यक्ति भी है।

इन अतिरिक्त पहलों के साथ एफटीपी 2015-20 का उद्देश्य एक पूर्वानुमानित और न्यायसंगत वातावरण का निर्माण करना, सर्वोत्तम और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में गहरी, व्यापक और अधिक मूल्य वर्धित पैठ प्रदान करना, तथा लेन-देन की लागत को कम करके और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनकर दक्षता में सुधार और कारोबार में सुगमता लाना है।

इसे प्राप्त करने के लिए, तकनीकी उन्नयन, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के विस्तार, निरंतर डिजिटल परिवर्तन, पुनः कौशल और कार्यबल के कौशल को बढ़ाने, डिजिटल वाणिज्य को उच्च महत्व प्रदान करने, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार, छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन, वैश्विक बाजार के लिए और इष्टतम उत्पादन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर, उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के असंगठित क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यद्यपि अधिकांश उच्च मूल्य वृद्धि-उन्मुख क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण है, कुछ पारंपरिक रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों में, पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र को छेड़छाड़ किए बिना, उच्च संवेदनशीलता और सम्मान के साथ, कारीगरों और आदिवासी लोगों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय मूल्य, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी राज्यों में उत्पादन तकनीकों में न्यूनतम या वृद्धिशील तकनीकी हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है। नीति का उद्देश्य निर्यात संवर्धन की दिशा में राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न अन्य विभागों द्वारा की गई कई पहलों को एकीकृत करना है।

3. प्रमुख योजनाएं

(क) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी)

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट स्कीम (आरओडीटीईपी) को 1 जनवरी 2021 से निर्यात पर

अधिसूचना संख्या 19/2015-20 दिनांक 17 अगस्त 2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह योजना करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रणाली का निर्माण करती है, जो वर्तमान में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य प्रणाली के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए गए हैं। ऐसे करों का प्रमुख घटक परिवहन/वितरण में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर बिजली शुल्क और वैट है।

आरओडीटीईपी स्कीम को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग द्वारा एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है और आरओडीटीईपी लाभों का दावा करने के लिए अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। आरओडीटीईपी स्कीम में लगभग 10,436 निर्यात मद (8 अंकों पर एचएस लाइनें) शामिल हैं, जो आरओडीटीईपी अनुसूची और परिशिष्ट 4 में सूचीबद्ध हैं। आरओडीटीईपी स्कीम एक बजटीय ढांचे के

तहत संचालित होती है और वित्त वर्ष 22-23 में स्कीम को लागू करने के लिए 13,699 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत विनिर्दिष्ट बाजारों में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस), और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) शुरू की गई थी। एमईआईएस को 01.01.2021 से बंद कर दिया गया था। एसईआईएस योजना 2019-20 तक परिचालन में थी।

निम्न तालिका 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 तक) के दौरान स्क्रिप के मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत स्क्रिप जारी करने के विवरण के साथ स्क्रिपस का मूल्य दिखाती है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं			
		वित्त वर्ष 2021-2022 में	वित्त वर्ष 2022-23 में (अगस्त 2022 तक)
भारत से पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	186004	14748
	स्क्रिप का मूल्य	20976	879
भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	4782	2181
	स्क्रिप का मूल्य	2299	1578

(ग) पूर्व विदेश व्यापार नीतियों के तहत अन्य समान योजनाएं

विभिन्न योजनाओं के तहत भी स्क्रिप जारी किए जाते हैं, जैसे, (i) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), (ii) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना, (v)

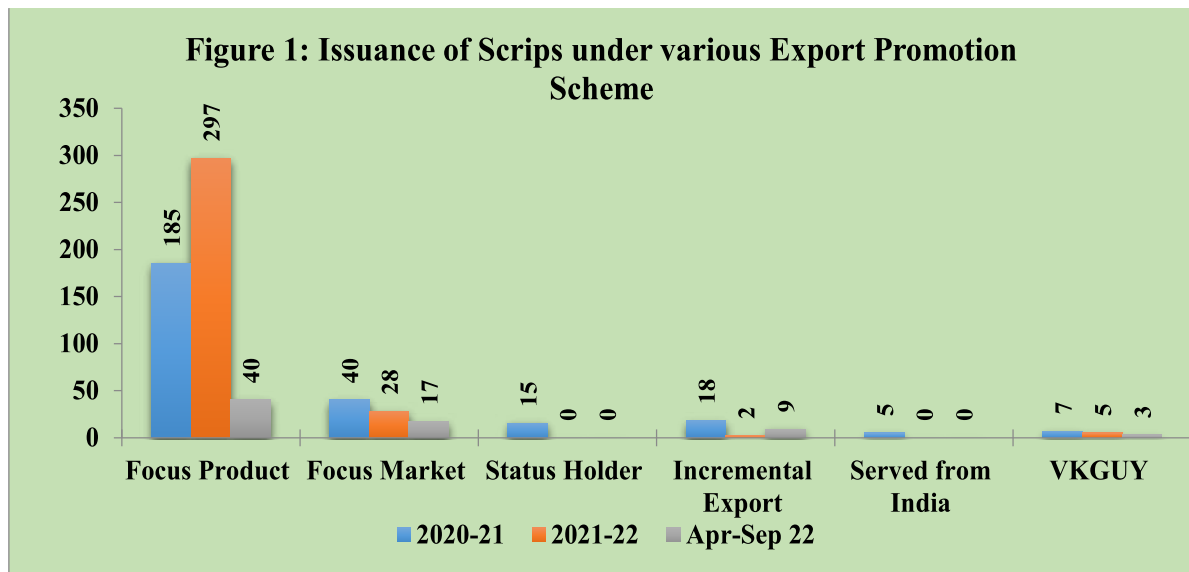
सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम, और (vi) स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) (vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस)।

वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान निर्यात के मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप जारी करने का विवरण, निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

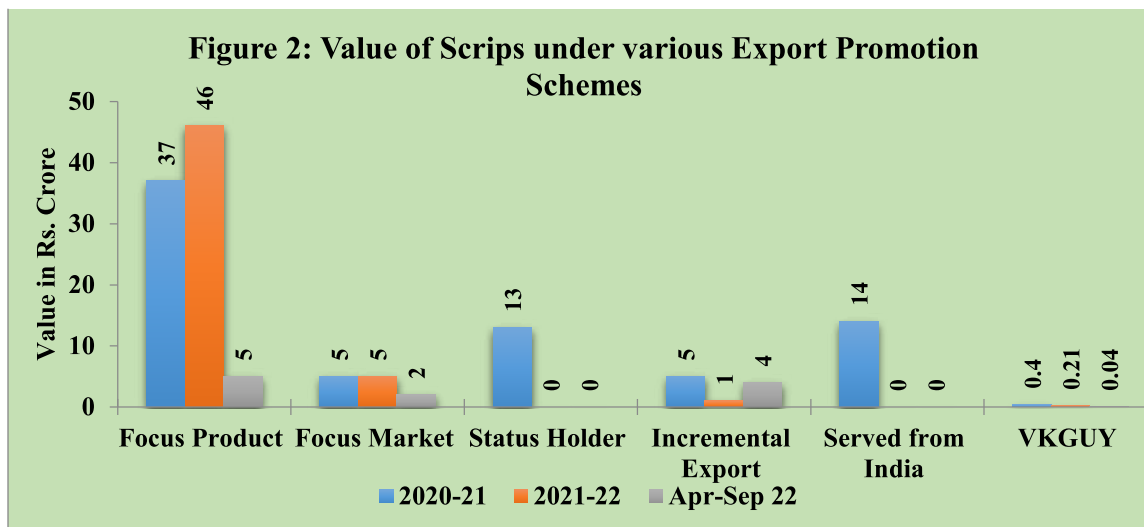
(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ		2020-21	2021-22	अप्रैल-सितंबर 2022-23
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप्स की संख्या	40	28	23
	स्क्रिप्स का मूल्य	5	5	2
फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस)	स्क्रिप्स की संख्या	185	297	48
	स्क्रिप्स का मूल्य	37	46	6.82
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	स्क्रिप्स की संख्या	7	5	3
	स्क्रिप्स का मूल्य	0	0	0.14
भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	5	0	0
	स्क्रिप्स का मूल्य	14	0	0
स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	15	0	1
	स्क्रिप्स का मूल्य	13	0	0.72
वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	18	2	15
	स्क्रिप्स का मूल्य	5	1	6.31
लक्ष्य प्लस योजना (टीपीएस)	स्क्रिप्स की संख्या	22	25	9
	स्क्रिप्स का मूल्य	32.3	93.76	23.43

चित्र 1 वर्ष 2020-21, 2021-22 और अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप्स की संख्या को दर्शाता है।



चित्र 2 में 2020-21, 2021-22 और अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी स्क्रिप्स के मूल्य को दर्शाया गया है।



(घ) शुल्क छूट योजनाएं

ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन/छूट योजनाएं सरकार के सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं, कि 'वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाना है, न कि कर और लेवी का'। इसका उद्देश्य इनपुट के शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति देना है, या उपयोग किए गए इनपुट या उपयोग किए गए इनपुट पर शुल्क घटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति देना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अग्रिम प्राधिकरण (एए) योजना

अग्रिम प्राधिकरण (एए) 2015-20 के विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) अध्याय 4 के तहत विस्तृत एक डब्ल्यूटीओ अनुपालन शुल्क छूट योजना है। एए योजना का उपयोग इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए किया जाता है, जो निर्यात उत्पाद बनाने में भौतिक रूप से शामिल या उपयोग किए जाते हैं। एए योजना के तहत, इनपुट पर सभी आयात शुल्क, जैसे कि मूल सीमा शुल्क, आईजीएसटी, उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क आदि को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अलावा, एए के तहत प्रत्यक्ष आयात के स्थान पर इनपुट की स्थानीय खरीद की अनुमति है, जिसमें इनपुट आपूर्ति के लिए आईजीएसटी वापस किया जाता है। इनपुट की आवश्यक मात्रा की गणना मानक इनपुट आउटपुट नॉर्मस (एसआईओएन) के आधार पर की जाती है। एए का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक आवेदक आम तौर पर पहले आयात करता है और फिर अपने निर्यात में आयातित इनपुट का उपयोग करता है, हालांकि, प्राधिकार धारक पुनःपूर्ति के आधार पर भी इनपुट आयात कर सकते हैं।

सहायक निर्माताओं से जुड़े सभी निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक एए का लाभ उठाने के पात्र हैं। इनपुट को एए की वैधता के भीतर आयात करने की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एए जारी होने की तारीख से 12 महीने होती है। निर्यात आमतौर पर एए जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इस योजना के तहत 15: मूल्यवर्धन (जी एंड जे सेक्टर के लिए कम) बनाए रखा जाना है। एए और आरए जारी निर्यात दायित्व निर्वहन के मोचन के लिए निर्यात पूरा होने के बाद विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान के प्रभाग के साथ निर्यात को प्रमाण डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

यह योजना इस अर्थ में अधिक व्यापार अनुकूल है कि यह निर्यातक को इनपुट के आयात के समय सीमा शुल्क और आईजीएसटी के भुगतान से अग्रिम छूट प्रदान करती है। इस प्रकार, यह कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध नहीं होना सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह एक अग्रिम छूट प्रदान करता है।

(ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)

दिनांक 1 मई 2006 से परिचालित इस डीएफआईए योजना के तहत, निर्यात पूरा होने के बाद, उन उत्पादों के लिए निर्यात के बाद के आधार पर शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण जारी किया जाएगा, जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं। योजना के उद्देश्यों में से एक निर्यात पूरा होने के बाद प्राधिकरण या एसआईओएन के अनुसार आयातित इनपुट के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। डीएफआईए योजना के प्रावधान अग्रिम प्राधिकरण योजना के समान हैं। योजना के तहत न्यूनतम 20% मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। उन मदों के लिए जहाँ परिशिष्ट में अग्रिम

प्राधिकरण के तहत उच्च मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, वही मूल्यवर्धन डीएफआईए के लिए भी लागू होगा। एफटीपी 2015-2020 में पूर्व-निर्यात डीएफआईए को बंद कर दिया गया है।

(iii) रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं

रत्न और आभूषण निर्यात हमारे कुल व्यापारिक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यह एक रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस क्षेत्र से निर्यात को काफी नुकसान हुआ है। नामित एजेंसियों से कीमती धातु (सोना/चांदी/प्लैटिनम) के शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति अग्रिम में या पुनःपूर्ति के रूप में दी जाती है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना उपलब्ध नहीं होगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं इस प्रकार हैं:

- ❖ नामांकित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनःपूर्ति।
- ❖ रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण।

❖ उपभोग्य सामग्रियों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण।

❖ कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकरण।

उद्योग द्वारा उठाई गई मांग को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसे निष्कर्षों को भी शुल्क छूट योजना के तहत अनुमति दी गई है, जो आभूषण के टुकड़ों को एक साथ मिलाने में मदद करते हैं, जिसमें 3 कैरेट और उससे अधिक के सोने की अधिकतम सीमा 22 कैरेट है।

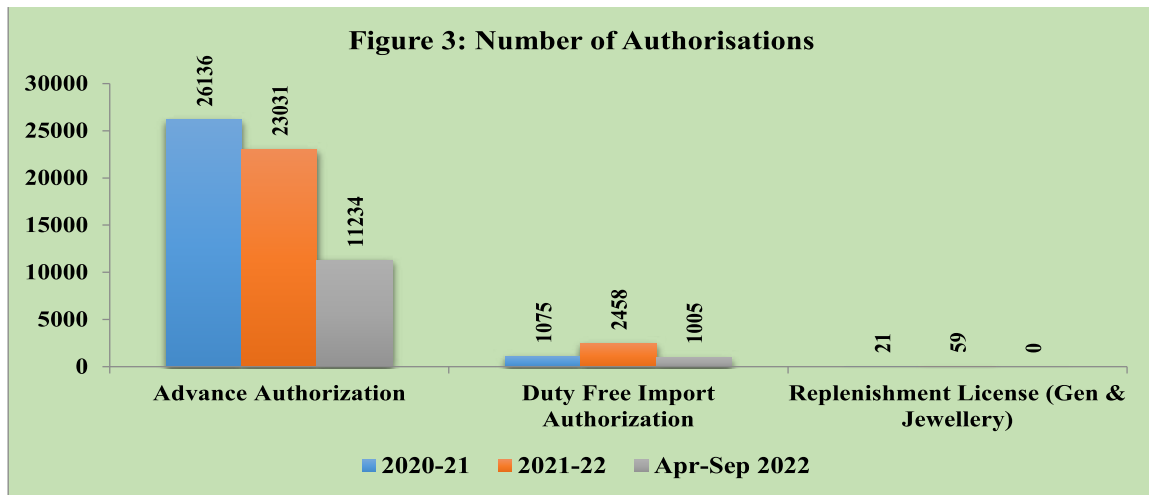
इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वर्ण पदकों और सिक्कों और पूरी तरह से यंत्रीकृत आभूषणों के निर्यात के लिए कीमती धातुओं के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकरण योजना को बंद कर दिया गया है।

2020-21, 2021-22 और अप्रैल-सितंबर, 2022 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकरणों की संख्या, आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

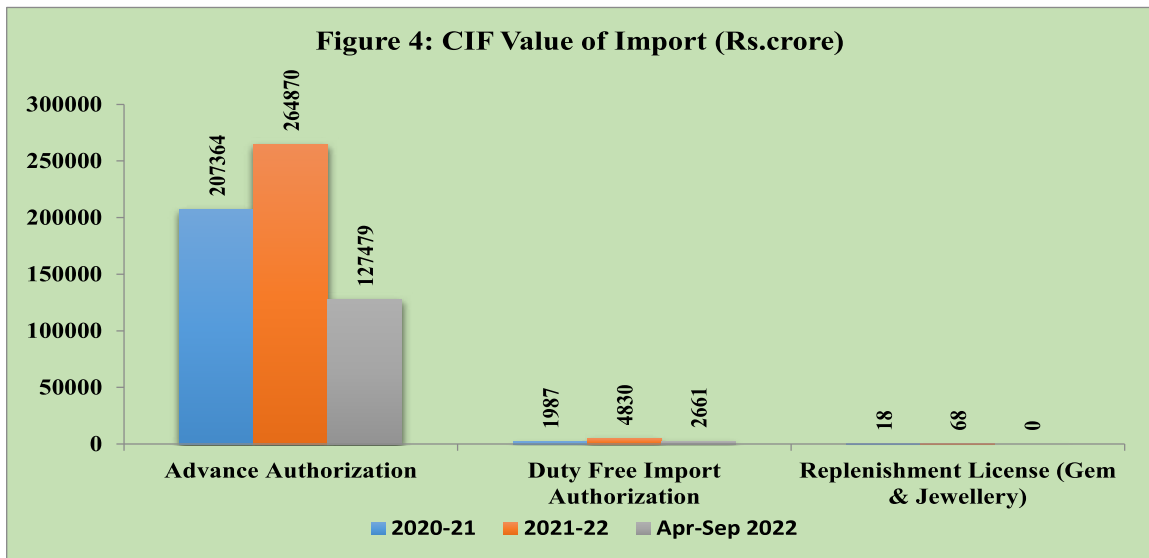
(मूल्य करोड़ रुपये में)

शुल्क छूट योजनाएँ		2020-21	2021-22	अप्रैल-सितंबर 2022-23
अग्रिम प्राधिकरण	प्राधिकरण की संख्या	26,136	23,031	11,234
	आयात का सीआईएफ मूल्य	2,07,364	2,64,870	1,27,479
	निर्यात का एफओबी मूल्य	3,62,718	3,95,094	2,96,999
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)	प्राधिकरण की संख्या	1,075	2,458	1,005
	आयात का सीआईएफ मूल्य	1,987	4,830	2,661
	निर्यात का एफओबी मूल्य	2,896	9,129	3,991
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न और आभूषण)	प्राधिकरण की संख्या	21	59	0
	आयात का सीआईएफ मूल्य	18	68	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य	372	429	0

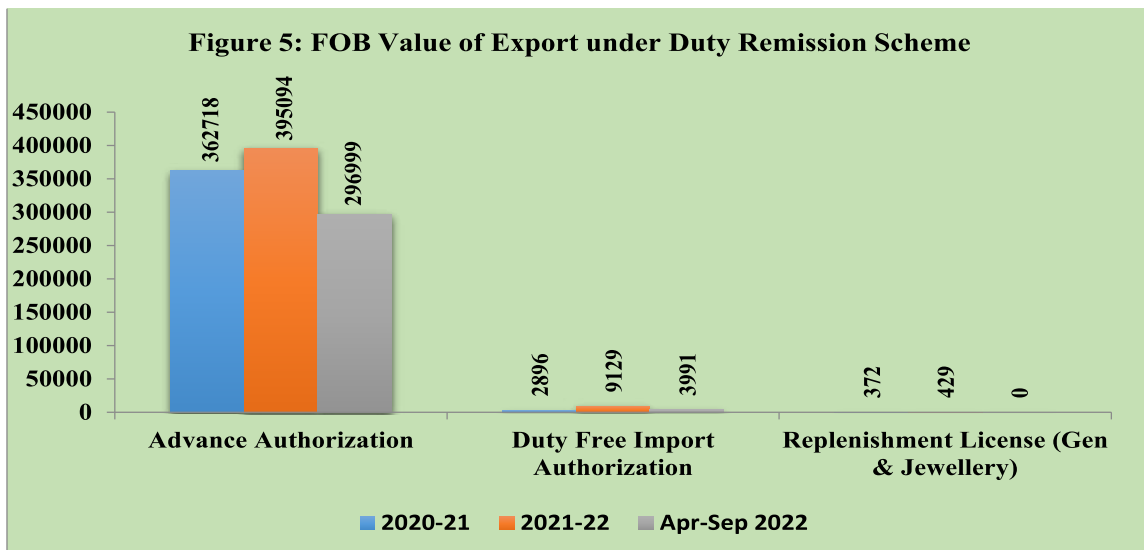
चित्र 3 में 2020-21, 2021-22 और अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकरणों की संख्या को दर्शाया गया है।



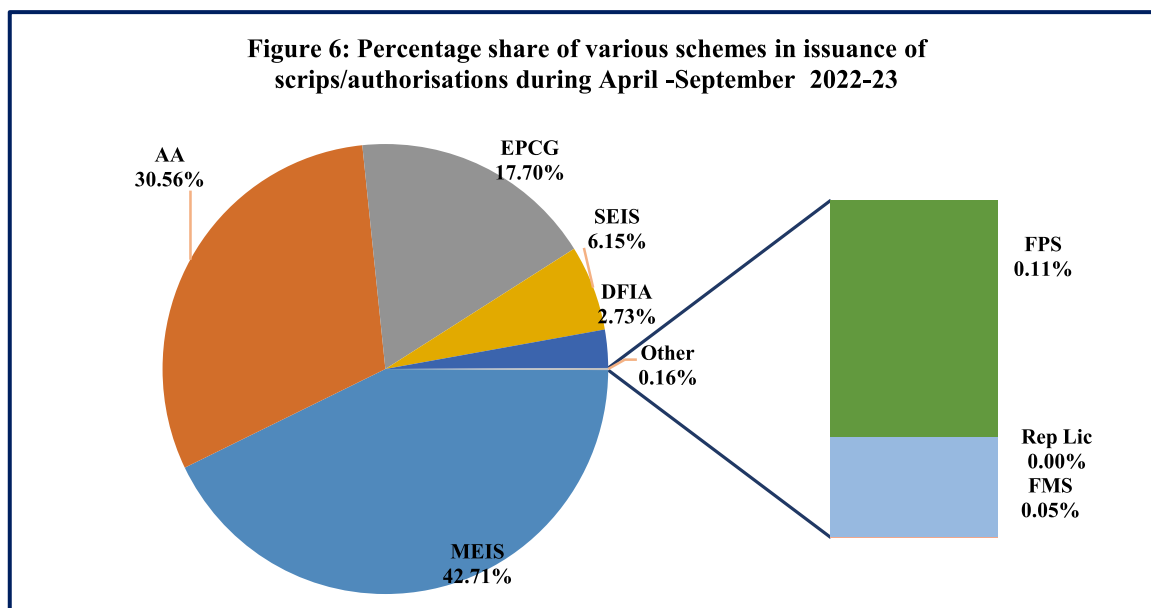
चित्र 4 में 2020-21 और अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाया गया है।



चित्र 5 में 2020-21 और अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाया गया है।



चित्र 6 अप्रैल-सितंबर, 2022 के दौरान कुल स्क्रिप की संख्या जारी करने में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रतिशत हिस्से को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एए योजना का अनुसरण करते हुए 30.55 प्रतिशत के साथ अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान एमईआईएस के तहत सबसे अधिक 42.71% फीसदी शेयर स्क्रिप किए गए।



(ड.) शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना

निर्यातकों को उनके शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर बैंकों द्वारा चार्ज की जा रही ब्याज दरों में लाभ देने के लिए तैयार की गई है। यह योजना 1.4.2015 से ब्याज समानीकरण योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए और 01.10.2021 से आगे 31.03.2024 तक बढ़ाया गया। इस योजना का व्यापक उद्देश्य निर्यातकों को पूर्व-शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद का गतिविधियों के लिए रुपये के क्रेडिट का एक अधिक स्रोत प्रदान करना है।

सभी निर्यात लाइनों के लिए सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों के लिए 4 अंकों की 416 चिह्नित टैरिफ लाइनों के लिए में और शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज समानकरण की दर उपलब्ध थी। एमएसएमई पैकेज के एक भाग के रूप में, 2 नवंबर 2018 से, इस योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा निर्यात के संबंध में ब्याज समानकरण दर को 3% से बढ़ाकर 5% करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, व्यापारी निर्यातकों द्वारा मांग के कारण, भारत सरकार ने 02.01.2019 से इस योजना के तहत मर्चेंट निर्यातकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें योजना के तहत पहले से ही पहचाने गए 416 टैरिफ लाइनों के कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के लिए शिपमेंट से पूर्व और बाद के क्रेडिट पर 3% की दर से ब्याज समानकरण की अनुमति देकर इस योजना के तहत मर्चेंट एक्सपोर्ट को शामिल करने की मंजूरी दी।

आरबीआई इस योजना को बैंकों की मदद से लागू करता है। डीजीएफटी/डीओसी की भूमिका योजना बनाने और अनुमोदित करने और फिर आरबीआई को लाभों की समेकित प्रतिपूर्ति प्रदान करने तक सीमित रही है। इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक निर्यातक बैंक से ब्याज छूट का अग्रिम लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है। तत्पश्चात, निर्यातकों को ब्याज दर में छूट के रूप में दी गई राशि की प्रतिपूत वाणिज्य विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है ताकि इसे संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को जारी किया जा सके।

(च) कैपिटल गुड्स का निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना

ईपीसीजी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। ईपीसीजी योजना पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन-उपरांत चरणों हेतु शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं (परिशिष्ट 5 एफ में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर) के आयात की अनुमति देती है। भौतिक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकरण के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को भी आईजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है। प्राधिकार धारक एफटीपी के पैराग्राफ 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत वस्तुएं भी खरीद सकता है। प्राधिकार जारी होने की तारीख से 24 महीने के लिए आयात के लिए प्राधिकार वैध होगा।

ईपीसीजी योजना के प्रयोजन के लिए पूंजीगत वस्तुओं में शामिल होंगे:

- ❖ सीकेडी/एसकेडी की स्थिति सहित अध्याय 9 में परिभाषित कैपिटल वस्तुएं।
- ❖ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, जो आयात किए जा रहे पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा हैं।
- ❖ पुर्जे, सांचे, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, उपकरण और रिफ्रेक्ट्रीज और
- ❖ आरंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक प्लस एक बाद का चार्ज।

ईपीसीजी योजना निर्माता निर्यातकों को सहायक विनिर्माता (ओं) के साथ या उनके बिना, सहायक विनिर्माता (ओं) और सेवा प्रदाताओं से जुड़े व्यापारी निर्यातकों को कवर करती है। निर्यात दायित्व पूरा होने और ईओडीसी प्रदान किए जाने तक आयातित पूंजीगत सामान वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा।

ईपीसीजी योजना के तहत आयात, पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों, करों और उपकर के 6 गुना के समतुल्य निर्यात दायित्व के अधीन है, जिसे प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 6 वर्षों में पूरा किया जाना है। ईओ की पूर्ति प्राधिकार धारक द्वारा उन वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से की जाएगी जो

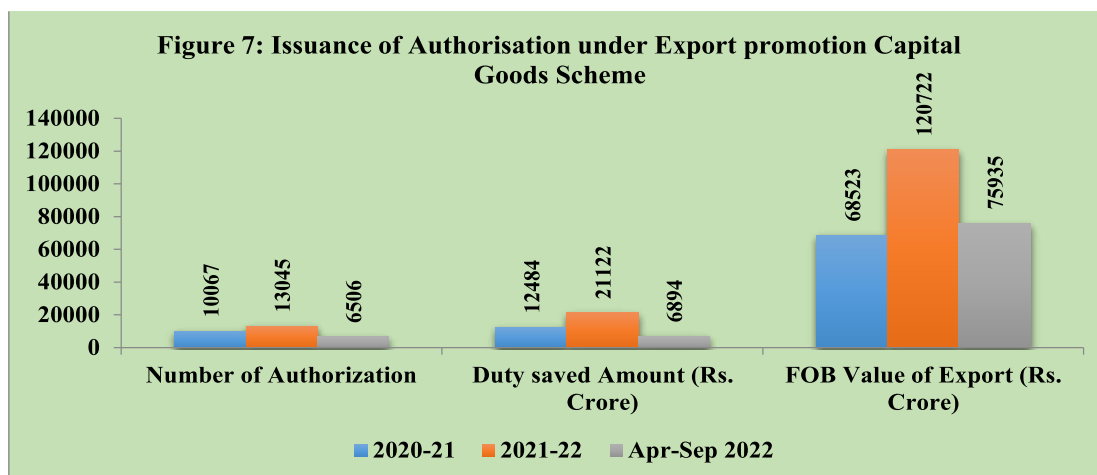
उसके द्वारा निर्मित हैं या उसके सहायक निर्माता उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार प्रदान किया गया है। योजना के तहत ईओ, इसके अलावा, पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आवेदक द्वारा हासिल किए गए निर्यात का औसत स्तर होगा और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित समग्र ईओ अवधि के भीतर इसी तरह के उत्पादों ऐसा औसत समान और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात प्रदर्शन का अंकगणितीय माध्य होगा। निर्यात भौतिक निर्यात होगा। हालांकि, निर्दिष्ट डीमड निर्यात भी निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पात्र हैं। हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए, विशिष्ट ईओ निर्धारित ईओ का 75% होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इकाइयों के लिए विशिष्ट ईओ ईओ का 25% होगा। निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहां प्राधिकरण धारक ने विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75% या अधिक और औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा किया है, यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व अवधि के आधे या आधे से कम में, शेष निर्यात बाध्यता माफ की जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान योजना के तहत प्राधिकरण जारी करने की तालिका नीचे दी गई है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत जारी करना			
वर्ष	2020-21	2021-22	अप्रैल-सितंबर 2022-23
प्राधिकरण की संख्या	10067	13,045	6,506
शुल्क परित्यक्त राशि	12,484	21,122	6,894
निर्यात का एफओबी मूल्य	68523	1,20,722	75,935

चित्र 7: 2020-21, 2021-22 और अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान बचाई गई शुल्क राशि और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकरणों की संख्या को दर्शाता है।



(छ) निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)

इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना, निर्यात उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। अपने वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन (डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने वाली इकाइयों को योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है। इन योजनाओं के तहत ट्रेडिंग इकाइयां शामिल नहीं हैं।

इस योजना के तहत, ईओयू आदि को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रदान किए गए सीमा शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए या डीटीए में बंधुआ गोदाम या भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से आयात और या खरीद करने की अनुमति है और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाले एकीकृत कर और जीएसटी मुआवजे के भुगतान के बिना राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार

इसके अलावा, डीटीए से जीएसटी के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं की खरीद लागू जीएसटी और मुआवजा उपकर के भुगतान पर होगी। ईओयू केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में आने वाले उत्पाद शुल्क के लागू शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए से उत्पाद शुल्क योग्य सामान भी खरीद सकते हैं। डीटीए से ईओयू को आपूर्ति के लिए जीएसटी की वापसी जीएसटी नियमों और उसके तहत

जारी अधिसूचनाओं के तहत आपूर्तिकर्ता के लिए उपलब्ध होगी। निर्यात के लिए उनके निर्माण में उपयोग के लिए डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को आपूर्ति एफटीपी के अध्याय 7 के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। डीटीए आपूर्तिकर्ता एफटीपी के अध्याय 7 के तहत प्रासंगिक पात्रता के लिए पात्र है, इसके अलावा आपूर्तिकर्ता पर निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, का निर्वहन भी किया जाता है।

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां निम्नलिखित की हकदार हैं:

- ❖ भारत में निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति। यदि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा नहीं किया जाता है, तो सीएसटी की वापसी में देरी पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- ❖ भारत में विनिर्मित ऐसी वस्तुओं पर डीटीए से खरीदे गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आने वाले सामानों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

सीएसटी की प्रतिपूर्ति करने की योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल परिव्यय के साथ 302.35 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंबटित 58.32 करोड़ रुपये की राशि में से सितंबर 2022 तक 40.52 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

(ज) डीमड निर्यात

विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए 'डीमड निर्यात' उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो

भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। एफटीपी में निर्दिष्ट माल की आपूर्ति को डीम्ड निर्यात माना जाएगा, बशर्ते माल भारत में निर्मित हो।

(i) उद्देश्य

- ❖ सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए कुछ विशिष्ट मामलों में घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना।
- ❖ भारत में निर्मित उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त आयात और शुल्क छूटवापसी प्रदान करना।
- ❖ आयात पर निर्भरता कम करने के लिए।

(ii) लाभ

डीम्ड निर्यात वस्तु के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किसी/सभी लाभों के लिए पात्र होंगे, जो डीम्ड निर्यात के रूप में योग्य होंगे:

- ❖ शुल्क छूट: वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए योजनाओं के लिए अग्रिम प्राधिकरण/अग्रिम प्राधिकरण के तहत निर्माण और आपूर्ति के लिए शुल्क मुक्त इनपुट प्रदान करना।
- ❖ टीईडी रिफंड/छूट: मानित निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी या ऐसे शुल्क का भुगतान करने से छूट।
- ❖ शुल्क त्रुटि वापसीरू मानित निर्यात की निर्दिष्ट श्रेणियों को माल के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क की वापसी।
- ❖ आपूर्ति किए जाने और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त होने के बाद डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

टीईडी/डीबीके को वापस करने की योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 695 करोड़ रुपये की राशि के साथ बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित 150 करोड़ रुपये की राशि में से अक्टूबर 2022 तक 37.53 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

4. निर्यात संवर्धन योजनाओं और डेटा विश्लेषण की निगरानी

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए, निर्यात प्रोत्साहन योजना 2022 पर एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट डीजीएफटी

के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। एमआईएस रिपोर्ट भी मासिक आधार पर संकलित की जा रही है जो डीजीएफटी की वेबसाइट के होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत उपलब्ध है और लिंक <https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statistics> है। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप और प्राधिकरण जारी करने का एक विस्तृत दृश्य वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर निगरानी डैशबोर्ड में <https://dashboard.commerce.gov.in/commercedashboard.aspx> लिंक पर उपलब्ध है।

दिसंबर 2017 में एफटीपी (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा के बाद डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में एक डेटा विश्लेषण इकाई (डीएयू) के गठन के बाद से, विदेश व्यापार सांख्यिकी का एक मासिक बुलेटिन जो त्वरित अनुमानों पर प्रमुख वस्तुओं और प्रमुख देशों पर निर्यात और आयात पर एक तैयार संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करता है। अनंतिम अनुमान और अंतिम 8 अंकों के स्तर का अनुमान लाया जा रहा है। बुलेटिन राज्यवार और साथ ही जिलेवार निर्यात डेटा भी प्रदान करता है, जो होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत डीजीएफटी वेबसाइट में उपलब्ध है और लिंक <https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statistics> है। मासिक बुलेटिन वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर निगरानी डैशबोर्ड में भी उपलब्ध है। लिंक <https://dashboard.commerce.gov.in/commercedashboard.aspx> है।

मॉनिटरिंग डैशबोर्ड वस्तु और सर्विसेज ट्रेड का भू-स्थानिक डेटा भी प्रदान करता है। यह सभी वस्तुओं के व्यापार विश्लेषण, सभी देशों/क्षेत्रों के व्यापार के संतुलन की तुलना और राज्यों और जिलेवार निर्यात को भी दर्शाता है। प्रमुख वस्तु (पीसी) समूह (168), 2-अंकीय, 4-अंकीय, 6-अंकीय, 8-अंकीय स्तर आईटीसी-एचएस कोड जैसे आइटम स्तर पर व्यापार डेटा और शीर्ष प्रमुख वस्तुओं का विश्लेषण, श्रेणी-वार (पूँजी) माल, उपभोक्ता सामान, मध्यवर्ती सामान और कच्चा माल) आयात और निर्यात, चार्ट और टेबल के रूप में व्यापार डेटा की मासिक और वार्षिक तुलना भी उपलब्ध है। यह टेरिटरी और कमोडिटी डिवीजन वार मॉनिटरिंग के लिए ट्रेड डेटा का एक समृद्ध स्रोत है।

5. लक्ष्य निर्धारण और वस्तु निर्यात के लिए निगरानी 2022-2023

कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को उत्प्रेरित करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए 400

बिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य निर्यात क्षमता, पिछले रुझानों, सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को क्षेत्रों और देशों के साथ-साथ उत्पाद/वस्तु समूहों के संदर्भ में अलग-अलग किया गया था। वाणिज्य विभाग ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की और एक विस्तृत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

कड़ी निगरानी के कारण, निर्यात प्रोत्साहन उपायों द्वारा समर्थित, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से वस्तुओं का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, भारत ने 2021-22 में 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल किया है। भारतीय माल निर्यात के इतिहास में यह पहली बार है कि हम 330 बिलियन डॉलर की बाधा से मुक्त होने में कामयाब रहे हैं जो अतीत में सबसे अधिक थी।

वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-सितंबर 2022) के पहले 6 महीनों में, भारत ने 227.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल किया है, जो कि 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनंतिम निर्यात लक्ष्य का 48.4% है। विभिन्न स्तरों पर देश/क्षेत्र/मिशन/उत्पादों/वस्तु समूहों/निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कड़ी निगरानी के साथ, निर्यात प्रोत्साहन उपायों द्वारा समर्थित, भारत को इस वर्ष भी लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है।

6. निर्यात पोर्टल

निर्यात प्रदर्शन की ऑफलाइन निगरानी के पूरक के लिए, निर्दिष्ट निर्यात लक्ष्य (200 देशों/क्षेत्रों के लिए 31 वस्तु समूहों द्वारा) के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, एक डिजिटलीकृत डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय पर नीति बनाने/हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार, डीओसी ने एक पोर्टल विकसित किया है— निर्यात (व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड), जिसे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 23 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 वस्तु संबंध में में राज्य ध्वंश राज्य क्षेत्र में निर्यात प्रदर्शन भी प्रदर्शित करता है।

निर्यात पोर्टल डोमेन नाम: <https://niryat-gov-in> पर उपलब्ध है। यह सरकारी हितधारकों (दूतावासों / एचसी / मिशनों सहित) और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) / कमोडिटी बोर्ड / प्राधिकरणों आदि के लिए व्यक्तिगत लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के निर्यात

प्रदर्शन की नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सुलभ है।, जहाँ भी आवश्यक हो। हाल ही में, सार्वजनिक पोर्टल बनाया गया था और अब यह सभी के लिए सुलभ है।

7. निर्यात बंधु योजना

निर्यात बंधु योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2013 में शुरू हुई थी। निर्यात बंधु योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्यात बंधु योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन मोड में लागू किया जा रहा है, जो उन व्यक्तियों / फर्मों की प्रारंभिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करता है जो निर्यात बंधु योजना के हिस्से के रूप में अंतराष्ट्रीय व्यापार में उद्यम करते हैं। देश भर में एक लाख से अधिक व्यक्तियों (1,15,000 से अधिक) को 2013-14 से प्रशिक्षित किया गया है।

देश भर में निर्यात हब के रूप में विकासशील जिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यातकों के सम्मेलन, सेमिनार और क्रेता-विक्रेता बैठक जैसी गतिविधियों के लिए निर्यात बंधु योजना के तहत अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में भी समर्थन दिया जाता है।

8. निर्यात से संबंधित मामले

(क) निर्यात हब के रूप में जिले

विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से वाणिज्य विभाग राज्यों और जिलों के साथ काम कर रहा है ताकि हमारे देश के प्रत्येक जिले में क्षमता और विविध पहचान को निर्यात हब बनाया जा सके। निर्यात हब के रूप में जिलों का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन, राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारक बनाना और भारत को एक निर्यात महाशक्ति बनाने में सक्रिय भागीदार बनाना, जिससे आत्मनिर्भर मिशन में योगदान और दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करना और स्थानीय के लिए मुखर होना, महत्वपूर्ण रूप से निर्यात के लिए नए व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रुचि और आर्थिक गतिविधि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्रों से विनिर्माण और निर्यात बढ़ाना। संभावित निर्यात हब के रूप में जिलों पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात पर बढ़ते ध्यान से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत करने और कृषि, समुद्री, कपड़ा, फार्मास्युटिकल, रसायन और बहुत सारे इंजीनियरिंग उत्पाद विविधता में विविधता और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर एक महत्वपूर्ण निर्यातक बनने की संभावना है।

इस लक्ष्य की दिशा में, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआई उत्पादों, कृषि समूहों, खिलौना समूहों आदि सहित) की पहचान की गई है और राज्यधराज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र की पहचान की गई है और देश के सभी जिलों में और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया गया है ताकि निर्यात प्रोत्साहन के लिए सहायता प्रदान की जा सके और जिलों में निर्यात वृद्धि के लिए बाधाओं को दूर किया जा सके। डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिले के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार करना और उसे लागू करना है।

पर्याप्त मात्रा में और आवश्यक गुणवत्ता के साथ निर्यात योग्य उत्पादों का उत्पादन करने और भारत के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंचने में स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों की पहचान करने वाली जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना को डीईपीसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। और क्षेत्राधिकार डीजीएफटी आरए द्वारा 242 जिलों में और वर्तमान में परामर्श के अधीन चरण 338 जिलों में निर्यात डेटा के संदर्भ में प्रत्येक जिले का निर्यात प्रदर्शन अब प्रत्येक जिले के निर्यात प्रदर्शन को मापने और रैंक करने के लिए लिया जा रहा है।

(ख) रूपया व्यापार

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 16.09.2022 के अधिसूचना संख्या 33/2015-20 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया है, ताकि भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी जा सके, यानी इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात & आयात (आईएनआर) निपटान आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 दिनांक 11 जुलाई 2022 के अनुरूप डीजीएफटी अधिसूचना 43/2015-20 दिनांक 09.11.2022 और सार्वजनिक सूचना 35/2015-20 दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से निर्यात लाभ प्रदान करने और भारतीय रुपये में निर्यात वसूली के लिए निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार। विदेश व्यापार नीति में और बदलाव किए गए हैं। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में रुचि में वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए दिए गए नीतिगत संशोधन किए गए हैं।

(ग) विदेश व्यापार नीति

सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों, प्रमुख निर्यातकों और उद्योग निकायों से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि मौजूदा, अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान नीति को कुछ समय के लिए विस्तारित करना और आने से पहले अधिक परामर्श करना उचित होगा। नई नीति के साथ बाहर। इसे देखते हुए विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

(घ) हितधारक परामर्श और व्यापार बोर्ड बैठक

अधिसूचना संख्या 11/2015-20 दिनांक 17 जुलाई 2019 को व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का व्यापार मंडल के साथ विलय करके व्यापार मंडल (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार मंडल, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति के साथ संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है। यह व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक मंच प्रदान करता है। यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इस बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग में पहली बार 29 नए गैर-सरकारी सदस्य भी आमंत्रित किए गए थे।

वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ नियमित रूप से हितधारक परामर्श आयोजित किया है। परामर्श के भाग के रूप में, 13.9.2022 को व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राज्य मंत्रियों और प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमुख व्यापार और उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों ने भाग लिया।

व्यापार मंडल की बैठक निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर केंद्रित थी। व्यापार मंडल की बैठक के दौरान, भारत के आयातधनिर्यात प्रदर्शन, वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन, एफटीपी और आगे की राह, राज्यों के निर्यात प्रदर्शन, निर्यात हब के रूप में जिला, नई प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति व्यापार उपचारात्मक, सीमा शुल्क द्वारा किए गए व्यापार सुविधा उपाय, सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

राज्यों के मंत्रियों ने अपने राज्य-विशिष्ट सुझाव देते हुए बैठक में हस्तक्षेप किया और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

(ड.) विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट)

दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दायित्वों के साथ-साथ बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों के अनुरूप, भारत ने सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग की वस्तुओं, परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया है। स्कोमेट (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां) विदेश व्यापार नीति के तहत अनुरक्षित सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित युद्ध सामग्री और परमाणु संबंधित वस्तुओं की दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं की भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है और सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्याख्या और सम्मेलन और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह से (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत डीजीएफटी द्वारा स्कोमेट सूची को अधिसूचित किया गया है। दोहरे उपयोग की वस्तुओं को नियंत्रित करने के प्रावधानों को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 के अध्याय आईवीए में शामिल किया गया है, जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया था।

स्कोमेट सूची को श्रेणी 0 से श्रेणी 8 तक मदों की नौ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्कोमेट मदों का निर्यात विनियमित है और केवल डीजीएफटी या इस उद्देश्य के लिए नामित अन्य एजेंसी द्वारा जारी स्कोमेट लाइसेंस के लिए ही अनुमति दी जा सकती है। हाल के दिनों में, डीजीएफटी द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाकर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, थोक लाइसेंसिंग और सामान्य प्राधिकरण प्रावधानों जैसे सामान्य प्राधिकरण प्रावधानों के माध्यम से कुछ वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के मामले में स्कोमेट नीति को उदार बनाकर निर्यातकों को सुविधा प्रदान की गई है। रसायनों के निर्यात के लिए (जीआईसी), भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण (जीआईआर), इंद्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए सामान्य प्राधिकरण (जीआईसीटी), बार-बार आदेश प्राधिकरण आदि। नवंबर 2022 में विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के तहत शामिल हालिया परिवर्तनों के अनुसार स्कोमेट सूची भी अपडेट की गई थी। कुछ नीतिगत क्षेत्रों जैसे स्कोमेट विनियमित यूएवी/ड्रोन के निर्यात के लिए नीति को उदार

बनाना, जीआईसी के तहत रसायनों की सूची का विस्तार करना, स्टॉक और बिक्री नीति को संशोधित करना आदि पर निकट भविष्य में बदलाव के लिए विचार किया जा रहा है।

(च) प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात प्राधिकरण

डीजीएफटी का निर्यात प्रकोष्ठ निर्यात और आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत वस्तुओं की निर्यात नीति से संबंधित है, जिन्हें 'मुक्त' / 'प्रतिबंधित' या 'निषिद्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से वस्तुओं को व्यवस्थित किया गया है। वस्तुओं की निर्यात नीति की समीक्षा वाणिज्य विभाग और संबंधित मंत्रालय/विभाग के संबंधित विषय वस्तु प्रभाग के परामर्श से की जाती है और समय-समय पर अधिसूचित की जाती है। तदनुसार, निर्यात प्रकोष्ठ व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों या संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर वस्तुओं की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरणध्व्याख्या प्रदान करता है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में 'प्रतिबंधित' के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं का निर्यात प्राधिकरण/लाइसेंस के अधीन है।

9. आयात से संबंधित मामले

डीजीएफटी में आयात नीति प्रभाग को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय-2 के तहत निर्धारित आयात के संबंध में सामान्य प्रावधानों के साथ सौंपा गया है और इसके अलावा, भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजसपूर्ण प्रणाली) आईटीसी (एचएस) के तहत निर्धारित वस्तुओं-विशिष्ट आयात नीतियों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार/संशोधित/विनियमित करता है। यह वस्तुओं के आयात और निर्यात की सुविधा के लिए प्रावधानों को तैयार और अद्यतन भी करता है।

यह प्रभाग व्यापार संबंधी प्रमाणन/अनिवार्य अनुपालन जैसे आयातक निर्यातक संहिता (आईसीसी)य पंजीकरण सह निर्माता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)य फ्री सेल सर्टिफिकेट (एफएससी), आरईएक्स, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए एजेंसियों की सूची (गैर-तरजीही), धातु अपशिष्ट और स्क्रेप के आयात के लिए प्री-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की मान्यता का कार्य करता है

आयात प्रभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न गैर-टैरिफ व्यापार उपाय किए हैं जिन्हें अनुसूची-1 (आयात नीति) के विभिन्न अध्यायों के तहत शामिल किया गया था।

आयात नीति प्रभाग प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) और मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ रेट कोटा के तहत कोटा आवंटित करने के अलावा 'प्रतिबंधित' मदों के लिए आयात प्राधिकरण भी प्रदान करता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों पर लगाए गए ऐसे प्रमुख पहलों और गैर-टैरिफ उपायों की सूची, और प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, के अध्याय-2 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के अनुसार विदेश व्यापार नीति, इस प्रकार हैं:

❖ **प्रतिबंध:** विभिन्न मदों की आयात नीति को 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है ताकि इन वस्तुओं के आयात की अनुमति डीजीएफटी से आयात प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद ही दी जा सके। हाल के दिनों में प्रतिबंधित कुछ वस्तुओं में रक्षा/सुरक्षा आइटम, नए वायवीय टायर, जीवित पशु और पक्षी, सोना और चांदी शामिल हैं। टेलीविजन सेट, पारा, अदरक, पावर टिलर और इसके घटक, अगरबत्ती, अनाज, पालतू जानवर, जैव-ईंधन, मटर, मूंग, खरबूजे के बीज, अपशिष्ट और स्क्रेप आइटम, पालतू कोक, पूंजीगत वस्तुओं के अलावा पुराने/उपयोग किए गए सामान, हाइड्रो-फ्लोरोकार्बन (एचएफसी) आदि।

❖ **निषेध:** मानव, पशु या पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के आधार पर 2019 से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन वस्तुओं में वन्य जीवन (जानवर और पक्षी) और उनके उत्पाद, ओजोन को कम करने वाले पदार्थ, शार्क के पंख, प्लास्टिक के कचरे, बिना आईएमईआईईएसएन वाले मोबाइल, लेपित कागज का स्टॉक लॉट, रेफ्रिजरेट और ड्रोन के साथ एयर कंडीशनर शामिल हैं।

न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी): सस्ते/कम चालान वाले आयातों की डंपिंग को प्रतिबंधित/कम करने और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए, एमआईपी काजू, सुपारी, काली मिर्च, संगमरमर और ग्रेनाइट, देसी नारियल, मटर और सहित विभिन्न मदों पर लगाया गया है। मच्छर मारने वाला रैकेट।

10. 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार करने में आसानी' के लिए की गई पहलें

डीजीएफटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों की एक श्रृंखला शुरू की है जो भारतीय उद्यमों की विदेश व्यापार संबंधी गतिविधियों और समग्र 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। वे हैं:

❖ एक नया डीजीएफटी ई-प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। नया प्लेटफॉर्म केंद्रीकृत और क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज, ओपन फ्रेमवर्क आधारित विकास, पहचान और पहुंच प्रबंधन, समर्पित हेल्पडेस्क सुविधाओं, बिजनेस एनालिटिक्स और एआई संचालित वचुरल सहायक के साथ नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है। नए प्लेटफॉर्म ने सिद्ध किया है कि (क) डीजीएफटी दस्तावेजों को जारी करने में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। (ख) व्यापार परिस्थितिकी तंत्र में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ वास्तविक समय आंकड़े आदान दृष्टिदान सुनिश्चित करना (ग) आवेदनों की स्थिति की वास्तविक समय की मॉनीटरिंग के माध्यम से निर्यातकों/आयातकों को पादर्शिता प्रदान करना। (घ) कागज रहित, संपर्क रहित आवेदनों की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

❖ डिजिटलीकृत व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) आधारित आयातधनिर्यात नीति और नए प्लेटफॉर्म पर अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता से व्यापार हितधारकों को सूचना विषमता से संबंधित मुद्दों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, निर्यातकों/आयातकों के प्रोफाइल डेटा के उपयोग के माध्यम से, अधिसूचना, आवेदन की स्थिति आदि से संबंधित समय पर एसएमएस और ईमेल संचार के माध्यम से सूचित किया जाता है।

❖ विदेश व्यापार नीति अद्यतन, आयातधनिर्यात नीति, निर्यात/आयात सांख्यिकी, आवेदनों की स्थिति, 24x7 वचुरल सहायता पर सभी जानकारी डीजीएफटी व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।

❖ गैर-अधिमानी उद्गम के अधिमानी प्रमाण पत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को गैर अधिमानी सीओओ की दिनांक 15.04.2021 से लाइव कर दिया गया था। 120+ईपीसी, वस्तु बोर्ड और वाणिज्य एवं उद्योग मंडल इलेक्ट्रॉनिक रूप से मंच पर उपलब्ध हैं। नई डीजीएफटी आईटी प्रणाली अन्य सरकार के साथ सुव्यवस्थित ऑनलाइन डेटा विनिमय प्रदान करती है। सीबीआईसी, सीबीडीटी, एमसीए, पीएफएमएस सहित एजेंसियां। यह प्रणाली को निर्बाध बनाता है और संबंधित निर्यातकों/आयातकों के लिए एक संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

❖ यह प्रणाली आयातकों/निर्यातकों और डीजीएफटी के बीच कागज रहित, संपर्क-रहित इंटरफेस प्रदान करने के लिए दो-तरफा ऑनलाइन संचार और प्रसंस्करण, डीजीएफटी द्वारा जारी दस्तावेजों और प्राधिकरणों की

प्रामाणिकता के ई-सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है। सीमा शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रीयल-टाइम डेटा एक्सचेंज ने डीजीएफटी द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पेपर कॉपी के साथ काम करना बंद कर दिया है।

- ❖ एए / ईपीसीजी / डीएफआईए / आयात / निर्यात लाइसेंसिंग आदि के जीवनचक्र के प्रबंधन के लिए प्रणाली पेपररहित, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं प्रदान करता है। किसी भी दस्तावेज को वास्तविक रूप से जमा करने या पूर्व में व्यापार विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत किसी भी कार्यालय के दौरे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ❖ ई-आईसी का स्वसृजन (आयातक निर्यातक कोड) आईसी के लिए किसी अनुमोदन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सीबीडीटी, एमसीए और पीएफएमएस प्रणाली के लिए आईसी विवरण स्वचालित रूप से मान्य हैं।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता शिकायतों और व्यापार विवादों का पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध है। यह प्रणाली डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों, विदेशों में भारतीय मिशन, वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार प्रादेशिक प्रभागों को एक मंच पर एक साथ लाती है। ऑनलाइन मॉड्यूल शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शिकायतें जमा करने की अनुमति देता है और उनकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने और देखने की सुविधा भी देता है।
- ❖ वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति के मद्देनजर, वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी ने रूस/यूक्रेन व्यापार संबंधी मुद्दों पर हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली स्थिति और संबंधित कठिनाइयों की निगरानी करने का कार्य किया है। वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों का समर्थन करने और उपयुक्त समाधान खोजने के लिए रूस-यूक्रेन व्यापार हेल्पडेस्क का संचालन किया है।
- ❖ व्यापार समुदाय को तत्काल सहायता देने और किसी भी व्यवधान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों के लिए कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की गई। 2022-23 में, प्राप्त 1800 अनुरोधों में से 1700 से अधिक का समाधान किया गया।
- ❖ ई-मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन प्रस्तुत करने और नीति छूट समिति, ईपीसीजी समिति और अन्य के अनुरोधों

पर विचार करने के लिए जारी किया गया।

- ❖ विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के तहत निर्यातकों/आयातकों को उनके अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक पूर्ण 360-डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए एक उन्नत बिल रिपॉजिटरी के साथ एक सिंगल साइन-ऑन निर्यातक-आयात डैशबोर्ड।
- ❖ एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट (चैटबॉट) को 24x7 ऑनलाइन व्यापार संबंधी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया।

डीजीएफटी निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करके एक मजबूत नियम-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रदान करने का भी प्रयास करता है।

दी गई प्रणालियों में एक 'कुल निर्यातक नेटवर्क' में व्यवस्थित रूप से विकसित होने की क्षमता है ताकि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सेवाएं एकल प्रणाली और विंडो के माध्यम से प्रदान की जा सकें।

11. अन्य योजनाएं

(क) निर्यात के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा (टीआईएस) योजना

भारत सरकार 1.0.2019 से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईएस) लागू कर रही है। वित्त वर्ष 2017-18 का उद्देश्य राज्यों से निर्यात में वृद्धि के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होती है, जो आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई गई इक्विटी या परियोजना में कुल इक्विटी के 50% (पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में) से अधिक नहीं होती है। और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्य, यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है। इसके अलावा, जिन राज्यों में अपेक्षाकृत खराब निर्यात अवसंरचना है, अच्छी डीपीआर तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता की कमी है, लेकिन सकारात्मक निर्यात क्षमता है, यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है। आम तौर पर, प्रत्येक परियोजना के लिए अनुदान सहायता 20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। इस योजना को 15वें वित्त

आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए कुल 360 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 (22 नवंबर 2022 तक) के दौरान, टीआईईएस पर अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 01.09.2022 को आयोजित की गई है।

टीआईईएस के तहत अब तक (22 नवंबर 2022) कुल 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये असम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार में स्थित हैं।

(ख) बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्ष व्यापार निकायों आदि जैसी पात्र एजेंसियों को नए बाजारों की खोज के लिए और भारतीय निर्यात के लिए मौजूदा बाजारों को मजबूत करने के लिए आवश्यक पहल और परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। एमएआई योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के अलावा निर्यात, बाजार अनुसंधान, क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग, आयात बाजारों में वैधानिक नियमों को पूरा करने आदि में प्रशिक्षण शामिल है। साझा करने का सामान्य पैटर्न 65% है: 35%, यानी व्यय का 65% सरकारी अनुदान और 35% उद्योग योगदान द्वारा कवर किया जाता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मामले में, सरकार और उद्योग के योगदान के बीच हिस्सेदारी 90%:10% के अनुपात में है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि और खाद्य उत्पाद, हस्तकला, हथकरघा, जीआई उत्पाद, कालीन, चमड़ा, खेल के सामान और खिलौने, रेशम, ऊन, जूट और लघु वन उत्पाद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्यातक हैं। अनुसूचित जाति & अनुसूचित जनजाति और महिला निर्यातकों से संबंधित निर्यातक।

एमएआई योजना, 2021: सरकार ने 31 मार्च 2021 से आगे यानी 31 मार्च 2026 तक पांच साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना को संशोधित रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है।

एमएआई योजना, 2021 की मुख्य विशेषताएं

❖ मानकों और विनियमों, निर्यात पैकेजिंग, निर्यातोन्मुख

कौशल विकास और निर्यात हब के रूप में जिलों के विकास पर निर्यातकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

❖ पारंपरिक भारतीय उत्पादों और सेवाओं जैसे आयुष, योग, जीआई उत्पादों, शिल्प और खिलौनों, आदिवासी उत्पादों, आदि सहित कलात्मक उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है—बिजनेस टूल्स, कम्प्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आदि को बढ़ावा देना।

❖ मौजूदा हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, चमड़ा, खिलौने, खेल के सामान, जूट सहित लघु वन उत्पाद, खाद्य पदार्थों सहित कृषि के अलावा कृषि आधारित ऊन, रेशम और जीआई जैसे रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्यातक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला निर्यातक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे और उन्हें योजना इसके तहत गतिविधियों में वरीयता दी जाएगी।

❖ कोविड-19 जैसी महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए, भौतिक सेटिंग में गतिविधियों/घटनाओं के अलावा डिजिटलडिब्रिड निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को शामिल किया गया है।

❖ यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में निर्यातकों तक पहुंचे, किसी विशेष व्यापार मेले/प्रदर्शनी में अधिकतम तीन भागीदारी केवल एमएआई सहायता के लिए पात्र होंगे, यानी वे सदस्य जिन्होंने तीन बार सहायता प्राप्त की है (पिछले मामलों सहित) एक विशेष मेले / प्रदर्शनी के लिए, उसके बाद उस मेले में स्वयं भाग लेना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं से संबंधित निर्यातकों के मामले में और निर्यातकों के पास एफ.ओ.बी. एक वर्ष में रु.50 करोड़ या उससे कम के निर्यात मूल्य, किसी विशेष कार्यक्रम में 5 भागीदारी की अनुमति है।

❖ छोटे निर्यातकों को विदेशों में स्वीकृत निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में भाग लेने के लिए हवाई किराए पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस तरह के विमान किराया प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात टर्नओवर की पात्रता को 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

❖ शेयरिंग के आधार पर और सीमा के अधीन, विदेश में

वैधानिक अनुपालन पर निर्यातकों द्वारा किया गया व्यय (जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, रसायन/कृषि-रसायन, कृषि/पशु/समुद्री उत्पाद, खाद्य उत्पादय परीक्षण शुल्क इंजीनियरिंग उत्पाद, जिन्हें निर्यात आदि के लिए अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है) के मामले में भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क) संबंधित ईपीसी के माध्यम से निर्यातकों को प्रदान किया जाता है।

- ❖ भारत में आयोजित रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक में विकसित देशों/बाजारों से विदेशी खरीदारों की मेजबानी पर प्रतिबंध

हटा दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भौतिक/वर्चुअल/हाइब्रिड मोड में निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों आदि से 551 प्रस्तावों के लिए बाजार पहुंच पहल योजना के तहत 336.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार पहुंच पहल स्कीम के लिए किया गया बजटीय आवंटन और स्कीम के तहत किया गया उपयोग निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई प्रावधान	आरई प्रावधान	वास्तविक व्यय
2019-20	300.00	325.00	325.00
2020-21	300.00	171.40	171.40
2021-22	200.00	140.00	140.00
2022-23 (30.11.2022 तक)	200.00	--	88.57

(ग) चौपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस)

- ❖ सेवा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव के सबसे गतिशील पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद, एफडीआई प्रवाह, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2021-22 में, भारत का सेवा निर्यात 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर को पार कर गया और 2020-21 की अवधि में लगभग 23% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- ❖ भारत सरकार ने 12 पहचाने गए चौपियन सेवा क्षेत्रों, अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और रसद सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्रृंखलाओं में चौपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं को मंजूरी दी है। लेखा और वित्त सेवाएँ, ऑडियो विजुअल

सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाएँ।

- ❖ अब तक, सीएसएसएस के तहत उपयोग किए जाने वाले 5000 करोड़ रुपये की कुल समर्पित निधि में से, 3839.25 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय योजनाओं को ईएफसी/एससी द्वारा 2019-20 से 2023-24 के लिए अनुमोदित किया गया है।
- ❖ कोविड व्यवधानों के कारण, 2021-22 तक विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के तहत आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। सीएसएसएस के कार्यान्वयन के लिए, स्वीकृत वित्तीय परिचय के भीतर योजना को जारी रखने के अनुमोदन से उन नोडल मंत्रालयों/विभागों को अवगत करा दिया गया है जिनकी योजनाओं को सीएसएसएस के तहत अनुमोदित किया गया था।

અધ્યાય 5

નિર્યાતિ સંવર્ધન તંત્ર

1. निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) कंपनी अधिनियम/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति 2015-20 (31.03.2023 तक विस्तारित) के अनुसार निर्देशित होते हैं जो उन्हें निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता देती है। विभिन्न ईपीसी का विवरण इस प्रकार है:

(क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, ने इस वर्ष अपने गठन के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिसंबर 2022 तक इसके लगभग 8502 सदस्य थे। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले भारत के अग्रणी क्षेत्रों में से एक है। वित्त वर्ष 2022-23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान भारत से हुए रत्न और आभूषण का निर्यात 26,552.63 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 26,023.59 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, इजराइल, यूके और नीदरलैंड जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों से सुस्त मांग और बढ़ती ब्याज लागत के बावजूद, रत्न और आभूषण निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा जो सरकार की सहयोगी नीतियों और व्यापार करने में आसानी की स्थिति को देखते हुए आगे भी जारी रहने की संभावना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने निम्नलिखित प्रदर्शनों का आयोजन किया:

- ❖ 4 से 8 अगस्त 2022 तक, मुंबई में आईआईजेएस प्रीमियर 2022 जो दुनिया के सबसे बड़े शो में से एक है।
- ❖ 10 से 12 मई 2022 तक जयपुर में इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी शो (आईजीजेएस)।
- ❖ रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में वर्तमान व्यापार परिदृश्य को समझने और व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए निर्माताओं, निर्यातकों और आयातकों के बीच चर्चा करने के लिए इंडिया ग्लोबल कनेक्ट ने 2 जून 2022 को मलेशिया के साथ बैठक की।
- ❖ क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर बैंकिंग और व्यवसाय प्रथाओं पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने और बढ़ावा देने के

लिए 14 अक्टूबर 2022 को बैंकिंग शिखर सम्मेलन।

- ❖ द इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन (आईजेईएक्स), दुबई में पूरे साल सामान प्रदर्शित करने और व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए 365-दिवसीय प्रदर्शनी है।
- ❖ दोहा ज्वेलरी एंड वाचेज एक्सीबिशन 2022, (9-13 मई, 2022), जेसीके 2022 (10-13 जून, 2022), विसेंजा फाल 2022 (9-13 सितंबर, 2022), ज्वेलरी एंड जेम वर्ल्ड सिंगापुर, 2022 (27-30 सितंबर 2022) और 13वीं इंडिया वीक न्यूयार्क 2022 में आयोजित पांच अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिभागिता की।

(i) अपरिष्कृत हीरे के आयात की खेप के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड)

मुंबई में बनाया गया एसएनजेड अपने संचालन के छठे वर्ष में है और यह पिछले 5 वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक संचालन करता आ रहा है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियाँ नियमित रूप से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इसे भारतीय हीरा उद्योग से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह एमएसएमई के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहा है, जिसमें प्रति प्रदर्शन देखने वाले दर्शकों की औसत संख्या 178 है और प्रति प्रदर्शन कंपनियों की औसत संख्या 73 है। भारत भर से कुल 1011 अनूठी कंपनियों ने एसएनजेड का दौरा किया है और प्रदर्शन में भाग लिया।

आईडीटीसी-एसएनजेड में इसकी स्थापना से लेकर 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 13.4 मिलियन कैरेट से अधिक अनगढ़ हीरे प्रदर्शित किए गए थे। प्रमुख विदेशी खनन कंपनियाँ जैसे अलरोजा-रूस, डी बीयर्स-यूके, रियो टिंटो-ऑस्ट्रेलिया, डोमिनियन डायमंड कॉर्पस-कनाडा और ओकावांगो डायमंड कंपनी-बोत्सवाना, जिनका दुनिया भर में वैश्विक अनगढ़ हीरे के उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा होता है, यहाँ अपने हीरे प्रदर्शित करती हैं।

सूरत जो भारत का सबसे बड़ा हीरा विनिर्माण केंद्र है में सूरत इंटरनेशनल डाय ट्रेड सेंटर (एसआईडीसी) में एक और एसएनजेड स्थापित किया गया है। इस एसएनजेड के निर्माण ने देश में, विशेष रूप से छोटे विनिर्माताओं के लिए सीधे अनगढ़ हीरे की आपूर्ति की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की है।

(ख) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो लगभग 4.42 मिलियन ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करता है, जो अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं।

चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में महिला रोजगार प्रमुख है जिनकी इसमें लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रचुरता है क्योंकि भारत में मवेशी और भैंस की वैश्विक आबादी 20 प्रतिशत तथा बकरी और भेड़ की वैश्विक आबादी 11 प्रतिशत है। देश में चमड़ा उद्योग की ताकत कुशल जनशक्ति, नवीन प्रौद्योगिकी, उद्योग द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के अनुपालन में वृद्धि और संबद्ध उद्योगों के समर्पित समर्थन में निहित है। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े की पोशाकों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, दुनिया में जीनसाजी का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया में चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

(i) निर्यात निष्पादन

(क) 2021-22 के दौरान निर्यात निष्पादन

(मूल्य यूएस \$ मिलियन में)

श्रेणी	अप्रैल-अक्टूबर 2021	अप्रैल-अक्टूबर 2022	% उतार-चढ़ाव	2021में% हिस्सेदारी	2022में% हिस्सेदारी
तैयार चमड़ा	263.52	256.90	-2.51	9.86	7.95
चमड़े के जूते	1101.64	1457.11	32.27	41.21	45.09
जूते के अवयव	140.44	169.63	20.78	5.25	5.25
चमड़े के वस्त्र	203.23	221.46	8.97	7.60	6.85
चमड़े की वस्तुएं	707.66	804.85	13.73	26.47	24.90
काठी और हार्नेस	158.64	148.11	-6.64	5.93	4.58
बिना चमड़े के जूते	98.3	173.72	76.72	3.68	5.38
संपूर्ण	2673.43	3231.78	20.89	100.00	100.00

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ii) नीति और समर्थनकारी उपाय

निर्यात वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित समर्थन उपायों की घोषणा की।

- ❖ 31 मार्च 2023 तक विदेश व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार।
- ❖ केंद्रीय बजट 2022-23 में शुल्क की रियायती दरों (आईजीसीआर) योजना के तहत माल के आयात के तहत शुल्क मुक्त योजना की अधिसूचना। इस योजना के तहत, चमड़े के वस्त्र और जूते और अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्यातक सीमा शुल्क के बिना अधिसूचित इनपुट/धटकों/कच्चे माल का आयात कर सकते हैं।
- ❖ अधिसूचित एचएस कोड 4104 से 4115 के तहत सभी

अप्रैल 2021-मार्च 2022 की अवधि के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2020-मार्च 2021 में 3,681.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निष्पादन की तुलना में 4,872.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 32.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) 2022-23 के दौरान निर्यात प्रदर्शन

अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और जूतों का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2021 में 1,831.35/2,673.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निष्पादन की तुलना में 20.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,377.34 / 3,231.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल-अक्टूबर 2021 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2022 के लिए निर्यात सारांश निम्नानुसार है:

प्रकार के संसाधित और तैयार चमड़े के आयात के लिए पशु संगरोध मंजूरी को अधिसूचना एस.ओ. पशुपालन और डेयरी विभाग के 4953 (ई), दिनांक 2 दिसंबर 2021, व्यापार उपायों को करने में आसानी के हिस्से के रूप में हटा दिया गया है।

- ❖ 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण को अधिसूचित किया गया था, जिसमें किसी भी एचएस लाइनों के तहत निर्यात करने वाले एमएसएमई निर्माता निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत और 410 एचएस लाइनों जिनमें 4201 और 4205 के तहत सभी श्रेणियों के जूते और साथ ही चमड़े के सामान शामिल हैं। के तहत निर्यात करने वाले निर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के लिए 2 प्रतिशत का समकरण की गई थी।

(iii) निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ

महामारी के कारण, सदस्यों की भागीदारी 2021-22 के दौरान केवल 4 भौतिक कार्यक्रमों में आयोजित की जा सकी, जिसमें नई दिल्ली में आयोजित रिवर्स बीएसएम शामिल था। फिर भी, 2021-22 के दौरान विदेशों में संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ निकट समन्वय में विभिन्न देशों के साथ 18 आभासी व्यापार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2022-23 के दौरान मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम (एमआईएस) के तहत 6 अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेलों और 1 रिवर्स बीएसएम (भारत में) में निर्यातकों की भागीदारी का आयोजन किया गया है। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 21 और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों में भागीदारी की योजना बनाई गई है।

(ग) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल)

केमेक्सिल का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1963 में किया गया था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, बंगलूरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं। 01 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, परिषद की कुल सदस्यता 1872 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन कार्यक्रमलाप सौंपे गए हैं:

- ❖ डाई एंड डाई इंटरमीडिएट
- ❖ अकार्बनिक, कार्बनिक और कृषि रसायन
- ❖ प्रसाधन सामग्री, साबुन, टॉयलेटरीज और एसेंशियल ऑयल
- ❖ कैस्टर ऑयल

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केमेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन किया/में भाग लिया था।

- ❖ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में दिनांक 31 मई-1 जून 2022 को चेम्सपेक यूरोप -2022 में भाग लिया
- ❖ साइगॉन प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, एसईसीसी, हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में कोटिंग एक्सपो वियतनाम 2022 दिनांक 3-5 अगस्त 2022 में भाग लिया।
- ❖ 40वे डाइकेम बांग्लादेश 2022, दिनांक 31 से 3 सितंबर 2022 को ढाका, बांग्लादेश में भाग लिया।

- ❖ 16-18 मई 2022 तक हॉल 5, बॉम्बे एक्जीबिशन सेंटर, मुंबई में भारत अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य मेले में भाग लिया।
- ❖ हांगजो चीन में 7 से 9 सितंबर 2022 को ऑनलाइन मैच-मेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीन इंटर डाई प्रदर्शनी - 2022 में भाग लिया।
- ❖ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 2-3 नवंबर, 2022 को इंडिया केम-2022 कार्यक्रम में भाग लिया।
- ❖ 16 जून 2022 को होटल राज पार्क, चेन्नई में चेमेक्सिल सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ जीएसटी आयुक्त तमिलनाडु के साथ जीएसटी रिफंड और ई-चालान पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ❖ 29 सितंबर 2022 को होटल ऑर्किड, मुंबई में "एफटीए के माध्यम से निर्यात में वृद्धि" पर सेमिनार आयोजित किया।
- ❖ 'एफटीए और वैश्विक बाजारों के माध्यम से निर्यात में वृद्धि और क्यू 4-22 के लिए रुपया आउटलुक' पर वातवा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में 23 नवंबर 2022 बुधवार को संगोष्ठी आयोजित की गई।

सेमिनार / आउटरीच कार्यक्रम / वेबिनार

- ❖ अनलॉकिंग बिजनेस ऑपचुनिटीज पर चेमेक्सिल आउटरीच प्रोग्रामरू 12 मई 2022 को होटल ललित, हाई ग्राउंड्स, गोल्फ क्लब के सामने, शेषाद्रीपुरम, बंगलुरु यूआई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार समझौता,
- ❖ केमेक्सिल ने 15 जून 2022 को महाड सीईटीपी, एमआईडीसी बिरवाड़ी में डीआईसी रायगढ़ और एमएमए, महाड के साथ सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया
- ❖ पालघर में 26 सितंबर 2022 को टिमा हॉल, एमआईडीसी, बोईसर, ताल और जिला पालघर में निर्यात कानक्लेव और सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ❖ केमेक्सिल की भागीदारी एक थीम के साथ: आत्मनिर्भर भारत: नए भारत के लिए एसएमई निर्यात में तेजी लाना।
- ❖ परिषद ने विभिन्न विषयों पर वेबिनार भी आयोजित किए हैं जैसे - एमएसएमई योजनाओं के माध्यम से अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात और ईसीजीसी-उत्पादों में ईसीजीसी की भूमिका और इसकी विशेषताएं, वैश्विक वित्तीय बाजार दृष्टिकोण और निर्यात व्यवसाय का प्रबंधन, बाण्डेड विनिर्माण और भंडारण योजना, अपने सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय को बढ़ाना विश्व स्तर पर आसान

ई-कॉमर्स निर्यात के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में घरेलू उत्पादन के अवसर, चीन के कॉस्मेटिक संघटक सुरक्षा सूचना सबमिशन प्लेटफॉर्म और आपके अनुपालन दायित्वों को समझना, कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए सही खरीदार और बाजार कैसे खोजें, कॉस्मेटिक निर्यात कोविड पश्चात के लिए डिजिटल मार्केटिंग, कोलम्बिया में रासायनिक नियामक ढांचा, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन, विश्व में सौंदर्य प्रसाधनों में निर्यात अवसर, पैन-इंडिया "अग्रिम निर्णयों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण", चीन में रासायनिक नियमों का पालन कैसे करें? और चीन का कॉस्मेटिक संघटक अनुपालन, चीन में नए कीटनाशक पंजीकरण का परिचय और चीन के उर्वरक विनियम और जोखिम प्रबंधन, यूके केमिकल्स विनियम चुनौतियां और आगे बढ़ना, कोलम्बिया में रासायनिक नियामक ढांचा: नवीनतम अपडेट, केकेडीआईके तुर्की पहुंच पंजीकरण एसआईईएएस कंसोर्टिया और डोजियर तैयारी, सीमा पार लेनदेन पर सीमा शुल्क, एफटीपी और जीएसटी की परस्पर क्रिया, चीन के साथ व्यापार करना, एफटीए के माध्यम से निर्यात की वृद्धि, निर्यात के लिए आरबीआई दिशानिर्देश— निर्यात बिल और भुगतान, दक्षिण कोरिया में एमएसडीएस विनियमन अपडेट और दायित्व आदि।

(घ) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद ((प्लेक्सकॉन्सिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी और यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार परिषद की कुल सदस्यता 2676 परिषद वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन अपनी प्रशासन समिति के मार्गदर्शन के तहत कार्य करती है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के कार्यकलाप सौंपे गए हैं:

- ❖ फ्लोर कवरिंग, लेदर क्लॉथ और लैमिनेट्स
- ❖ उपभोक्ता और घरेलू उत्पाद
- ❖ एफआरपी / कम्पोजिट्स
- ❖ मानव बाल एवं संबंधित उत्पाद
- ❖ लेखन उपकरण एवं स्टेशनरी
- ❖ प्लास्टिक पाइप और फिटिंग

- ❖ कॉर्डेज, फिशनेट्स और मोनोफिलामेंट्स
- ❖ प्लास्टिक कच्चा माल
- ❖ एफआईबीसी, बुने हुए बोरे, बुने हुए कपड़े, तिरपाल
- ❖ प्लास्टिक फिल्मस और शीट्स
- ❖ विविध उत्पाद और आइटम
- ❖ पैकेजिंग आइटम – लचीला और कठोर
- ❖ प्लास्टिक के मेडिकल आइटम
- ❖ मर्चेन्ट निर्यात

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्लेक्सकॉन्सिल ने निम्नलिखित निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन/भाग लिया था:

- ❖ 2017-2021 की अवधि के लिए 16 अप्रैल 2022 को ताज प्रेसिडेंट, कफ परेड, मुंबई में उक्त अवधि के दौरान निर्यातकों की शानदार उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री. पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में की।
- ❖ प्लेक्सकॉन्सिल और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन ने 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक डसेलडोर्फ, जर्मनी में आयोजित के फेयर 2022— प्लास्टिक के लिए दुनिया की नंबर 1 प्रदर्शनी में सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़े देश मंडपों में से एक का आयोजन किया। इस व्यापार मेले में 147 से अधिक एमएसएमई देखे गए, जिन्होंने सामूहिक प्लास्टिक दुनिया के लिए मेड इन इंडिया उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। परिषद ने मूल्य वर्धित प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने मेगा ग्लोबल रीच-आउट ड्राइव में 30 देशों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संघों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार निकायों और उद्योग संघों के साथ हाथ मिलाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया।
- ❖ दक्षिण कोरियाई क्रेता मैसर्स के साथ 16 कंपनियों के साथ वीबीएसएम का आयोजन किया। 26 अप्रैल 2022 को डैसो कं.लि. दक्षिण कोरिया प्रत्येक कंपनी को एक अलग वर्चुअल रूम में खरीदार से मिलने के लिए एक टाइम स्लॉट प्रदान करता है, जिससे भारतीय विक्रेता को अपनी कंपनी प्रोफाइल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्क्रीन साझा करने की सुविधा मिलती है।

- ❖ भारतीय दूतावास, बोगोटा, कोलंबिया ने परिषद के साथ संयुक्त रूप से 2 जून 2022 को कोलंबिया के एक आयातक के साथ बी2बी मीटिंग (वर्चुअल) का आयोजन किया। कोलंबियाई आयातक को आमने-सामने की बैठक के दौरान भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- ❖ मैसर्स तमिलनाडु प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएपीएमए) द्वारा आयोजित चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई में 10 से 13 जून 2022 के दौरान आयोजित आईपीएलएस शो 2022 में भाग लिया। यह शो प्लास्टिक और उससे जुड़े उद्योगों के लिए एक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म था और विशेष रूप से दक्षिणी भारत से प्लास्टिक की प्रगति, विकास और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए था।
- ❖ भारतीय उच्चायोग, अकरा, घाना ने प्लेक्सकॉन्सिल के साथ संयुक्त रूप से 2 अगस्त 2022 को प्लास्टिक क्षेत्र के लिए भारत-घाना वर्चुअल मीटडबीएसएम का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में महामहिम श्री सुगंध राजाराम, घाना में भारत के उच्चायुक्त ने मुख्य भाषण दिया। श्री अरविंद गोयनका, अध्यक्ष, प्लेक्सकॉन्सिल ने घाना के साथ व्यापार और व्यापार के लिए भारत की शक्ति और प्लास्टिक क्षेत्रों की क्षमता पर एक प्रस्तुति भी दी।
- ❖ भारतीय दूतावास, ग्वाटेमाला ने प्लेक्सकॉन्सिल के साथ संयुक्त रूप से 7 सितंबर, 2022 को प्लास्टिक क्षेत्र के लिए भारत-ग्वाटेमाला वर्चुअल मीट/बीएसएम का आयोजन किया।
- ❖ 22 सितंबर 2022 को नाइजीरिया में प्लास्टिक पर भारत के निर्यात निष्पादन पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल व्यापार बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से नाइजीरिया को प्लास्टिक के भारत के निर्यात निष्पादन पर चर्चा करना था।
- ❖ परिषद ने टोक्यो, जापान में 7 से 9 दिसंबर 2022 के दौरान 6 प्रदर्शकों के साथ पहली बार 11वें प्लास्टिक जापान 2022 शो, टोक्यो, जापान में भाग लिया। प्लास्टिक जापान 2022 उन्नत प्लास्टिक और उपकरण के लिए विश्व का अग्रणी प्रदर्शनी है। यह प्लास्टिक, सीएफआरपी, सेल्युलोज नैनो फाइबर और बायो प्लास्टिक के लिए एक विशेष शो है।
- ❖ 28 दिसंबर, 2022 को शारदा विश्वविद्यालय लघु द्वारा उद्योग भारती, एमएसएमई और शारदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उद्योग हैकथॉन में भाग लिया। उद्योग भारती और शारदा विश्वविद्यालय, भारी उद्योग मंत्रालय,

भारत निवेश मंच के प्रोफेसर कार्यक्रम में एमएसएमई लघु विशेष रूप से आमंत्रित थे।

सेमिनार / आउटरीच कार्यक्रम / वेबिनार

- ❖ परिषद ने 24 जून 2022 को ईसीजीसी लिमिटेड के साथ निर्यात ऋण जोखिम प्रबंधन पर एक वेबिनार, 28 जून 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर नई नीति/दिशानिर्देशों पर एक वेबिनार 29 जुलाई 2022 को प्लास्टिक उद्योगों के लिए व्यापार उपाय उपायों और तकनीकी बाधाओं के परिचय पर एक वेबिनार 23 नवंबर 2022 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक उद्योग के लिए बीमा और जोखिम प्रबंधन के महत्व पर एक वेबिनार, 16 दिसंबर 2022 को खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए 'ईयू प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण सामग्री अपडेट (1616/2022/ईसी)' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
- ❖ भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता की बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए परिषद ने 14 जुलाई 2022 को भारत के दूतावास, यांगून, म्यांमार के समन्वय में 'प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं और पॉलिमर में भारत-म्यांमार व्यापार संबंधों को बढ़ाना' शीर्षक से वेबिनार का आयोजन किया।
- ❖ परिषद ने एमएसएमई विकास संस्थान (डीआई), चेन्नई में 18 अगस्त 2022 को 'निर्यात के अवसर' पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को निर्यात क्षेत्र में लाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने के लिए मार्गदर्शन करना था। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनएसआईसी और एमएसएमई डीआई के माध्यम से पेश की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और निर्यात सब्सिडी पर भी प्रकाश डाला गया।
- ❖ परिषद ने एमएसएमई-डीएफओ मंत्रालय, मुंबई के साथ डीजीएफटी के व्यापार संवर्धन विंग के साथ संयुक्त रूप से जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) - मुंबई, उद्योग विभाग के सहयोग से 21 सितंबर 2022 (बुधवार) को मुंबई में प्लास्टिक उद्योग के लिए निर्यात प्रोत्साहन और जेडईडी प्रमाणन योजनाओं पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ❖ 23 सितंबर 2022 (शुक्रवार) को जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)-उद्योग विभाग-दमन और दमन उद्योग संघ

(डीआईए) के सहयोग से दमन में प्लास्टिक उद्योग के लिए निर्यात आउटरीच/क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

- ❖ परिषद ने छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्मना संघ, रायपुर के सहयोग से 27 सितंबर, 2022 को प्लास्टिक उद्योग के लिए एक्सपोर्ट आउटरीच/क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने ज्ञान साझा करने नए विचारों का आदान-प्रदान करने और निर्यात गतिविधि के लिए मार्गदर्शन पर प्लास्टिक उद्योग की मदद करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया।
- ❖ परिषद ने टीएपीएमए (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन) के साथ संयुक्त रूप से 'निर्यात के अवसर- एमएसएमई क्षेत्र' पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। 28 सितंबर 2022 को सम्मेलन हॉल, एफटीसीसीआई, रेड हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना में अपर डीजीएफटी, एमएसएमई डीआई, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) – रंगा रेड्डी डीटी, ईसीजीसी और आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आयोजन।
- ❖ जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), उद्योग और वाणिज्य विभाग सरकार कर्नाटक सरकार के साथ संयुक्त रूप से परिषद 15 दिसंबर 2022 (गुरुवार) को होटल सिद्धार्थ, नजरबाद, मैसूर में कर्नाटक राज्य पॉलिमर एसोसिएशन (केएसपीए), डीजीएफटी, सीआईपीईटी और एमएसएमई डीआई के सहयोग से 'प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात के लिए अवसर – प्लास्टिक क्षेत्र' पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

(ड.) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

कैपेक्सिल, एक प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषद, की स्थापना 1958 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। परिषद का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है। परिषद को रासायनिक आधारित संबद्ध उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के साथ सौंपा गया है जिसमें थोक खनिज और अयस्क, प्राकृतिक पत्थर उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, पेपर और पेपर बोर्ड उत्पाद, ऑटो टायर और ट्यूब, रबर उत्पाद, सिरेमिक और संबद्ध उत्पाद, ग्लास और

ग्लासवेयर शामिल हैं।, प्लाइवुड और संबद्ध उत्पाद, सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस उत्पाद, ग्रेफाइट और विस्फोटक, किताबें, प्रकाशन और प्रिंटिंग उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग इंक और संबद्ध उत्पाद, विविध रासायनिक उत्पाद, ओसीन और जिलेटिन और पशु उप-उत्पाद शामिल हैं। 1 दिसंबर 2022 तक परिषद की कुल सदस्यता 4187 है

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कैपेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन किया

- ❖ 5 से 8 अप्रैल 2022 तक लास वेगास, एनवी में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में कवरिंग 2022 प्रदर्शनी में सदस्य की भागीदारी का आयोजन किया।
- ❖ 23-29 मई 2022 तक आयोजित अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्व-वित्त के आधार पर सदस्यों की भागीदारी का आयोजन किया।
- ❖ 28 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले रियाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में सदस्यों की संगठित भागीदारी।
- ❖ 19 से 23 अक्टूबर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एमआई योजना के तहत फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में सदस्यों की भागीदारी का आयोजन किया।
- ❖ परिषद के पुस्तक प्रभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एमआई योजना के तहत पुस्तकों, प्रकाशनों और मुद्रण सेवाओं को कवर करने वाले शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया।
- ❖ 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक वर्चुअल इंडिया पैकेजिंग फेयर का आयोजन किया जिसमें मेले में 20 सदस्य निर्यातकों ने भाग लिया।
- ❖ 9 जून 2022 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बरतन, टेबलवेयर और मिट्टी के बर्तनों में काम करने वाले भारतीय निर्यातकों और दक्षिण अफ्रीकी आयातकों के बीच वर्चुअल बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।
- ❖ चयनित सदस्य निर्यातकों और प्रसंस्कृत खनिजों के जापानी आयातक के बीच 2 सितंबर 2022 को भारतीय दूतावास, जापान के कार्यालय के सहयोग से वर्चुअल बी2बी बैठक का आयोजन किया।

- ❖ 5, 6, 8 और नौ सितंबर 2022 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, साओ पाउलो के तत्वावधान में विशेष रूप से गुजरात राज्य के लिए मोरबी सिरैमिक निर्माता संघ के सहयोग से सिरैमिक उत्पादों के भारतीय निर्यातकों और ब्राजील के आयातकों के बीच आभासी क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
- ❖ परिषद ने भारत के दूतावास के सहयोग से 28 अक्टूबर 2022 को यूएसए के एक खरीदार और भारत के दो आपूर्तिकर्ताओं के बीच भारत से बहुउद्देशीय कागज की सोर्सिंग के लिए एक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
- ❖ परिषद ने 01.11.2022 को कतर में भारतीय दूतावास के तत्वावधान में आईबीपीसी, कतर के सहयोग से 'सिरैमिक उत्पादों के भारतीय निर्यातकों और कतरी आयातकों के बीच वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक' का आयोजन किया।

सेमिनार / आउटरीच कार्यक्रम / वेबिनार

- ❖ गुरुवार, 28 अप्रैल 2022 को महामारी के प्रभाव के बाद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में वर्तमान रुझान पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
- ❖ कैपेक्सिल ने 27.05.2022 को बेवर्ली होटल में जीएसटी, बीआईएस और आईसीआईसीआई के साथ सेमिनार-सह-इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 50 सदस्यों ने भाग लिया।
- ❖ 19 मई 2022 को निर्यात में ईसीजीसी की भूमिका पर एक वेबिनार का आयोजन किया, 17 जून 2022 को निर्यात के लिए डिजिटल मार्केटिंग और वर्तमान परिदृश्य में उनके फायदे पर वेबिनार कार्यक्रम, एक्जिम बैंक के साथ उनके उत्पाद एंड सर्विसेज" पर एक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया। और एमएसएमई व्यापार और निवेश संवर्धन ब्यूरो (एम-टीआईपीबी) के साथ "तमिलनाडु सरकार प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए योजनाएं" पर 29 जून 2022 को आयोजित, सिडबी, चेन्नई के साथ एक वेबिनार कार्यक्रम "भूमिका विकास में सिडबी की भूमिका" पर एमएसएमई 15 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया, एक वेबिनार कार्यक्रम जिसमें पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क (सीजीपीडीटीएम), चेन्नई के महानियंत्रक कार्यालय और 29 जुलाई 2022 को चेन्नई के विदेशी डाक निदेशक कार्यालय, एक वेबिनार कार्यक्रम एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, चेन्नई के साथ रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एक्जिम कंसल्टेंट्स, चेन्नई के साथ 16

सितंबर, 2022 को, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स विषय पर एक वेबिनार, 26 सितंबर, 2022 को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एक वेबिनार कार्यक्रम, चेन्नई, आईआईपी, पैका की भूमिका पर 19 अक्टूबर 2022 को निर्यात और संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन के लिए जीइंग, 28 अक्टूबर 2022 को एफटीए और इसके संभावित लाभ विषय पर एक वेबिनार।

- ❖ वेबएक्स 6 सितंबर, 2022 को सुबह 11 बजे डीजीसीआईएस के साथ निर्यातकों आयातकों की संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया।
- ❖ कैपेक्सिल ने 18 नवंबर 2022 को एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, चेन्नई और प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), नई दिल्ली के साथ वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ❖ कैपेक्सिल ने 2 दिसंबर 2022 को निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और निर्यात बिल नियमितीकरण के लिए निर्यातकों के लिए व्यापार प्रस्ताव पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

(च) शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शैलैक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना जून 1957 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी, जिसे 8 फरवरी 2007 को शेफेक्सिल का नया नाम दिया गया था। इस परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। परिषद वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण और अपनी प्रशासन समिति के मार्गदर्शन के अन्तर्गत कार्य करती है। 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, परिषद की कुल सदस्यता 769 है। शेफेक्सिल गैर इमारती वनोपज के लिए और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उत्पादों के लिए भी नामित नोडल ईपीसी है। परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के कार्यकलाप सौंपे गए हैं:

- ❖ शैलैक और लाख आधारित उत्पाद
- ❖ सब्जियों के रस और जड़ी बूटियों के अर्क
- ❖ ग्वार गम
- ❖ पौधे और पौधे का भाग (जड़ी बूटी)
- ❖ फिक्स वैजिटेबल (सब्जी), ऑयल केक और अन्य
- ❖ अन्य सब्जी सामग्री

❖ उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित बहु उत्पाद

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, शेफेक्सल ने निम्नलिखित निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन किया।

निर्यात प्रदर्शन

(मूल्य यूएस\$ मिलियन में)

ईपीसी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल-नवंबर)
केमेक्सल	19142.37	18267.42	17533.04	24313.88	15359.13
प्लेक्सकॉसिल	11019.94	10011.11	9860.99	13352.23	8,177.5
कैपेक्सल	22701.83	22490.53	25787.63	31263.83	18932.85
शेफेक्सल	2651.07	2608.72	2362.30	2779.66	1905.50
संपूर्ण	55515.21	53377.78	55543.96	71709.59	44374.98

(छ) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी)

स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी) भारत के खेल के सामान और खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। एसजीईपीसी भारत में खेल के सामान और खिलौनों के सभी प्रमुख निर्माताओं और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करती है।

एसजीईपीसी की गतिविधियों की श्रेणी में दोनों शामिल हैं जो एक तरफ उद्योग के प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। महामारी के कारण सभी भौतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ, एसजीईपीसी के समक्ष इस क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। अपने सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ जुड़ने और निर्यात कारोबार जारी रखने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रदान करके इसे दूर किया गया।

2022-23 में महामारी की स्थिति में राहत और यात्रा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ, यूरोपीय देशों (यूके सहित) ने फिर से भौतिक कार्यक्रम आयोजित करना संभव बना दिया। एसजीईपीसी यूके और आयरलैंड में बीएसएम आयोजित करने, अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी, भारत में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और अंतराष्ट्रीय बाजारों में अन्य प्रचार अभियानों आदि जैसी व्यापार संवर्धन गतिविधियों को आयोजित करने में सक्षम था।

परिषद वर्तमान स्थिति को एक अवसर में बदलने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने में अपने सदस्यों के साथ काम कर रही है। एसजीईपीसी अपनी केंद्रित योजना और निर्यात

परिषद ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), कोलकाता परिसर के सहयोग से विदेश व्यापार प्रबंधन पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम, 10 घंटे की ई-व्याख्यान श्रृंखला की व्यवस्था की है।

संवर्धन रणनीति के साथ 546 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल करने में सक्षम थी।

वर्ष 2021-22 में भारतीय खेल सामग्री और खिलौनों का निर्यात 140 देशों को किया गया है। खेल के सामान और खिलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष दस गंतव्य लगभग समान रहे। यूके शीर्ष दस गंतव्य रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा का स्थान रहा।

वर्ष 2022-23 के दौरान की गई निर्यात संवर्धन गतिविधियां इस प्रकार हैं:

(i) यूके और आयरलैंड में बीएसएम (13 से 17 जून 2022)

बीएसएम स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज 2 देशों और 3-शहरों की बी2बी मीट थी, जो यूके और आयरलैंड में स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, गेम्स और स्पोर्ट्सवेयर के प्रमुख भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोजित की गई थी। 41 भारतीय कंपनियों ने 3 शहरों में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

भारतीय खेल सामग्री और खिलौनों के लिए ब्रिटेन अकेला सबसे बड़ा बाजार है, जो इस क्षेत्र के भारतीय निर्यात में 22 प्रतिशत का योगदान देता है। यूके 8,200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के खेल के सामान और खिलौनों का आयात करता है और आयात में यूके की हिस्सेदारी के भारतीय हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से कम है। जबकि इस क्षेत्र के लिए आयरलैंड का आयात 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और भारत केवल 1 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के खेल के सामान और खिलौनों का निर्यात

करता है। इसलिए दोनों बाजारों में अपार संभावनाएं हैं।

(ii) ऑटम फेयर बर्मिंघम, यूके (4 से 7 सितंबर 2022)

एसजीईपीसी ने इस आयोजन में 11 भारतीय खेल सामग्री और खिलौना निर्माण कंपनियों की भागीदारी के लिए आयोजन किया। भागीदारी का आयोजन बाजार को मजबूत करने और यूके के बाजार में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया गया था। इन कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भारत में निर्मित खेल के सामान, खिलौने, खेल, खेलों के कपड़े और सहायक उपकरण प्रदर्शित किए। इस कार्यक्रम में 1,726 प्रतिभागियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस शो में होलसेल, रिटेल और ब्रांड्स के 25,000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। 11 भारतीय कंपनियों ने इन आगंतुकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और भारतीय कंपनियों को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

(iii) खिलौनों (किड्स इंडिया) भारत (15 -17 सितंबर 2022) आरबीएसएम

खिलौनों और खेल के सामान के निर्माण के लिए भारत सबसे आशाजनक और नए केंद्रों में से एक है। उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मानकों के तुलनीय हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में शामिल विशाल उत्पादन आधार, विकास और उत्कृष्टता को विश्व बाजार में चित्रित करने की आवश्यकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, एसजीईपीसी पिछले कुछ वर्षों से भारत के बाहर के विक्रेताओं को आमंत्रित कर रहा है। प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। यह निर्यात को बढ़ावा देने का सबसे किफायती तरीका है क्योंकि विक्रेताओं को भारत द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों को एक ही छत के नीचे देखने को मिलता है और यह निर्यातकों को खरीदारों तक अपनी पूरी रेंज ले जाने की परेशानी से भी बचाता है।

2013 में आरंभ होने के बाद से किड्स इंडिया ने खुद को खिलौनों, बच्चों के उत्पादों और खेल के सामान के लिए सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बी2बी मेले के रूप में स्थापित किया है। द किड्स इंडिया 2022 मुंबई का आयोजन 15 से 17 सितंबर 2022 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में किया गया। इस साल अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं के लिए शकिड्स इंडिया 2022 देखने के लिए रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था क्योंकि इस कार्यक्रम में 150 से अधिक भारतीय खिलौना निर्माण कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें 30 एसजीईपीसी सदस्य निर्यात कंपनियां भी शामिल हैं।

खरीदार भारतीय प्रदर्शकों के समग्र प्रदर्शन से प्रसन्न थे और एमएआई योजना के तहत आमंत्रित अधिकांश खरीदार

भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता से प्रभावित थे और भारतीय प्रदर्शक आमंत्रित खरीदारों की गुणवत्ता और उत्पन्न व्यावसायिक पूछताछ से अत्यंत प्रसन्न।

(iv) दुबई मसल शो, 2022 (28-30 अक्टूबर 2022)

दुबई मसल शो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा फिटनेस इवेंट है, जहां फिटनेस के दीवाने उद्योग के सितारों से मिल सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम फिटनेस उत्पादों तक पहुंच सकते हैं, विशेषज्ञ सलाह और प्रशिक्षण टिप्स प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन और मस्ती का पूरा सप्ताहांत बिता सकते हैं, रोमांचक प्रतियोगिताएं और डेमो देख सकते हैं।

नेटवर्किंग और नए व्यवसाय विकास के लिए क्षेत्र में एक समर्पित मंच रखने के लिए फिटनेस, वेलनेस और खेल पेशेवर समुदाय से चल रहे विकास और मांग के हिस्से के रूप में, उन्होंने दुबई एक्टिव इंडस्ट्री आरंभ किया है। प्रारूप और कार्यक्रम कार्यक्रम खेल उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है, साझेदारी को बढ़ावा देता है जो विकास को गति दे सकता है, और उद्योग को एक गतिशील वातावरण में नेटवर्क करने में सक्षम बनाता है। 28 से 30 अक्टूबर 2022 को 3 दिनों के एक्शन से भरपूर, दुबई मसल शो फिटनेस और स्पोर्टिंग ब्रांड्स के लिए जागरूकता बढ़ाने, अग्रणी बनाने और नए ग्राहक प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर था।

लगभग 30,000 उद्योग आगंतुक दुबई मसल शो में 32 प्रदर्शनी देशों के 300 से अधिक प्रदर्शनी ब्रांडों के साथ आए। आगंतुकों की सबसे बड़ी संख्या वाले देश (इस क्रम में) संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, भारत और यूके थे। स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए भारत ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलग-अलग उत्पाद प्रोफाइल वाले 10 अग्रणी निर्माताओं ने अपने उत्पादों को 5 अलग-अलग हॉल में प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की शमार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स योजना के तहत आयोजित किया गया था। स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से कुल 10 प्रदर्शकों ने भाग लिया।

(v) आईएसपीओ, 2022 (28-30 नवंबर 2022)

2 साल से अधिक के अंतराल के बाद आईएसपीओ म्यूनिख 2022 28 से 30 नवंबर 2022 तक भौतिक भौतिक रूप में आयोजित किया गया था। 1,700 अंतराष्ट्रीय प्रदर्शक और 117 देशों के 40,000 व्यापार आगंतुक तीन दिनों में म्यूनिख प्रदर्शनी मैदान में आईएसपीओ म्यूनिख के पुनराारंभ में आए। आदर्श वाक्य स्पोर्ट्स पर नए परिप्रेक्ष्य के तहत, दुनिया के

प्रमुख खेल व्यापार मेले ने कई उत्पाद नवाचारों की पेशकश की, एक सम्मेलन कार्यक्रम जिसमें प्रमुख वक्ताओं और कई प्रसिद्ध खेल हस्तियों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया।

स्थिरता एक उच्च प्राथमिकता बनती जा रही है क्योंकि हर व्यक्ति ग्रह के लिए जिम्मेदार है खेल के सामान का उद्योग टिकाऊ सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपनी भूमिका निभा सकता है। उपभोक्ताओं की वृद्धि हो रही मांग है कि उत्पादों को पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से बनाया जाए और पुनः उपयोग योग्य हो। सरकारी नियामकों द्वारा मामलों को अपने हाथों में लेने से पहले उद्योग के पास ट्रेलब्लेजर बनने और मानक निर्धारित करने का अवसर है।

1,700 से अधिक प्रदर्शकों के उत्पाद नवाचारों के साथ, आईएसपीओ म्यूनिख ने अपने नवंबर के प्रीमियर में खेल उद्योग के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक अंतर्दृष्टि की पेशकश की। केवल 90 प्रतिशत प्रदर्शक विदेशों से आए थे, और कुल 50 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था। सर्वाधिक प्रदर्शकों वाले पांच देश जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन और ताइवान थे। उनमें से लगभग 20 प्रतिशत पहली बार आईएसपीओ म्यूनिख में थे। 40,000 व्यापार आगंतुक कुल 117 देशों से आए थे, और उनमें से 73 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय अतिथि थे। भाग लेने वाले शीर्ष पांच देश जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया थे।

स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से भारत ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 49 विभिन्न उत्पाद प्रोफाइल वाले अग्रणी निर्माताओं ने अपने उत्पादों को 2 अलग-अलग हॉल में प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बाजार पहुंच पहल योजना के तहत आयोजित किया गया था। श्री मोहित यादव, महावाणिज्यदूत, भारत के महावाणिज्य दूतावास, म्यूनिख ने डॉ. एसवाई चव्हाण, कौंसल (वाणिज्यिक, सूचना और शिक्षा) और टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रदर्शनी का दौरा किया। महावाणिज्यदूत ने एसजीईपीसी बूथ का रिबन काटकर भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। परिषद के ईडी द्वारा प्रदर्शनी केंद्र के द्वार पर तटरक्षक बल का स्वागत किया गया और भारतीय पवेलियन तक ले जाया गया। सीजी ने ईडी के साथ अधिकांश भारतीय प्रतिभागियों से उनके व्यवसाय पर चर्चा करने और घटना के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मुलाकात की।

जैसा कि अधिक से अधिक बाजार अब महामारी के बाद खुल रहे हैं, एसजीईपीसी के पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अन्य निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां हैं, जैसे कि जनवरी 2023 में

हांगकांग टॉयज एंड गेम्स फेयर, फरवरी 2023 में स्पीलवेयरनमेसे इंटरनेशनल टॉय फेयर, मार्च 2023 में स्पोर्ट्स गुड्स और ऑस्ट्रेलियन टॉय फेयर के लिए आरबीएसएम।

(ज) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीईपीसी), सरकार द्वारा स्थापित एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद, निम्नलिखित में से किसी भी मॉड्यूल में अनुबंधित विदेशी परियोजनाओं से युक्त परियोजना निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष समन्वयक एजेंसी है

❖ सिविल निर्माण परियोजनाएं

❖ तैयारशुदा परियोजनाएँ

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (अवधारणा से कमीशनिंग तक) सहित और अनिवार्य रूप से सिविल कार्य निर्माण और इन टर्नकी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सभी आपूर्तियां शामिल हैं

❖ प्रक्रिया और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं और

❖ परियोजना निर्माण सामग्री (स्टील और सीमेंट को छोड़कर):

❖ निर्माण इंजीनियरिंग उत्पाद (फिटिंग और फिक्स्चर सामग्री)

❖ निर्माण उपकरण और सहायक उपकरण

❖ अन्य परियोजना सामान

पीईपीसी वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है।

(i) विकास के क्षेत्र

पीईपीसी, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे बांधों, जलविद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों, उपयोगिता भवनों, बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और कॉम्प्लेक्स, मोटरवे, सुरंग और पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाएं, ऊंची-ऊंची और प्रतिष्ठित इमारतें, होटल और पर्यटक रिसॉर्ट आदि के निर्माण में परियोजना निर्यात के विकास और प्रचार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

(ii) बाजार

भारतीय प्रक्रिया और निर्माण इंजीनियरिंग ठेकेदारों और सलाहकारों के लिए मुख्य बाजार रहे हैं और है:

- ❖ एशिया (सार्क, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व)
- ❖ अफ्रीका
- ❖ रूस और सीआईएस

- ❖ यूरोप
- ❖ लैटिन अमेरिका

(iii) 2017-18 से 2022-23 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान परियोजना निर्यात की प्रगति

मूल्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल- दिसंबर)(अनंतिम)
रु. करोड़ में	28,209	27,186	29,948.00	12,821.63	22,255.60	27,757.84
यूएस \$ मिलियन	4,360	3,860	4,240.74	1,743.95	2,980.89	3,464.32

स्रोत: सदस्य कंपनियों से प्राप्त जानकारी, विभिन्न प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से समाचार की कतरनें

गतिविधियाँ

- ❖ पीईपीसी ने 5 मई 2022, द लीला पैलेस, नई दिल्ली में 'भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाने' पर इंडिया एक्जिम बैंक के शिखर सम्मेलन में अपने सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान की

- ◆ शिखर सम्मेलन में भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा अनुभव साझा करने का सत्र था जिसमें हमारे सदस्य परियोजना निर्यातकों कल्पत पावर, ट्रांसमिशन लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपने अनुभव साझा किए। उन क्षेत्रों पर जहां भारतीय परियोजना निर्यातकों के पास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, कुछ उभरते हुए क्षेत्रों और बाजारों में उनकी प्रगति को क्या रोकता है और परियोजना निर्यात को और गति देने के लिए कौन सा उत्पाद-बाजार मिश्रण विकसित किया जा सकता है।

- ❖ पीईपीसी ने आउटरीच प्रोग्राम, अनलॉकिंग बिजनेस ऑपच्युनिटीज में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाया: 12 मई 2022 को बेंगलुरु में एसईपीसी द्वारा आयोजित यूई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार समझौते

- ❖ पीईपीसी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में परियोजना निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

- ◆ श्री शशि चतुर्वेदी, प्रबंध सलाहकार (आईबी) ने मौजूदा सरकारी नीति और लागू विनियमों परियोजना निर्यात और विनिमय नियंत्रण विनियम परियोजना निर्यात और सीमा शुल्क पर बात की।

- ◆ रितेश विक्टर, सह-संस्थापक और कंट्री हेड-मयफोरेक्साई फिनटेक प्रा.लि. द्वारा विदेशी मुद्रा निर्यात आय के प्रबंधन पर एक सत्र था।

- ◆ ईसीजीसी और एक्जिम बैंक के प्रतिनिधियों ने परियोजना निर्यात और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए क्रमशः ईसीजीसी और एक्जिम बैंक की भारत सरकार की योजनाओं और उत्पादों जानकारी दी।

- ❖ पीईपीसी ने 22 जून 2022 को नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा समर्थित एक्जिम बैंक की बांग्लादेश सरकार को दी जाने वाली ऋण श्रृंखलाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक के बिजनेस आउटरीच सेमिनार में भाग लिया।

- ◆ संगोष्ठी में भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा अनुभव साझा करने का सत्र था जिसमें हमारे सदस्य परियोजना निर्यातक इरकॉन, राइट्स, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ट्रांसरेल ने बांग्लादेश में एलओसी परियोजनाओं के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

- ❖ पीईपीसी ने 26 अगस्त 2022 को हैदराबाद में परियोजना निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया

- ◆ श्री शशि चतुर्वेदी, प्रबंध सलाहकार (आईबी) ने मौजूदा सरकारी नीति और लागू विनियमों परियोजना निर्यात और विनिमय नियंत्रण विनियम परियोजना निर्यात और सीमा शुल्क पर बात की

- ◆ रितेश विक्टर, सह-संस्थापक और कंट्री हेड-मायफोरेक्सेय फिनटेक प्रा.लि. द्वारा विदेशी मुद्रा निर्यात आय के प्रबंधन पर एक सत्र था।

◆ ईसीजीसी और एक्जिम बैंक के प्रतिनिधियों ने परियोजना निर्यात और संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए क्रमशः ईसीजीसी और एक्जिम बैंक की भारत सरकार की योजनाओं और उत्पादों के बारे में जानकारी दी

❖ पीईपीसी ने 9 दिसंबर 2022 को कोलकाता में परियोजना निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया

◆ श्री शशि चतुर्वेदी, प्रबंधन सलाहकार (आईबी) ने मौजूदा सरकारी नीति और लागू विनियमों परियोजना निर्यात और विनिमय नियंत्रण विनियम परियोजना निर्यात और सीमा शुल्क और रुपया भुगतान तंत्र पर बात की

◆ ईसीजीसी और एक्जिम बैंक के प्रतिनिधियों ने परियोजना निर्यात और संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए क्रमशः ईसीजीसी और एक्जिम बैंक की भारत सरकार की योजनाओं और उत्पादों के बारे में जानकारी दी

◆ श्री प्रवीण कुमार, सचिव पीईपीसी ने भारतीय परियोजना निर्यात का अवलोकन किया

(इ) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) भारत

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में स्थापित परिषद है। यह परिषद निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 (कंपनी लाभ के लिए नहीं) की धारा 25 के तहत स्थापित एक कंपनी है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में हैं तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग विनिर्माताओं और निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बेहतर पहुंच के लिए, ईईपीसी इंडिया ने 15 टियर और टियर शहरों में भी अपने चौप्टर खोले हैं।

सलाहकार निकाय के तौर पर, यह परिषद भारत सरकार की नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान देती है और इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करती है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के पास अब लगभग 11,000 का सदस्यता आधार है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से माल-प्राप्ति की सुविधा

प्रदान करती है और एसएमई को अपना स्तर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप करने के लिए प्रेरित करती है। यह एसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपना व्यवसाय एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। 'भविष्य का निर्माण' (इंजीनियरिंग द फ्यूचर) को आदर्श वाक्य के रूप में देखते हुए, ईईपीसी इंडिया भारत को एक प्रमुख इंजीनियरिंग निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अपने प्रयासों के रूप में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए संदर्भ बिंदु की भूमिका निभाती है।

(i) इंजीनियरिंग निर्यात परिदृश्य

इंजीनियरिंग निर्यात भारत के कुल व्यापारिक निर्यात के एक चौथाई से अधिक और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत से इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 112.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 107.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से अधिक है, जिसमें 2020-21 की तुलना में 46.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में देश के कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र का योगदान 26.56 प्रतिशत रहा।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से, इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सदस्य निर्यातकों के साथ आभासी बैठकें बातचीत की जाती हैं और साथ ही व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन प्रचार, कारोबारी माहौल की समझ आदि के संबंध में भी।

अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए अप्रैल-नवंबर 2021 में 72.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 70.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का हिस्सा 24 प्रतिशत था, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह 27.10 प्रतिशत था। संघीय रूप से, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, 34 में से 22 पैनेलों ने साल-दर-साल सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।

क्षेत्रवार, अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ क्रमशः 22.9 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इंजीनियरिंग निर्यात के लिए भारत के शीर्ष गंतव्य थे, जबकि आसियान और पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में प्रत्येक की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है।

(ii) ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों और सेवाओं की इंजीनियरिंग गुणवत्ता और क्षमताओं से जुड़ी मेड इन इंडिया की ब्रांड छवि को बढ़ावा देकर निर्यात में तेजी लाने के लिए, ईईपीसी इंडिया वर्ष 2014 से ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान चला रही है। इस पहल को वाणिज्य विभाग के अधीन एक ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से लागू किया गया है। इस पहल के तहत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित उत्पादों और सेवाओं के स्तरीय भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की खोज के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ई-कैटलॉग का सृजन किया गया है। ईईपीसी इंडिया ने पहले ही आठ क्षेत्रों जैसे पंप और वाल्व, विद्युत मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा मशीनरी, मशीन टूल्स, कृषि मशीनरी, निर्माण और अर्थमूविंग मशीनरी और हैंड टूल्स में ई-कैटलॉग लॉन्च कर दिए हैं।

विदेशी बाजारों में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए, ईईपीसी के प्रचार कार्यक्रम में विभिन्न संगोष्ठियों सम्मेलनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में परिषद की मेड इन इंडिया नामक फिल्म की स्क्रीनिंग करना शामिल है, जिसमें भारत की औद्योगिक छवि पर प्रकाश डाला गया है। इस फिल्म की प्रतियां भारत और विदेश स्थित वाणिज्य मण्डलों और व्यापार परिसंघों में, पहचाने गए प्रमुख देशों में भारतीय मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों में वितरित की जाती हैं।

(iii) इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहल

वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है ईईपीसी इंडिया के साथ भागीदारी करते हुए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को संभव बनाना ताकि इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करके किया जा रहा है जिससे अत्याधुनिक निर्यातोन्मुखी प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी बैठकें उद्योग-अकादमिक संवाद आयोजित किए जाते हैं ताकि अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं की पहचान की जा सके। इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में उद्योग को संवेदनशील बनाना और क्लस्टर आधारित पद्धति से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है। वाणिज्य विभाग इस प्रयास में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और ईईपीसी इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है।

प्रौद्योगिकी पहल के तहत, ईईपीसी इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (आईआईडब्ल्यूएम), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के विभिन्न संस्थानों के साथ पहले ही सहयोग शुरू कर दिया है, जहां शीर्ष वैज्ञानिक इंजीनियरिंग विनिर्माताओं को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने में मदद करेंगे और उन्हें अपने वैश्विक समकक्षों के बराबर आने में सहायता करेंगे।

हाल ही में, ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परीक्षण, उपकरणों और मशीनों के अंशांकन, प्रक्रिया से संबंधित रियायती दर पर त्वरित सेवा की सुविधा के लिए कई एनबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और आईएसओ प्रमाणन एजेंसियों के साथ निरीक्षण और प्री-शिपमेंट निरीक्षण, गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का प्रमाणन पर क्षेत्रीय और अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ करार किया है।

28 नवंबर 2022 को, सीएसआईआर एएमपीअरआई, ईईपीसी इंडिया और टेक्नोएस इंस्ट्रूमेंट्स के बीच कोलकाता में मेक-इन-इंडिया रमन स्पेक्ट्रोमीटर को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्वात्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है।

एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण तकनीकों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी के साथ सशक्त बनाना और उत्पादों के मूल्यवर्धन को सक्षम करना और भारत में इंजीनियरिंग क्लस्टरों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना और अग्रणी आरएंडडी विशेषज्ञ पैनल और आरएंडडी प्रयोगशालाओं, भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत करना और उनकी विशेषज्ञता उपयोग करना। ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने देश भर में 150 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए। भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन सिक्स सिग्मा, एआई, एमएल, आदि पर आईएसआई के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम। भौतिक घटनाओं की ब्रांडिंग के लिए कई टेक सेंटर गतिविधियां आयोजित की गईं, उदाहरण के लिए आईएमटीईएक्स बेंगलूर , और मेटएचटीएस मुंबई पर विभिन्न प्रौद्योगिकी बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने आगामी फ्लैगशिप इवेंट इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस 2023) में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएमटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य माइक्रो सहित विभिन्न खंडों में मूल्य वर्धित उन्नत उत्पाद को परिवर्तित करके एमएसएमई का उन्नयन करना है। , एमएसएमई और बड़े उत्पाद। सूक्ष्म खंड में गैर-लौह उत्पाद जैसे पीतल की ढलाई, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरणों सहित एमएसएमई खंड और उन्नत इस्पात उत्पादों सहित बड़े उत्पाद शामिल हैं।

(iv) निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ

वाणिज्य विभाग भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने और ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग द्वारा प्रचारित सही मूल्य के साथ विदेशी खरीदारों को प्रदान करने के लिए ईईपीसी इंडिया के माध्यम से विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का संचालन करता है।

महामारी के बाद के समय में व्यापार की गति को जारी रखने के लिए सदस्यों की सुविधा के लिए ईईपीसी इंडिया ने वास्तविक प्रदर्शनियों बीएसएम आरबीएसएम को फिर से आरंभ किया और वैश्विक खरीदारों के साथ जुड़ने में निर्यातक समुदाय की मदद करने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियों में भाग लिया। ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित ध्मागीदारी वाली भौतिक प्रदर्शनियों में शामिल है जिसमें औद्योगिक आपूर्ति, ऊर्जा समाधान, स्वचालन, गति और ड्राइव, पर ध्यानकेंद्रित करते हुए एशिया फार्मा 2022 जैसे हनोवर मेसे 2022 उत्पाद क्षेत्रों को शामिल करते हुए यूरोप पर ध्यान केंद्रित किया गया है फार्मास्युटिकल मशीनरी, एग्रीटेक्निका एशिया 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले दक्षिण एशिया पर ध्यान देने के साथ कृषि मशीनरी और उपकरण जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले आसियान पर ध्यान देने के साथ , एमसीई मोस्ट्रा 2022 यूरोप पर ध्यान देने के साथ एचवीएसी, जल प्रबंधन, नलसाजी प्रौद्योगिकी, जेआईएमईएक्स 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मशीनरी, ऑटोमेशन, सबकॉन 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले वाना पर ध्यान केंद्रित करना यूरोप पर फोकस के साथ उप-अनुबंध और विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला, मेटलटेक 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करना मेटलवर्क उद्योग – उपकरण, प्रौद्योगिकी, और उपकरण जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले आसियान पर ध्यान देने के साथ , दुबई में क्रेता विक्रेता मीट, 2022 जिसमें भवन निर्माण मशीनरी और घटकों, विद्युत मशीनरी और उपकरण और भागों, ट्यूब, पाइप, और जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले वाना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वेल्डिंग, पंप और वाल्व, मशीनरी, यांत्रिक भागों, ऑटोमैकेनिका, फ्रेंकफर्ट 2022 यूरोप पर ध्यान देने के साथ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, गैराज और वर्कशॉप

इक्विपमेंट, इंटरनेशनल टेक्निकल फेयर 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, पावर इंजीनियरिंग और पर्यावरण जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले यूरोप पर ध्यान देने के साथ, इंडी तंजानिया 2022 अफ्रीका पर ध्यान देने के साथ इंजीनियरिंग, मल्टी-प्रोडक्ट्स, बांग्ला मेड एक्सपो 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने के साथ दक्षिण एशिया पर चिकित्सा जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिवाइस, फार्मा मशीनरी, इंटरनेशनल हार्डवेयर शो 2022 हैंड टूल्स, फास्टर, डीआईवाई उपकरण, बोगोटा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेले जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले यूरोप पर ध्यान देने के साथ ऑटो घटकों, कृषि – मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, अंतर्राष्ट्रीय फास्टर एक्सपो जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले आसियान पर ध्यान देने के साथ उप-अनुबंध, औद्योगिक मशीनरी, भारत-वियतनाम बी2बी 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले एलएसी पर ध्यान देने के साथ 2022 उत्तरी अमेरिका पर फोकस के साथ औद्योगिक फास्टरों, टूलिंग और मशीनरी जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है, नाइजीरिया फार्मा मैनुफैक्चरर्स एक्सपो 2022 अफ्रीका पर फोकस के साथ मेडिकल डिवाइस, फार्मा मशीनरी, बाउमा 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है, यूरोप पर फोकस के साथ निर्माण मशीनरी जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है, औद्योगिक मशीनरी, उपकरण, प्रौद्योगिकी और उत्पाद, गल्फ फूड मैनुफैक्चरिंग 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले आसियान पर ध्यान देने के साथ वीआईएनएएमएसी 2022 खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला, एल्मिया सबकॉन्ट्रैक्टर 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले वाना पर ध्यान देने के साथ यूरोप पर ध्यान देने के साथ उप-अनुबंध, मेटलेक्स थाईलैंड 2022 जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर किया गया मेटलवर्क उद्योग जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करने वाले दक्षिण एशिया पर ध्यान देने के साथ – उपकरण, प्रौद्योगिकी, उपकरण, ऑटोमैकेनिका , दुबई 2022 ऑटो कंपोनेंट और एक्सेसरीज जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करते हुए वाना पर ध्यान केंद्रित करना। ईईपीसी इंडिया ने भी दो आरबीएसएम का आयोजन किया। एमईटीएचटीएस 2022 में आरबीएसएम मटीरियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और हीट ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहा है और आईटीएमई 2022 में आरबीएसएम टेक्सटाइल मशीनरी पर फोकस कर रहा है।

उपरोक्त के अलावा, ईईपीसी इंडिया ने एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022, भारत एमएसएमई रक्षा सप्ताह और आरबीएसएम 2022 सहित कुछ वर्चुअल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

(v) ईईपीसी इंडिया डिजिटल इंटरफेस

ईईपीसी इंडिया वेब उपस्थिति और मोबाइल ऐप सहित अत्याधुनिक डिजिटल इंटरफेस को बनाए रखता है और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए अधिकांश गतिविधियों को पहले ही डिजिटाइज कर चुका है। ईईपीसी इंडिया की कुछ उल्लेखनीय डिजिटल पहलें पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), मूल प्रमाण पत्र (अधिमान्य और गैर-अधिमान्य दोनों), सदस्य निर्यात रिटर्न, ई-स्टोर और डिजिटल कैटलॉग, जीजीएफटी और के साथ एकीकरण ई का संचित आदि ऑनलाइन जारी होना है।

(vi) वेबिनार

वर्ष के दौरान ईईपीसी ने व्यापार गति को जारी रखने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के अपने प्रयास में क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन सत्रों, विदेश व्यापार प्रबंधन, आरओडीटीईपी पर निर्यात जागरूकता संगोष्ठी एमएसएमई प्रशिक्षण और योजनाओं के लाभ, व्यापार और रसद पर सत्र, देश-वार द्विपक्षीय बी2बी बैठक, कानूनों में जीएसटी संशोधन पर संगोष्ठी, स्कूटनी, इंडी तंजानिया रोड शो, स्टार्टअप और हरित प्रौद्योगिकियों और अभ्यास आदि जैसे सत्र पर केन्द्रित 67 से अधिक वेबिनार और ईबीएसएम आयोजित किए।

(vii) चिकित्सा उपकरणों के लिए ईपीसी का निर्माण

वाणिज्य विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के लिए नोडल विभाग होने के कारण भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चिकित्सा उपकरणों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

- ❖ प्रस्तावित ईपीसी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईआईआईडीए), ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय और आंध्र प्रदेश (एएमटीजेड, विशाखापत्तनम में) और तेलंगाना (हैदराबाद में) में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ स्थापित किया जाएगा।
- ❖ आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन (एएमटीजेड), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यालय एक वर्ष की अवधि में, अर्थात् 2023 के अंत तक स्थापित किया जाएगा और हैदराबाद (तेलंगाना) में क्षेत्रीय कार्यालय एक तीन साल की अवधि, अर्थात् 2025 तक में स्थापित किया जाएगा।

(त्र) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी एक निर्यात संवर्धन परिषद है जिसकी स्थापना

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत से सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। एसईपीसी सेवा उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

यह भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में प्रचार गतिविधियों का आयोजन करता है, जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), व्यापार मेले प्रदर्शनियां, और चयनित प्रदर्शनियों में भारतीय मंडपधूसूचना बूथ सदस्य भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(i) एसईपीसी की भूमिका और कार्य

एसईपीसी सरकार में सेवा क्षेत्र के उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत के एक मंच के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित कार्य करता है:

- ❖ सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यनीति लागू करता है
- ❖ विदेशी सेवाओं के पूछताछकर्ताओं को सुविधा प्रदान करता है
- ❖ संचार और प्रचार को चैनलीकृत करता है

(ii) एसईपीसी के पास निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने का अधिकार है

- ❖ नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवाएं
- ❖ शैक्षणिक सेवाएं
- ❖ ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित मनोरंजन सेवाएं
- ❖ परामर्शदात्री सेवाएं
- ❖ वास्तुकला सेवाएं और संबंधित सेवाएं
- ❖ वितरण सेवाएं
- ❖ अकाउंटिंग/ऑडिटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज
- ❖ पर्यावरण सेवा
- ❖ समुद्री परिवहन सेवाएं
- ❖ विज्ञापन सेवाएं
- ❖ मार्केटिंग रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोलिंग

सर्विसेज / मैनेजमेंट सर्विसेज

- ❖ मुद्रण और प्रकाशन सेवाएँ
- ❖ कानूनी सेवा
- ❖ होटल और पर्यटन संबंधी सेवाएँ
- ❖ अन्य

(iii) वर्ष 2022-2023 (अप्रैल-अक्टूबर 2022) के दौरान एसईपीसी द्वारा की गई प्रमुख प्रचार गतिविधियाँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- ❖ एसईपीसी ने माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में 5-8 अप्रैल 2022 के दौरान व्यापार के अवसरों को खोलने के लिए उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया।
- ❖ ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद में आयोजित मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- ❖ एसईपीसी ने 11 और 12 मई 2022, लंदन में यूरोप और आस-पास के क्षेत्रों में लेखा और लेखा परीक्षा सेवा के अवसरों का पता लगाने के लिए "एकाउंटेक्स": वित्त क्षेत्र में बाजार के अवसरों की खोज में भाग लिया। एकाउंटेक्स यूके और यूरोप में सबसे बड़ा लेखाकरण और वित्त संबंधी आयोजन। एसईपीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीए सुनील तलाती, अध्यक्ष एसईपीसी और श्री करण राठौर, उपाध्यक्ष एसईपीसी ने किया।
- ❖ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निगरानी में एसईपीसी ने 12 मई 2022 को डीजीएफटी और कर्नाटक राज्य के सहयोग से होटल शांगरी-ला, बेंगलुरु में अनलॉकिंग बिजनेस ऑपर्ट्युनिटीज: इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ यूई एंड ऑस्ट्रेलिया का आयोजन किया।
- ❖ एसईपीसी ने 14 मई 2022 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत में 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता - एक भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक सम्मेलन आयोजित किया।
- ❖ श्री हीराचंद ढांड एसईपीसी के नेतृत्व में, प्रमुख एसईपीसी एंटरनमेंट सर्विसेज के साथ चुनिंदा उद्योग प्रतिनिधियों ने 19 से 28 मई 2022 तक कान्स फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन में भाग लिया।
- ❖ एसईपीसी ने चयनित उद्योग प्रतिनिधियों के साथ जर्मनी में 30 मई 2022 को हनोवर मेसे में भाग लिया। यह

ऑटोमेशन, मोशन एंड ड्राइव्स, डिजिटल इकोसिस्टम्स, एनर्जी सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर्ड पार्ट्स एंड सॉल्यूशंस, ग्लोबल बिजनेस एंड मार्केट्स और फ्यूचर हब जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख व्यापार मेला है।

- ❖ एसईपीसी ने 20 जून से 24 जून 2022 तक स्केलिंग न्यू हाइट्स सम्मेलन सह प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, यूएसए का दौरा किया, ताकि लेखा और बहीखाता सेवा क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के व्यावसायिक स्थान के लिए डिजाइन किए गए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाया जा सके।
- ❖ एसईपीसी ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के साथ भागीदारी की 22 से 24 जुलाई 2022 तारीख तक बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम 2022) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।
- ❖ एसईपीसी ने 28 जुलाई 2022 को अपने सदस्यों के लिए निर्यात सेवाओं में वैश्विक अवसर प्रदान करने और अपने कर्मियों का कौशल बढ़ाने के लिए एफटीए का लाभ उठाने पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ❖ एसईपीसी ने संजीवनी - इंडिया हील्स 2022 के लिए 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के दीवान -मैं-आम, होटल ताजमहल में कर्टेन रेजर का आयोजन किया।
- ❖ रेडिसन ब्लू, नई दिल्ली में 25 से 26 अगस्त 2022 तक इंडिया ई-कॉमर्स शो में भाग लिया।
- ❖ वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की देखरेख में एसईपीसी ने 31 अगस्त 2022 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों, अवसरों और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सेवा क्षेत्र पर एक दिवसीय विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया।
- ❖ एसईपीसी ने दिनांक 2 सितंबर 2022 को ले-मेरिडियन नई दिल्ली में निर्माण और डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और पर्यावरण सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों की खोज पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें उद्योग विशेषज्ञ और संबंधित क्षेत्रों के नेता शामिल थे।

- ❖ एसईपीसी ने 9 सितंबर 2022 को ताज पैलेस, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली में एक आतिथ्य एवं पर्यटन का आयोजन किया।
- ❖ एसईपीसी ने 29 सितंबर 2022 को ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में भारत/2047: सेवा क्षेत्र निर्यात रणनीति 'उच्च शिक्षा का कौशल और अंतर्राष्ट्रीयकरण' पर एक वार्ता सत्र का आयोजन किया। आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार उपस्थित थे।
- ❖ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से कान, फ्रांस में 15 से 20 अक्टूबर 2022 तक एमआईपीसीओएम 2022 में एक इंडिया पवेलियन का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 'पोजिशनिंग इंडिया एज ए कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड' लोगो का शुभारंभ था। 85 से अधिक प्रतिनिधि भारतीय पवेलियन का हिस्सा थे।

(ट) भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) तिलहन, तेल और खली के निर्यात के विकास और संवर्धन को पूरा करती है। पूर्व में भारतीय तिलहन और उत्पादक निर्यातक संघ (आईओपीईए) के रूप में जाना जाता था, इसका गठन 23 जून 1956 को हुआ था, और छह दशकों से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तत्पश्चात 5 फरवरी 2009 को नाम बदलकर भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) कर दिया गया। निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, परिषद किसानों, शेलरों, प्रोसेसर, सर्वेक्षकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी काम करती है। जिसका उद्देश्य भारत में तिलहन की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य

भारतीय तिलहन और उत्पादक निर्यातक संघ (आईओपीईए) का गठन, वास्तव में, एक प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से सामूहिक और ठोस तरीके से तिलहन, वनस्पति तेल और खली जैसी वस्तुओं में भारत के निर्यात व्यापार के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का पहला संगठित प्रयास था।

भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)आईएसओ 9001: 2015 से मान्यता प्राप्त है।

(i) ईयू को तिल के बीज के निर्यात के लिए प्रक्रिया का कार्यान्वयन

आईओपीईपीसी वैश्विक बाजारों में गुणवत्ता वाले तिलहन और तेलों के लगातार आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आईओपीईपीसी तिलहन निर्यात के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, आईओपीईपीसी उन गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रदान करता है जो यूरोपीय संघ को तिलहन के निर्यात में लगी हुई हैं। परिषद यूरोपीय संघ को तिलहन के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी करती है।

(ii) किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना

परिषद भारतीय किसानों के बीच अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती है और खतरनाक विश्लेषण क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स (एचएसीसीपी) और जीएमपी (अच्छे विनिर्माण प्रथाओं) को अपनाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है। परिषद ने आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने वाले मूंगफली के निर्यात के उद्देश्य से जीएमपी के विभिन्न पहलुओं पर एक शिक्षाप्रद फिल्म विकसित की है। परिषद ने जीएपी पर एक फिल्म भी बनाई है ताकि मूंगफली की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो और निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले तिल के बीज की खेती के लिए जीएपी पर एक फिल्म बनाई जाए। परिषद ने भारत में एक क्रॉस रोड पर मूंगफली शीर्षक वाली मूंगफली पर सूचनात्मक पुस्तिका और तिल के बीज पर 'तिल 21 वीं सदी का सुपर बीज' शीर्षक वाली सूचनात्मक पुस्तिका भी प्रकाशित की।

(iii) फार्म स्तर पर एफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशकों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना

आयात करने वाले देश हमेशा अन्य देशों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कृषि उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन (मूंगफली के मामले में), कीटनाशक अवशेषों और अन्य रासायनिक और सूक्ष्म जैविक संदूषण के बारे में चिंतित रहते हैं। एफ्लाटॉक्सिन को नियंत्रित करने और सुरक्षित और स्वीकार्य कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, परिषद विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है (जैसे कार्यशालाएं, पैम्फलेट का वितरण, मूंगफली और तिल की खेती पर काउंसिल ऑन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (जीएपी) द्वारा निर्मित फिल्मों को दिखाना) बीज) ताकि किसानों में

जागरूकता पैदा की जा सके और खेत स्तर पर ही समस्या को कम किया जा सके।

(vi) आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना

भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि आपूर्ति-श्रृंखला को मजबूत किया जा सके और किसानों, व्यापार और उद्योग में हितधारकों जैसे निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, दलालों और तिलहन और तेल क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

परिषद के कुछ प्रमुख कार्यों की रूपरेखा निम्नलिखित है:

(i) मेलों और प्रदर्शनियाँ

- ❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, जिनमें से अधिकांश वाणिज्य मंत्रालय, भारत की बाजार सहायता पहल (एमएआई) योजना के तहत अनुमोदित हैं।
- ❖ विभिन्न बाजारों में निर्यात क्षमता के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए घरेलू मेलों में भागीदारी।
- ❖ भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में विशेष क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करके संभावित खरीदारों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- ❖ विदेशी बाजार के अवसरों का पता लगाने के लिए विदेशों में अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा आयोजित करना।

(ii) सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क करना

- ❖ एक निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में, आईओपीईपीसी भारतीय तिलहन (मूंगफली सहित) निर्यातकों, विदेशी खरीदारों, भारत में तिलहन और खाद्य तेलों के लिए अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और कई अन्य आधिकारिक निकायों और विश्व स्तर पर प्राधिकरणों के लिए सामान्य मंच के रूप में कार्य करता है।
- ❖ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए परिषद विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ नियमित रूप से संवाद करती है। परिषद सीमा शुल्क, बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संयंत्र और संगरोध प्राधिकरण, ईसीजीसी लिमिटेड, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) जैसे भारतीय अधिकारियों के

साथ भारत से सुचारु निर्यात सुनिश्चित करने के लिए मुद्दों को भी उठाती है।

(iii) वैश्विक बाजारों में हितों की रक्षा करना

- ❖ गंतव्य बाजारों में व्यापारिक हितों की रक्षा डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करने जैसे व्यापार विरूपण उपायों से की जाती है।
- ❖ डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी जैसे बहुपक्षीय स्तर पर परामर्श के दौरान, परिषद भारत के तिलहन और इसके डेरिवेटिव उत्पादों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इनपुट प्रदान करती है।
- ❖ परिषद निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ नियमित रूप से संवाद करती है।

(vi) व्यापार बैठकें, सर्वेक्षण और अध्ययन आयोजित करना

- ❖ फसल सर्वेक्षण (रबी/खरीफ) आयोजित करना ताकि प्रभावी निर्यात रणनीति तैयार की जा सके।
- ❖ विभिन्न क्लस्टर अध्ययनों, अनुसंधान रिपोर्टों और पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार की जानकारी प्रदान करना।
- ❖ तिलहन और तेल क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान में सहायता करना और प्रोत्साहित करना।

(v) प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना

- ❖ परिषद बहुत कम लागत पर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए संस्थागत मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करती है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों के लिए एक उत्कृष्ट विवाद निवारण/निपटान तंत्र प्रदान किया जाता है।

(vi) प्रशिक्षण और उत्पादकता

- ❖ क्षेत्र में लगे पेशेवरों के तकनीकी कौशल का उन्नयन करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए, परिषद पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
- ❖ कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता का उन्नयन।

- ❖ प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, मानकों और विशिष्टताओं, प्रमाणन जैसे एचएसीसीपी के क्षेत्रों में सदस्यों को पेशेवर सलाह और सेवाएं प्रदान करना।

(vii) सूचना प्रसार

- ❖ ईमेल के साथ-साथ मासिक समाचार बुलेटिन के माध्यम से सरकारी अधिसूचना/सार्वजनिक नोटिस/आदेश, सांख्यिकी, वैश्विक घटनाओं, सरकारी योजनाओं, व्यापार पूछताछ और तिलहन और तेल क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण लेखों का प्रसार।
- ❖ परिषद एक वार्षिक स्मारिका भी जारी करती है जो संक्षिप्त व्यापार जानकारी और इसके सदस्यों के संपर्क विवरण प्रदान करती है।

निर्यात प्रोत्साहन उपायों के तहत 2022-23 के दौरान परिषद द्वारा की गई/नियोजित गतिविधियाँ

भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि तिलहन निर्यात वृद्धि के पथ पर बना रहे।

परिषद द्वारा किए गए प्रमुख व्यापार संवर्धन और संबंधित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(i) राजकोट में किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) ने राजकोट में 19 मई 2022 को आईसीएआर-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एक किसान मेले का आयोजन किया। मेले में 170 से अधिक किसान शामिल हुए। एक पैनल चर्चा हुई जिसमें गुजरात के विभिन्न हिस्सों के प्रगतिशील किसानों ने अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर अपने विचार साझा किए।

10 से 15 मई, 2022 के दौरान गुजरात में मूंगफली और तिलहन के लिए ग्रीष्मकालीन फसल सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया। इस फसल सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसान मेले के दिन अर्थात् 19 मई 2022 को राजकोट में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए गए। बैठक में 160 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया तिल और मूंगफली पर पैनल चर्चा हुई। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में दोनों तिलहनों के अनुमानित फसल आकार पर चर्चा की गई। अंत में, हमारे फसल सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए।

इसी क्रम में, भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) ने भी 25 जून 2022 को उत्तर प्रदेश (यूपी) में महोबा के मंडी में आईसीएआर-भारतीय तिलहन

अनुसंधान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एक किसान मेला 2022 का आयोजन किया। मेले में 250 से अधिक किसान शामिल हुए। श्री एस.बी. सिंह, अपर निदेशक (कृषि), लखनऊ, उ.प्र. ने मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। एक पैनल चर्चा हुई जिसमें यूपी के विभिन्न हिस्सों के प्रगतिशील किसानों ने अच्छी कृषि पद्धतियों पर अपने विचार साझा किए। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

हमारे सदस्यों को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए और इस बात पर चर्चा करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में तिलहन की उपज और उत्पादन बढ़ाने में व्यापार कैसे योगदान दे सकता है, खजुराहो में किसान मेले के दिन अर्थात् 25 जून 2022 को क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ग्वालियर, कानपुर, महोबा, नौगांव, छतरपुर जैसे विभिन्न अंचलों से 50 लोग शामिल हुए।

(ii) आईओपीईपीसी का वैश्विक तिलहन सम्मेलन (आईजीओसी), 2022

वर्ष के दौरान, परिषद ने अपना चौथा वैश्विक तिलहन सम्मेलन (आईजीओसी) 4 से 6 नवंबर 2022 के दौरान होटल हयात रीजेंसी, दुबई में आयोजित किया। परिषद को इस आयोजन के लिए उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली और बैठक में भारत और विदेश से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न देशों के तिलहन व्यापार और उद्योग के विशेषज्ञों ने मूंगफली और तिल के बीज के बाजार, उत्पादन, मांग और आपूर्ति और मूल्य पूर्वानुमान का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आईओपीईपीसी के अधिकारियों ने वैश्विक और भारतीय मूंगफली, तिल और अन्य तिलहनों पर भी बहुत जानकारीपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहन और तेल के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए निर्यातकों को पुरस्कार दिया गया। महावाणिज्यदूत और अपीलीय प्राधिकरण (आरटीआई), भारत के महावाणिज्य दूतावास, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

(iii) तिलहन और तेल से संबंधित भारत के विदेश व्यापार में रुझान

तिलहन निर्यात क्षेत्र (तिलहन परिषद के दायरे में) का आकार लगभग पिछले वर्ष में 9,432.93 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 के दौरान 8,546.78 करोड़ रुपए।

निर्यात के दृष्टिकोण से, मूंगफली और तिल के बीज भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तिलहन हैं। जबकि 2021-22 के दौरान तिलहन के कुल निर्यात में मूंगफली की हिस्सेदारी 54.

95 प्रतिशत थी, वहीं कुल तिलहन निर्यात में तिल के बीज की हिस्सेदारी 35.52 प्रतिशत थी।

मात्रात्मक दृष्टि से, वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान मूंगफली का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 5,14,163.87 टन की तुलना में 6,38,324.42 टन था।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से मूंगफली का निर्यात करीब 13 प्रतिशत घटकर 4,697 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 5,380.24 करोड़ रुपए। मात्रात्मक दृष्टि से निर्धारण वर्ष 2021-22 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,14,163.87 टन था जबकि निर्धारण वर्ष 2020-21 के दौरान यह 6,38,320 टन था।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, भारत से तिल के बीज का निर्यात पिछले वर्ष के 2,73,260.32 टन से लगभग 12 प्रतिशत घटकर 2,42,145.56 टन के स्तर पर आ गया। मूल्य के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 3,159.47 करोड़ की तुलना में तिल के बीज का निर्यात लगभग 4 प्रतिशत घटकर 3,036.37 करोड़ रहा।

कई अफ्रीकी देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन को निर्यात के लिए भारत पर 9 प्रतिशत आयात शुल्क लाभ का आनंद लेते हैं जो कि सबसे बड़ा आयातक है।

(iv) तिलहन का निर्यात: अप्रैल-अक्टूबर 2022

अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान भारत ने 5,098.16 करोड़ रुपये मूल्य के 4,63,426 टन तिलहन का निर्यात किया। अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान तिलहन का प्रमुख निर्यात 2,43,121 टन मूंगफली है, जिसकी कीमत रु. 2,408.27 करोड़, 1,56,449 टन तिल के बीज की कीमत रु. 2,151.57 करोड़, सोयाबीन 21,326 टन का मूल्य 164.16 करोड़ रुपये और सरसों का दाना 28,242 टन का मूल्य रु. 209.89 करोड़ था।

(v) तिलहन का आयात: अप्रैल-अक्टूबर 2022

अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान, भारत ने 3,30,959 टन तिलहन का आयात किया, जिसका मूल्य 4,86,573 टन तिलहन के मूल्य 3,097.61 करोड़ की तुलना में 2,313.28 करोड़ रुपया था। तिलहन और सोयाबीन का मूल्य आयात 3,18,677 टन (अन्य सहित) है, जिसका मूल्य 2,185.15 करोड़, 8,288 टन तिल के बीज की कीमत रु 98.70 करोड़ और 2,528 टन सूरजमुखी के बीज की कीमत 14.75 करोड़ है।

(vi) वनस्पति तेलों का निर्यात

❖ भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 9960.02 करोड़ रुपये मूल्य के

7,90,258.08 टन खाद्य तेलों के निर्यात की तुलना में अप्रैल अक्टूबर 2022 में 6304.31 करोड़ रुपये मूल्य के 412799.95 टन खाद्य तेलों का निर्यात किया।

❖ मूंगफली का तेल भारत से निर्यात किया जाने वाला प्रमुख तेल है और उसका 35,842 टन का 566.69 करोड़ रुपये मूल्य मुख्य रूप से चीन (34,696 टन) को निर्यात किया गया। भारत भी (66.50 करोड़) रुपये के मूल्य के 3,126 टन सरसों के तेल का निर्यात किया मुख्य रूप से यूएई (502 टन), यूएसए (655 टन) (और कनाडा (435 टन) था। सोयाबीन तेल का निर्यात 161.37 करोड़ मूल्य के 10,536 टन दर्ज किया गया, जो मुख्य रूप से जॉर्डन (5,000 टन) और भूटान (4,402 टन) को निर्यात किया गया।

❖ अखाद्य तेल अरंडी तेल का निर्यात विगत वर्ष 2020-21 के दौरान 6,286.03 करोड़ रुपए मूल्य के 6,86,604.65 टन की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 8,000.50 करोड़ रुपए मूल्य के 6,62,927.50 टन दर्जा किया गया था।

(ठ) कपड़ा

कपड़ा निर्यात के क्षेत्र में पहल/उपलब्धियां

❖ भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को यूएई और ऑस्ट्रेलिया द्वारा कपड़ा सहित अपने श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रदान की गई तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होने की उम्मीद है।

❖ वाणिज्य विभाग, अपनी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमआई) योजना के तहत कपड़ा और परिधान निर्यात को बढ़ावा देने में लगी विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, खरीदार-विक्रेता मिलते हैं आदि

❖ परिधान/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर मौजूदा दरों पर 31 मार्च 2024 तक राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। परिधान/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए आरओएससीटीएल के जारी रहने से सभी एम्बेडेड करों/लेवी में छूट देकर इन उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है, जो वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है। यह भारतीय कपड़ा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करेगा।

❖ केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) को जारी रखा गया है, जो अध्याय 50-60 के तहत कवर किए गए निर्यातित वस्त्र उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यातित उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यात उन्मुख विनिर्माण उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और भारतीय निर्यात को अंतराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है ताकि घरेलू करोड़शुल्कों का निर्यात न हो।

❖ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भारत में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए बनी हुई है। आबंटित निधि तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान दोनों के अनुसंधान और विकास के लिए है, प्रचार और बाजार विकास गतिविधियों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर को बढ़ाने और तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में कुशल और शिक्षित जनशक्ति बनाने के लिए है।

❖ देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल्स के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना जारी है।

❖ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में सात प्रधान मंत्री मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क की 2027-28 तक सात साल की अवधि के लिए 4,445 करोड़ की लागत से स्थापना को मंजूरी दी है। ये पार्क कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे।

(ड) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल)

फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है, मुंबई और नई दिल्ली में क्षेत्रीय

कार्यालय हैं, और अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में शाखा कार्यालय हैं। परिषद में 4,120 सदस्य हैं।

फार्मेक्सिल के क्षेत्र में आने वाले उत्पादों और सेवाओं में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई), फिनिश डोज फॉर्मस (एफडीएफ), हर्बल/आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, बायोलॉजिक्स, डायग्नोस्टिक्स, सर्जिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कोलैबोरेटिव रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग, क्लिनिकल परीक्षण और परामर्श और नियामक सेवाएं हैं। फार्मेक्सिल के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि विशेष रूप से दवाओं की भारतीय प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के अलावा, परिषद अपने सदस्यों को पेटेंट मुद्दों, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार संबंधी सहायता आदि जैसे क्षेत्रों में पेशेवर सलाह भी प्रदान करती है। फार्मेक्सिल पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करना। के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। परिषद विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेती है और भारत में अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों और क्रैता-विक्रेता बैठकों का भी आयोजन करती है।

(i) निर्यात निष्पादन

(क) 2021-22 के दौरान निर्यात

2021-22 के दौरान, भारतीय फार्मा निर्यात 0.71 प्रतिशत बढ़कर 24.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस मामूली वृद्धि को 2020-21 में 18 प्रतिशत की अभूतपूर्व निर्यात वृद्धि की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की जेनेरिक दवाओं की मजबूत मांग से प्रेरित है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चौथी सबसे बड़ी प्रमुख वस्तु है और 2021-22 के दौरान निर्यात ने व्यापारिक निर्यात में 5.92 प्रतिशत का योगदान दिया। 2021-22 में भारत के शीर्ष 5 फार्मा निर्यात गंतव्य यूएसए, यूके, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया थे।

(ख) 2022-23 के दौरान निर्यात

अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान फार्मा निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि में निर्यात की तुलना में 4.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 16.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निर्यात का श्रेणीवार सारांश नीचे दिया गया है:

(मूल्य यूएस\$ मिलियन में)

उत्पाद श्रेणी	2021-22	अप्रैल-नवंबर 2021	अप्रैल-नवंबर 2022 (पी)	% विकास	% शेयर
ड्रग्स फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल	18,047.70	11,737.32	12,727.72	8.44	76.77
थोक ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स	4,437.64	2,789.11	3,029.26	8.61	18.27
आयुष और हर्बल्स	612.83	390.92	407.55	4.25	2.46
सर्जिकल	532.47	334.16	405.86	21.46	2.45
टीके	988.14	642.85	8.77	-98.64	0.05
संपूर्ण	24,618.78	15,894.37	16,579.15	4.31	100.00

स्रोत: डीजीसीआईएस, (पी): अनंतिम

(ग) एलएसी (लैटिन अमेरिका और कैरेबियन), अफ्रीका और एशिया के अप्रयुक्त लेकिन संभावित बाजारों में भारतीय निर्माताओं के लिए एक बड़ा बाजार अवसर उभर रहा है। इसके अलावा, इसके कौशल, लागत और वितरण लाभों के कारण, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण सेवाओं (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान, आदि के लिए एक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं हैं।

(ii) ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2012 से ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना आरंभ किया गया है और इस क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने और गुणवत्ता तथा सामर्थ्य के कारण भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए 'मेड इन इंडिया' लोगो पर बल दिया जा रहा है। फार्मेक्सिल ने फार्मास्यूटिकल्स में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोरिया, चीन, फिलीपींस, यूक्रेन आदि जैसे विभिन्न देशों के अनुसंधान संघों और परिषदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रित देशों के नियामक प्राधिकरणों के बीच आपसी मान्यता समझौतों का भी प्राथमिकता के आधार पर पालन किया जा रहा है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों जैसे व्यापार भागीदारों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता भी एक प्राथमिकता है। निरंतर प्रयासों के बाद, भारतीय फार्माकोपिया को अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरीशस द्वारा स्वीकार किया गया है।

(iii) एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करना

भारत घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ फॉर्मूलेशन के निर्माण के लिए सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई) की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम) ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। आत्मनिर्भर पहल के तहत देश की दवा

सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देने के लिए, फार्मेक्सिल ने वाणिज्य विभाग की वित्तीय सहायता के साथ, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के लाभ के लिए एपीआई/केएसएम/इंटरमीडिएट्स पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के तरीकों पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। . तत्पश्चात सरकार ने क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएमएस) ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीएलएस) और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआईएस) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों जैसे जैव-फार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं या पेटेंट समाप्ति के करीब आने वाली दवाएं। उच्च मूल्य वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीआईएल) योजनाएं आरंभ की हैं। देश भर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए भी योजनाएं आरंभ की गई हैं, इन पार्कों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) उद्योग को सहायता

एमएआई योजना के माध्यम से विदेशों में उत्पाद पंजीकरण पर किए गए व्यय के हिस्से की प्रतिपूर्ति करके समर्थन करता है। नए और संभावित बाजारों में अधिक उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति निर्यातक प्रति वर्ष 2 करोड़। फार्मेक्सिल ने रुपये की राशि वितरित की। 2021-22 के दौरान उत्पाद पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए एमएआई योजना के तहत अपने सदस्यों को 35.25 करोड़। वाणिज्य विभाग भी विदेशी बाजारों तक पहुँचने में भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले विनियामक और बाजार पहुँच मुद्दों को हल करने के लिए विदेशी सरकारों, वैश्विक नियामक एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ निकटता से बातचीत कर रहा है। वाणिज्य विभाग भी सक्रिय रूप से प्रवेश संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों के तहत पदचिह्न

स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका क्षेत्र, अफ्रीका आदि। भारतीय उद्योग को वैश्विक नियामक मानकों और नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करने के अपने प्रयासों के तहत, फार्मेक्सिल ने उन देशों की बाजार और नियामक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो हमारे शीर्ष 30 निर्यात स्थलों हैं।

(v) ग्लोबल आउटरीच और बी2बी एंगेजमेंट

2022-23 के दौरान फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित/भागीदारी वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- ❖ 23 अप्रैल 2022 को पार्क हयात, हैदराबाद में फार्मेक्सिल द्वारा भारत-यूई सीईपीए और भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पर हितधारक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया
- ❖ सीपीएचएल 17 से 19 मई 2022 तक फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया कन्वेंशन सेंटर में उत्तरी अमेरिका 2022
- ❖ 5 से 7 जून 2022 तक मिस्र में अफ्रीका हेल्थ एक्सकॉन
- ❖ 14 जून 2022 को केआईएनटीईएक्स, सियोल में कोरिया फार्म एंड बायो में भागीदारी और उसके बाद भारत-कोरिया फार्मास्युटिकल फोरम का संगठन
- ❖ 26 जून से 6 जुलाई 2022 तक एशिया क्षेत्र (इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम) में बीएसएम
- ❖ 30 जुलाई से 13 अगस्त 2022 तक एलएसी क्षेत्र (कोलंबिया, बोलीविया, पेरू और ब्राजील) में बीएसएम
- ❖ 21-23 सितंबर 2022 तक आईईएमएल नोएडा में फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित आईपीएचईएक्स और ग्लोबल रेगुलेटर कॉन्क्लेव का 8वां संस्करण
- ❖ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में 1 से 3 नवंबर 2022 तक सीपीएचआई-वर्ल्डवाइड 2022
- ❖ 14 से 18 नवंबर 2022 तक हवाना, क्यूबा में 38 वें हवाना अंतर्राष्ट्रीय मेले - एफआईएचएवी में व्यापार प्रतिनिधिमंडल
- ❖ 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नोएडा, भारत में सीपीएचआई इंडिया 2022

2. अन्य संगठन

(क) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ)

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन

(एफआईईओ) की स्थापना 1965 में एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ पंजीकृत है। एफआईईओ के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और जयपुर, कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में शाखाएँ हैं। संगठन आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

एफआईईओ की 35,000 से अधिक की सीधी सदस्यता है। विदेश व्यापार नीति में, एफआईईओ को स्टेटस होल्डर निर्यात करने वाली फर्मों के साथ-साथ बहु-उत्पादों में काम करने वाले निर्यातकों के लिए एक पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। एफआईईओ उत्पत्ति का प्रमाण पत्र (गैर-अधिमान्य) जारी करता है जिसकी आवश्यकता कई देशों को माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में होती है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के सभी सामान और सेवा क्षेत्र के हितों की सेवा करता है।

एफआईईओ निर्यातकों और केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में लगी अन्य एजेंसियों के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है। यह व्यापार की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समितियों में कार्य करता है। यह व्यापार के विभिन्न मामलों पर सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

एफआईईओ भारत से निर्यात में उनके योगदान की मान्यता में निर्यातकों और निर्यात सुविधाकर्ताओं को क्रमशः 'निर्यात श्री' और 'निर्यात बंधु' पुरस्कार प्रदान करता है। एफआईईओ राज्यों के निर्यातकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार भी आयोजित करता है।

प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

- ❖ एफआईईओ ने तिरुपुर टेक्स्टाइल क्लस्टर की तरह विकसित होने की क्षमता वाले 75 कपड़ा जिलों को अभिज्ञात करने के लिए एक विश्लेषण किया।
- ❖ एफआईईओ ने 'नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के जिलों' की निर्यात क्षमता का अभिज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया।
- ❖ एफआईईओ ने वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक्जिम समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने और संबंधित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

(आईसीडीएस) एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉनकोर और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) के सहयोग से इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला शुरू की।

- ❖ खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में, एफआईओ सऊदी अरब, ओमान और बहरीन में केंद्रित खाद्य और कृषि बी2बी प्रतिनिधिमंडल ले गया। इसने संबंधित खरीदार देशों द्वारा आवश्यक खाद्य उत्पादों के प्रमाणन और परीक्षण की सुविधा के लिए इसने विभिन्न देश विशिष्ट परीक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।
- ❖ एफआईओ कंटेनरों की कमी के कारण निर्यातकों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल (www.easeoflogistics.com) का रखरखाव करता है। इसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में 'भारतीय व्यापार पोर्टल' (www.indianbusinessportal.in) भी विकसित किया है। भारतीय व्यापार पोर्टल एसएमई निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करने और विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- ❖ एफआईओ ने भारतीय व्यापार पोर्टल (www.indiantradeportal.in) का विकास और रखरखाव किया है। यह पोर्टल मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) या 93 देशों के अधिमान्य टैरिफ अधिमान्य टैरिफ का लाभ उठाने के लिए मूल के नियम, एसपीएस-टीबीटी 87 देशों की टैरिफ लाइन पर मैप किए गए उपाय, 93 देशों के आयात आंकड़े और उनमें भारत की हिस्सेदारी आयात, आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- ❖ एफआईओ को टीआईओएल टैक्सेशन अवार्ड्स 2022 के इंस्टीट्यूशनल गेम चेंजर्स श्रेणी के तहत गोल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
- ❖ एफआईओ महत्वपूर्ण व्यापार मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने और शीघ्र समाधान में मदद करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ओपन हाउस मीटिंग्स का आयोजन करता है। यह निर्यातकों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के पास ले जाकर उनके निवारण की सुविधा प्रदान करता है और नीतिगत मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि पर उनका मार्गदर्शन करता है। अक्टूबर 2022 तक, एफआईओ ने 421 निर्यात

प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें बी2बी बैठकें और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

- ❖ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाणिज्य मंडलों और व्यापार संघों के साथ 110 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। यह विभिन्न वैश्विक बाजारों के लिए निर्यातकों को तैयार करने के लिए कई देश विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करता है। यह व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करता है, प्रदर्शनियों की व्यवस्था करता है, विभिन्न देशों के व्यापार के सदस्यों के साथ बी2बी बैठकें आयोजित करता है।
- ❖ निर्यात के लिए सीमा-पार रसद को आसान बनाने के लिए, एफआईओ ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू एक्सप्रेस वितरण, माल अग्रेषण और सीमा शुल्क निकासी सहित रसद समाधान के प्रदाता, शेफेक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- ❖ रुबिक्स डेटा साइंसेज प्राइवेट भारतीय निर्यातकों और संस्थाओं को कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) जारी करने की सुविधा के लिए एक व्यापार आसूचना लिमिटेड कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
- ❖ फियो मासिक आधार पर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इमर्शन सीरीज के लिए अमेजन ग्लोबल सेलिंग के साथ सहयोग कर रहा है ताकि प्रतिभागियों को ई-मार्केट प्लेस की शक्ति का लाभ उठाते हुए कम से कम परेशानी के साथ दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को अपने उत्पादों को पंजीकृत करने और बिक्री की शुरुआत करने के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- ❖ एफआईओ निर्यातक समुदाय को अपनी वेबसाइट – www.fieo.org, और मोबाइल ऐप – निर्यात मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अधिकांश सेवाएं प्रदान करता है। मोबाइल ऐप के 1,20,000 से अधिक डाउनलोड हैं और इसमें भारतीय व्यापार पोर्टल की सभी जानकारी और मामले पर समय-समय पर अद्यतन शामिल हैं।

(ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और बनाना और भारतीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज्ञान के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है। इस उद्देश्य की दिशा में, आईबीईएफ सरकार और उद्योग में हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

आईबीईएफ ने 2022-23 में प्रमुख पहलों और क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए कई ब्रांडिंग गतिविधियाँ कीं। कुछ प्रमुख पहलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

(i) ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

आईबीईएफ ने ईईपीसी के साथ मिलकर 2022-23 के दौरान कई प्लेटफॉर्म पर भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों को बढ़ावा

दिया। ब्रांडिंग और प्रचार योजना के हिस्से के रूप में इंडी तंजानिया 2022, बिग 5, दुबई और अरब हेल्थ जैसे इवेंट्स को कवर किया गया था। आईबीईएफ ने इन बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के प्रचार के लिए पीआर प्रचार गतिविधियों के साथ-साथ इवेंट और आउटडोर ब्रांडिंग को अंजाम दिया।



(ii) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चावल की ब्रांडिंग

आईबीईएफ, एपीडा के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चावल को बढ़ावा और ब्रांडेड करता है। जैविक खाद्य और कृषि के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले बायोफेच, 22 न्यूरेमबेग में भारतीय जैविक चावल को बढ़ावा देने के लिए

एक डिजिटल अभियान शुरू किया गया था। अभियान ने भौगोलिक संकेत (जीआई) को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जैविक भारतीय चावल पर प्रकाश डाला। इसके अलावा प्रचार गतिविधियों के तहत एयरपोर्ट ब्रांडिंग सहित आउटडोर ब्रांडिंग और आउटडोर ओओएच भी किया गया।



(iii) 10 वां इंडिया ट्रेड फेयर 2022

आईबीईएफ ने इंडिया ट्रेड फेयर जापान और अन्य विदेशी बाजारों में भारतीय हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य हाथ से बने भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर काम किया। आईबीईएफ ने भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देने वाले अभियान का समर्थन करने के लिए एक समर्पित लैंडिंग पृष्ठ तैयार किया।

(iv) वाणिज्य विभाग को ब्रांडिंग समर्थन

आईबीईएफ ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए वाणिज्य विभाग को ब्रांडिंग समर्थन प्रदान किया। 2022-23 में कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- ❖ भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए फिल्म और सोशल मीडिया क्रिएटिव का निर्माण।
- ❖ निर्यात पोर्टल का सृजन और निर्यात पोर्ट तथा अन्य सोशल मीडिया क्रीएटिब्स के साथ वाणिज्य भवन के लिए संवर्धन ए.वी का सृजन।



(v) बाजरा के भारतीय वर्ष के लिए ब्रांडिंग समर्थन

आईबीईएफ बाजरा के भारतीय वर्ष के लिए ब्रांडिंग समर्थन

प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। कृषि मंत्रालय के परामर्श से आईबीईएफ द्वारा ब्रांड अभियान के लिए फ्लायर तैयार किया गया था।



3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विशिष्ट निर्यात कार्यनीतियाँ

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बेहतर समन्वय प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित और प्रभावी समन्वय और संचार के लिए एक तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है।

नामित नोडल अधिकारी वाणिज्य विभाग से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क बिंदु हैं। नोडल अधिकारी समय-समय पर अपने आवंटित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करते हैं। वे अनिर्यात रणनीति के निर्माण/कार्यान्वयन और व्यापार के किसी भी मुद्दे या बाधाओं को दूर करने सहित विभिन्न व्यापार संबंधी मामलों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करते हैं।

वाणिज्य विभाग राज्य की ताकत के आकलन के आधार पर एक व्यापक निर्यात रणनीति तैयार करने में उनकी सहायता करके देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत और सहभागिता कर रहा है। राज्यों के साथ साझेदारी में निर्यात प्रदर्शन में सुधार के लिए, राज्यों से निर्यात क्षमता वाली वस्तुओं की पहचान करने का आग्रह किया गया है। राज्य की निर्यात रणनीति तैयार करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। अभी तक 24 राज्यों ने अपनी निर्यात रणनीतियां तैयार कर ली हैं। 07 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (बिहार, हरियाणा, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) की निर्यात रणनीतियों पर कार्रवाई की जा रही है।

अध्याय 6



वाणिज्यिक संबंध, व्यापार
समझौते और अंतराष्ट्रीय
व्यापार संगठन

1. पूर्वी एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

(i) परिचय

भारत ने 1991 में पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक जुड़ाव की दृष्टि से अपनी श्रृंखला की ओर देखो नीति की घोषणा की। 2014 में, नीति को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में अपग्रेड किया गया था जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आर्थिक सहयोग सामग्री का समाधान करने के लिए, आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस) देशों अर्थात् ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ एक सतत संवाद बनाए रखा गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिखर स्तर की संलिप्ताताओं, मंत्रिस्तरीय बैठकों और आधिकारिक स्तर की चर्चाओं का आयोजन किया जाता है।

(ii) व्यापार ढांचा

(क) आसियान के साथ समझौते

भारत और आसियान ने 13 अगस्त, 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के व्यापक ढांचे के अंतर्गत वस्तु व्यापार करार (एआईटीआईजीए) पर हस्ताक्षर किए। यह करार मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के संबंध में 01 जनवरी, 2010 को तथा अन्य आसियान देशों के मामले में 2010 और 2011 में अलग-अलग तारीखों पर लागू हुआ था। भारत और आसियान वर्तमान में एआईटीआईजीए की समीक्षा शुरू करने के लिए चर्चा कर रहे हैं ताकि इसे व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सरल और व्यापार सुविधाजनक बनाया जा सके, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

भारत और आसियान सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार समझौते और निवेश समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते 1 जुलाई 2015 से लागू हुए।

(ख) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

29 जून, 2005 को सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2005 से लागू हुआ। भारत-सिंगापुर सीईसीए की

पहली समीक्षा 1 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुई और दूसरी समीक्षा 1 जून 2018 को संपन्न हुई। भारत-सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। समीक्षा के दायरे को दोनों पक्षों के बीच अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत बाजार पहुंच और लाभ बढ़ाने के लिए सीईसीए में सेवा अनुसूची का विस्तार करना चाहता है।

(ग) भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

मलेशिया के साथ 18 फरवरी, 2011 को एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जुलाई, 2011 से लागू हुआ। सीईसीए के तहत, भारत और मलेशिया ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के तहत उनके द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं के अलावा अन्य प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

(घ) भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारत और थाईलैंड ने भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार करार स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर, 2003 को एक फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए। इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत एक प्रारंभिक फसल योजना है जिसमें पारस्परिक हित की 83 मदें शामिल हैं जिसके लिए दोनों पक्ष 1 सितंबर, 2006 तक 100 प्रतिशत कटौती के साथ चरणबद्ध तरीके से प्रशुल्क रियायतें देने पर सहमत हुए हैं।

(iii) हालिया व्यापार संबंधी गतिविधियाँ

(क) भारत-ब्रुनेई संयुक्त व्यापार समिति की दूसरी बैठक

भारत-ब्रुनेई संयुक्त व्यापार समिति की दूसरी बैठक 11.03.2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव (आसियान) ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारतीय पक्ष ने गोजातीय मांस और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए सुविधा, ऑटोमोबाइल प्रमाणन के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) की मान्यता फार्मा निर्यात, सेवा क्षेत्र में संभावित सहयोग आदि के मुद्दों को उठाया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश में उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा की।

(ख) प्रथम भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की बैठक

व्यापार और निवेश पर हाल ही में गठित भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की पहली बैठक 1 जुलाई 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

भारतीय पक्ष ने चीनी, डेयरी उत्पाद, मक्का, खली आदि जैसे कृषि उत्पादों और कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते को व्यापार बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान की और दवा और ऑटो क्षेत्रों में अधिक बी 2 बी सहयोग का सुझाव दिया।

(ग) वार्षिक आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों और आर्थिक मंत्रियों की बैठकें

आसियान सचिवालय द्वारा आयोजित 35 वीं और 36 वीं एसईओएम-भारत परामर्श (आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक) क्रमशः 10 जून 2022 (वर्चुअल) और 13 सितंबर 2022 (सिएम रीप, कंबोडिया) में आयोजित की गई थी। इसके बाद 16 सितंबर 2022 को सिएम रीप, कंबोडिया में 19 वीं आईएम-भारत परामर्श (आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक) आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल ने किया। मंत्रियों ने भारत और आसियान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की और

कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने और कोविड-19 के बाद स्थायी सुधार की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्रियों ने एआईटीआईजीए (आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता) की समीक्षा के दायरे का भी समर्थन किया।

(iv) आसियान व्यापार

वर्ष 2021-22 के दौरान आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 110.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर (पी)) के दौरान 79.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, गोजातीय मांस, जहाज, नाव और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और फार्मास्युटिकल उत्पाद शामिल हैं। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में वनस्पति तेल, कोयला, जैविक रसायन, कंप्यूटर हार्डवेयर और प्लास्टिक के कच्चे माल शामिल हैं।

आसियान क्षेत्र के लिए देश-वार व्यापार के आंकड़े

(मूल्य मिलियन यूएस\$ में)

क्र.सं.	देश	2021-22			2022-23 (अप्रैल-नवंबर) अनंतिम		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	43.16	394.44	437.6	46.72	185.52	232.24
2	कंबोडिया	198.37	94.88	293.25	145.94	75.42	221.36
3	इंडोनेशिया	8,473.49	17,702.83	26,176.32	6,745.53	21,482.00	28,227.53
4	लाओ पीडी आरपी	14.65	0.8	15.45	11.35	48.95	60.3
5	मलेशिया	6,995.06	12,424.20	19,419.26	4,918.88	8,944.42	13,863.29
6	म्यांमार	893.03	1,001.87	1,894.90	474.79	585.04	1,059.83
7	फिलिपींस	2,107.24	729.12	2,836.35	1,456.80	639.32	2,096.11
8	सिंगापुर	11,150.66	18,962.19	30,112.85	8,011.34	14,946.75	22,958.10
9	थाईलैंड	5,751.30	9,332.59	15,083.88	3,912.20	7,786.09	11,698.30
10	वियतनाम सोशल रिपब्लिक	6,702.80	7,438.52	14,141.31	3,717.69	5,951.83	9,669.53
	कुल आसियान	42,329.75	68,081.43	110,411.18	29,441.25	60,645.33	90,086.58
	भारत का योग	422,004.40	613,052.05	1,035,056.45	298,286.09	493,460.10	791,746.19
	भारत के कुल में शेयर का प्रतिशत	10.03	11.11	10.67	9.87	12.29	11.38

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

2. उत्तर पूर्व एशिया के साथ व्यापार

चीन, हांगकांग, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), जापान, ताइवान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया), मंगोलिया और मकाओ सहित उत्तर पूर्व एशिया (एनईए) क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 2021-22 के दौरान 201 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि है। एनईए क्षेत्र को निर्यात 2021-22 के दौरान 49.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.07 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस क्षेत्र से आयात 40.4 प्रतिशत बढ़कर 151.80 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

(i) एनईए क्षेत्र की कम्पोजिटी संरचना

एनईए क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम उत्पाद, समुद्री उत्पाद, जैविक रसायन शामिल हैं।

क्षेत्र से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक घटक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सहायक उपकरण, दूरसंचार उपकरण, जैविक रसायन, डेयरी उत्पादों के लिए औद्योगिक मशीनरी शामिल हैं।

(ii) 2021-22 के लिए निर्यात लक्ष्य

2021-22 के लिए एनईए क्षेत्र के लिए 46.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध उपलब्धि 48.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो निर्धारित लक्ष्य का 104 प्रतिशत थी।

(iii) व्यापार समझौते

(क) भारत-कोरिया सीईपीए

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर 7 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जनवरी, 2010 से लागू हुआ था। दोनों पक्षों ने 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए बातचीत शुरू की और अब तक उन्नयन वार्ता के नौ दौर आयोजित किए गए हैं, जिसका अंतिम दौर 3-4 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। वार्ता का 10वां दौर शीघ्र ही होने वाला है।

(ख) भारत-जापान सीईपीए

भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2011 को लागू हुआ था। सीईपीए के

संस्थागत तंत्र के तहत, 6 वीं संयुक्त समिति की बैठक 15 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। भारत-जापान सीईपीए के प्रावधानों के तहत, भारत ने जापान से दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ का पता लगाने के लिए समझौते की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।

(iv) हालिया व्यापार संबंधी गतिविधियाँ

(क) चीन

- ❖ 2021-22 के दौरान, चीन को निर्यात 21.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि आयात 94.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए एनईए प्रभाग द्वारा ईपीसी और बीजिंग में मिशन के परामर्श से नियमित प्रयास किए जा रहे हैं
- ❖ समुद्री उत्पादों के आयात के संबंध में जीएसीसी द्वारा किए गए कोविड-19 संबंधित उपायों को हल करने के लिए जीएसीसी के साथ निर्यात निरीक्षण परिषद, एम्पीडा और मिशन द्वारा कई बैठकें आयोजित की गई हैं।
- ❖ सीमा शुल्क चीन (जीएसीसी) के सामान्य प्रशासन द्वारा पेश किए गए नए नियम, अर्थात् आदेश संख्या 248 और 249 में 1 जनवरी 2022 से चीन को निर्यात करने से पहले खाद्य पदार्थों के निर्माताओं और उत्पादकों को जीएसीसी के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। नए नियमों के तहत लगभग 9,800 भारतीय प्रतिष्ठान पहले ही जीएसीसी के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। मिशन जीएसीसी की एकल खिड़की पंजीकरण प्रणाली के तहत पंजीकरण करने के लिए उद्यमों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।
- ❖ पिछले 40 वर्षों में 15 से कम स्वीकृतियों की तुलना में वर्ष 2021 में, भारतीय कंपनियों को 7-8 जेनेरिक दवाओं के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

(ख) कोरिया

- ❖ भारत और कोरिया ने 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए माल और उदगम के नियमों में टैरिफ को सुव्यवस्थित करने की संभावना का पता लगाने और सेवाओं, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की। आईकेसीईपीए उन्नयन वार्ता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दोनों देशों के मंत्रियों ने जनवरी 2022 में मुलाकात की और छह महीने में बाजार पहुंच के मुद्दों पर मूवमेंट के साथ-साथ उन्नयन वार्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया। 9वें दौर की वार्ता 3-4 नवंबर 2022 को सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी।

- ❖ कोरिया आरपी को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 72.5 प्रतिशत बढ़ा।

(ग) जापान

- ❖ 19 मार्च 2022 को, भारत-जापान सीईपीए में संशोधन किया गया था ताकि गैर-मूल योज्य के साथ भारत के मछली सुरीमी उत्पाद को भारत की मूल वस्तु के रूप में माना जा सके ताकि अधिमान्य टैरिफ पर जापान को इसके निर्यात की अनुमति दी जा सके।
- ❖ 19 मार्च 2022 को, भारत-जापान सीईपीए के अनुच्छेद 13 के अनुसार भारत और जापान के बीच कार्यान्वयन समझौते (आईए) के अनुच्छेद 7 (सूचना का आदान-प्रदान) में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- ❖ जापानी सेब के आयात और जापान को भारतीय आम के निर्यात की प्रक्रियाओं में छूट के लिए कार्य योजना पर भी भारत और जापान के संबंधित मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) ताइवान

- ❖ भारत और ताइवान व्यापार पर कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीटी) के संस्थागत तंत्र के तहत बैठकें करते हैं। अब तक, डब्ल्यूजीटी की 7 बैठकें हो चुकी हैं, 3 भारत में, 2 ताइवान में और 2 वर्चुअल मोड में। 7 वीं डब्ल्यूजीटी बैठक वस्तुतः 23 सितंबर 2022 को आयोजित की गई थी।
- ❖ 22 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित व्यापार सम्बंधी कार्य समूह (डब्ल्यूजीटी) की 6 वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा जैविक प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता के पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते को संचालित करने के लिए अब एपीडा और ताइवान कृषि और खाद्य एजेंसी के बीच कार्य स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं
- ❖ 18 मई 2022 को मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में एक आपसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

3. दक्षिण एशिया के साथ व्यापार

एफटी (दक्षिण एशिया) प्रभाग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान के संबंध में व्यापार संबंधी मुद्दों को देखता है।

(i) अफगानिस्तान

अफगानिस्तान और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत, व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित

मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) कार्य करता है। जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक अक्टूबर 2018 में काबुल में आयोजित की गई थी, जहां कई द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अगस्त 2021 से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के साथ व्यापार रुक गया और भारत मानवीय प्रेरणा के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहा है

(ii) बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते में बिना किसी तरजीही टैरिफ के व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार का प्रावधान है। तथापि, भारत ने शराब और तम्बाकू से संबंधित 25 लाइनों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश सहित सापटा के अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के सदस्यों को शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है।

दोनों देश एक संयुक्त अध्ययन के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को कवर करने वाले द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) में प्रवेश करने की संभावनाओं का पता लगाकर, भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम के गठन के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने, दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने आदि के माध्यम से व्यापार संबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं।

बांग्लादेश को भारत के निर्यात को उन मुद्दों की पहचान करके और हल करके सुविधाजनक बनाया जा रहा है जो इस तरह के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कनेक्टिविटी और सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी स्थानों से सभी बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच विनिर्दिष्ट प्राथमिकता वाले भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर नियमित बैठकों के माध्यम से अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए अवसंरचना संबंधी उप-समूह का गठन किया गया है। अक्टूबर 2019 से भारत से माल की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग पर समझौते के कार्यान्वयन से बांग्लादेश के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के व्यापार संबंधों में वृद्धि होने की भी उम्मीद है।

भारत और बांग्लादेश ने स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की पारंपरिक प्रणाली स्थापित

करके दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए सीमा हाट की स्थापना की है। चार स्थानों पर मौजूदा सीमा हाटों के अलावा, मेघालय में तीन और सीमा हाटों का उद्घाटन 27 मार्च 2021 को भारत के प्रधान मंत्री और बांग्लादेश के प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। वर्तमान में त्रिपुरा, मेघालय और असम में नौ स्थानों पर सीमा हाटों की स्थापना विकास के विभिन्न चरणों में है।

व्यापार पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 14 वीं बैठक 2-3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री विपुल बंसल ने किया और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नूर मोहम्मद महबूबुल हक, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, बांग्लादेश ने किया। बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा व्यापार अवसंरचना, निर्यात और बंदरगाह प्रतिबंधों और एलसीएस खोलने और अन्य विभिन्न मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

4 मार्च 2022 को नई दिल्ली में व्यापार और पारगमन मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक वाणिज्य सचिव स्तर की द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तत्कालीन सचिव श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने किया, जबकि बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव श्री तपन कांति घोष ने किया।

बांग्लादेश की सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 5-8 सितंबर 2022 तक भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 6 सितंबर, 2022 को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद सीमित बैठक की। यात्रा के दौरान, उन्होंने 7 सितंबर 2022 को भारतीय और बांग्लादेश व्यापार समुदायों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक व्यावसायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत और माननीय वाणिज्य मंत्री, बांग्लादेश के बीच 22 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रियों ने भारत-बांग्लादेश आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं और बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने, सीमा हाटों को फिर से खोलने, दोनों पक्षों के मानकों और प्रक्रियाओं के सामंजस्य और पारस्परिक मान्यता, भारतीय रुपये में व्यापार का निपटान, कनेक्टिविटी और व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक

भागीदारी समझौते (सीईपीए) के शीघ्र शुभारंभ पर भी चर्चा की गई।

(iii) भूटान

भारत और भूटान के बीच व्यापार में व्यापार को, वाणिज्य और पारगमन समझौते द्वारा शासित किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को निर्धारित करता है। भूटान से किसी भी उत्पाद के आयात या भूटान को निर्यात पर कोई मूल सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, व्यापार भारतीय रुपये और भूटानी मुद्रा (न्गलट्रम) में किया जाता है। यह समझौता भू-आबद्ध भूटान को तीसरे देशों के साथ अपने व्यापार और भारतीय क्षेत्र के माध्यम से भूटान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पारगमन सुविधाएं भी प्रदान करता है।

(iv) नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल व्यापार संधि द्वारा शासित होता है, जिसे अंतिम बार 27 अक्टूबर 2016 को सात साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। संधि के तहत, भारत ने तंबाकू, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शराब से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयातित लगभग सभी उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है। कुछ टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) नेपाल से चार उत्पादों, अर्थात् सब्जी वसा, एंक्रेलिक यार्न, तांबा उत्पादों और ज़िंक ऑक्साइड के आयात पर लागू होते हैं। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने पर सहमत हो गए हैं। भारत नेपाल को जाने वाले तीसरे देश के सामानों के पारगमन और अपने क्षेत्र के माध्यम से तीसरे देशों को नेपाली सामानों के निर्यात की भी अनुमति देता है, जो पारगमन की भारत-नेपाल संधि द्वारा शासित है। संधि के तहत, माल का पारगमन एक परिभाषित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट मार्गों के माध्यम से होता है।

द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार संबंधी मुद्दों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में वाणिज्य सचिव स्तर पर एक अंतर - सरकारी समिति (आईजीसी) कार्य करती है। आईजीसी के अलावा, एक अंतर - सरकारी उप - समिति (आईजीएससी) भी संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्य करती है।

भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के विकास सहित व्यापार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। रक्सौल और जोगबनी में आईसीपी पहले से ही चालू हैं और व्यापार की मात्रा सहित विभिन्न कारकों के आधार पर इस

तरह के विकास के लिए अन्य स्थानों की पहचान की गई है।

(v) श्रीलंका

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए) 1 मार्च, 2000 से प्रचालन में है। इस समझौते के तहत, दोनों देश एक-दूसरे की नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं को छोड़कर एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक-दूसरे से व्यापार शुल्क को समाप्त करने पर सहमत हुए। भारत ने लगभग सभी लाइनों को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है, और 429 उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। भारत द्वारा श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, शुष्क नारियल और वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन के आयात पर टैरिफ दर कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएफटीए के तहत, श्रीलंका ने 1,180 उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की है, जिन पर आईएसएफटीए के तहत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

(vi) ईरान

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ईरान में उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) काम कर रहा है। जेडब्ल्यूजी की पिछली बैठक में, दोनों पक्ष तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) के लिए पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए थे। वार्ता का पांचवां दौर 12-13 फरवरी 2020 के दौरान ईरान में आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारत - ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(vii) पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के समझौते के तहत होता है। हाल के दिनों में व्यापार संबंधी मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 200 प्रतिशत शुल्क लगाया है।

कुछ उत्पादों के निषेध की प्रकृति में प्रतिबंध और भारत से पाकिस्तान द्वारा उत्पादों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध पहले से ही लागू थे। अगस्त 2019 में, पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, पाकिस्तान द्वारा भारत से कुछ दवा उत्पादों

के आयात के लिए आंशिक छूट प्रदान की गई है।

(viii) मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते द्वारा सुगम बनाया गया है। समझौता दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई तरजीही शुल्क निर्धारित नहीं करता है, और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए केवल एक सुविधाजनक तंत्र है।

समझौते के प्रावधानों के तहत, भारत मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अधिसूचनाएं संसाधित की गईं और जुलाई 2021 में जारी की गईं।

4. अफ्रीका के साथ व्यापार

सब-सहारा अफ्रीका के साथ व्यापार

2021-22 के दौरान सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 74.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2020-21 में यह 46.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जहां 2020-21 में 22.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में एसएसए क्षेत्र में भारत का निर्यात 33.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं भारत का आयात 2020-21 में 23.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में 41.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में 24.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एसएसए क्षेत्र में भारत के निर्यात में अप्रैल-नवंबर 2021 में 21.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 34.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-नवंबर '2022 में 28.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि एसएसए क्षेत्र से भारत के आयात में इसी अवधि के दौरान 15.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (यानी अप्रैल-नवंबर 2021 में 25.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-नवंबर 2021 में 29.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

(i) भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए।

भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ।

सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। यह समझौता एक सीमित समझौता है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार, उत्पत्ति के

नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगे।

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात आइटम शामिल हैं। जहां तक सेवाओं के व्यापार का संबंध है, भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच होगी।

भारत और मॉरीशस ने भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के संशोधन द्वारा सामान्य आर्थिक सहयोग (जीईसी) अध्याय और स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (एटीएसएम) को शामिल करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को सूचित किया। संशोधित समझौता 1 अक्टूबर 2022 को प्रभावी हुआ।

भारत-मॉरीशस एचपीजेटीसी (भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अधिदेश के अनुसार गठित) का पहला सत्र 1-3 अगस्त 2022 को संयुक्त सचिव (अफ्रीका), वाणिज्य विभाग की सह-अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य आर्थिक सहयोग (जीईसी) अध्याय में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्रों और सीईसीपीए में स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र और जीईसी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाय टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) की वैधता अवधि का विस्तार पेशेवर निकायों, द्वारा योग्यता पर पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरएस) आदि।

(ii) भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए)

दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम यूनियन (एसएसीयू) 1910 में स्थापित दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संघ है जिसमें 5 देशों का एक समूह शामिल है अर्थात् बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, एस्वातिनी (स्वाजीलैंड) और दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2007-2010 के बीच अब तक पांच दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। 15 जुलाई 2020 को एक वर्चुअल वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। दोनों पक्ष भारत और एसएसीयू के बीच पीटीए पर बातचीत को जल्द बहाल करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष व्यापार और टैरिफ डेटा के आदान-प्रदान और पीटीए वार्ताओं के लिए संशोधित तौर-तरीकों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा पर भी सहमत हुए। पीटीए वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है।

(iii) भारत सेनेगल जेटीसी का पहला सत्र

भारत-सेनेगल संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र 5 मई 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव (अफ्रीका) ने किया था। दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

(iv) भारत घाना जेटीसी का तीसरा सत्र

भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का तीसरा सत्र 21 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव (अफ्रीका) की सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा, एसएमई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएपी), लेखा और वित्त सेवाएं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई।

(v) 17वां सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 19 और 20 जुलाई 2022 के दौरान नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी 'साझा भविष्य बनाना' पर सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव का 17 वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अफ्रीका के 41 देशों की सरकार और व्यवसायियों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विकास और ऊर्जा बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्टार्ट-अप, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, आईटी, कौशल विकास और वित्तीय साझेदारी सहित दस क्षेत्रीय सत्र शामिल थे। सम्मेलन में भारत के माननीय सीआईएम, विदेश मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और व्यवसायिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय राज्य मंत्री द्वारा गैबॉन और इथियोपिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक और निवेश संबंधों के सभी पहलुओं को कवर करते हुए उपयोगी चर्चाएं आयोजित की गईं।

(vi) अफ्रीका प्रभाग में भारतीय मिशन के साथ बैठक

वाणिज्य विभाग ने हितधारकों के परामर्श से चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एसएसए क्षेत्र में प्रत्येक देश के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए अफ्रीका में मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ आभासी बैठकें आयोजित की गईं। भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ आभासी व्यापार कार्यक्रमों के आयोजन/प्रचार, कारोबारी माहौल की समझ, आवश्यकताओं और उपलब्ध अवसरों में संलग्न होने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भी मिशनों को प्रोत्साहित किया गया।

5. पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) के साथ व्यापार

भारत और वाना क्षेत्र के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 में 215.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2021-22 में वाना क्षेत्र को भारत का निर्यात 60.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वाना क्षेत्र से आयात 155.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत से वाना क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण, लोहा और इस्पात, दूरसंचार उपकरण आदि शामिल हैं। कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, निर्मित उर्वरक, सोना आदि डब्ल्यूएनए क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, डब्ल्यूएनए क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 174.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना

में 36.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वाना क्षेत्र को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 37.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 28.69 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 47.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। डब्ल्यूएनए क्षेत्र से आयात वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 90.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 39.28 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 126.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(i) भारत-यूई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)

भारत-यूई सीईपीए, जिस पर 18 फरवरी 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री, महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, 1 मई 2022 से लागू हुआ। वाणिज्य विभाग ने उद्योग हितधारकों के बीच समझौते के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। नतीजतन, इस समझौते के तहत जारी किए गए अधिमान्य उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) की संख्या 415 (मई 2022) से बढ़कर 5140 (अक्टूबर 2022) हो गई है। साथ ही, इन सीओओ के तहत घोषित खेपों का मूल्य भी 133.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (मई 2022) से बढ़कर 1277.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अक्टूबर 2022) हो गया है। जून से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को गैर-तेल निर्यात में साल-दर-साल आधार पर 8% की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि के दौरान भारत की वैश्विक गैर-तेल निर्यात वृद्धि (-2%) से बेहतर थी।



केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूई के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरिज 18 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करते हुए।

(ii) भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता फिर से शुरू की जाएगी

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव महामहिम डॉ. नायेफ फलाह एम. अल-हजराफ ने 24 नवंबर 2022 को नई दिल्ली का दौरा किया और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने भारत और जीसीसी देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलुओं पर आपसी हित के सभी मामलों पर हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति का स्वागत किया है। आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, दोनों पक्षों ने भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के समापन के लिए बातचीत को

फिर से शुरू करने के इरादे की घोषणा की।

(iii) भागीदार देशों के साथ संस्थागत जुड़ाव

भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) का 10वां सत्र 11 मई, 2022 को नई दिल्ली में माननीय सीआईएम- श्री पीयूष गोयल और ओमान सलतनत के वाणिज्य और उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री महामहिम कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ की सह-अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने संभावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) और समझौतों की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्हें शीघ्रता से पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।



11 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और ओमान सलतनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री महामहिम कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ।

❖ भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल (एसपीसी) के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 18-19 सितंबर 2022 को एचसीआईएम के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के साथ रियाद में आयोजित की गई थी। मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, घटक संयुक्त कार्य समूहों द्वारा पहचाने गए द्विपक्षीय सहयोग के 40 से अधिक क्षेत्रों पर चर्चा की गई और व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

❖ व्यापार समिति का 5वां सत्र और 5वीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक 25-26 जुलाई 2022 को काहिरा में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

❖ एचआरएच प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान, ऊर्जा मंत्री, सऊदी अरब (21 अक्टूबर 2022) का दौरा और खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव महामहिम डॉ. नायेफ फलाह एम अल-हजराफ (24 नवंबर 2022) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(iv) वाना देशों में भारतीय मिशनो के सहयोग से व्यापार संवर्धन के प्रयास

❖ समग्र द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और विशेष रूप से भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए, वाना क्षेत्र में भारतीय मिशनो और संबंधित भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग निकायों, और वाणिज्य और उद्योग के शीर्ष मंडलों के साथ आवधिक डीवीसी आयोजित किए गए थे।

❖ वाना क्षेत्र में भारतीय मिशनों ने कई व्यापार संवर्धन उपाय किए, जिनमें व्यापार कार्यक्रमों की शृंखला, क्रेता-विक्रेता बैठकें, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय व्यवसायों की भागीदारी की सुविधा, व्यापार मिलान, विवाद निवारण आदि शामिल हैं।

6. लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन के साथ व्यापार

लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र व्यापार और व्यवसाय में महत्वपूर्ण संपूरकताओं और तालमेल के साथ भारत के लिए संभावित विकास बाजार के रूप में उभरा है। एलएसी क्षेत्र में 43 देश शामिल हैं। भारत लैटिन अमेरिका के शीर्ष दस वैश्विक निर्यात स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 2000-01 में 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 36.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एलएसी क्षेत्र भारत के वैश्विक व्यापार का 3.54 प्रतिशत है।

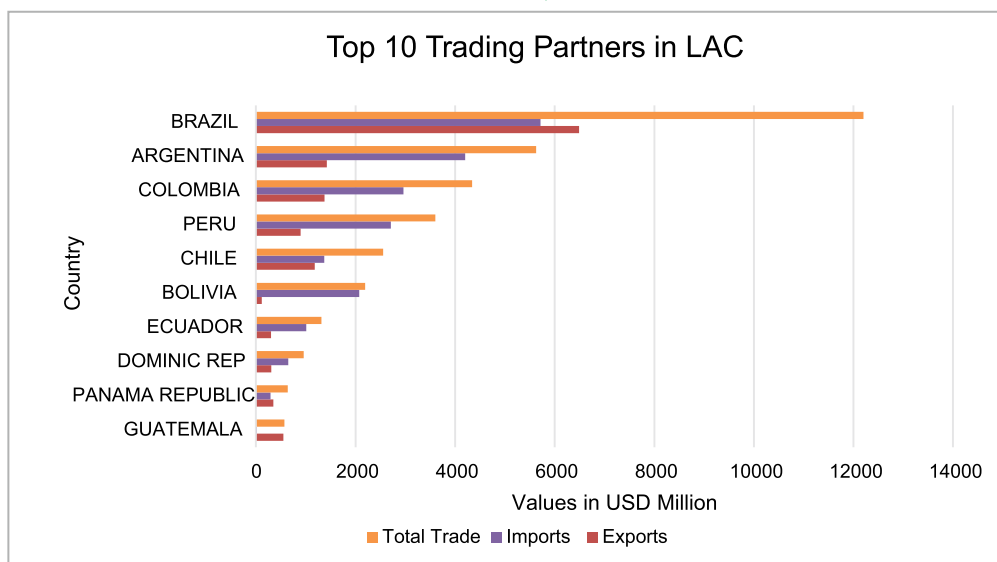
एलएसी क्षेत्र में 2021-22 के दौरान भारत का निर्यात 14.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 21.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि के संबंध में 2021-22 के दौरान एलएसी पर भारत के निर्यात में 47.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आयात 74.19 प्रतिशत बढ़ा है।

एलएसी के साथ भारत का व्यापार घाटा 2020-21 के दौरान अमेरिकी + (-) 2,375.18 मिलियन से बढ़कर 2021-22 के दौरान अमेरिकी + (-) 6,803.65 मिलियन हो गया है।

ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, चिली, बोलीविया, इक्वाडोर, डोमिनिक गणराज्य, पनामा गणराज्य और ग्वाटेमाला शीर्ष दस व्यापारिक भागीदार हैं। एलएसी क्षेत्र में भारतीय माल के सबसे बड़े आयातक ब्राजील (43.45%), अर्जेंटीना (9.55%), कोलंबिया (9.22%), चिली (7.91%), पेरू (6.01%), ग्वाटेमाला (3.70%), पनामा गणराज्य (2.33%), वेनेजुएला (2.24%), होंडुरास (2.13%) और डोमिनिक गणराज्य (2.08%) हैं।

एलएसी देशों से भारत का आयात कुछ अर्थव्यवस्थाओं के हाथों में अत्यधिक केंद्रित है। एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष आयात भागीदार ब्राजील (26.28%), अर्जेंटीना (19.33%), कोलंबिया (13.64%), पेरू (12.45%), बोलीविया (9.53%), चिली (6.31%), इक्वाडोर (4.66%), डोमिनिक गणराज्य (2.98%), पनामा गणराज्य (1.35%) और उरुग्वे (0.74%) हैं, जो एलएसी से भारत के कुल आयात का 97.27% है।

नीचे दिया गया ग्राफ एलएसी क्षेत्र के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों पर प्रकाश डालता है।



स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र में भारत का निर्यात विविधतापूर्ण है और इसमें तैयार उत्पादों जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि रसायन औषधि सूत्रोंय मोटर वाहन और कार दो और तीन पहिया वाहन लोहा और इस्पात, मानव निर्मित कपड़े, धागे, कपड़े और मेड-अप, सूती धागा ऑटो घटक पार्ट्स और डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी प्रमुख है। एलएसी क्षेत्र से भारत का आयात मुख्य रूप से वस्तुएं हैं जो हमारे उद्योगों के लिए इनपुट और कच्चे माल हैं और इसमें सोना, कच्चे पेट्रोलियम,

वनस्पति तेल, थोक खनिज और अयस्क, लकड़ी और इसके उत्पाद आदि शामिल हैं।

(i) एलएसी क्षेत्र के साथ जुड़ाव

व्यापार समझौते

वर्तमान में, भारत के एलएसी क्षेत्र में 2 तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) हैं:

❖ भारत-चिली पीटीए: भारत ने 08.03.2006 को चिली के साथ तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे पहली बार 16 मई 2017 से विस्तारित किया गया था। विस्तारित पीटीए के तहत, भारत ने चिली के लिए 178 से 1034 टैरिफ लाइन की पेशकश की वरीयता का मार्जिन बढ़ाया है। दूसरी ओर, चिली ने वरीयता के मार्जिन को पहले 296 से बढ़ाकर 1798 टैरिफ लाइन कर दिया है।

❖ भारत मर्कोसुर पीटीए: भारत ने मर्कोसुर (दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में मूल रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे का एक व्यापारिक ब्लॉक) के साथ तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जो 1 जून, 2009 से प्रभावी हुआ। पीटीए के तहत, भारत और मर्कोसुर ने एक दूसरे को क्रमशः 450 और 452 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस की पेशकश की है।

(ii) संस्थागत तंत्र

एलएसी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तंत्रों जैसे संयुक्त आर्थिक व्यापार समितियों, व्यापार निगरानी तंत्र, व्यवसाय विकास सहयोग की संयुक्त समिति और अधिमान्य व्यापार समझौतों के माध्यम से भागीदार देशों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

❖ भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको): भारत और कोस्टारिका के बीच आर्थिक सहयोग पर 2013 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे के भीतर, भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको) के लिए प्रोटोकॉल पर जून 2021 में हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य आपसी लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।

❖ भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम): टीएमएम की स्थापना अक्टूबर 2008 में आयोजित तीसरे आईबीएसए व्यापार शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत और ब्राजील के बीच आयोजित द्विपक्षीय बैठक के परिणामस्वरूप की गई थी। इसका उद्देश्य बाधाओं की पहचान करना और द्विपक्षीय व्यापार के लिए परिचालन/टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए उचित उपाय करना है। अब तक टीएमएम की पांच बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें अंतिम बैठक 24 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी।

❖ भारतीय-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी): भारत और अर्जेंटीना के बीच 1981 में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते के अनुच्छेद XI में संयुक्त व्यापार समिति के सृजन का उल्लेख है। जेटीसी की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक 20 अक्टूबर 2020 को हुई थी।

❖ भारत-इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको): भारत और इक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग पर 2013 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे के भीतर जेटको की स्थापना 2015 में पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। जेटको की पहली बैठक 17 मई 2017 को हुई थी।

❖ व्यापार विकास सहयोग की भारत-कोलंबिया संयुक्त समिति (जेसीबीडीसी): व्यवसाय विकास सहयोग पर भारत-कोलंबिया संयुक्त समिति (जेबीडीसी) का गठन 30 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षरित व्यापार विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन की भावना से किया गया था। अब तक जेसीबीडीसी की 3 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतिम बैठक 19 मई 2017 को आयोजित की गई थी।

(iii) चल रही पहलें

❖ भारत-चिली पीटीए और इसका दूसरा विस्तार: भारत-चिली पीटीए पर 8 मार्च 2006 को हस्ताक्षर किए गए और 16 मई 2017 से इसका पहला विस्तार किया गया है। दोनों पक्ष भारत-चिली पीटीए के दूसरे विस्तार के लिए सहमत हुए हैं। पीटीए पर आगे विस्तार और गहराई के लिए बातचीत 2019 में शुरू की गई थी। दूसरे और तीसरे दौर की वार्ता क्रमशः 8-9 अप्रैल 2021 और 6-7 अक्टूबर 2021 के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।

❖ भारत-पेरु व्यापार समझौता: भारत-पेरु के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है जिसमें माल, सेवाओं और निवेश में व्यापार शामिल है। अब तक, वार्ता के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और अंतिम दौर 20-22 अगस्त 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत-पेरु व्यापार वार्ता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए 20 जुलाई 2021 को पेरु के मुख्य वार्ताकार के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी।

(iv) वर्तमान पहल

❖ भारतीय दूतावास के साथ वर्चुअल बैठक- एलएसी क्षेत्र में भारतीय दूतावास के साथ वर्चुअल बैठक फरवरी-मार्च 2022 में आयोजित की गई थी ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलने, व्यापार टोकरी का विस्तार करने, व्यापार गतिशीलता में हालिया बदलावों का उपयोग करने और एलएसी देशों में नए व्यापार समझौतों ६ मौजूदा व्यापार समझौतों के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रणनीति तैयार की

जा सके। 2022-23 के दौरान 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एलएसी देशों में प्रचलित मुद्दों का जायजा लेने के लिए 14 और 18 अक्टूबर 2022 को भारतीय राजदूतों के साथ भारतीय दूतावास में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

❖ ईओआई, व्यापार निकायों/ईपीसी और कमोडिटी बोर्डों के साथ आभासी बैठक – '2023 में भारत-एलएसी व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए निर्यात और रणनीति की समीक्षा' पर बैठक श्री आकाश तनेजा, अपर डीजीएफटी, एफटी (एलएसी) डिवीजन, वाणिज्य विभाग और श्री जीवी श्रीनिवास, अपर सचिव (एलएसी), विदेश मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में 01.12.2022 को आयोजित की गई थी।

❖ निर्यात उपलब्धि— अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के लिए, भारत ने एलएसी क्षेत्र के लिए 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के मुकाबले 12.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर (70 प्रतिशत) का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है।

❖ भारत— मर्कोसुर पीटीए का सीमित विस्तार

❖ भारत द्वारा 4 अप्रैल 2022 को भारत— मर्कोसुर पीटीए के

सीमित विस्तार के लिए मर्कोसुर को ऑटो और फार्मा पर अनुबंध की संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के साथ और भारत के हित की 20 टैरिफ लाइनों वाली इच्छा-सूची साझा की गई है।

❖ भारत— मर्कोसुर दोनों पीटीए का विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि दोनों पक्षों के लिए संपूरकताओं का पता लगाने और द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से लाभ के लिए पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है।

7. स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में रूसी संघ, आर्मेनिया गणराज्य, अजरबैजान गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, जॉर्जिया, मोल्दोवा, यूक्रेन गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य शामिल हैं।

इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

सीआईएस के साथ व्यापार

(मूल्य यूएस\$ मिलियन में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार का % विकास	व्यापार का संतुलन
2016-17	2793.95	9322.76	12116.7	27.95	(-)6528.83
2017-18	3007.37	12875.6	15883	31.08	(-)9868.24
2018-19	3467.04	9442.97	12910	-18.72	(-)5975.93
2019-20	4191.84	11916.5	16108.4	24.77	(-)7724.67
2021-22	4708.49	14020.8	18729.28	16.28	(-)9312.3
अप्रैल-सितंबर 2022-23 (पी)	2115.08	22365.2	24480.24	-----	(-) 20,250.08

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता पी: अनंतिम

सीआईएस क्षेत्र की 2022-23 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान भारत के कुल निर्यात में 0.91 प्रतिशत और इसके कुल आयात में 5.88 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

सीआईएस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्युटिकल उत्पाद, विद्युत मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, कार्बनिक रसायन, कॉफी, चाय और मसाले, लोहा और इस्पात, रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, रासायनिक उत्पाद, मछली और क्रस्टेशियन और मांस शामिल हैं। सीआईएस क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं खनिज ईंधन और

तेल, पशु या वनस्पति वसा और तेल, प्राकृतिक या परिष्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, उर्वरक, कागज और पेपरबोर्ड, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात, अकार्बनिक रसायन, नमक, अयस्क और स्लैग और राख हैं।

(i) रूसी संघ

पूर्व यूएसएसआर के एक बड़े हिस्से का गठन करने वाला रूसी संघ, 2022-23 (अप्रैल-सितंबर) में सीआईएस में साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 92.49 प्रतिशत हिस्सा लेकर इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। विदेश मंत्रालय भारत और रूसी संघ के बीच

अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत और रूसी संघ में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह के साथ-साथ व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं के उन्मूलन पर एक उप-कार्य समूह है जिसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग करता है।

(ii) मध्य एशियाई गणराज्य

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान मध्य एशियाई गणराज्य का गठन करते हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) क्रमशः किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) और संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय तुर्कमेनिस्तान के साथ आईजीसी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कजाकिस्तान के साथ आईजीसी की देखभाल करता है।

(iii) अन्य सीआईएस देश

आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन इस समूह का निर्माण करते हैं। रूस के बाद, अजरबैजान सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो 2022-23 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.21 प्रतिशत है।

वाणिज्य विभाग अजरबैजान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) बेलारूस के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय आर्मेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। मोल्दोवा के साथ एक नया आईजीसी गठित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है।

(iv) सीआईएस क्षेत्र में प्रमुख पहलें

❖ यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत की शुरुआत रू ईईयू में पाँच देश शामिल हैं रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। 13 अक्टूबर 2020 को दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों के बीच भारत और ईईयू के बीच माल में व्यापार समझौते के लिए निषेधक पहले दौर के दृष्टिकोण और एजेंडे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, संदर्भ की शर्तों की विभिन्न रूपरेखाओं

पर चर्चा करने के लिए 14 जनवरी 2022 और 21 फरवरी 2022 को बैठकें आयोजित की गईं।

❖ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी): आईएनएसटीसी परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने और मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत, रूस और ईरान द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग से माल भेजते समय परिवहन लागत में 30 प्रतिशत और दूरी में 40 प्रतिशत की कमी आएगी। आईएनएसटीसी समन्वय परिषद की 7वीं बैठक 4-5 मार्च 2019 को तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें सीमा शुल्क, शिपिंग, सड़क परिवहन, बैंकिंग और बीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों के बीच टीआईआर और ई-टीआईआर तंत्र का उपयोग करने, कॉरिडोर के साथ एक नया परीक्षण करने और कार्गो की परेशानी मुक्त आवाजाही प्रदान करने के लिए मल्टी मॉडल संयुक्त कॉर्पोरेट स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया। सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी परियोजना में शामिल करने और बाकू में होने वाली अगली आईएनएसटीसी बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करने के लिए सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

❖ जॉर्जिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की शुरुआत : भारत और जॉर्जिया के बीच एफटीए की व्यवहार्यता पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) रिपोर्ट अगस्त 2018 में पूरी हो गई है। जेएफएस रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है और 11 जनवरी 2019 में एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने के लिए संयुक्त रूप से एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

❖ उज्बेकिस्तान के साथ पीटीए के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस): भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच पीटीए की क्षमता का पता लगाने के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) शुरू करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर 25 सितंबर 2019 को ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। जेएफएस ने 6 अगस्त 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि दोनों देशों के बीच माल में एक अधिमानी व्यापार समझौता होना चाहिए। जेएफएस की सिफारिशों की जांच के बाद, पीटीए शुरू करने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।

8. उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) देशों के साथ व्यापार

(क) यूएसए

- ❖ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अमेरिका को भारत का निर्यात 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर है, जिसमें पहले आठ महीनों में 53.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। यूएस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है।
- ❖ एफटी (नाफ्टा) डिवीजन और संबंधित मिशन और पोस्ट नियमित रूप से व्यापार और वाणिज्यिक मामलों पर अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत करते हैं। इनमें यूएसटीआर के साथ भारत-यूएस व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ), वाणिज्य विभाग के साथ भारत-यूएस सीईओ फोरम और वाणिज्यिक संवाद, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा शामिल है। नवंबर 2022 में सीआईएम और अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा संशोधित भारत-यूएस सीईओ फोरम का शुभारंभ किया गया था।
- ❖ व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) समय-समय पर बकाया व्यापार मुद्दों को हल करने में द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ है। इसकी सालाना बैठक आयोजित की जाती है, जिसकी सह-अध्यक्षता एचसीआईएम और यूएसटीआर द्वारा की जाती है। कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं और निवेश और बौद्धिक संपदा पर कार्य समूहों (डब्ल्यूजी) के आसपास चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं।
- ❖ चार साल के अंतराल के बाद नवंबर 2021 में नई दिल्ली में टीपीएफ के पुनरु लॉन्च के बाद कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा पर टीपीएफ कार्य समूहों को फिर से सक्रिय किया गया। अधिकांश डब्ल्यूजी की वर्चुअल बैठकें हुईं और डब्ल्यूटीओ विवादों आदि जैसे मुद्दों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। 13 वीं मंत्रिस्तरीय टीपीएफ बैठक अमेरिका में 2023 की शुरुआत में होने की उम्मीद है और दोनों पक्ष इसके लिए पर्याप्त एजेंडा प्राप्त करने पर काम कर रहे हैं।
- ❖ निर्यात संवर्धन और निवेश के लिए, मिशन और पोस्ट नियमित रूप से क्रेता-विक्रेता बैठकें, जागरूकता निर्माण सत्र आयोजित करते हैं और सीआईआई और फिक्की के

व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं की सुविधा प्रदान करते हैं, अमेरिकी अधिकारियों और भारत में उद्योग यात्राओं का समन्वय करते हैं (उदा. एसआईए, ओरान कंपनियाँ) और सीईओ स्तर पर जुड़ाव की सुविधा प्रदान करती हैं। पिछले छह महीनों में मिशन द्वारा विभिन्न स्तरों पर ऐसी 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

- ❖ मिशन व्यापार और वाणिज्यिक मोर्चे पर विभिन्न नीतिगत विकासों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करता है और पिछले छह महीनों में भारत सरकार को ऐसी 25 से अधिक रिपोर्टें भेज चुका है। टीवीपीआरए सूची से भारतीय उत्पादों को हटाने के लिए मिशन श्रम विभाग के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और इस संबंध में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा को सुगम बनाया है। मिशन एंटी-डंपिंग/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मामलों पर भी नियमित रूप से रिपोर्ट करता है जो यूएसआईटीसी द्वारा प्रशासित होते हैं।

(ख) कनाडा

- ❖ कनाडा को भारतीय निर्यात 2022-23 के लिए 3.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है, जिसमें पहले आठ महीनों में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किए गए हैं। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत में कनाडा से कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ❖ डीओसी और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में मिशन ने कनाडा के लिए परिष्कृत बाजार विश्लेषण प्रदान करने के लिए लगातार काम किया है और भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर प्रदान करने में मदद की है। मिशन द्वारा प्राप्त और भारतीय निर्यातकों को प्रदान की गई कनाडा में व्यवसाय करने की मार्गदर्शिका अत्यधिक सफल रही है। मिशन ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए 64 व्यापार और निवेश गतिविधियों जैसे व्यापारिक गोलमेज, वाणिज्यिक बैठकें और अन्य नेटवर्किंग का आयोजन और भाग लिया है, जिसके लिए डीओसी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी।
- ❖ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के अनुरूप, मिशन वाणिज्यिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पर विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित करके भारतीय बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रचार गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
- ❖ भारत में कनाडा का पोर्टफोलियो निवेश पिछले सात वर्षों में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। मिशन

कनाडा में संभावित निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है और निवेशकों के साथ आगे जुड़ने के लिए निवेशकों को इन्वेस्ट इंडिया टीम में तुरंत पुनर्निर्देशित करता है।

- ❖ भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश (एमडीटीआई) पर पांचवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता एक बड़ी सफलता थी क्योंकि औपचारिक रूप से भारत-कनाडा

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति हुई थी। दोनों पक्ष एक अंतरिम समझौते या अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (ईपीटीए) पर विचार करने के लिए सहमत हुए, जिसे सीईपीए की दिशा में एक संक्रमणकालीन कदम के रूप में जल्द ही संपन्न किया जा सकता है।



केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5वीं भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए माननीय मैरी एनजी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री, कनाडा सरकार से मुलाकात की

- ❖ विमानन क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए, मॉन्ट्रियल में भारतीय उच्चायोग, ओटावा और कनाडा-भारत व्यापार परिषद (सी-आईबीसी) ने संयुक्त रूप से प्रमुख विमानन कंपनियों और पेंशन फंड प्रबंधकों के साथ एक कार्यकारी सत्र का आयोजन किया जिसमें माननीय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री (एमओसीए), श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भाग लिया। यह मिशन की श्रमेक इन इंडिया पहल का हिस्सा था जिसमें कनाडा की कंपनियों का वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक में निवेश करने और भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का स्वागत किया गया था।
- ❖ पिछले वित्तीय वर्ष में आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य और स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मिशन और पोस्ट ने मेक इन इंडिया थीम वाले क्षेत्र विशिष्ट सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की। मिशन उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2023 को बढ़ावा देने के लिए

मॉन्ट्रियल में एक निवेश सम्मेलनधनिवेश रोड शो आयोजित करने के लिए भी काम कर रहा है।

- ❖ कोविड-19 के प्रभाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण द्वारा बनाए गए अवसरों को समझते हुए, मिशन सक्रिय रूप से कनाडा के व्यवसायों तक पहुंच बना रहा है और उन्हें भारत में विनिर्माण अवसरों का पता लगाने का निर्देश दिया है। कनाडाई कंपनियों के लिए किफायती आईटी समर्थन की बढ़ती आवश्यकता और इस क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी ताकत को स्वीकार करते हुए, मिशन कनाडा में भारतीय आईटी कंपनियों के विस्तार का समर्थन करना जारी रखता है। अंत में, मिशन ने कनाडा के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रुझानों और स्थानीय उपस्थिति की अपनी गहरी समझ का लाभ उठाया है ताकि हमारे निर्यात घरों और निर्यात संवर्धन परिषदों को उपयोग किए गए संसाधनों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए परिष्कृत अभियान तैयार करने में सहायता मिल सके।

(ग) मेक्सिको

3टीएस को बढ़ावा देना: महामारी के समय में व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी

- ❖ मेक्सिको को भारतीय निर्यात 2022-23 के लिए 4.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने के रास्ते पर है, जिसमें पहले आठ महीनों में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत में मेक्सिको से कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 0.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ❖ व्यापार के मोर्चे पर, यह मिशन विभिन्न व्यापार और निवेश संवर्धन कार्यक्रमों में दोनों, संगठित और भाग लेना जारी रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश के अवसरों और आयोजित किए जा रहे व्यापार मेलों के बारे में जानकारी का तुरंत प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया और प्रेस के प्रभावी उपयोग का उपयोग किया गया है।
- ❖ प्रमुख बीएसएम भारतीय व्यवसायों और कंपनियों की भागीदारी का समर्थन करने के लिए आयोजित किए गए थे।
- ❖ मिशन ने मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार इकाई के साथ भारतीय मूल के कई उत्पादों पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क के मामले को उठाया है।
- ❖ मिशन एसपीएस और टीबीटी को हटाकर भारत से कृषि, डेयरी और मांस उत्पाद के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए मेक्सिको के कृषि मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।
- ❖ समझौता ज्ञापनों पर बातचीत करके फार्मास्यूटिकल्स और टीकों में भारत की ताकत को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है।

❖ पर्यटन के मोर्चे पर, भारतीय राज्यों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मेगा पर्यटन कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पर्यटन के साथ-साथ योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी व्यापक प्रयास किए गए हैं।

❖ प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, सीएसआईआर और एएमईएक्ससीआईडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने हैं। मिशन ने दोनों देशों के बीच अकादमिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मिशन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद के क्षेत्र में पीठ स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है।

9. ओशिनिया क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओशिनिया) डिवीजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तिमोर-लिस्टे और प्रशांत द्वीप समूह देशों (फिजी, किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, वानुअतु आदि) के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित है।

ओशिनिया क्षेत्र में भारत की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियाँ

(क) ऑस्ट्रेलिया

❖ हाल के वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर भारत की बढ़ती आर्थिक प्रोफाइल और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए व्यावसायिक प्रासंगिकता को मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और दोनों देश रचनात्मकता के लिए चार राष्ट्र क्यूयूएडी त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल (एससीआरआई) और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम (आईपीईएफ) का हिस्सा हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार डेटा (2022 में)

(मूल्य यूएस\$ मिलियन में)

	वस्तुएं*	सेवाएं **	कुल
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात	8283.1	4284.1	12567.2
ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात	16756.2	1846.7	18602.9
कुल	25039.3	6130.8	31170.1
घाटा/अधिशेष	-8473.1	2437.4	-6035.7

* वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डीजीसीआई एंड एस के अनुसार माल डेटा

** आरबीआई

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (‘इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए’)

(क) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (‘इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए’) पर भारत के

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री श्री दान तेहान एमपी द्वारा भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन की आभासी उपस्थिति में 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे



(ख) इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए 29 दिसंबर 2022 को प्रभाव में आया, जिससे माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि और कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक प्रवेश द्वार खुल गया। दोनों देशों में व्यापार पूरकताएं हैं। उम्मीद है कि इस समझौते के लागू होने से वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे रोजगार के नए

अवसर पैदा होंगे और साथ ही दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और भरोसे की गहराई को दर्शाता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से मौजूद करीबी और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा।



(ग) इंड –ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, जो कि एक दशक से अधिक समय में एक विकसित राष्ट्र के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए भारत को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें 98.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनें तत्काल शुल्क-मुक्त होंगी। पहुँच। यह उम्मीद की जाती है कि इस समझौते के साथ, भारतीय व्यवसायों को कई उत्पाद लाइनों में बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होगी, विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और जूते, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, चिकित्सा उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में। यह निश्चित रूप से हमारे पहले से ही विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए एक अतिरिक्त तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा। जहां तक सेवाओं में व्यापार का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के हित के प्रमुख क्षेत्रों जैसे शेफ और योग शिक्षकों के लिए कोटाय 2-4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। पारस्परिक आधार पर भारतीय छात्रों के लिए पेशेवर सेवाओं की पारस्परिक मान्यता और युवा पेशेवरों के लिए कार्य और अवकाश वीजा व्यवस्था। कुल मिलाकर, यह उम्मीद की जाती है कि इस समझौते के साथ, कुल द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 31 अरब अमेरिकी डॉलर से 5 साल में 45-50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। 2026-27 तक भारत का पण्य निर्यात 10 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है, और एक बार

लागू होने के बाद अगले 5 वर्षों में 10 लाख का अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की संभावना है और इससे दोनों पक्षों के बीच छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों की गतिशीलता बढ़ेगी और लोगों को— लोग दोनों देशों के बीच संबंध रखते हैं। इसके अलावा, आईटी/आईटीईएस से संबंधित दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत लंबे समय से लंबित मुद्दे को इस समझौते के तहत सुलझा लिया गया है, जो उद्योग संघों के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय बचत प्रदान करेगा।

इंड –ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के प्रावधानों के अनुसार, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की बातचीत के लिए स्कोपिंग दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए एक-दूसरे से चर्चा कर रहे हैं।

(ख) न्यूजीलैंड

भारत और न्यूजीलैंड (न्यूजीलैंड) के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जिनकी जड़ें राष्ट्रमंडल, संसदीय लोकतंत्र और अंग्रेजी भाषा के संबंधों में हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1952 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 2011 में अधिसूचित अपनी षोपनिंग डोर्स टू इंडिया नीति में भारत को एक प्राथमिकता वाले देश के रूप में पहचाना है जिसे 2015 में न्यूजीलैंड द्वारा दोहराया गया था।

न्यूजीलैंड के साथ व्यापार डेटा (2022 में)

(यू \$ मिलियन में मूल्य)

	वस्तुएं*	सेवाएं	कुल व्यापार
न्यूजीलैंड को भारत का निर्यात	487.2	257.4	744.6
न्यूजीलैंड से भारत का आयात	374.8	172.1	547
कुल व्यापार	862	429.5	1291.7
आधिक्य	112.4	85.3	197.7

* वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार माल डेटा

भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी)

दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक वार्ता की रूपरेखा पर चर्चा करना था। सृजित उद्देश्य के लिए संस्थागत मशीनरी संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) थी। भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 10 वीं बैठक 24 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, नवीकरणीय जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाने के उपाय किए

गए थे। ऊर्जा और सेवाएं। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में बाजार पहुंच और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें समय पर और प्रभावी तरीके से हल करने का निर्णय लिया।

20 सितंबर 2022 भारत और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित एक बाद की द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में, आपसी हित के प्रासंगिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए कुछ समूह बनाने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों के अधिकारी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।



(ग) फिजी

भारत फिजी का प्रतिबद्ध विकास भागीदार है। भारतीय सहायता भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रमों के तहत मानव संसाधन विकास और

प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई है। हर साल फिजी के नागरिकों को कई आईटीईसी स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। जब भी आवश्यकता होती है, भारत समय-समय पर मानवीय और आपदा राहत सहायता प्रदान करता है।

व्यापार डेटा

(मूल्य यूएस\$ मिलियन में)

	चीजें*	सेवाएं	कुल व्यापार
फिजी को भारत का निर्यात	5.8	8.4	14.2
फिजी से भारत का आयात	0.5	1.5	2.0
कुल	6.3	9.9	16.2
घाटा/अधिशेष	5.3	6.9	12.2

* वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार माल डेटा सेवाओं के आंकड़े आरबीआई से लिए गए हैं

एमएआई सहायता के साथ एक्सपो क्रेता विक्रेता बैठक

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई), परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) द्वारा एक्सपो/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। फार्मेक्सिल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में

विभिन्न स्थानों पर। इनसे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने और इन देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों में वृद्धि होने की संभावना है।

10. यूरोप के साथ व्यापार

एफटी-यूरोप डिवीजन यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों से संबंधित है:

क्र.सं.	क्षेत्र और देशों की संख्या	देशों के नाम
1.	यूरोपीय संघ (ईयू) (27)	ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन।
2.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4)	आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
3.	अन्य यूरोपीय देश (7)	अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, उत्तर मैसेडोनिया, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम।

2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, यूरोप के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 122.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। यूरोप में निर्यात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 52.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 17.94 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 61.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूरोप से आयात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 58.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.95 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 60.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(क) यूरोपीय संघ (ईयू)

27 देशों के समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, यूरोपीय संघ के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 85.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.87: की वृद्धि दर्ज करता है। यूरोपीय संघ को निर्यात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 39.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20.20: बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 47.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूरोपीय संघ से आयात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 33.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 15.01: बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 38.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

यूरोपीय संघ पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा के लिए कठोर स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक (एसपीएस) उपायों, तकनीकी मानकों और नियमों को बनाए रखता है। खाद्य पदार्थों और अन्य कृषि उत्पादों आदि में कीटनाशकों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित कठोर अवशेष सीमा कभी-कभी भारत के निर्यात में अनावश्यक बाधाएँ पैदा करती है। भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले ऐसे बाजार पहुंच मुद्दों को नियमित रूप से एफटी (यूरोप) डिवीजन द्वारा यूरोपीय संघ के साथ या उचित बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से उठाया जाता है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते

❖ भारत ने 9 साल के अंतराल के बाद जून 2022 में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू की है। इससे पहले, भारत और यूरोपीय संघ ने 2007 से 2013 तक एक व्यापक-आधारित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर बातचीत की थी और 2013 तक 16 दौर की बातचीत हुई थी। फिर से शुरू की गई वार्ता में, निवेश पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा स्टैण्ड-अलोन संरक्षण समझौता के रूप में बातचीत की जा

रही है। इसी तरह, भौगोलिक संकेतकों के विषय पर भी अब डीपीआईआईटी द्वारा एक अलग समझौते के रूप में बातचीत की जा रही है।

❖ जून 2022 में तीन समझौतों के लिए वार्ता की औपचारिक शुरुआत के बाद, वार्ता के तीन दौर जून 2022, अक्टूबर 2022 और नवंबर/दिसंबर 2022 में आयोजित किए गए हैं। अगला दौर मार्च 2023 में निर्धारित किया गया है।

(ख) यूके

यूके यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान यूके के साथ द्विपक्षीय व्यापार 14.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। यूके को निर्यात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 6.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 8.03 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 7.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूके से आयात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 4.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 57.22 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 6.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता

(क) भारत-यूके एफटीए वार्ता की शुरुआत 13 जनवरी 2022 को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा यूके के विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान हुई थी। एफटीए वार्ता 26 नीति क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। अब तक छह दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें अंतिम दौर 12 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था।

(ग) यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)

ईएफटीए ट्रेड ब्लॉक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, मूज के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 13.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है, जो कि 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ईएफटीए को निर्यात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 1.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10.62 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 1.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ईएफटीए से आयात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 19.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 34.70 प्रतिशत घटकर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 12.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

भारत-ईएफटीए वार्ता

❖ भारत और ईएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर एक वार्ता शुरू की थी। बातचीत 14 ट्रैक/अध्यायों में आयोजित की जा रही है, जो दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक 17 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें अंतिम दौर 18-21 सितंबर 2017 के दौरान आयोजित किया गया था। इसके बाद, मुख्य वार्ताकारों के स्तर पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है और मतभेदों को दूर करने और एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए बकाया ट्रैक पर संबंधित ट्रैक लीड्स आयोजित किए जा रहे हैं।

❖ मुख्य वार्ताकार के बीच आखिरी बातचीत 15 सितंबर 2022 को बातचीत के लिए आगे की राह पर चर्चा करने के लिए हुई थी, इसके बाद 4 अक्टूबर 2022 को मंत्री स्तर पर चर्चा हुई थी। दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ईएफटीए के साथ एक संतुलित और परस्पर लाभकारी समझौते के लिए प्रतिबद्ध है।

(घ) अन्य यूरोपीय देश

2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, अन्य छह यूरोपीय देशों यानी अल्बानिया, बोस्निया-हर्जगोविना, उत्तर मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और तुर्की के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 8.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 35.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। इन यूरोपीय देशों को निर्यात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 5.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14.65 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 6.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह, आयात 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में 1.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 116.86 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 2.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ड.) संस्थागत तंत्र

कई यूरोपीय देशों जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम-लक्समबर्ग, बोस्निया और हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ के साथ संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

वर्ष 2022-23 (अप्रैल-दिसंबर, 2022) में निम्नलिखित संयुक्त आयोगों की बैठकें हुई हैं:

क्र सं.	विषय	तारीख
1	भारत-यूनान जेईसी का 8वां सत्र	15 अप्रैल 2022
2	भारत-फिनलैंड जेईसी का 20वां सत्र	2-3 जून 2022
3	भारत-क्रोएशिया जेईसी का दूसरा सत्र	13 अक्टूबर 2022
4	भारत-नॉर्वे डीटीआई का दूसरा सत्र	20-21 दिसंबर 2022

(च) अन्य द्विपक्षीय अनुबंध (मंत्रिस्तरीय स्तर पर)

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने:

- ❖ 19 अप्रैल 2022 को फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री महामहिम फ्रैंक रिस्टर के साथ द्विपक्षीय आभासी बातचीत।
- ❖ 19 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री मिका लिंटिला के साथ द्विपक्षीय बैठक।
- ❖ 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में स्वीडिश विदेश मंत्री सुश्री अन्ना हालबर्ग के साथ द्विपक्षीय बैठक।
- ❖ 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्री श्री जिविन्यू राव के साथ द्विपक्षीय बैठक।

- ❖ 4 मई 2022 को सुश्री ऐनी-मैरी ट्रेवेलियन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव, यूके के साथ आभासी बैठक।
- ❖ 6 मई 2022 को नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री, महामहिम लुइगी डि मायो के साथ द्विपक्षीय बैठक।
- ❖ 26 और 27 मई को लंदन, यूके में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यूके और बिजनेस कम्युनिटी के लिए राज्य सचिव सुश्री ऐनी-मैरी ट्रेवेलियन के साथ बैठक।
- ❖ 17 जून 2022 को यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वैलिड डॉब्रोव्स्की के साथ द्विपक्षीय बैठक।
- ❖ 23 सितंबर 2022 को जी-20 टीआईएमएम के दौरान बाली में विदेश व्यापार मंत्री, फ्रांस के श्री ओलिवर बेख्त के साथ बैठक।

- ❖ 23 सितंबर 2022 को स्पेन के उद्योग, व्यापार और पर्यटन मंत्री सुश्री मारिया रेयेस मारोटोइलेरा के साथ जी-20 टीआईएमएम के दौरान बाली में बैठक।
- ❖ 18 मई 2022 (दावोस), 4 अक्टूबर 2022 (एन. दिल्ली) और 6 दिसंबर 2022 (आभासी) को स्विस् फेडरल काउंसिलर श्री गाइ परमेलिन के साथ द्विपक्षीय बैठक।

- ❖ 26 सितंबर 2022, 10 अक्टूबर 2022, 4 नवंबर 2022 को एसओएस सुश्री केमी बडेनोच के साथ आभासी बैठक
- ❖ 13 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में एसओएस सुश्री केमी बडेनोच के साथ बैठक।



वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ब्रिटेन की विदेश मंत्री सुश्री केमी बडेनोच के साथ, नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2022 को आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक में

11. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

(क) विश्व व्यापार संगठन और संबंधित मुद्दे

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसका मानना है कि नियम आधारित, समावेशी, खुली और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है, जिसके मूल में विकास के उद्देश्य हैं जो आम सहमति-आधारित निर्णय लेने के सिद्धांत पर काम करता है। बारहवां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी 12) 12-17 जून 2022 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें कजाकिस्तान सह-मेजबान था। भारत ने उन सभी क्षेत्रों में बातचीत में रचनात्मक रूप से भाग लिया जो एजेंडे का हिस्सा थे यानी कृषि, मत्स्य पालन, महामारी के लिए डब्ल्यूटीओ प्रतिक्रिया, ट्रिप्स, ई-कॉमर्स और डब्ल्यूटीओ सुधार। सम्मेलन 17 जून 2022 के शुरुआती घंटों में समाप्त हुआ, जिसमें कई क्षेत्रों में सर्वसम्मति के आधार पर

सभी 164 सदस्यों द्वारा सहमत परिणामों पर सहमति व्यक्त की गई।

एमसी-12 ने संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों को इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के योगदान के महत्व को मान्यता दी, जहां तक वे डब्ल्यूटीओ जनादेश से संबंधित हैं और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर सदस्यों की संबंधित आवश्यकताओं और चिंताओं के अनुरूप हैं।

सदस्य राष्ट्रों ने भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में एमएसएमई के योगदान को मान्यता दी और विकास के विभिन्न चरणों में देशों में उनके विभिन्न संदर्भों, चुनौतियों और क्षमताओं को स्वीकार किया। उन्होंने इन मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी और आईटीसी के काम का भी जायजा लिया।



जेनेवा में एमसी12 वार्ता में शामिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल



वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में डब्ल्यूटीओ डीजी व डब्ल्यूटीओ भारतीय प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के साथ



वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक मिस.नगोजी ओकोजा इवेला के साथ।

निम्नलिखित पैराग्राफ एमसी 12 के परिणामों के साथ विश्व व्यापार संगठन में वार्ताओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विवरण प्रदान करते हैं:

(i) कृषि

कृषि के क्षेत्र में, विश्व व्यापार संगठन में विकसित और विकासशील सदस्यों के अधिकारों में विषमता मौजूद है। जबकि विकसित देश विकासशील देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता को लक्षित करना जारी रखते हैं, भारत कृषि वार्ताओं में पहले कदम के रूप में, कुछ विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए व्यापार विकृत घरेलू समर्थन को समाप्त करके समान अवसर प्राप्त करने की मांग कर रहा है।

खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्व व्यापार संगठन में, भारत, कई विकासशील देशों के साथ, पीएसएच के मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर रहा है, जो कृषि वार्ताओं में एक लंबे समय से लंबित अनिवार्य मुद्दा है। नैरोबी (2015) में विश्व व्यापार संगठन के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत पीएसएच मुद्दे को अन्य कृषि मुद्दों के साथ नहीं जोड़ना चाहता है और इस पर एक अलग ट्रैक पर बातचीत करना चाहता है। इसके बाद स्थायी समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन में जी 33 समूह के हिस्से के रूप में भारत द्वारा कई प्रस्ताव दिए गए, नवीनतम प्रस्तुतिकरण 31 मई 2022 को जी -33, अफ्रीकी कैरिबियन और प्रशांत

(एसीपी) समूह और अफ्रीकी समूह और इस मुद्दे पर एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए सदस्यों के साथ संलग्न रहा है।

कृषि पर एमसी 12 के परिणाम में खाद्य असुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एक मंत्रिस्तरीय घोषणा और निर्यात प्रतिबंधों या निषेधों से विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) मानवतावादी खाद्य खरीद को छूट देने पर एक मंत्रिस्तरीय निर्णय शामिल था। ये दोनों परिणाम खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती खाद्य कीमतों को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांगों का जवाब देने का प्रयास करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे कमजोर लोग आपातकालीन खाद्य सहायता तक पहुंच सकें।

सम्मेलन ने खाद्य सुरक्षा के एजेंडे को बहुत सीमित तरीके से पूरा किया, यह कृषि वार्ताओं के अनिवार्य मुद्दों अर्थात् खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण (पीएसएच) के लिए एक स्थायी समाधान और विकासशील देशों के लिए एक विशेष सुरक्षा तंत्र को पूरा करने में सफल नहीं हो सका। महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पहला एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, जबकि दूसरा विकासशील देशों की एक वैध मांग है ताकि अचानक मूल्य में गिरावट और आयात की मात्रा में वृद्धि का समाधान किया जा सके, जिससे किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ii) मत्स्य सब्सिडी पर समझौता

17 जून 2022 को एमसी 12 में अपनाए गए मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौते ने हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी को प्रतिबंधित करके महासागर स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जो दुनिया के मछली स्टॉक की भारी कमी में एक महत्वपूर्ण कारक है।

मछली पकड़ने वाले उन्नत देशों द्वारा दी जाने वाली उच्च सब्सिडी में असंतुलन को ठीक करने और समानता प्राप्त करने के लिए, भारत ने विकासशील देशों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तक कम आय, कम संसाधन वाले मछुआरों या आजीविका मछली पकड़कर आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जो भविष्य में मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों जिसमें गहरे पानी में मछली पकड़ने सहित, शसामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (सीबीडीआर) और श्रद्धा भुगतान सिद्धांत को शामिल करते हुए के लिए 25 साल की पर्याप्त लंबी संक्रमण अवधि है। भारत ने मत्स्य पालन सब्सिडी में एस एंड डीटी की भी मांग की।

एमसी12 में सहमत मत्स्य सब्सिडी पर समझौता अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने और अधिक मछली पकड़ने वाले स्टॉक के लिए सब्सिडी प्रदान करने को प्रतिबंधित करेगा। अल्प विकसित देशों (एलडीसी) सहित विकासशील देशों को समझौते के लागू होने के बाद दो साल की संक्रमण अवधि के रूप में एस एंड डीटी की अनुमति दी गई है। यह समझौता खुले समुद्रों पर सब्सिडी को भी प्रतिबंधित करता है, जो तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों के बीच (आरएफएमओ/एस) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

समझौते के संचालन के लिए, दो-तिहाई सदस्यों को विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने 'स्वीकृति के साधन' जमा करने होंगे। सदस्य एमसी12 में अतिरिक्त प्रावधानों के लिए एमसी13 द्वारा सिफारिशें करने की दृष्टि से बकाया मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के लिए भी सहमत हुए जो समझौते के विषयों को और बढ़ाएं।

(iii) कोविड-19 महामारी के लिए विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया

कोविड-19 महामारी के लिए विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारियों पर मंत्रिस्तरीय घोषणा, एमसी12 में सहमत हुई, इस संबंध में तेजी से और विश्व स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करती है।

डब्ल्यूएचओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमताओं और मांगों और मैचमेकिंग की मैपिंग करके एक महामारी प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करने के भारत के सुझाव को घोषणा में नोट किया गया है।

घोषणा पत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में गंभीर रूप से प्रभावित सेवाओं, भविष्य की महामारियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को सुविधाजनक बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं और आईसीटी सेवाओं सहित सेवाओं में व्यापार के महत्व पर जोर दिया गया है, जबकि सेवाओं के लिए पारस्परिक मान्यता मानदंडों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि टीकाकरण प्रमाण पत्र और अंतःक्रियाशीलता की मान्यता और डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग की पारस्परिक मान्यता। घोषणा में रेखांकित पारस्परिक मान्यताओं से भारत को लाभ हुआ है और यह दुनिया भर में भारतीय पेशेवरों को यात्रा की दीर्घकालिक आसानी की सुविधा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा और महामारी के बाद आर्थिक सुधार को और बढ़ावा देगा।

घोषणा आपूर्ति-पक्ष की तीव्र बाधाओं को दूर करने के लिए निर्यात प्रतिबंधों को लागू करने के सदस्यों के अधिकार को मान्यता देती है, साथ ही उनसे व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय करते समय उचित संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। घोषणा में कोविड-19 स्वास्थ्य उत्पादों पर टैरिफ में कटौती या समायोजन, पारदर्शिता और निगरानी से संबंधित उपायों और सरलीकृत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं सहित अन्य उपायों को सदस्यों द्वारा अपनाने की बात स्वीकार की गई है।

कोविड-19 महामारी या किसी भविष्य की महामारी का हल निकालने के लिए डब्ल्यूटीओ में उपलब्ध भारत की नीति स्थान को संरक्षित रखा गया है, जबकि सेवा क्षेत्र की भूमिका की एक स्वीकृति है, विशेष रूप से कोविड 19 के बाद के आर्थिक पुनरुत्थान में हमारे लिए हितकारी है। सदस्य देशों के विकास के विभिन्न स्तरों की भी स्वीकृति है जिसने महामारी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया निर्धारित की है।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

(क) ई-कॉमर्स पर कार्य प्रोग्राम

❖ विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल (जीसी) ने विकासशील देशों की वित्तीय, आर्थिक और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक ई-कॉमर्स से संबंधित सभी व्यापार-संबंधी मुद्दों की व्यापक जांच करने के लिए एक खोजपूर्ण और गैर-बातचीत जनादेश के साथ ई-कॉमर्स (डब्ल्यूपीईसी) पर एक कार्य कार्यक्रम की स्थापना की। पिछले कुछ वर्षों में मंत्रिस्तरीय घोषणाओं ने डब्ल्यूपीईसी के तहत कार्य को जारी रखने या फिर से सक्रिय करने का आह्वान किया है। भारत का विचार है कि विकासशील देशों को डिजिटल क्षेत्र में शकैच अपश के लिए नीतियों को लागू करने के लिए लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत डब्ल्यूपीईसी के मौजूदा खोजपूर्ण और गैर-बातचीत जनादेश के तहत काम को फिर से शुरू करने का समर्थन करता रहा है।

❖ जून 2022 में आयोजित एमसी12 के लिए, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ भारत ने डब्ल्यूपीईसी के तहत विकास संबंधी मुद्दों सहित कार्य को फिर से शुरू करने का समर्थन करते हुए एक सबमिशन दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि वैश्विक ई-कॉमर्स में विकासशील देशों की बढ़ती भागीदारी एक चुनौती बनी हुई है और डब्ल्यूपीईसी के तहत वैश्विक ई-कॉमर्स के विकास संबंधी पहलुओं का कोई व्यापक आकलन नहीं किया गया है। एमसी12 में, सदस्य डब्ल्यूपीईसी के मौजूदा जनादेश के आधार पर और विशेष रूप से इसके विकास आयाम के अनुरूप काम को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।

❖ भारत डब्ल्यूपीईसी से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत ने पहले ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू/857) में 'ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण' पर एक पेपर पेश कर दिया है, जिसे 19-20 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक के दौरान पेश किया गया था।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक

❖ विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की थी, और मंत्रिस्तरीय बैठकों में समय-समय पर अधिस्थगन बढ़ाया गया है।

❖ स्थायी कार्यसूची मद के अंतर्गत डब्ल्यूपीईसी, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 9 नवंबर, 2021 को "समावेशी विकास के लिए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" नामक एक संयुक्त निवेदन प्रस्तुत किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाता है कि विकासशील देशों के लिए अपनी डिजिटल प्रगति के लिए नीतिगत स्थान को संरक्षित करने के लिए अधिस्थगन पर पुनर्विचार महत्वपूर्ण है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जुलाई 2018, जून 2019, मार्च 2022 और जून 2022 में ई-कॉमर्स मोरेटोरियम के कार्यान्वयन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुतियां दीं। इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए, भारत ने इस बात पर जोर देने का प्रस्ताव की कोविड ने ई-कॉमर्सइंटरनेट के लिए अत्यधिक मांग बढ़ाई गंभीर लॉक डाउन स्थितियों में, जिसमें इंटरनेट जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण बन गया, इंटरनेट उपयोग और डिजिटल इन्फ्रा आदि के मामले में विकासशील देशों के लिए बहुत कुछ नहीं बदला है।

❖ एमसी12 में, सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (डब्ल्यूपीईसी) पर कार्य कार्यक्रम को फिर से मजबूत करने और अधिस्थगन पर चर्चा तेज करने और प्रासंगिक डब्ल्यूटीओ निकायों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसमें गुंजाइश, परिभाषा, और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क पर रोक का प्रभाव शामिल है।

(v) डब्ल्यूटीओ सुधार और अपीलीय निकाय संकट

विश्व व्यापार संगठन के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सुधारों के प्रस्तावों और सुझावों पर पिछले कई वर्षों से विभिन्न निकायों में विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत ने अगस्त 2019 में विकासशील देशों के सुधार पत्र विकास और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ को मजबूत करना पेश करने की पहल की, जिसे बोलीविया, क्यूबा,

इक्वाडोर, मलावी, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, युगांडा, जिम्बाब्वे और ओमान द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। एमसी 12 से पहले सुधार चर्चा को जीवित रखने के लिए नवीनतम संस्करण दिसंबर 2020 और फरवरी 2022 में प्रस्तुत किए गए थे। इसे बाद में जुलाई 2022 में और अधिक सदस्यों का समर्थन मिला। प्रस्ताव के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

- ❖ सर्वसम्मति से निर्णय लेने सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मूल मूल्यों को संरक्षित करना।
- ❖ विवाद समाधान प्रणाली में गतिरोध का समाधानरु भारत अपीलीय निकाय की बहाली और दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली के सामान्य कामकाज का पक्षधर है।
- ❖ विकासशील सदस्यों और एलडीसी के लिए एक गैर-परक्राम्य, संधि-एम्बेडेड अधिकार के रूप में विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) की केंद्रीयता की पुष्टि सहित विकास संबंधी चिंताओं की सुरक्षा करना।
- ❖ पारदर्शिता और अधिसूचनाओं को विकासशील सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली क्षमता की बाधाओं को ध्यान में रखना चाहिए, और समावेशी और पारस्परिक रूप से सहमत दृष्टिकोणों के माध्यम से इन कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत का विचार है कि मंत्रियों द्वारा डब्ल्यूटीओ सुधार कार्य को आगे बढ़ाने पर विचार करने से पहले सदस्यों को सुधार पैकेज के तत्वों, चर्चा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सटीक प्रकृति पर सहमत होने की आवश्यकता है।

एमसी12 में, सदस्य जनरल काउंसिल (जीसी) और उसके सहायक निकायों में सदस्य-नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से डब्ल्यूटीओ सुधार पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। परिणाम दस्तावेज विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करता है और विकास के मुद्दों को स्वीकार करता है।

इसके अलावा, सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ के सभी कार्यों में सुधार के लिए सुधारों की कल्पना की और 2024 तक पूरी तरह से और अच्छी तरह से कार्य करने वाली विवाद निपटान प्रणाली के लिए चर्चा आयोजित की। एमसी12 के पश्चात के परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य एक समावेशी तरीके से कार्य करें।

विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान: डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय एक स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य डीएसयू (विवाद निपटान समझौता) कानून के मुद्दों पर अपीलों को हल करना है। अपीलीय निकाय आम तौर पर सात सदस्यों से बना होता है, जिसमें चार साल का कार्यकाल होता

है, जिसमें एक पुनर्नियुक्ति की संभावना होती है।

अब तक, सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अपीलीय निकाय निष्क्रिय है।

(vi) विकासशील देशों का विशेष और विभेदक उपचार और ग्रेजुएशन

डब्ल्यूटीओ में एलडीसी सहित विकासशील सदस्यों के लिए विशेष और विभेदक उपचार (एसएंडडीटी) प्रावधान डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच विकास के स्तर में अंतर को पहचानते हैं और विकासशील सदस्यों को अपनी घरेलू व्यापार नीति तैयार करने की अनुमति देते हैं जिससे उन्हें गरीबी कम करने, रोजगार उत्पन्न करने और वैश्विक व्यापार प्रणाली में सार्थक रूप से एकीकृत करने में मदद मिलती है।

भारत एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग-अलग उपचार प्रावधानों की निरंतर प्रासंगिकता में विश्वास करता है। एस एंड डीटी के सिद्धांत को अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी कैरेबियन और प्रशांत (एसीपी) समूह और एलडीसी समूह का समर्थन प्राप्त है। यह स्पष्ट है कि विकास पर यह बहस विश्व व्यापार संगठन के सामने पहले से मौजूद चुनौतियों में विचलन का एक और मुद्दा जोड़ देगी।

एमसी12 परिणाम दस्तावेज डब्ल्यूटीओ समझौतों में एलडीसीएस सहित विकासशील देश के सदस्यों के लिए विशेष और विभेदक उपचार के प्रावधानों की पुष्टि करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रियों ने छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर कार्य कार्यक्रम (डब्ल्यूटी/एमआईएन/(22)/25) और ट्रीप्स के गैर-उल्लंघन और स्थिति संबंधी शिकायतों (डब्ल्यूटी/एमआईएन/(22)/26) बारहवें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए घोषणा के लिए और स्वच्छता और पादप स्वच्छतारु आधुनिक एसपीएस चुनौतियों का जवाब (डब्ल्यूटी/एमआईएन/(22)/27) संबंधी निर्णय लिए।

(vii) व्यापार सुविधा समझौते का कार्यान्वयन

टीएफए (टीएफए के अनुच्छेद 23.2 के तहत) के तहत भारत की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, व्यापार सुविधा पर एक राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) की स्थापना कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में की गई थी। यह समिति समय-समय पर टीएफए के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और इसके प्रति घरेलू समन्वय को सुगम बनाती है। शीर्ष समिति के रूप में एनसीटीएफ अपने कार्यों में एक संचालन समिति द्वारा पूरक है जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव संयुक्त रूप से करते हैं। बदले में, इन समितियों को विशिष्ट व्यापार

सुविधा उपाय या परियोजना के साथ सौंपे गए संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों वाले कार्यकारी समूहों द्वारा समर्थित किया जाता है।

राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) 2017-2020 का निर्माण एनसीटीएफ द्वारा एक प्रारंभिक उपाय था। 2020 से 2023 की अवधि के लिए, व्यापार सुविधा प्रयासों को मजबूत करने और कुशल, पारदर्शी, जोखिम आधारित, समन्वित, डिजिटल, निर्बाध और प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमा पार निकासी इको-सिस्टम को बदलने के लिए अतिरिक्त सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ एक नया एनटीएफएपी तैयार किया गया है।

भारत एनसीटीएफ के समग्र मार्गदर्शन में टीएफए कार्यान्वयन में सक्रिय प्रगति कर रहा है। एनसीटीएफ के तत्वावधान में, भारत अब विश्व व्यापार संगठन व्यापार सुविधा समझौते का पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शिता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आयात और निर्यात के लिए रिलीज समय में सुधार हुआ है। आगे बढ़ते हुए, भारत एक्जिम लागत में कमी, भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) की विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि और संभार और बुनियादी ढांचे में सुधार और कार्गो रिलीज समय लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(viii) पर्यावरण

भारत विनिर्माण क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के लिए भारी प्रयास कर रहा है। यह यूएनएफसीसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत और डब्ल्यूटीओ की स्थापना करने वाले मारकेश समझौते की प्रस्तावना में भी अच्छी तरह से प्रतिध्वनित होता है। भारत ने हाल ही में अपने बढ़े हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसीएस) के बारे में सूचित किया है, जो नेट-जीरो तक पहुँचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे है, जो कम कार्बन उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, साथ ही साथ एक समान और सतत विकास के लिए प्रयास करता है।

एम सी12 में, डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण सहित वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों को पहचान की। उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के योगदान के महत्व पर ध्यान दिया और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों

के सदस्यों, विशेष रूप से एलडीसी को प्रासंगिक सहायता प्रदान करने के महत्व की भी पुष्टि की। यह यूएनएफसीसीसीसी के तहत धन के प्रावधान के साथ भी सामंजस्य पाता है जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में भी जाना जाता है।

(ix) शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच

डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने बाली में अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त बाजार पहुंच पर नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में निर्णय की पुष्टि की है और व्यापार और विकास समिति को एलडीसी के लिए अधिमान्य डीएफक्यूएफ बाजार पहुंच पर वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। एलडीसी की प्रगति के लिए भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना (डीएफटीपी) उल्लेखनीय है। भारत ने अगस्त 2008 में एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना अधिसूचित की। डीएफटीपी योजना के तहत, भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 85 प्रतिशत तक बाजार पहुंच शुल्क मुक्त थी, 9 प्रतिशत लाइनों पर वरीयता मार्जिन (एमओपी) प्रदान किया गया था और 6 प्रतिशत टैरिफ लाइनें अपवर्जन सूची के तहत थीं।

46 एलडीसी में से 35 ने इस योजना को स्वीकार किया है। राष्ट्रीय टैरिफ लाइन पर एचएस 2017 नामकरण के तहत डीएफटीपी योजना भारत की लगभग 98.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों (एचएस 6-डिजिट के वर्गीकरण के स्तर पर) पर शुल्क मुक्त अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करती है। केवल 1.8: टैरिफ लाइनों को बिना किसी शुल्क रियायत के अपवर्जन सूची में रखा गया है।

(ख) व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेज (जीएसटीपी) की स्थापना के समझौते पर 13 अप्रैल, 1988 को बेलग्रेड में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रशुल्क रियायतों के आदान-प्रदान के लिए जीएसटीपी वार्ताओं के पहले दौर के परिणामों को 41 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह समझौता 19 अप्रैल 1989 को लागू हुआ था। भारत ने अन्य देशों से रियायतें प्राप्त करते हुए 30 उत्पाद लाइनों (एचएस 4/6 स्तर पर) पर वरीयताओं के मार्जिन (एमओपी) का विस्तार किया। जिन उत्पादों पर भारत ने टैरिफ रियायतें दी वे हैं (एमओपी ब्रैकेट में उल्लिखित) जिनमें कोपरा (15%), गन्ना शीरा (30%), पोर्टलैंड सीमेंट (25%), बछड़ा चमड़ा (30%), एल्यूमीनियम ट्यूब और पाइप (15%) आदि शामिल हैं।

वार्ता का दूसरा दौर 21 नवंबर 1991 को तेहरान में आयोजित जीएसटीपी की मंत्रिस्तरीय बैठक में शुरू किया गया था जो 1998 में संपन्न हुआ था। रियायतों के दूसरे दौर के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने में देरी के कारण, रियायतों के दूसरे दौर के कार्यान्वयन को छोड़ने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में, जीएसटीपी समझौते के तहत मर्कोसुर सहित 42 भागीदार देश हैं, जिनकी सूची <https://unctad-org/topic/trade&agreements/global&system&of&trade&preferences> पर देखी जा सकती है।

ब्राजील के साओ पाउलो में 2004 में शुरू की गई जीएसटीपी वार्ता का तीसरा दौर 2010 में संपन्न हुआ। तीसरे दौर में, भाग लेने वाले देशों ने राष्ट्रों के इस समूह के भीतर से आयातित वस्तुओं के कम से कम 70 प्रतिशत (एलडीसी प्रतिभागियों के लिए 80 प्रतिशत) पर 20 प्रतिशत टैरिफ कटौती की पेशकश करने पर सहमति व्यक्त की।

तीसरे दौर की वार्ता के तहत रियायतों की अनुसूची को कम से कम चार प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यक्रमों की पुष्टि करने और जीएसटीपी सचिवालय को सूचित करने के तीस दिनों के बाद लागू किया जाएगा। टैरिफ रियायतें ऐसे चार प्रतिभागियों के बीच लागू की जाएंगी और अन्य प्रतिभागी अपने शेड्यूल की पुष्टि करने के बाद रियायतों का लाभ उठाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 23 अगस्त, 2012 को अपनी बैठक में वार्ताओं के तीसरे दौर के अंतर्गत भारत की रियायतों की अनुसूची के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह लागू नहीं किया गया है क्योंकि समझौते की पुष्टि करने के लिए न्यूनतम 4 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

(ग) बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल (बिम्सटेक), एक क्षेत्रीय संगठन, जिसमें सात सदस्य राज्य—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं, 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। इस पहल का उद्देश्य उप-क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के समीपस्थ देशों को शामिल किया गया है।

बिम्सटेक ने सहयोग के 14 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है जहां सदस्य देशों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए चिन्हित किया गया है। भारत काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, पर्यटन और

परिवहन और संचार के लिए एक अग्रणी देश है।

2004 में, बिम्सटेक सदस्यों ने माल, सेवाओं, निवेश और सीमा शुल्क सहयोग में व्यापार को शामिल करते हुए बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) द्वारा अब तक 21 दौर की वार्ता हो चुकी है। 18-19 नवंबर 2018 को ढाका में बिम्सटेक टीएनसी की 21वीं बैठक और उत्पत्ति, सेवाओं, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और कानूनी विशेषज्ञों के नियमों पर कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंतर-सत्रीय बिम्सटेक समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानी चाहिए।

❖ आरओओ चौप्टर और ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर (ओसीपी) टेक्स्ट के बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18-19 अक्टूबर 2022 को ढाका में उदगम नियमों (डब्ल्यूजीआरओओ) पर बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप की 21वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। 21 वीं बैठक के बाद अनसुलझे मुद्दों पर डब्ल्यूजीआरओओ के अगले दौर में चर्चा की जाएगी।

❖ समिति की इक्कीसवीं बैठक की साइडलाइन पर 18-19 नवंबर 2018 को सेवाओं में व्यापार पर बिम्सटेक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीटीआईएस) की 8वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस दौर में, कार्यकारी समूह कुछ अनुच्छेदों पर सहमत हुए और सिफारिश की कि सेवाओं में व्यापार पर बिम्सटेक कार्यकारी समूह की अगली बैठक में कानूनी पाठ की भाषा पर सदस्यों के बीच असहमति के कारण कुछ लेखों पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता है।

❖ उपरोक्त के अलावा, निवेश और व्यापार सुविधा के क्षेत्रों में भी बातचीत चल रही है।

(घ) ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है। मूल रूप से पहले चार को 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले ब्रिक्स के रूप में समूहीकृत किया गया था। ब्रिक्स प्रेसीडेंसी को वार्षिक आधार पर सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। भारत ने सफलतापूर्वक 2021 के लिए अपना अध्यक्षता पद पूरा किया और इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पारित कर दिया जो 2022 में समाप्त हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने 2023 के लिए अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। ब्रिक्स देशों का विश्व जीडीपी में 23.85 प्रतिशत हिस्सा है, जो विश्व जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत

है, 2021 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार का लगभग 19.76 प्रतिशत है।

भारत सरकार में वाणिज्य विभाग ब्रिक्स के तहत आर्थिक और व्यापार के मुद्दों को संभालता है, जिन पर व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर संपर्क समूह (सीजीईटीआई) के रूप में ज्ञात संस्थागत तंत्र के तहत चर्चा की जाती है। 2022 में चीन की अध्यक्षता के तहत, सीजीईटीआई में निम्नलिखित दस्तावेजों पर बातचीत की गई और 9 जून 2022 को आयोजित ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में अंगीकृत किया :

- ❖ 12वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का संयुक्त बयान ।
- ❖ ब्रिक्स डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क,
- ❖ आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग बढ़ाने पर ब्रिक्स की पहल,
- ❖ सतत विकास के लिए व्यापार और निवेश पर ब्रिक्स पहल,
- ❖ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर ब्रिक्स वक्तव्य

(ड.) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एक बहुपक्षीय संगठन, 2001 में शंघाई, चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। एससीओ चार्टर, औपचारिक रूप से संगठन की स्थापना, जून 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को अस्ताना, कजाकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। वर्तमान में एससीओ में आठ सदस्य हैं।

वर्ष 2022 के लिए, उज्बेकिस्तान गणराज्य राज्यों के प्रमुखों (सीएचएस) की परिषद का अध्यक्ष था, जबकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार के प्रमुखों (सीएचजी) का अध्यक्ष था। वर्ष के दौरान, वाणिज्य विभाग केवल एक वार्ता दस्तावेज की बातचीत में लगा रहा, अर्थात् 'बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने पर विदेशी आर्थिक और विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एससीओ सदस्य देशों के मंत्रियों का बयान', जिसे कि चीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

वर्ष 2023 के लिए, भारत सीएचएस का अध्यक्ष है और किर्गिज गणराज्य सीएचजी का अध्यक्ष है।

(च) जी20 और भारत

जी20 की अध्यक्षता हर साल अपने सदस्यों के बीच रिवोल्व

करती है, जिस देश में अध्यक्षता होती है वह अपने पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका के नाम से भी जाना जाता है, ताकि एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से जी20 प्रेसीडेंसी ग्रहण की और वर्तमान में जी20 ट्रोइका (वर्तमान, पिछली और आने वाली जी20 प्रेसीडेंसी) का हिस्सा है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल हैं। यह पहली बार है जब तिकड़ी में तीन विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो उन्हें एक सशक्त आवाज प्रदान कर रही हैं।

वाणिज्य विभाग (डीओसी) जी 20 शेरपा ट्रैक के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के लिए नोडल विभाग है। टीआईडब्ल्यूजी जनादेश जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और निवेश पर सहयोग करना है। आगामी जी20 अध्यक्षता के लिए भारत की तैयारियों के एक भाग के रूप में, एक समर्पित जी20 सेल बनाया गया है और डीओसी के भीतर कार्यात्मक बनाया गया है। जी20 सेल भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान जी20 मामलों से संबंधित सभी कार्यों और घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा। भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान टीआईडब्ल्यूजी से संबंधित कार्यों को 2 पहलुओं में लिया जाएगा रूब्सटेंटिव और लॉजिस्टिक्स।

मूल पहलू पर डीओसी ने प्राथमिकता वाले 5 मुद्दों (पीआई) को अंतिम रूप दिया है जिन्हें टीआईडब्ल्यूजी के तहत चर्चा के लिए लिया जाएगा। डीओसी इश्यू नोट्स, कॉन्सेप्ट पेपर्स, आउटकमधमिनिस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्स जैसे दस्तावेजों की श्रृंखला तैयार करेगा, जिन्हें चर्चा और बातचीत के लिए जी20 सदस्य देशों के साथ परिचालित किया जाएगा। जी20 सम्मेलन के रूप में, प्रेसीडेंसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (आईओएस) से समर्थन लेती है जो वर्तमान वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न बैठकों में जी20 सदस्यों के सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। टीआईडब्ल्यूजी की सफलता का स्तर मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति और अन्य बयानों के रूप में प्राप्त किए जाने वाले परिणामों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स वर्टिकल विभिन्न आयोजनों के समग्र समन्वय और संगठन को संभालेगा। टीआईडब्ल्यूजी के हिस्से के रूप में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान क्रमशः मुंबई, बेंगलुरु, केवडिया और जयपुर में 4 कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहली टीआईडब्ल्यूजी बैठक 28 से 30 मार्च 2023 के दौरान मुंबई में आयोजित होने वाली है। चौथी टीआईडब्ल्यूजी बैठक के बाद जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक (टीआईएमएम) होगी। बैठकों के दौरान

सेमिनारोंधमिनी प्रदर्शनियोंअनुभव क्षेत्रों की स्थापना के रूप में विभिन्न साइड इवेंट्स की भी योजना बनाई जा रही है।

(छ) आईबीएसए (भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका)

आईबीएसए इन विकासशील देशों से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए तीन अलग-अलग महाद्वीपों के तीन प्रमुख लोकतंत्रों के बीच एक त्रिपक्षीय विकास पहल है। औपचारिक रूप से 6 जून, 2003 को 'ब्रासीलिया घोषणा' के माध्यम से स्थापित, आईबीएसए बहुपक्षवाद को मजबूत करने, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को पुनर्जीवित करने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के भीतर निर्णय लेने के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय की एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है। आईबीएसए के व्यापार मंत्री अक्सर डब्ल्यूटीओ दोहा दौर जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मिलते हैं। भारत 2012 से आईबीएसए की अध्यक्षता कर रहा है।

भारत ने 23 मई, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर आईबीएसए कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीआई) की 10वीं बैठक की मेजबानी की।

तीनों आईबीएसए देशों में कॉफी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। भारत की आईबीएसए अध्यक्षता के दौरान, वाणिज्य विभाग ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, बेंगलुरु के सहयोग से 4-5 अगस्त 2021 के दौरान एक वर्चुअल कॉफी फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसका विषय था – कॉफी, देश और सहयोग। कोविड-19 महामारी के प्रसार ने हर दूसरे उद्योग की तरह कॉफी क्षेत्र पर भारी आघात किया है। आईबीएसए कॉफी फेस्टिवल ने कॉफी उद्योग पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला और भविष्य के विकास के लिए इन तीन देशों में समाधान और अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

(ज) वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी)

वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) एक एकतरफा अधिमान्य टैरिफ प्रणाली है जो एलडीसी सहित विकासशील देशों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों (जीएसपी प्रदान करने वाले देशों द्वारा अनुमत) पर टैरिफ छूट/कमी प्रदान करती है। जीएसपी योजना को 11 देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बुल्गारिया, यूरोपीय संघ, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय उत्पादों तक विस्तारित किया गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जीएसपी योजना के तहत उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य डिजिटल

प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे सभी अधिमान्य मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए 01.04.2021 से प्रभावी बनाया गया है। निर्यातकों को इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नामित संबंधित अधिकृत एजेंसी द्वारा सीओओ जारी करने के लिए सीओओ प्रारूप में अपने शिपमेंट का विवरण ऑनलाइन पूरा करना आवश्यक है। तथापि, जीएसपी स्कीम के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के जीएसपी लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत प्रणाली (आरईएक्स) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें निर्यातक को आरईएक्स संख्या प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होता है और उसके बाद निर्यातक ऐसे निर्यातों के लिए उत्पत्ति विवरण को स्व-प्रमाणित कर सकता है।

(झ) आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई)

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई), 27 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के व्यापार और उद्योग मंत्रियों द्वारा शुरू की गई एक त्रिपक्षीय पहल, भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों को विकसित करने और निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करती है। कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के साथ-साथ आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में हाल के वैश्विक पैमाने पर बदलाव सहित वर्तमान कोविड-19 संकट के कारण स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे पेशेवरों की सीमा पार आवाजाही के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

पहल की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- ❖ आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाना।
- ❖ क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना और प्रतिभागियों के बीच परस्पर पूरक संबंध को मजबूत करना।
- ❖ जबकि व्यापक उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, विस्तार करना और विविधता लाना है, विशिष्ट कार्य योजनाओं में व्यापार प्रलेखन का डिजिटलीकरण, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान, अन्य देशों का पता लगाना जो पहल में शामिल हो सकते हैं, क्षमता निर्माण, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल है।

❖ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और उद्योग मंत्रियों ने औपचारिक रूप से 27 अप्रैल 2021 को भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन बढ़ाने और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोत विकसित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) की शुरुआत की।

पहल को आगे बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित प्रारंभिक परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया:

- ❖ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और
- ❖ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए हितधारकों को अवसर प्रदान करने के लिए निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता मिलान कार्यक्रम आयोजित करना।

तीनों देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक 15 मार्च, 2022 को आयोजित की गई जिसमें पहली व्यापार मंत्रियों की बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि और एससीआरआई के भविष्य के विजन और कार्यों पर सहमति बनी।

मार्च 2022 में आयोजित तीन देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, एससीआरआई के तहत भविष्य की दृष्टि और की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

- ❖ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवाओं में, जहां त्रिपक्षीय सहयोग क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ा सकता है,
- ❖ इन क्षेत्रों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेड, इन्वेस्ट इंडिया और जेट्रो के बीच और सहयोग को प्रोत्साहित करें।
- ❖ सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन के लिए संयुक्त परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार और शिक्षा के साथ सहयोग।
- ❖ क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला सिद्धांतों को तैयार करना और बढ़ावा देना।
- ❖ वर्ष में एक बार त्रिपक्षीय व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित करना।
- ❖ प्रत्येक देश जापान (2022), ऑस्ट्रेलिया (2023) और भारत (2024) के क्रम में बारी-बारी से अध्यक्ष देश की भूमिका संभालेगा।

27 अप्रैल 2021 और मार्च 2022 को आयोजित पहली और दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

(i) सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना

यह निर्णय लिया गया कि सरकारी सर्वोत्तम प्रथाओं और निजी सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन तैयार किया जाएगा। डीपीआईआईटी भारत की ओर से इस पहल का नेतृत्व कर रहा है।

❖ सरकार की सर्वोत्तम प्रथाएँ: तीनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बढ़ते और विविध कारकों के जवाब में सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए काम किया। जापान ने सरकार का अनुपालन किया है। जापान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेज और इन 9 बेस्ट प्रैक्टिसेज को शामिल किया गया है।

❖ निजी क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाएँ: जापान ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की। बीसीजी ने सर्वेक्षण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के लिए विभिन्न निजी उद्योगों की प्रतिक्रियाओं की पहचान की और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों का सर्वेक्षण और साक्षात्कार करके डेटा एकत्र किया और तदनुसार रिपोर्ट तैयार की। इन्वेस्ट इंडिया ने इस उद्देश्य के लिए बीसीजी के साथ 11 भारतीय कंपनियों की सूची साझा की थी।

(ii) बिजनेस मैचिंग इवेंट

❖ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) के तहत पहला वर्चुअल एससीआरआईजे-ब्रिज टाई-अप इवेंट (मिलान इवेंट) 18 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां खरीदार-विक्रेता पिच कर सकते हैं और व्यावसायिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

❖ जेट्रो, ऑस्ट्रेड और इन्वेस्ट इंडिया (डीपीआईआईटी के तहत) इस आयोजन की नोडल कार्यान्वयन एजेंसियां रही हैं। जेट्रो के व्यापार मंच, जे-ब्रिज का उपयोग सहयोग की सुविधा हेतु इस आयोजन के लिए किया गया था।

एससीआरआई की पिछली बैठक 25 नवंबर 2022 को हुई थी।

(ग) एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)

एशिया प्रशांत व्यापार समझौता एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र के

विकासशील देश के सदस्यों के बीच मध्यम आधार पर टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से व्यापार विस्तार के लिए एक पहल है। एपीटीए की वर्तमान सदस्यता में सात देश शामिल हैं, अर्थात् बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका। मंगोलिया नवीनतम सदस्य है जिसने 29 सितंबर 2020 को ईएससीएपी के साथ परिग्रहण पत्र जमा करके एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए) को स्वीकार किया।

1 जुलाई 2018 से एपीटीए के तहत रियायतों के चौथे दौर के कार्यान्वयन के बाद, वार्ता का 5 वां दौर शुरू हो गया है। पहली बार, वस्तुओं के अलावा, वार्ता में सेवाओं, निवेश और व्यापार सुविधा को भी शामिल किया जाएगा। एपीटीए की स्थायी समिति का 54 वां सत्र और व्यापार सुविधा, सेवाओं, निवेश और उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूह की तीसरी बैठक 15-18 जनवरी 2019 के दौरान बैंकॉक में आयोजित की गई थी। व्यापार सुविधा समूह में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के टीएफए समझौते के तहत लिए गए दायित्वों के भीतर काम करने का रुख अपनाया है। व्यापार सुविधा पर कार्य समूह की 5 वीं बैठक 19 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एपीटीए स्थायी समिति (56 वां सत्र) का अंतिम दौर 29-30 अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित किया गया था और निवेश, सेवाओं और उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूहों की 5 वीं बैठकें यूएनसीसी, बैंकाक, थाईलैंड में 28-29 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई थीं।

एपीटीए सचिवालय आभासी/व्यक्तिगत बैठक विकल्पों की खोज कर रहा है और बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिभागी राज्यों के साथ परामर्श कर रहा है।

(त) एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)

भारत संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा ईएससीएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया और प्रशांत में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक और सामाजिक विकास केंद्र के रूप में कार्य करता है। 53 सदस्य राज्यों और 9 एसोसिएट सदस्यों से मिलकर, एक भौगोलिक दायरे के साथ जो पश्चिम में तुर्की से पूर्व में प्रशांत द्वीप राष्ट्र किरिबाती तक फैला हुआ है, और उत्तर में रूसी संघ से दक्षिण में न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है, ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में सबसे व्यापक है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सेवा करने वाला सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र निकाय भी है।

बैंकॉक, थाईलैंड में अपने मुख्यालय के साथ 1947 में स्थापित, ईएससीएपी इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर

करना चाहता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है:

- ❖ आईसीटी और आपदा जोखिम में कमी
- ❖ पर्यावरण और विकास
- ❖ सामाजिक विकास
- ❖ आंकड़े
- ❖ व्यापक आर्थिक नीति और विकास के लिए वित्त पोषण
- ❖ व्यापार, निवेश और नवाचार
- ❖ परिवहन
- ❖ ऊर्जा

ईएससीएपी उन मुद्दों पर केंद्रित है जो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से संबोधित किए जाते हैं, जिनमें क्षेत्रीय या बहु-देशीय भागीदारी से लाभ उठाने वाले मुद्दे शामिल हैं, ऐसे मुद्दे जो प्रकृति में सीमा पार हैं, या जो सहयोगी अंतर-देश दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे।

(i) ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

आयोग क्षेत्र में समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए, अपने सहायक निकायों और कार्यकारी सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने, प्रस्तावित रणनीतिक ढांचे और कार्य कार्यक्रम की समीक्षा और समर्थन करने और अपने संदर्भ की शर्तों के अनुरूप किसी भी अन्य आवश्यक निर्णय लेने के लिए मंत्रिस्तरीय स्तर पर सालाना बैठक करता है।।

ईएससीएपी का 78 वां सत्र बैंकॉक में और 23-27 मई, 2022 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। सत्र का विषय 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक आम एजेंडा' था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल ने किया।

(ii) ईएससीएपी में भारत का योगदान

ईएससीएपी के कार्यक्रमों की डिलीवरी क्षेत्रीय संस्थान और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित है। भारत ने वर्ष के दौरान ईएससीएपी के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम किया है। भारत ने ईएससीएपी के निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थानों को निरंतर वित्तीय सहायता देने की भी प्रतिबद्धता जताई है:

- ❖ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी), जिसकी मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में की।

- ❖ टिकाऊ कृषि यंत्रीकरण केंद्र (सीएसएम), बीजिंग, चीन।
- ❖ एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), चिबा, जापान।
- ❖ विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एशियाई और प्रशांत प्रशिक्षण केंद्र (एपीसीआईसीटी), इंचियोन, कोरिया गणराज्य।

(iii) भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय

यूएन-ईएससीएपी के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करते हुए, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) भारत की वित्तीय सहायता से नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

एसआरओ की मुख्य गतिविधियां हैं:

- ❖ उप-क्षेत्रीय और आयोग मुख्यालयों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करके उप-क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडे को लागू करना
- ❖ उप-क्षेत्र के भीतर सदस्य राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशिष्ट उप-क्षेत्र प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और समर्थन करना
- ❖ ज्ञान प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए उप-क्षेत्रीय नोड के रूप में कार्य करना
- ❖ तकनीकी सहायता गतिविधियों की डिलीवरी का नेतृत्व करें और उप-क्षेत्र में आयोग की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करें
- ❖ उप-क्षेत्रीय में संयुक्त राष्ट्र देशों के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध स्थापित करें और उप-क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की गतिविधियों के समन्वय को बढ़ावा दें।
- ❖ क्षेत्रीय ढांचे के साथ उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य उप-क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकायों सहित उप-क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक अभिनेताओं के साथ मजबूत साझेदारी और नेटवर्क बनाएं।

(थ) किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना

- ❖ किम्बरली प्रोसेस (केपी) उद्योग और नागरिक समाज के पर्यवेक्षकों के साथ भाग लेने वाली सरकारों की एक संयुक्त पहल है ताकि खुरदरे हीरे (वैध सरकार के खिलाफ युद्धों के वित्तपोषण के लिए विद्रोही आंदोलनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खुरदरे हीरे) के प्रवाह को रोका जा सके।

किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (केपीसीएस) संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य (2000 का यूएनजीए संकल्प 5556 और यूएनएससी संकल्प 1459 (2003)) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना है। इसके लिए प्रत्येक प्रतिभागी को कच्चे हीरे के उत्पादन और व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होती है। गैर-प्रतिभागी के साथ कच्चे हीरे में व्यापार की अनुमति नहीं है। कच्चे हीरों के सभी निर्यातों के साथ एक वैध केपी प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि हीरे संघर्ष मुक्त हैं।

- ❖ केपीसीएस में वर्तमान में 59 प्रतिभागी हैं, जो यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों के साथ 85 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी प्रमुख हीरा उत्पादन, व्यापार और पॉलिशिंग केंद्र केपी के सदस्य हैं। नागरिक समाज और उद्योग समूह भी केपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केपी की अध्यक्षता वार्षिक आधार पर घुमाई जाती है। उपाध्यक्ष को वार्षिक 'पूर्ण' बैठक में चुना जाता है और अगले वर्ष स्वचालित रूप से अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों और समितियों के संचालन और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता है। बोट्सवाना 2022 के लिए केपी अध्यक्ष है और जिम्बाब्वे उपाध्यक्ष 2022 होने के नाते 2023 में केपी अध्यक्ष बन जाएगा।
- ❖ भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत वर्ष 2008 और 2019 में किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष था।

12. सेवाओं में व्यापार

(i) 2022-23 में सेवाओं में द्विपक्षीय अनुबंध

- ❖ भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के साथ सेवाओं में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ❖ वर्ष 2022 के दौरान, भारत ने 18 फरवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और 2 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेवाओं में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीडीपीए) 1 मई 2022 को लागू हुआ और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ।
- ❖ वर्तमान में, भारत ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ और इजराइल के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

- ❖ व्यापार भागीदारों की संयुक्त समितियों के तहत गठित संबंधित उप-समूहों में भारत-जापान सीईपीए के कार्यान्वयन और भारत-कोरिया सीईपीए के उन्नयन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, भारत व्यापार नीति फोरम के तहत अमेरिका के साथ, सेवाओं में व्यापार पर ताइवान के साथ और कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भी शामिल है।
- ❖ 12वीं भारत यूएस टीपीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद, टीपीएफ के तहत सेवा कार्य समूह ने अप्रैल और अक्टूबर 2022 में दो आभासी बैठकें कीं। दोनों पक्षों द्वारा रचनात्मक चर्चा की गई और विभिन्न मुद्दों पर बेहतर समझ हासिल की गई। भारतीय पक्ष की ओर से उठाए गए प्रमुख मुद्दों में एक सामाजिक सुरक्षा समग्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए समयबद्ध वार्ता शुरू करना, मान्यता के लिए सरलीकृत मार्ग, लाइसेंसिंग, पेशेवर सेवाओं के दस्तावेजों का सत्यापन आदि शामिल हैं और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों द्वारा सामना किए जाने वाले वीजा मुद्दे शामिल हैं। 13 वीं भारत यूएस टीपीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 11 जनवरी 2023 को वाशिंगटन डीसी, यूएस में आयोजित की गई थी।
- ❖ नए एफटीए के तहत, व्यावसायिक सेवाओं, कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाओं, ऑडियो जैसे भारत के मुख्य हितों के क्षेत्रों के तहत बिना किसी सीमा के बाध्यकारी बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार –दृश्य सेवाओं, और निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं का अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा, एफटीए के प्रभाव को बढ़ाने और सेवा आपूर्तिकर्ताओं को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारत पेशेवर सेवाओं में आपसी मान्यता समझौतों (एमआरए) के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अपने पेशेवरों की पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा, एफटीए वार्ताओं के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं और ऑडियो-विजुअल सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अनुबंधों का अनुसरण किया जा रहा है।
- ❖ चूंकि सेवाओं के वितरण के विभिन्न तरीकों के लिए गतिशीलता महत्वपूर्ण है, इसलिए प्राकृतिक व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों (व्यावसायिक वीजा, संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ता, इंटर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित, स्वतंत्र पेशेवर) योग्य प्रशिक्षकों और रसोइये जैसे पेशेवरों के अस्थायी आवागमन के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्धता प्राप्त करना पोस्ट स्टडी वीजा, वर्क और हॉलिडे वीजा, इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट लेबर मार्केट टेस्ट को हटाने और सामाजिक सुरक्षा

समझौते आदि पर हस्ताक्षर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य अधिकारों पर प्रावधान शामिल हैं।

(ii) अंतराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से व्यापार संवर्धन

17वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022

- ❖ फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 के 17वें संस्करण का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चौबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस आयोजन को मानव संसाधन विभाग मंत्रालय और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) का भी समर्थन प्राप्त है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय 'उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य: एडवांटेज इंडिया' था।
- ❖ शिखर सम्मेलन ने सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के हितधारकों को उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य के लिए शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए भविष्य, विघटनकारी और रचनात्मक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को रणनीतिक रूप से अपनाने के लिए आकर्षक और प्रभावी विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के इस 17 वें संस्करण में भाग लेने वाले 65 से अधिक देशों के विदेशी मेजबान खरीदारों ने 150 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों के साथ बी 2 बी बैठकें कीं। तीन दिनों में 6500 से अधिक आगंतुकों ने इस कार्यक्रम को देखा।
- ❖ 17वें फिक्की एचईएस 2022 इवेंट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:
 - ◆ प्रदर्शनी: शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों/धसंस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योग के नेताओं, कुलपतियों, छात्रों आदि के साथ आमने-सामने की बातचीत।
 - ◆ रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) – मध्य पूर्व, सीआईएस, सार्क, अफ्रीका और सीएलएमवी देशों के 65 से अधिक देशों के मेजबान खरीदारों के माध्यम से अंतराष्ट्रीय छात्र भर्ती।
 - ◆ भारतीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को प्रदर्शित करना और विदेशी विश्वविद्यालयों को सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना।

◆ भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए वैश्विक विश्वविद्यालयों और भारतीय बाजार में रुचि रखने वाले संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का अवसर।

◆ संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री, अनुसंधान, छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम, ट्विनिंग कार्यक्रम आदि के लिए सहयोग और टाई-अप करना।

अध्याय 7



विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)
और निर्यात
उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) कांडला में स्थापित किया गया था, इसके बाद देश में सात अन्य ईपीजेड की स्थापना की गई थी। तदोपरांत, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया। इस नीति का उद्देश्य एसईजेड को आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे प्रमुख चालक के रूप में बनाना है, जो गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित हो और केंद्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर एक आकर्षक वित्तीय पैकेज के साथ-साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल नियामक ढांचे के साथ पूरक हो। तदनुसार, कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित पहले से मौजूद सभी 8 ईपीजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में परिवर्तित किया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 23 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 10 फरवरी, 2006 को एसईजेड नियमों द्वारा समर्थित, एसईजेड अधिनियम, 2005, लागू हुआ।

एसईजेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- ❖ अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- ❖ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- ❖ घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- ❖ रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ❖ अवसंरचना सुविधाओं का विकास

एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या

अलग-अलग, माल के निर्माण या सेवाएँ प्रदान करने, या दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग/माल गोदाम क्षेत्र के रूप में एक एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। ऐसे प्रस्तावों पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की जाती है, तदोपरांत एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल होते हैं।

(क) एसईजेड का मौजूदा कार्य प्रदर्शन

फरवरी, 2006 में एसईजेड नियमों की अधिसूचना के बाद, वाणिज्य विभाग ने 424 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए हैं, जिनमें से 357 को अधिसूचित किया जा चुका है। एसईजेड में समग्र रूप से 28,07,256 व्यक्तियों को प्रदान किए गए कुल रोजगार में से, 26,72,552 वृद्धिशील रोजगार है, जो फरवरी 2006 के बाद सृजित हुए हैं। यह अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए विकासकर्ताओं द्वारा सृजित लाखों कार्य-दिवसों के रोजगार के अलावा है। एसईजेड से भौतिक निर्यात वर्ष 2020-21 में 7,59,524 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 9,90,747 करोड़ रुपये हो गया है, 30% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले सोलह वर्षों (वर्ष 2005-06 से 2021-22) में निर्यात में समग्र तौर पर 4,238% की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर, 2022 को एसईजेड से कुल भौतिक निर्यात 5,92,459 करोड़ रुपये का हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 32.17% की वृद्धि को दर्शाता है। 30 जून, 2022 तक एसईजेड में कुल निवेश 6,45,785 करोड़ रुपये है, जिसमें एसईजेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित किए गए नए अधिसूचित एसईजेड में 6,09,036 करोड़ रुपये शामिल हैं। एसईजेड में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

वर्ष 2005-06 से कार्यशील एसईजेड से निर्यात निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि%(आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52%
2007-2008	66,638	14.81	93%
2008-2009	99,689	21.71	50%
2009-2010	2,20,711	46.54	121.40%

* वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि की निर्यात वृद्धि

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2010-2011	3,15,868	69.30	43.11%
2011-2012	3,64,478	76.01	15.39%
2012-2013	4,76,159	87.45	31%
2013-2014	4,94,077	81.67	4%
2014-2015	4,63,770	75.84	-6.13%
2015-2016	4,67,337	71.38	0.77%
2016-2017	5,23,637	78.07	12.05%
2017-2018	5,81,033	90.15	11%
2018-2019	7,01,179	100.28	21%
2019-2020	7,96,669	112.37	13.62%
2020-2021	7,59,524	102.32	-4.66%
2021-2022	9,90,747	133	30%
2022-2023 (30.09.2022 तक)	5,92,459	75.48	32.17%#

* वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि की निर्यात वृद्धि

वर्तमान में कुल 270 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 163 आईटी/आईटीईएस एसईजेड हैं, 25 मल्टी प्रोडक्ट और 82 अन्य क्षेत्र विशेष एसईजेड हैं। एसईजेड में अब तक 5,620 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) योजना का प्रभाव

एसईजेड योजना ने भारत और विदेशों दोनों में निवेशकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, जो देश में निवेश के प्रवाह और अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट प्रतीत होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन और अधोसंरचनात्मक विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार के क्षेत्र, नई गतिविधियों के उद्भव, खपत पैटर्न में बदलाव और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव हासिल किया है।

(ग) एसईजेड के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(i) एसईजेड हेतु भूमि की आवश्यकता

दिनांक 17 दिसंबर 2019 को किए गए एसईजेड नियम, 2006

में संशोधन के परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अलावा) सेवाओं के अलावा, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पचास हेक्टेयर या उससे अधिक का एक निकटवर्ती भूमि क्षेत्र है। यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा या किसी केंद्र शासित राज्यों में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र पच्चीस हेक्टेयर या उससे अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अलावा) सेवाओं के लिए किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। शहरों की श्रेणी के आधार पर न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शहरों की श्रेणियाँ	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता
1	श्रेणी 'क'	50,000 वर्ग मीटर
2	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्ग मीटर
3	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्ग मीटर

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की प्रक्रिया

एसईजेड की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के बाद, अनुमोदन बोर्ड भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं और एसईजेड अधिनियम और नियमों में निर्धारित अन्य नियमों व शर्तों के अधीन एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, पहली प्राथमिकता बेकार और बंजर भूमि के अधिग्रहण के लिए होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो एसईजेड के लिए एकल फसल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक हिस्से को न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के

लिए बलपूर्वक अधिग्रहित किया जाना है, विशेष रूप से बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए, तो यह एसईजेड के लिए आवश्यक कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार एसईजेड के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं करती है। एसईजेड पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की गई है। इसके अलावा, 5 अप्रैल 2007 को हुई इसकी बैठक में मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी भी एसईजेड को मंजूरी नहीं देगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है या प्रस्तावित है।

(iii) एसईजेड के तहत भूमि का विवरण

1	7 केंद्रीय सरकार से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र + 12 राज्य/निजी अधिसूचित एसईजेड	2,132.18 हेक्टेयर
2	357 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	38,460.04 हेक्टेयर
3	67 औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	5,487.33 हेक्टेयर
4	अधिसूचित और औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र (1+2+3)	46,079.55 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 35 एसईजेड से संबंधित भूमि क्षेत्र	21,104 हेक्टेयर
6	भारत के भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का % (328 मि.हे.)	0.013%
7	भारत के कृषि भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का % (142 मि.हे.)	0.026%

(iv) एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ और शुल्क रियायत

❖ विदेशी निवेश सहित एसईजेड में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एसईजेड इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

- ◆ एसईजेड इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव हेतु शुल्क मुक्त आयात/माल की घरेलू खरीद।
- ◆ सेज इकाइयों के लिए आईजीएसटी एवं सीजीएसटी की छूट उपलब्ध है।
- ◆ आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को "शून्य रेटेड आपूर्ति" माना जाता है।
- ◆ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क।
- ◆ केंद्र और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए एकल खिड़की (सिंगिल विन्डो) निकासी।
- ❖ पूर्व में सेज इकाइयों से लाभ
 - ◆ पहले पांच वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा

10एए के तहत एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात आय पर सौ प्रतिशत आयकर छूट, अगले पांच वर्षों के लिए 50%, उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए पुनः निर्यात लाभ का 50%। (इकाइयों के लिए सनसेट क्लोज दिनांक 1.4.2021 से प्रभावी हुआ है)

- ◆ आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट (दिनांक 1.4.2012 से वापिस लिया गया)
- ❖ एसईजेड विकासकर्ताओं हेतु उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ◆ अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड के विकास हेतु सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट।
 - ◆ सेज इकाइयों के लिए आईजीएसटी एवं सीजीएसटी की छूट उपलब्ध है।
 - ◆ आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को "शून्य रेटेड आपूर्ति" माना जाता है।

❖ पूर्व में सेज इकाइयों से लाभ

- ♦ आयकर अधिनियम की धारा 80—आईएबी के तहत 15 वर्षों की अवधि में 10 वर्षों के ब्लॉक हेतु एसईजेड के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आयकर छूट। [विकासकर्ताओं हेतु सावधि विधि (सनसेट क्लाउस) दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हुआ है]

(घ) एसईजेड में कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुनिश्चित करने हेतु हालिया पहल

- ❖ निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड के लिए गणना की पद्धति की समीक्षा की गई और अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2019 संशोधित की गई है
- ❖ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निवल विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53ए डाला गया है।
- ❖ एसईजेड सेवाओं की एक समान सूची, निविष्टि की गई सेवाओं की एक विस्तृत सूची जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसे प्रत्येक उदाहरण के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने हेतु इकाइयों की आवश्यकता से बचा जा सकता है।
- ❖ एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशुगृह/बालवाड़ी और अन्य समान सुविधाओं/साधनों की स्थापना
- ❖ विकास आयुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में स्थानांतरित करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन
- ❖ आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से कार्य काम करने की अनुमति देने हेतु मार्च 2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन
- ❖ एफटीडब्ल्यूजेड में परित्यक्त मालध्वनिकासित कार्गो की निकासी के लिए दिशानिर्देश
- ❖ परिक्षेत्रों के लिए 'डी-अधिसूचना' प्रक्रिया को औपचारिक बनाना, और केवल एसईजेड के उद्देश्य हेतु इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को पृथक करना
- ❖ विनिर्माण क्षेत्रों के सेवाकरण को सक्षम करने हेतु सहायता। विनिर्माण सक्षम सेवा कंपनियों, जैसे अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, रसद सेवा आदि की अनुमति देना।
- ❖ विकासकर्ता को राज्य की नीतियों के अनुरूप, क्षेत्रों/जोन्स में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते निष्पादित

करने में लोचकता की अनुमति है।

- ❖ एक सह-विकासकर्ता से दूसरे सह-विकासकर्ता को अनुमोदन के हस्तांतरण के प्रावधानों को सक्षम करना।
- ❖ एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य फार्मों को सक्षम करने हेतु एसईजेड अधिनियम 2005 धारा 2 (v), में संशोधन।
- ❖ संशोधन दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से, एसईजेड नियमों के नियम 24(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर वापसी और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के संबंध में है, जहां भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र को विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- ❖ एसईजेड नियम 2006 में एक नया नियम 21ए डाला गया है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947 (वर्ष 1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
- ❖ इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बिजली दिशानिर्देश 2016 में संशोधन किया गया है, जिससे एक इकाई को अपने परिसर में गैर-पारंपरिक बिजली संयंत्रों को कैप्टिव खपत के विशेष उद्देश्य हेतु स्थापित करने की अनुमति मिलती है, बशर्ते निर्धारित गैर-कर शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 26 के अधीन हो।
- ❖ एसईजेड/ईओयू में पहने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों हेतु नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106 दिनांक 27 मई 2021 को जारी किया गया था।
- ❖ फार्मा उद्योग के लिए नियामक अनुपालन को कम करने के लिए सभी विकास आयुक्तों को निर्देश संख्या 107 दिनांक 26 अगस्त 2021 जारी किया गया है। इसके अलावा, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ एफएसएसएआई के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।
- ❖ एसईजेड नियम 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर 2021 जारी किया गया है।
- ❖ निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता

पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार हस्तांतरण व्यवस्था, अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और अलग किया जाना, नियमावली में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन कि संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यू.ए.सी.), विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता / इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे, और एक कार्यशील लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

❖ एसईजेड नियम, 2006 के नियम 41 और 42 में दिनांक 8 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.288(ई) द्वारा एक नियम संशोधन किया गया है ताकि एसईजेडों से कार्य करते समय कीमती धातुओं को शामिल किया जा सके।

❖ ईओयू में प्रयुक्त/घिसे-पिटे कपड़ों और प्लास्टिक

रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए एक नीति 5 मई, 2022 को जारी की गई है, जिससे एसईजेड/ईओयू में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के अनुमोदन पत्र (एलओए) को 27.05.2021 के नीतिगत दिशानिर्देशों में निर्धारित 18 महीने के बजाय 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

❖ एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 43ए जोड़ा गया था जो एसईजेड इकाइयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने में सक्षम बनाता है।

❖ 12 अगस्त, 2022 को अनुदेश संख्या 110 जारी किया गया है, जिससे एसईजेड (तृतीय संशोधन) नियम, 2022 के नियम 43 ए के कार्यान्वयन के लिए घर से काम करने की अनुमति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

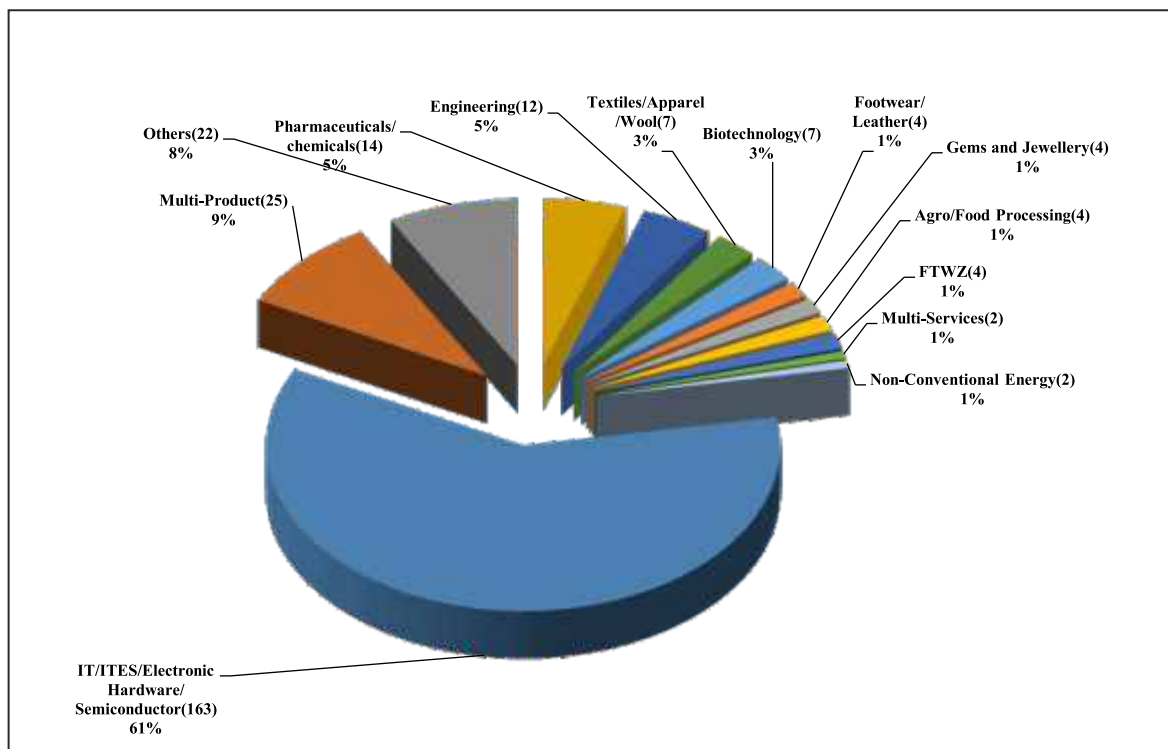
अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण				
(26.10.2022 तक)				
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक स्वीकृति	अधिसूचित एसईजेड	कुल क्रियाशील एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम के तहत)
आंध्र प्रदेश	33	4	28	25
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	26	4	22	21
हरियाणा	25	3	22	7
झारखंड	2	0	2	0
कर्नाटक	62	0	51	34
केरल	27	0	23	20
मध्य प्रदेश	12	0	7	5
महाराष्ट्र	49	12	43	37
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
उड़ीसा	7	0	5	5
पुदुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	5	1	4	3
सिक्किम	1	0	0	0
तमिलनाडु	56	5	53	50
तेलंगाना	64	0	58	36
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तर प्रदेश	24	1	21	14
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	424	35	357	270

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर तथ्य पत्रक

(अन्य वेबसाइट: www.sezindia.nic.in)

औपचारिक स्वीकृतियों की संख्या (26.10.2022 तक)		424			
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (26.10.2022 तक)		376 (एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केंद्रीय सरकार +12 राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड सहित)			
सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या (26.10.2022 तक)		35			
कार्यशील एसईजेड की संख्या (30 जून, 2022 तक)		270			
एसईजेड में स्वीकृत इकाइयों (30 जून, 2022 तक)		5,620			
एसईजेड हेतु भूमि (26.10.2022 तक)	7 केंद्रीय सरकार + 12 राज्य सरकार/निजी एसईजेड, एसईजेड अधिनियम 2005 से पहले अधिसूचित।	एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)	औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड	कुल क्षेत्रफल (3+4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2132.18 हेक्टेयर	38460.04 हेक्टेयर	40592.22 हेक्टेयर	5487.33 हेक्टेयर	46079.55 हेक्टेयर
	भूमि राज्य का विषय है। एसईजेड के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदी जाती है।				
निवेश	निवेश (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील निवेश		कुल निवेश (30 जून 2022 तक)	
केंद्र सरकार के एसईजेड	2,279.20 करोड़ रुपये	21,006.85 करोड़ रुपये		23,286.05 करोड़ रुपये	
वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी एसईजेड	1,756.31 करोड़ रुपये	11,706.61 करोड़ रुपये		13,462.92 करोड़ रुपये	
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	6,09,036.21 करोड़ रुपये		6,09,036.21 करोड़ रुपये	
कुल	4,035.51 करोड़ रुपये	6,41,749.67 करोड़ रुपये		6,45,785.18 करोड़ रुपये	
रोजगार	रोजगार (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील रोजगार		कुल रोजगार (30 जून, 2022 तक)	
केंद्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 आदमी	73,039 आदमी		1,95,275 आदमी	
वर्ष 2006 से पहले स्थापित सरकार/निजी एसईजेड	12,468 आदमी	97,656 आदमी		1,10,124 आदमी	
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 आदमी	25,01,857 आदमी		25,01,857 आदमी	
कुल	1,34,704 आदमी	26,72,552 आदमी		28,07,256 आदमी	
वर्ष 2020-21 में निर्यात डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	रु.7,59,524 करोड़ [यूएस\$ 102.32 बिलियन] (वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में -4.66% की कमी) रु.20,167 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु.1,76,634 करोड़ (कुल उत्पादन का 18%)				
वर्ष 2021-22 में निर्यात डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	रु.9,90,747 करोड़ [यूएस\$ 133 बिलियन] (वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 30% की वृद्धि) रु.27,401 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु.3,27,642 करोड़ (कुल उत्पादन का 24%)				
वर्ष 2022-23 में निर्यात (30 सितंबर, 2022 तक) डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	रु.5,92,459 करोड़ [75.48 बिलियन अमरीकी डालर] (वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 32.17% की वृद्धि) रु.14,255 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु. 1,35,560 करोड़ (कुल उत्पादन का 18%)				

भारत में एसईजेड का क्षेत्रवार संवितरण
(दिनांक 30.09.2022 के अनुसार कार्यशील एसईजेड की संख्या और प्रतिशत (270))



2. निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) योजना को वर्ष 1981 की शुरुआत में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना था। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्रधनिर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) योजना की पूरक योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसे साठ के दशक में आरंभ किया गया था। यह एसईजेड (पूर्ववर्ती ईपीजेड) के समान उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है, लेकिन स्थानों में यह एक विस्तृत विकल्प प्रदान करता है।

निर्यात-आयात नीति के अनुसार, डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन को

निर्यात करने वाली इकाइयों को निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के रूप में संदर्भित किया जाता है। ईओयू विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में अर्थात वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं।

ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 और इसकी प्रक्रियाओं के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीएच) में निहित है।

30 सितंबर 2021 को संचालित 1650 ईओयू की तुलना में 30 सितंबर 2022 तक 1638 इकाइयां ईओयू योजना के तहत परिचालन में हैं।

कार्यात्मक ईओयू का राज्यवार वितरण दिनांक 30.09.2021 तक

एसईजेड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30.09.2021 तक कार्यात्मक ईओयू
एनएसईजेड	चंडीगढ़	02
	दिल्ली	06
	हरियाणा	50
	हिमाचल प्रदेश	03
	जम्मू और कश्मीर	01
	पंजाब	07
	राजस्थान	48
	उत्तर प्रदेश	46
	उत्तराखंड	02
सीएसईजेड	कर्नाटक	385
	केरल	84
आईएसईजेड	मध्य प्रदेश	6
वीएसईजेड	आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़	68
	तेलंगाना	128
एफएसईजेड	पश्चिम बंगाल	30
	झारखंड	02
	ओडिशा	01
	मेघालय	01
एमईपीजेड	तमिलनाडु	306
	पुदुचेरी	22
केएसईजेड	गुजरात	181
एसईईपीजेड	महाराष्ट्र	218
कुल		1638

ईओयू द्वारा निर्यात प्रदर्शन

वर्ष	ईओयू निर्यात (करोड़ रुपये में)
2018-19	1,24,704
2019-20	1,20,172
2020-21	1,25,640
2021-22	1,35,459*
2022-23	64,595*

*प्रावधिक/अनंतिम, जैसा कि कुछ इकाइयों से एपीआर और क्यूपीआर अभी प्राप्त होना बाकी है।

ईओयू के कार्य मुख्य रूप से कपड़ा और यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,

इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट और खनिज/अयस्क में केंद्रित हैं।

અધ્યાય 8



વિશેષીકૃત એજેન્સિયાં

1. बागान (चाय, कॉफी, रबर और मसाले)

बागान क्षेत्र में चाय, कॉफी, रबर और मसाले क्षेत्र शामिल हैं जिनका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्व है क्योंकि यह क्षेत्र बागान उद्योग और इसकी सहायक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका की चिंताओं से संबंधित है। यह एक बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक भी है। बागान क्षेत्र भारत के सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और कई राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बागान फसलों की विशिष्टता पारंपरिक कौशल विकास और टिकाऊ तरीके से प्रवास के बिना, इसकी विशाल विकास क्षमता और बेहतर जीवन की गुंजाइश में निहित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में बागान को इसकी तीव्र कमी को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक के साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया था। इस भूमिका को देखते हुए, इस क्षेत्र को राज्य का काफी ध्यान मिला। यह स्पष्ट है क्योंकि प्रत्येक फसल के लिए कमोडिटी बोर्ड निर्धारित किए गए थे और विधियों के साथ इन बोर्डों को बागान विकास के लिए आवश्यक विभिन्न क्रियाकलापों को करने का अधिकार दिया गया था।

प्रत्येक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है:

(क) चाय सेक्टर

(i) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। चाय बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा नियुक्त 30 सदस्य शामिल हैं। बोर्ड की अध्यक्षता एक गैर-आधिकारिक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और उपाध्यक्ष संगठन का कार्यकारी प्रमुख होता है।

बोर्ड उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने, व्यापार को सुगम बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास से संबंधित एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है ताकि छोटे उत्पादकों सहित उत्पादकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। उद्योग से संबंधित सांख्यिकीय और

अन्य प्रासंगिक डेटा एकत्र करना और उद्योग के विभिन्न वर्गों में जानकारी का प्रसार करना, विभिन्न हितधारकों का पंजीकरण और लाइसेंस देना।

(ii) भारत में चाय

भारत दुनिया में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में चाय की खपत इसकी आबादी के कारण वैश्विक खपत का 19 प्रतिशत है, हालांकि प्रति व्यक्ति खपत कम है। कुल उत्पादन का लगभग 81 प्रतिशत देश के भीतर खपत होता है और शेष 19 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा लाने के अलावा, चाय उद्योग चाय उत्पादक राज्यों के लिए राजस्व के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक लाख से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की क्षमता है, जिनमें से एक बड़ी संख्या महिलाओं की है।

(iii) चाय उत्पादक क्षेत्र

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। कुल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 98 प्रतिशत है। अन्य पारंपरिक राज्य जहां चाय थोड़ी हद तक उगाई जाती है, वे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक हैं। हाल के वर्षों में भारत के चाय मानचित्र में प्रवेश करने वाले गैर-पारंपरिक राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। भारत दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय का उत्पादन करता है दृ दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी और कांगड़ा अपने डेलिकेट स्वाद, गुण और ब्राईटनेस के लिए प्रसिद्ध हैं। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ, भारत उपभोक्ताओं के विभिन्न स्वादों और वरीयताओं के अनुकूल चाय का मिश्रण पैदा करता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग-अलग हैं, जो उन्हें कई अलग-अलग तरीकों से एक दूसरे से अलग करती हैं।

(iv) उत्पादन

2021-2022 चाय उत्पादन 1,344.40 मिलियन किलोग्राम है, जबकि 2020-21 में 1,283.03 मिलियन किलोग्राम था, जो उत्तर भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में प्रचलित बेहतर जलवायु परिस्थितियों के कारण 61.37 मिलियन किलोग्राम (4.78%) की वृद्धि दर्शाता है।

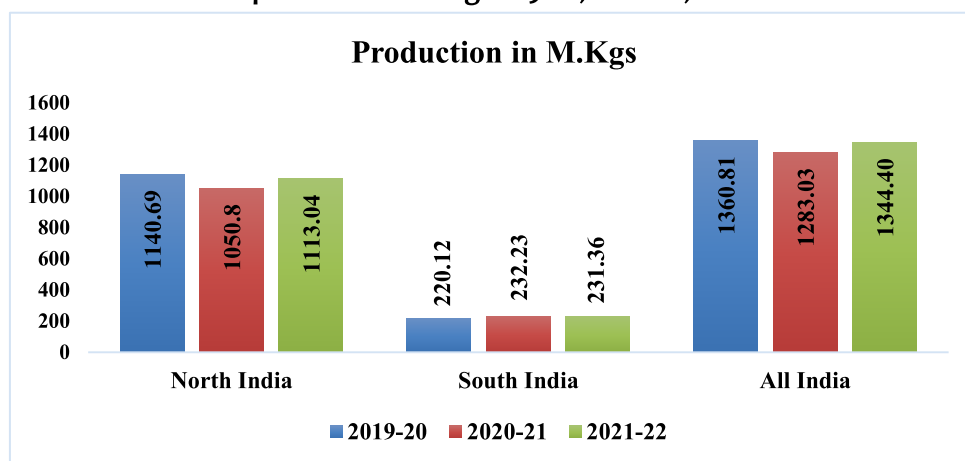
पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन (मिलियन किलोग्राम में)

वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	सम्पूर्ण भारत
2019-20	1140.69	220.12	1360.81
2020-21	1050.80	232.23	1283.03
2021-22	1113.04	231.36	1344.40

स्रोत: चाय बोर्ड

2022-23 के लिए: उत्पादन के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, **2022-23** (अप्रैल-नवंबर) के दौरान संचयी चाय उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के बराबर **1176.89** मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया है। यह उम्मीद की जाती है कि **2022-23** के लिए चाय उत्पादन लगभग **1350** मिलियन किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल के **1344.40** मिलियन किलोग्राम के उत्पादन से अधिक है।

Tea production during 2019-20, 2020-21, 2021-22



स्रोत: चाय बोर्ड

(v) निर्यात

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से निर्यात 5,415.78 करोड़ रुपये की मूल्य प्राप्ति के साथ 200.79 मिलियन किलोग्राम की मात्रा में था, जबकि 2020-21 के दौरान 203.79 मिलियन किलोग्राम की मात्रा और मूल्य प्राप्ति में 5,311.53 करोड़ रुपये की मूल्य प्राप्ति हुई थी, जो मात्रा में 3 मिलियन किलोग्राम की कमी लेकिन 104.25 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। यूनिट मूल्य प्राप्ति 2021-22 में बढ़कर 269.72 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 2020-21 में 260.64 रुपये

प्रति किलोग्राम थी। 2021-22 में कुल निर्यात में से लगभग 16.01 प्रतिशत मूल्य वर्धित रूप (पैकेट चाय, टी बैग और इंस्टेंट चाय) में है, जबकि बाकी थोक रूप में है। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित देशों को निर्यात में वृद्धि देखी गई, संयुक्त अरब अमीरात में 9.60 मिलियन किलोग्राम, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.40 मिलियन किलोग्राम, जर्मनी में 1.16 मिलियन किलोग्राम, सिंगापुर में 0.94 मिलियन किलोग्राम, ईरान में 0.93 मिलियन किलोग्राम और श्रीलंका में 0.78 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि देखी गई।

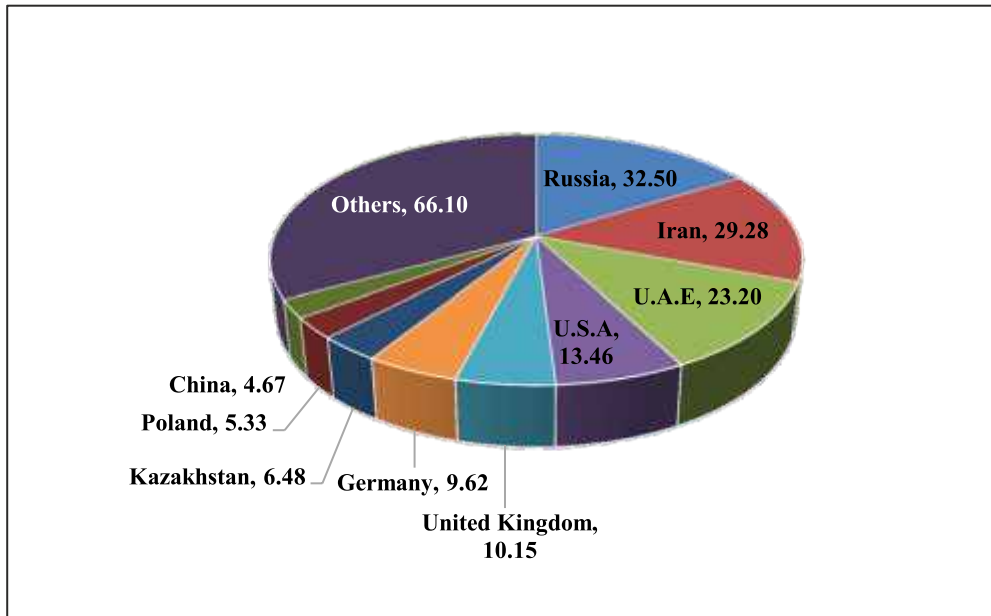
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मिलियन किलोग्राम)	मूल्य (करोड़ रुपये)	यूनिट मूल्य (रुपये / किलोग्राम)	मूल्य (यूएस मिलियन डालर)	यूनिट मूल्य (डालर / किलोग्राम)
2019-20	241.34	5457.10	226.11	768.93	3.19
2020-21	203.79	5311.53	260.64	716.86	3.52
2021-22	200.79	5415.78	269.72	726.82	3.62

(स्रोत: चाय बोर्ड)

डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अस्थायी चाय निर्यात 165.16 मिलियन किलोग्राम था, जिसमें एफओबी मूल्य 4476.08 करोड़ रुपये और 561.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 की समसंख्यक अवधि के दौरान 134.85 मिलियन किलोग्राम, एफओबी मूल्य 3720.34 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

2021-22 में भारतीय चाय निर्यात की निदेश



स्रोत: चाय बोर्ड

(vi) आयात

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयातित चाय की मात्रा 25.97 मिलियन अमेरिकी किलोग्राम थी, जिसका मूल्य 50.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका यूनिट मूल्य 1.96 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम था, जबकि 2020-21 में 2.25 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम के यूनिट मूल्य के साथ 62.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 27.75 मिलियन किलोग्राम आयात किया गया था।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान अनंतिम आयात 17.27 मिलियन किलोग्राम था, जिसका मूल्य 33.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि इसी अवधि में यह 15.37 मिलियन किलोग्राम और 31.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(vii) चाय विकास

चाय अधिनियम के अंतर्गत चाय बोर्ड को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक में चाय उत्पादन और बागानों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, चाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और छोटे चाय उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और चाय बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के पूरक हैं। बोर्ड चाय विकास और संवर्धन योजना (2021-22 से 2025-26) को लागू कर रहा है, जिसे सरकार द्वारा 967.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे चाय उत्पादकों पर विशेष जोर देते हुए चाय

उद्योग का समग्र विकास करना है।

(viii) छोटे उत्पादक

बोर्ड चाय उत्पादक राज्यों में प्रमुख लघु उत्पादक घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से विशेष रूप से छोटे चाय उत्पादकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों में से एक छोटे चाय उत्पादकों के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र पद्धतियों, जैविक खेती, मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिकता आदि पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण देना है।

(ix) चाय संवर्धन

विदेशी कार्यालयरु चाय बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्यकलापों की निगरानी प्रधान कार्यालय, कोलकाता से की जा रही है क्योंकि वर्तमान में कोई विदेशी कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। मॉस्को में काम अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा दूतावास के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। वे चाय निर्यात संवर्धन गतिविधियां करते हैं और सीआईएस क्षेत्र में भारतीय चाय के आयातकों के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों के साथ संपर्क करते हैं।

भारत के विदेशी व्यापार में रुझानरु 2021 के दौरान, छह (6) प्रमुख उत्पादक देशों अर्थात् चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया ने सामूहिक रूप से 47.45%, 20.81%, 8.33%, 4.64%, 2.79% और 1.97% के संबंधित निर्यात शेयरों के साथ कुल उत्पादन का 86 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया।

वर्ष 2022-23 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान, भारतीय चाय निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 501.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 561.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज करके मूल्य प्राप्ति में 11.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

2022-23 के दौरान, चाय बोर्ड ने सीरिया, रूस, सऊदी अरब, इराक, मलेशिया आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्यों के देशों में संबंधित दूतावासों/मिशन/ध्वाणिज्य दूतावासों के सहयोग से चाय आयातकों के साथ वर्चुअल बी 2 बी बैठकें आयोजित करके विभिन्न प्रचार क्रियाकलापों को अंजाम दिया। बोर्ड ने चाय व्यापार के साथ संपर्क कार्य भी बनाए रखा, व्यापार पूछताछ में भाग लिया, डीओसी में संबंधित प्रभागों के समन्वय से प्रमुख बाजारों में भारतीय चाय निर्यात से संबंधित विभिन्न व्यापार-प्रभावित मुद्दों का समाधान करने की सुविधा प्रदान की। इसने चाय व्यापार को निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों के साथ-साथ कोलकाता में अपने प्रधान कार्यालय और विदेशों में मिशनों के माध्यम से बाजार और व्यापार जानकारी के प्रसार के बारे में सूचित किया था। ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर अभियान भारतीय चाय की किस्मों, सकारात्मक स्वास्थ्य विशेषताओं, भारतीय चाय की विभिन्न किस्मों की अनूठी विशेषताओं आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी बहुत प्रभावी साबित हुआ है।

चाय अनुसंधानरू उच्च उपज और गुणवत्ता वाली खेती विकसित की गई है। इसके अलावा, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक, मशीनीकरण के लिए संवेदी सहायक उपकरण भी विकसित किए गए हैं। चाय के विभिन्न नियामक मुद्दों (कीटनाशकों की अवशेष सीमा का निर्धारण, कीटनाशक अवशेष समस्या को संबोधित करना, लोहे की फाइलिंग, भारी धातु संदूषक, कृत्रिम रंग, गुणवत्ता मापदंडों का निर्धारण और पैकेजिंग मानकों सहित) को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नियामक मानकों का पालन करने के लिए संभाला गया है।

(ख) कॉफी सेक्टर

(i) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के तहत किया गया है, जो संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है। बोर्ड में सचिव, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और शेष 31 सदस्य शामिल हैं, जिनमें संसद सदस्य, कॉफी उत्पादक राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का

प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्धन और श्रम कल्याण उपायों के क्षेत्रों में अपनी क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय के साथ कार्य करता है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के बालेहोन्नूरु में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है, जिसमें चेततल्ली (कर्नाटक) में एक उप-स्टेशन और चुंडाले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं। विस्तार नेटवर्क पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है।

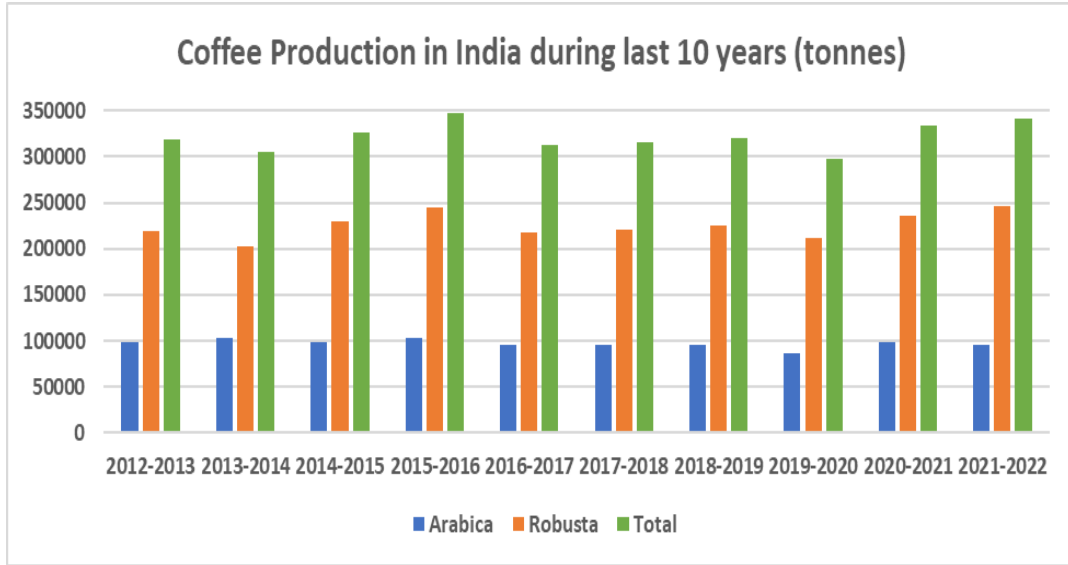
(ii) कॉफी क्षेत्र

कॉफी की खेती लगभग 4.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को कवर करने वाले पारंपरिक क्षेत्रों में की जाती है, जो कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत योगदान देते हैं। कॉफी की खेती कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में और कुछ हद तक पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भी की जाती है, जिसमें जनजातीय विकास और वनीकरण पर मुख्य जोर दिया जाता है।

देश में लगभग 4.07 लाख कॉफी होल्डिंग्स हैं, जिनमें से लगभग 4.04 लाख होल्डिंग्स (99 प्रतिशत) छोटे उत्पादक श्रेणी (10 हेक्टेयर तक) के हैं, जो क्षेत्र में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी और उत्पादन में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी का योगदान करती हैं और शेष 1 प्रतिशत कुल जोत बड़े उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें 10 हेक्टेयर से अधिक होल्डिंग आकार है जिनकी क्षेत्र में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी और उत्पादन में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

(iii) कॉफी उत्पादन

2021-22 के लिए अंतिम फसल अनुमान 3,42,000 टन रखा गया है जिसमें 95,000 टन अरेबिका और 2,47,000 टन रोबस्टा शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए मानसून के बाद का अनुमान 3,60,500 टन रखा गया है जिसमें 1,01,500 टन अरेबिका और 2,59,000 टन रोबस्टा शामिल है।



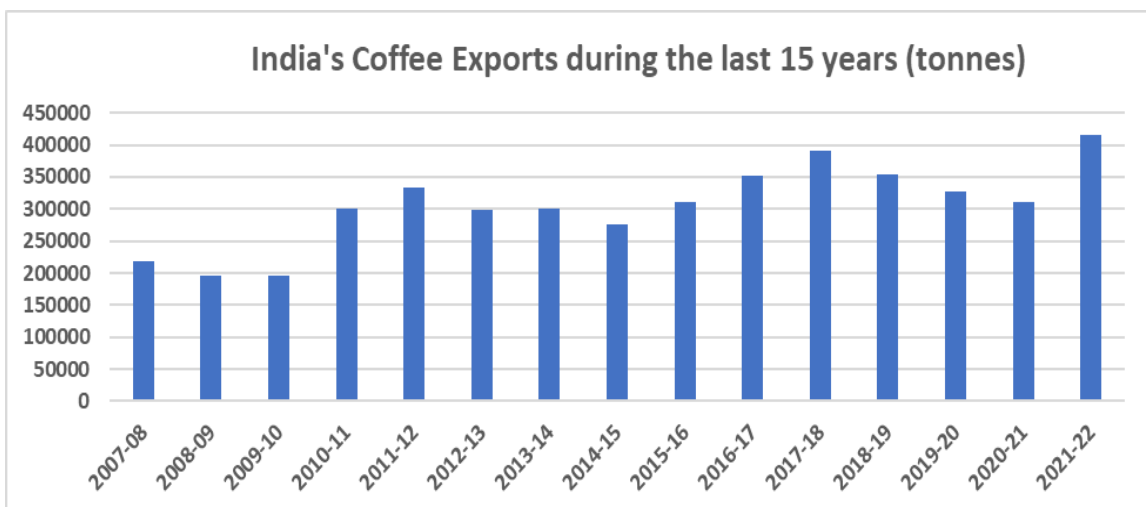
स्रोत: कॉफी, कॉफी बोर्ड पर डेटाबेस

(iv) उत्पादकता

2021-22 के दौरान कॉफी की समग्र उत्पादकता 797 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अरेबिका की उत्पादकता 448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और रोबस्टा की उत्पादकता 1,139 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पारंपरिक कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों में, उत्पादकता 951 किलोग्राम / हेक्टेयर के समग्र औसत के साथ उच्च है, जिसमें अरेबिका के मामले में 634 किलोग्राम & हेक्टेयर और रोबस्टा में 1142 किलोग्राम / हेक्टेयर शामिल है।

(v) कॉफी का निर्यात

कॉफी मुख्य रूप से एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और वर्तमान में देश के उत्पादन का 70 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है जबकि शेष घरेलू बाजार में खपत होती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत ने 1033.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के समकक्ष 7699.50 करोड़ रुपये मूल्य की 416247 टन काफी (पुनर्निर्यात सहित) का निर्यात किया जबकि पिछले जबकि पिछले वर्ष के दौरान 734.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 5450.88 करोड़ रुपये मूल्य की 3,10,647 टन कॉफी का निर्यात किया गया था। चालू वर्ष (अप्रैल से दिसंबर 2022) के दौरान, कॉफी निर्यात 2,88,716 टन था, जिसका मूल्य 6,451.83 करोड़ रुपये था जो 812.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।



स्रोत: कॉफी, कॉफी बोर्ड पर डेटाबेस

(vi) मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात

मूल्य वर्धित कॉफी के निर्यात में 2003-04 की अवधि के दौरान 44,764 टन के स्तर से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कुल कॉफी निर्यात में लगभग 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी जबकि 2021-22 में 1,22,359 टन की कुल कॉफी निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसंबर 2022) की अवधि के दौरान मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात 1,04,919 टन था, जिसकी इसी अवधि के दौरान कुल कॉफी निर्यात में लगभग 36 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

(vii) अनुसंधान उपलब्धियां

अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक कॉफी अनुसंधान और उद्योग सहायक क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में की गई मुख्य उपलब्धियों को संक्षेप में यहां प्रस्तुत किया गया है:

- ❖ कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर सहिष्णु अरेबिका जीनोटाइप (एस. 4595) को सफलतापूर्वक ऊतक संवर्धन विधि द्वारा गुणक किया गया था। 2020 के रोपण के सीजन के दौरान 27 स्थानों पर इस जीनोटाइप के कुल 30,000 टिशू कल्चर पौधे लगाए गए थे और इन परीक्षण भूखंडों की नियमित अंतराल पर वनस्पति शक्ति और कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर घटनाओं के लिए निगरानी की जा रही है। पर्यवेक्षणों से संकेत दिया कि टिशू कल्चर पौधे जोरदार पाए जाते हैं और अब तक कोई कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर की घटना नहीं देखी गई है।
- ❖ 'रोबस्टा की विशेषता विशिष्ट क्लोनल किस्मों का विकास' कार्यक्रम के तहत, 2019-2022 तक चिकमंगलूर, कोडागु और वायनाड क्षेत्रों में 57 एस्टेट से कुलीन रोबस्टा मदर पौधों की 355 संख्या की पहचान की गई थी। सृजित आंकड़ों के आधार पर 251 प्लान्ट्स में से 103 रोबस्टा प्लान्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। चिन्हित 103 मदर प्लान्ट्स में से 88 प्लान्ट्स को सीसीआरआई और सीआरएसएस, चेततल्ली में ग्राफ्ट या क्लोनल विधि द्वारा प्रचारित किया गया था। कॉफी बोर्ड के अनुसंधान फार्मों में लगाए जाने वाले रोबस्टा मदर पौधों से कुल 800 क्लोनल पौधे उगाए गए थे।
- ❖ 2022-23 सीजन के दौरान, क्लोनल प्रसार/टॉप ग्राफ्टिंग के लिए वानस्पतिक लकड़ी की निरंतर आपूर्ति के लिए एक स्रोत के रूप में मदर गार्डन/बुड गार्डन स्थापित करने के लिए 25 उत्पादकों को रोबस्टा वर सी एक्स आर के विशिष्ट जड़ वाले क्लोनों की आपूर्ति की गई थी।
- ❖ मृदा, पत्ती और कृषि रसायन विश्लेषण के माध्यम से

उत्पादकों को सलाहकार सेवा सहायता के तहत, दिसंबर 2022 तक 702 उत्पादकों से प्राप्त कुल 2034 नमूनों (मिट्टी -1543, कृषि रसायन -462, पत्ती -29) का विश्लेषण किया गया। सिफारिशों के साथ परामर्श रिपोर्ट बागान मालिकों को जारी की गई थी।

- ❖ सूखा सहिष्णु रोबस्टा खेती विकसित करने की दिशा में, अरेबिका रूट स्टॉक (अरेबिका चयन जैसे, 5 बी, 6 और 9) की रोबस्टा साइन्स (एस 274 और कॉर्गेंसिस रोबस्टा जैसे रोबस्टा चयन) के साथ ग्राफ्टिंग की गई थी। चार साल पुराने ग्राफ्टेड पौधों के शारीरिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अन्य ग्राफ्ट संयोजनों की तुलना में एसएलएन 9/कॉर्गेंसिस रोबस्टा और एसएलएन. 5बी/एस.274 ग्राफ्ट संयोजनों ने बेहतर शारीरिक क्रियाकलाप(सापेक्ष जल सामग्री, कुल क्लोरोफिल सामग्री, एपिक्यूटिकुलर मोम सामग्री और सुपर ऑक्साइड रेडिकल के संबंध में) दर्ज किए हैं।
- ❖ कॉफी पत्ती जंग रोग के प्रबंधन के लिए एक नए संपर्क कवकनाशी अणु अर्थात् कॉपर सल्फेट 47.15 प्रतिशत. मैनकोजेब 30 प्रतिशत डब्ल्यूडीजी (क्यूप्रोफिक्स) के क्षेत्र मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जैसे अनुशंसित संपर्क कवकनाशी की तुलना में क्यूप्रोफिक्स प्रभावी पाया जाता है।
- ❖ कॉफी लीफ रस्ट रोग के प्रबंधन के लिए सात नए प्रणालीगत कवकनाशी अणुओं के क्षेत्र मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि अन्य नए कवकनाशी अणुओं की तुलना में फ्लोपीराम 17.7 प्रतिशत. टेबुकोनाजोल 17.7 प्रतिशत एससी और प्रोपिकोनाजोल 13.9 प्रतिशत. डिफेनोकोनाजोल 13.9 प्रतिशत प्रतिशत इसी की प्रभावकारिता अनुशंसित कवकनाशी अणु (यानी हेक्साकोनाजोल 5 ईसी) की प्रभावकारिता के समान है।
- ❖ अरेबिका कॉफी में काली सड़न रोग के खिलाफ परीक्षण किए गए नौ नए प्रणालीगत कवकनाशी अणुओं के क्षेत्र मूल्यांकन ने संकेत दिया कि टेबुकोनाजोल 38.39 प्रतिशत और पाइराक्लोस्ट्रोबिन 133 ग्राम/एल. एपॉक्सिकोनाजोल परीक्षण किए गए अन्य नए प्रणालीगत कवकनाशी अणुओं की तुलना में बहुत प्रभावी पाए गए हैं।
- ❖ रोबस्टा कॉफी में डंठल सड़न रोग के खिलाफ परीक्षण किए गए सात नए प्रणालीगत कवकनाशी अणुओं के क्षेत्र मूल्यांकन से पता चला है कि, अन्य नए प्रणालीगत कवकनाशी अणुओं की तुलना में पाइराक्लोस्ट्रोबिन 133 ग्राम / एल. एपॉक्सिकोनाजोल 50 ग्राम / एल और टेबुकोनाजोल 39.39 प्रतिशत प्रभावी पाए गए हैं।

❖ कॉफी बेरी बोरर कीट संक्रमण के प्रबंधन के लिए 58 बागान मालिकों को कुल 37,800 नंबर ब्रोका ट्रेप की आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा, कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर कीट संक्रमण के प्रबंधन के लिए दस बागान मालिकों को फेरोमोन ट्रेप की 1,085 संख्या की आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा, मीली बग कीट संक्रमण के प्रबंधन के लिए चौदह बागान मालिकों को जैव-नियंत्रण एजेंट (लेप्टोमैस्टिक्सडैक्टिलोपी) के 36,700 नंबर की आपूर्ति की गई थी।

(viii) विस्तार और विकास सहायता

- ❖ कॉफी के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) के तहत, दिसंबर 2022 तक पुनर्रोधन/विस्तार/समेकन, जल संवर्धन और गुणवत्ता उन्नयन अवसंरचना, निर्यात संवर्धन और मूल्य वर्धन के लिए समर्थन के लिए लगभग 5220 कॉफी उत्पादकों को लगभग 24.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- ❖ लगभग 5,517 कॉफी उत्पादकों को विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों (टीईसी) में कॉफी की खेती पर प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय कार्यशालाओं, सेमिनारों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के तहत कवर किया गया है।
- ❖ कॉफी बोर्ड कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और चिकमंगलुरु जिलों में 2,600 जनजातीय उत्पादकों को शामिल करते हुए कर्नाटक सरकार की वित्तीय सहायता से आदिवासियों द्वारा उत्पादित कॉफी और काली मिर्च के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ix) निर्यात संवर्धन

- ❖ व्यापार करने में आसानी के लिए नियामक अनुपालन को कम करने के लिए, कॉफी बोर्ड ने 2020-21 के दौरान डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉफी निर्यात दस्तावेजों अर्थात् पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) निर्यात परमिट (फॉर्म सी) और आईसीओ उत्पत्ति प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन जारी किया है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति के अनुसार आरसीएमसी प्रमाण पत्र के नवीकरण की आवधिकता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है और निर्यात परमिट (फॉर्म सी) और आईसीओ मूल प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड ने आईसीईगेट प्लेटफॉर्म पर निर्यात दस्तावेजों को भी एकीकृत किया।

- ❖ कॉफी बोर्ड कई बिचौलियों के बिना कॉफी उत्पादकों और उद्यमियों के लिए प्रत्यक्ष निर्यात के लिए एक मंच बनाने के लिए विक्रयम इनक्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल है।
- ❖ विभिन्न विदेशी गंतव्यों में भारतीय कॉफी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कॉफी बोर्ड विभिन्न सामान्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों जैसे कॉफी केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो/प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, कप चखने के सत्र, व्यापार प्रतिनिधिमंडल आदि में भागीदारी करता है।
- ❖ बोर्ड ने डिजिटल मीडिया अभियानों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भारतीय कॉफी को भी बढ़ावा दिया।
- ❖ कॉफी बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बहरीन के सहयोग से 13 जून 2022 को भारतीय कॉफी पर वर्चुअल बिजनेस नेटवर्क मीट का आयोजन किया। बहरीन के 18 प्रमुख कॉफी आयातकों और भारत के 32 कॉफी निर्यातकों ने बातचीत की और संपर्कों का आदान-प्रदान किया।
- ❖ कॉफी बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन और चीन कॉफी एसोसिएशन के सहयोग से 17 जून 2022 को भारत के कॉफी पर वर्चुअल बिजनेस नेटवर्क मीट का आयोजन किया। चीन कॉफी एसोसिएशन के साथ चीन के लगभग 23 प्रमुख कॉफी आयातकों और भारत के 29 कॉफी निर्यातकों ने बातचीत की और संपर्कों का आदान-प्रदान किया।
- ❖ ब्रसेल्स, बेल्जियम में भारतीय दूतावास ने कॉफी बोर्ड के सहयोग से 20-21 अगस्त, 2022 को ब्रसेल्स के पार्क डु सिनकैंटेनेयर में आयोजित इंडिया फूड फेस्टिवल में भारतीय कॉफी को बढ़ावा दिया। इस आयोजन में भारतीय समुदाय के साथ-साथ स्थानीय लोगों की ऊर्जावान भागीदारी देखी गई, और दो दिनों में 8000-9000 व्यक्तियों की अनुमानित फुटफाल दर्ज की गई।
- ❖ कॉफी बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन और चीन कॉफी एसोसिएशन के सहयोग से 1 नवंबर 2022 को भारत के कॉफी पर वर्चुअल बिजनेस नेटवर्क मीट का आयोजन किया। चीन कॉफी एसोसिएशन के साथ चीन के 16 प्रमुख कॉफी आयातकों और भारत के 25 कॉफी निर्यातकों ने बातचीत की और संपर्कों का आदान-प्रदान किया।
- ❖ बीजिंग, चीन में भारतीय दूतावास ने कॉफी बोर्ड के सहयोग से 16 से 23 नवंबर 2022 तक बीजिंग में विभिन्न कॉफी दुकानों में भारतीय कॉफी संवर्धन सप्ताह का आयोजन किया। कुछ कॉफी की दुकानों ने भारतीय कॉफी

ऑनलाइन खरीदने में रुचि व्यक्त की। भारतीय कॉफी निर्यातकों को चीन में प्रमुख क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर आने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया गया है।

- ❖ कॉफी बोर्ड ने भारतीय दूतावास, कुवैत के सहयोग से 28 नवंबर 2022 को भारत के कॉफी पर वर्चुअल बिजनेस नेटवर्क मीट का आयोजन किया। कुवैत के 16 प्रमुख कॉफी आयातकों और भारत के 25 कॉफी निर्यातकों ने बातचीत की और संपर्कों का आदान-प्रदान किया।
- ❖ बेरुत, लेबनान में भारतीय दूतावास ने कॉफी बोर्ड के सहयोग से फोरम डी बेरुथ, बेरुत, लेबनान में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग 2022 प्रदर्शनी में भारत की कॉफी को बढ़ावा दिया।

(x) बाजार विकास

❖ राष्ट्रीय बरिस्टा चैम्पियनशिप 2022

- ◆ वर्ष 2022 के लिए एनबीसी के 20 वें संस्करण का आयोजन ओरियन मॉल, राजाजीनगर, बंगलुरु में स्पेशियलिटी कॉफी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एससीएआई) और यूनाइटेड कॉफी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (यूसीएआई) के सहयोग से कॉफी हितधारकों की व्यापक भागीदारी और समर्थन के साथ भव्य तरीके से किया गया था।

- ◆ दक्षिण कोरिया की सुश्री सियोनही (सनी) यून जजों के अंशांकन और प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और अंतिम दौर में अंपायरिंग करने के लिए विश्व कॉफी इवेंट प्रतिनिधि थीं। कुल 59 बरिस्टों ने अपने विस्तृत 15 मिनट के प्रदर्शन के साथ इसका मुकाबला किया। श्री मिथिलेश वजलवार मैसर्स कॉरिडोर सेवन कॉफी रोस्टर्स और श्री संतोष बसवराज मैसर्स थर्ड वेव कॉफी ने 27 से 30 सितंबर 2022 तक विश्व बरिस्टा चैम्पियनशिप 2022 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

- ❖ कॉफी बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 से कॉफी गुणवत्ता प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कॉफी गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करने में मदद करता है।

- ❖ कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2022-23 के दौरान कुल 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 96 प्रतिभागियों ने प्रधान कार्यालय में कार्यक्रम में भाग लिया है।

(xi) कॉफी बोर्ड की हाल के पहल

कॉफी बोर्ड जुलाई 2018 से कॉफी किसानों के लिए एक आईवीआरएस आधारित मोबाइल फोन सलाहकार सेवा – कॉफी कृषि तरंगा को अगले स्तर की प्रौद्योगिकी-सक्षम विस्तार सेवा कार्यावित कर रहा है जिससे कॉफी उत्पादन प्रौद्योगिकी, सीजन और मूल्य संबंधी जानकारी पर परामर्श का प्रसार किया जा सके। कर्नाटक में कॉफी कृषि तरंगा सेवा की सफलता से प्रोत्साहित होकर, बोर्ड ने सितंबर 2020 से केरल और तमिलनाडु राज्यों के कॉफी उत्पादकों और सितंबर, 2022 से आंध्र प्रदेश के आदिवासी कॉफी उत्पादकों के लिए सेवाओं का विस्तार किया। कॉफी बोर्ड ने वर्ष 2023 तक सभी कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी कृषि तरंगा सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

चालू वर्ष के दौरान नवंबर 2022 तक चार राज्यों में बोर्ड ने 77,055 पंजीकृत कॉफी उत्पादकों को 55 साप्ताहिक परामर्शी-पत्र जारी किए हैं और प्रश्नों को रिकॉर्ड करने/मूल्य संबंधी सूचना सुनने/साप्ताहिक परामर्श सुनने के लिए 7,368 इनबाउंड कॉल प्राप्त किए हैं। सभी इनबाउंड प्रश्नों का उत्तर 48 घंटे की विंडो के अंतर्गत दिया गया था।

(ग) प्राकृतिक रबड़ (एनआर) सेक्टर

(i) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें 28 सदस्य हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों जैसे रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर विनिर्माण उद्योग, श्रम हित, प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य (दो लोक सभा से और एक राज्य परिषद से), कार्यकारी निदेशक और रबड़ उत्पादन आयुक्त हैं। भारतीय रबड़ उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबड़ (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण क्रियाकलापों की सहायता और संवर्धन के माध्यम से किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबड़ के आंकड़े रखना, रबड़ के विपणन को बढ़ावा देना और श्रम कल्याण कार्यक्रमलाप करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) केरल राज्य के कोट्टायम में स्थित है और देश के विभिन्न रबड़ उत्पादक राज्यों में स्थित नौ क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (आरआरएस) हैं। आरआरआईआई देश में एनआर के जैविक और तकनीकी

सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों को शुरू करता है। कोट्टायम स्थित बोर्ड के तहत राष्ट्रीय रबर प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार क्रियाकलापों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए जनादेश है और रबर उद्योग के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ii) रबर, उत्पादन और उत्पादकता के तहत क्षेत्र

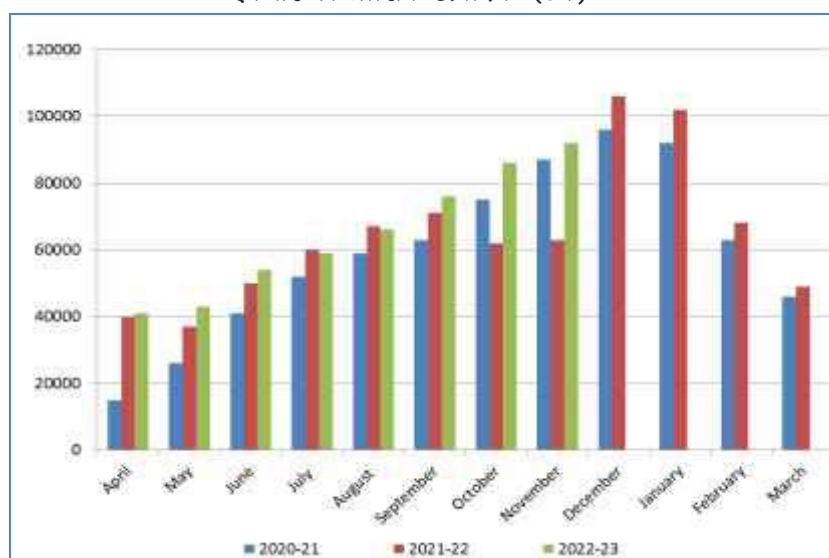
देश में रबर की खेती का कुल क्षेत्र 2021-22 के दौरान बढ़कर 8,26,660 हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 8,23,000 हेक्टेयर था। 2020-21 में 4,96,000 हेक्टेयर से 2021-22 में टैप किए गए क्षेत्र की सीमा बढ़कर 5,26,500 हेक्टेयर हो गई और कुल टैपेबल क्षेत्र में टैप किए गए क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में 71.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 73.3 प्रतिशत हो गया था। दोहन क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में मापा जाने वाला औसत उपज पिछले वर्ष के 1,442 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 1,472 किलोग्राम

प्रति हेक्टेयर हो गया।

देश ने 2020-21 के दौरान 7,15,000 टन की तुलना में 2021-22 के दौरान 7,75,000 टन एनआर का उत्पादन किया, जो एक साल पहले दर्ज 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में 8.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। उपज में वृद्धि के साथ-साथ, टैपेबल क्षेत्र में वृद्धि और वर्ष के दौरान दोहन किए गए क्षेत्र के प्रतिशत में सुधार ने एनआर उत्पादन में सराहनीय वृद्धि में योगदान दिया है। बोर्ड द्वारा वर्षा संरक्षण और अन्य उपयुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, रोगों को नियंत्रित करने के उपायों, स्व-दोहन को बढ़ावा देने और दोहन में अधिक अप्रयुक्त क्षेत्र को अपनाने आदि में किए गए हस्तक्षेप पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान एनआर उत्पादन अनंतिम रूप से 517,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 4,50,000 टन की तुलना में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

एनआर का मासिक उत्पादन (टन)

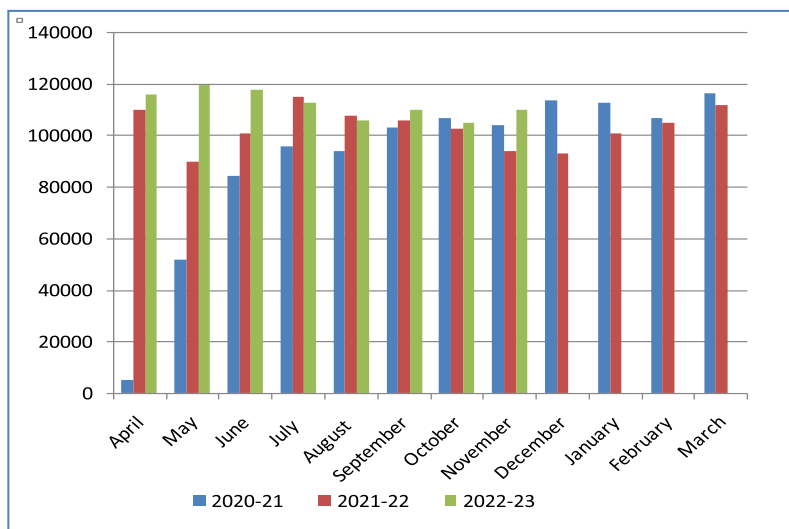


(iii) एनआर की खपत

2021-22 के दौरान घरेलू एनआर खपत 12.9 प्रतिशत बढ़कर 12,38,000 टन हो गई, जबकि 2020-21 के दौरान 10,96,410 टन एनआर की खपत हुई थी। ऑटो टायर सेक्टर ने 2021-22 के दौरान 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि 2020-21 के दौरान 3.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, सामान्य रबरगुड्स क्षेत्र में 2020-21 के दौरान दर्ज 16.4

प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2021-22 के दौरान 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 के दौरान देश में खपत एनआर की कुल मात्रा में ऑटो-टायर विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 73.1 प्रतिशत था। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान एनआर खपत अनंतिम रूप से 8,98,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8,27,000 टन की खपत की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

एनआर का मासिक उत्पादन (टन)



स्रोत: रबर बोर्ड

(iv) एनआर का आयात

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के दौरान एनआर का आयात 33.1 प्रतिशत बढ़कर 5,46,369 टन हो गया, जबकि 2020-21 के दौरान 4,10,478 टन था। भारत में एनआर के आयात के स्रोत देशों में, इंडोनेशिया 2021-22 के दौरान आयातित कुल मात्रा में 25.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हावी रहा, इसके बाद वियतनाम (24.4) और कोटे डी आइवर (13.7) का स्थान रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान एनआर का आयात 7,702.7 करोड़ रुपये का है।

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान 3,78,481 टन एनआर का आयात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3,43,604 टन का आयात किया गया था।

(v) एनआर का निर्यात

देश से एनआर निर्यात की मात्रा 2021-22 में घटकर 3,560 टन हो गई, जो 2020-21 में 11,343 टन थी। देश ने 2021-22 में 43.0 प्रतिशत रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस), 33.4 प्रतिशत लेटेक्स कंसन्ट्रेट और 20.8 प्रतिशत तकनीकी रूप से निर्दिष्ट रबड़ (टीएसआर) का निर्यात किया और मुख्य गंतव्य देश श्रीलंका था। वर्ष 2021-22 के दौरान एनआर का निर्यात 53.8 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ। भारत ने अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान 1,690 टन एनआर का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,916 टन का निर्यात किया गया था।

(vi) प्राकृतिक रबर क्षेत्र स्कीम का सतत और समावेशी विकास

एमटीईएफ अवधि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास' स्कीम को 2021-22 के दौरान 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। यह योजना 2022-23 के दौरान जारी है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट स्वीकृति 268.76 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2022 तक व्यय 211.48 करोड़ रुपये है।

(vii) प्रमुख क्रियाकलापों (2022-23) के संबंध में भौतिक उपलब्धि

रबर बागान विकास और विस्तार

- ❖ 2021-22 के दौरान 10,260 हेक्टेयर को रबर रोपण (नए रोपण और पुनरोपण) के तहत लाया गया और आदिवासी विकास के तहत 470.80 हेक्टेयर रबर के बागानों का रखरखाव जारी रखा। 2022 रोपण सीजन (जून-नवंबर) के दौरान, 27,965 हेक्टेयर क्षेत्र (जिसमें से 23,370.36 हेक्टेयर नेमित्रा परियोजना के तहत लगाया गया है) को रबर की खेती के तहत लाया गया है।
- ❖ रबर बोर्ड नर्सरी ने 2021-22 के दौरान 2.85 लाख गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तैयार की। नवंबर 2022 तक रोपण सामग्री उत्पादन 4.07 लाख है।
- ❖ वृक्षारोपण अनुकूलन लाने के कार्यक्रम ने 2021-22 के दौरान 40,319 हेक्टेयर को दोहन के तहत लाया। नवंबर 2022 तक अनुकूलन लाने की क्षमता 55,356 हेक्टेयर है।

- ❖ किसान शिक्षा और कौशल विकास के हिस्से के रूप में, बोर्ड ने 2021-22 के दौरान 1,51,482 उत्पादकों/टैपर्स को लाभान्वित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, सेमिनार और समूह बैठकें आयोजित कीं। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान आयोजित किसान शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1,16,685 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया।
- ❖ रबर बोर्ड ने 2021-22 के दौरान एमजीएनआरईजीएस संसाधनों का उपयोग करते हुए 8,625 हेक्टेयर में रबर बागान विकसित करने और अन्य उत्पादन कार्यों के लिए रबर उत्पादकों को समर्थन दिया। इस कार्यक्रम के तहत, रबर बोर्ड ने अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान 8,949.4 हेक्टेयर में क्रियाकलापों के लिए 9,661 उत्पादकों को सहायता प्रदान की।
- ❖ उत्पादकों और टैपर्स को सशक्त बनाने के एक भाग के रूप में, बोर्ड ने आरपीएस, स्वयं सहायता समूहों और टैपर्स बैंक को बढ़ावा दिया और 2021-22 के दौरान 2,544 आरपीएस और 382 समूह प्रसंस्करण केंद्रों के क्रियाकलापों की नियमित निगरानी/समर्थन किया। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, 3 नवगठित आरपीएस और 292 जीपीसी सहित 2,549 आरपीएस को सहायता दी गयी है।
- ❖ 96 आरपीएस की भागीदारी के साथ बाजार में शीट रबर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई और भुगतान 9.98 लाख रुपये था।
- ❖ 2022 के दौरान निम्नलिखित घटकों के तहत 19.30 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ घरेलू एनआर उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई थी।
 - ◆ रेन गार्डिंग (वन+एनई)- 21,635.45 हेक्टेयर
 - ◆ छिड़काव- 8,382.98 हेक्टेयर
 - ◆ जीपीसी का आधुनिकीकरण- 87 संख्या।
 - ◆ महिला टैपर को टूल किट- 15 समूहों के लिए 171 किट
 - ◆ समूह प्रबंधन के लिए आरपीएस को संवर्धन
 - ◆ डस्टर अटैचमेंट के साथ स्प्रेयर की खरीद- 108 संख्या
 - ◆ 2 रबर बोर्ड कंपनियों को चुकाने योग्य सॉफ्ट लोन
 - ◆ प्रायोजित नर्सरी नेमित्रा- 50 संख्या
 - ◆ ऑगुर नेमित्रा की खरीद -10 संख्या
- ❖ छोटे उत्पादकों के लिए एक सहायक आय सृजन

क्रियाकलाप के रूप में केरल राज्य औषधीय पादप बोर्ड के वित्तीय और तकनीकी समर्थन के साथ अग्रणी आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स के अभिसरण में 2.00 हेक्टेयर रबर बागानों में औषधीय पौधों की अंतर-फसल को बढ़ावा दिया।

(viii) अनुसंधान

- ❖ रबर उत्पादक क्षेत्रों की उर्वरता स्थिति की कल्पना करने के लिए भारत के रबर उत्पादक क्षेत्रों के प्रजनन मानचित्र जारी किए गए और रबर बोर्ड की वेबसाइट पर 385 मानचित्र अपलोड किए गए।
- ❖ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने जैविक/अजैविक तनाव सहनशीलता के लिए ओस्मोटिन जीन के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) रबर (हेवियाब्रासिलेंसिस) के फील्ड रोपण की सिफारिश की है।
- ❖ कार्यक्रम के तहत पांच देशों से आयातित 15 क्लोन पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में फील्ड ट्रायल में रखे गए थे।
- ❖ क्षेत्र के लिए उपयुक्त क्लोनों की पहचान करने के लिए मोरीगांव (असम) में ब्लॉक परीक्षणों में नौ नई पीढ़ी के पाइपलाइन क्लोन रखे गए थे।
- ❖ पूर्वोत्तर भारत में, भारतीय क्लोन तेजी से आरआरआईएम 600 की जगह ले रहे हैं, जो इस क्षेत्र में लोकप्रिय क्लोन था। मेघालय में 12,000 पॉलीबैग प्लान्ट्स की स्थापना के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरआरआईआई 429 को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए ताकि स्रोत बड़ बुड नर्सरी को उगाया जा सके और ब्रोशर का प्रकाशन किया जा सके।
- ❖ विकहैम क्लोन, वन्य परिग्रहण और अन्य प्रजातियों का संरक्षण और वन्य जर्मप्लाज्म से प्रारंभिक चयनों का मूल्यांकन जारी है। टेक्साग्रे फार्म, तुरा, मेघालय में पांच वृक्षारोपण में 557 जंगली और विकहैम परिग्रहणों (1,731) के अर्बोरेटम का रखरखाव किया जाता है।
- ❖ आनुवंशिक संशोधन पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम), डीबीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो बड़ी हुई उपज के लिए लेटेक्स बायोसिंथेसिस पाथवे के एचएमजीआर जीन के साथ शामिल जीएम रबर के सीमित क्षेत्र परीक्षण की अनुमति मांगी गई है।
- ❖ अजैविक तनाव सहिष्णुता के लिए एमएनएसओडी जीन के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर के पौधों का सीमित

क्षेत्र परीक्षण आरआरएस, गुवाहाटी में सरुतारी फार्म में चल रहा था। आरसीजीएम और जीईएसी दोनों के सदस्यों द्वारा गठित एक केंद्रीय अनुपालन समिति (सीसीसी) ने 26 नवंबर 2021 को परीक्षण स्थल का दौरा किया और क्षेत्र परीक्षण के संबंध में सुझाव दिए।

❖ त्रिपुरा में रबर प्लांटेशन का भू-स्थानिक मानचित्रण और अद्यतनीकरण पूरा किया गया। 2021 तक, त्रिपुरा में रबर के तहत कुल क्षेत्रफल का अनुमान उपग्रह डेटा का उपयोग करके 1,12,455 हेक्टेयर (आयु तीन वर्ष और उससे अधिक) होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 2010-2011 में राज्य में किए गए उपग्रह-आधारित अनुमान (48,371 हेक्टेयर) की तुलना में 5,286 हेक्टेयर वर्ष के वार्षिक औसत विस्तार के साथ 64,084 हेक्टेयर रबर का विस्तार दिखाया गया था।

❖ केरल में रबर उगाने वाले जिलों में बाढ़ के प्रति अतिसंवेदनशील रबड़ के बागानों की स्थानिक सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था। त्रिवेंद्रम (4,098 हेक्टेयर), कोल्लम (4,542 हेक्टेयर), पठानमथिझा (3,960 हेक्टेयर), अलप्पुझा (1,031 हेक्टेयर), कोट्टायम (5,827 हेक्टेयर) इडुक्की (1,307 हेक्टेयर) और एर्नाकुलम (9,942 हेक्टेयर) जिलों में बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील रबड़ के बागानों का चित्रण पूरा किया गया था।

❖ क्लोन आरआरआईआई 430 में साप्ताहिक टैपिंग के लिए सिफारिशों की गई थीं। उत्पादक उपयुक्त उत्तेजना (2.5 प्रतिशत पैनल अनुप्रयोग, डी 3 के लिए प्रति वर्ष तीन राउंड और साप्ताहिक टैपिंग) के साथ क्लोन आरआरआईआई 430 में लो फ्रिक्वेंसी टैपिंग (एलएफटी) अर्थात् डी 3 और डी 7 (साप्ताहिक टैपिंग) को अपना सकते हैं और पालन कर सकते हैं।

❖ 'केरल में रबर उत्पादकों द्वारा अनुशंसित प्रथाओं को अपनाना' विषय पर एक अध्ययन आयोजित किया। आरआरआईआई द्वारा विकसित रबर क्लोनों को पारंपरिक रबर उगाने वाले क्षेत्रों में किसानों के बीच 100 प्रतिशत पाया गया।

❖ 'त्रिपुरा में प्राकृतिक रबर की खेती के प्रभाव: आदिवासी और गैर-आदिवासी रबर किसानों का एक अंतर-कालिक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण' पर एक अध्ययन आयोजित किया। अध्ययन से पिछले एक दशक में रबर किसानों की घरेलू आय में वृद्धि का पता चला। किसान जोखिम प्रबंधन रणनीति के रूप में आय विविधीकरण के लिए वैकल्पिक रोजगार विकल्पों में रबर की खेती से उत्पन्न अधिशेष का निवेश करते पाए गए।

❖ रोगजनकों और मेजबान सहिष्णुता का शीघ्र पता लगाने के लिए प्लांट पैथोलॉजी डिवीजन में एडवांस मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया।

❖ 20-24 सितंबर 2022 को आरआरआईआई में आईआरआईआईबी के सहयोग से आरआरआईआई में 'नए कोलेटोट्रिचम सर्कुलर लीफ स्पॉट डिजीज आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट' पर एक अंतराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कुल 25 अंतराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 13 राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

❖ रबर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रबर उत्पादों के लिए उन्नत विश्लेषण प्रयोगशाला (रीच अनुपालन प्रयोगशाला) का उद्घाटन 11 जनवरी 2022 को किया गया। लैब में सुविधाओं का उपयोग करके पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक्स (पीएचपी), थैलेट्स, बहुत अधिक चिंता के पदार्थ (एसवीएचसी) और भारी धातुओं का पता लगाया जा सकता है।

❖ प्रयोगशाला में विकसित एनआरध्वॉलीमरिक फिलर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक उद्योग के सहयोग से सड़क विभाजक आदि जैसे कई उत्पादों का विकास किया।

❖ आरआरआईआई में विकसित स्किम लेटेक्स प्रक्रिया को स्किम रबर की नाइट्रोजन सामग्री को 0.67 प्रतिशत से घटाकर 0.44 प्रतिशत करने के लिए संशोधित किया गया था।

❖ आरआरआईआई और डीवाई के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। पाटिल कृषि विश्वविद्यालय, कोल्हापुर महाराष्ट्र में रबर की खेती की व्यवहार्यता का अध्ययन करने और प्रयोगात्मक रोपण शुरू करने के लिए।

❖ प्रयोगात्मक रोपण शुरू करने के लिए आरआरआईआई और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।

❖ रबर बोर्ड और एसएमपीटी (सोसाइटी डेस मैटिऐरेस प्रीमियर ट्रॉपिकलपे लिमिटेड), सिंगापुर द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो मिशेलिन की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो अनुसंधान सहयोग के लिए 05.01.22 को एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

❖ एमजी यूनिवर्सिटी, केरल और रबर बोर्ड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ix) प्रशिक्षण

- ❖ योजना स्कीम के तहत, रबर उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों के 4,200 लाभार्थियों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 1,591 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित 24,115 मानव दिवसों के लिए 5,366 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने वाले 262 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- ❖ प्लांट साइंस, केमिस्ट्री और पॉलीमर साइंस में 443 डिप्लोमा / बी.एससी. / बी.टेक / एम.एससी / एम.टेक छात्रों के लिए एक सप्ताह से एक महीने की अवधि के 24 शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया। रबर प्रौद्योगिकी विषय विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों का निर्माण करते हैं।
- ❖ एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए— एलएचटी और एलपीटी जॉब रोलस में 3-8 दिनों की अवधि के 23 बैच आयोजित किए गए, जिससे एनई / एनटी क्षेत्रों के 565 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- ❖ एससीएसपी/टीएसपी योजना के तहत मेघालय के 10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए एनआईआरटी के मेलिपोनिकल्वर में एक विशेष प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पादप विज्ञान में स्नातकों/स्नातकोत्तरों के लिए रबड़ बागान प्रबंधन में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया।
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए भर्ती हुए फील्ड अधिकारियों को 20 दिनों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग
- ❖ संपदा क्षेत्र में रबड़ की खेती में प्रशिक्षण
- ❖ उद्यमिता विकास कार्यक्रम: 8 प्रशिक्षणों की संख्या 64 प्रतिभागियों को लाभान्वित करना।
- ❖ आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों में तीन महीने की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया।
- ❖ मैसर्स सीईएटी लिमिटेड के 15 अधिकारियों के लिए ऑनलाइन मोड में टायर क्षेत्र में रबड़ प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता आश्वासन में तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया।
- ❖ मैसर्स सीईएटी लिमिटेड के तकनीकी व्यक्तियों के लिए रबड़ प्रौद्योगिकी में एक सप्ताह का ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

- ❖ श्रम कल्याण योजनाओं, बीमारी जैसे स्थान विशिष्ट विषयों पर ज्यादातर एनई / एनटी क्षेत्र से 1179 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने वाले बाहरी कार्यक्रमों के 31 बैचों का आयोजन किया। प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, रबर उत्पाद निर्माण, मशीनीकृत टैपिंग, आरपीएस के निदेशक मंडल के सदस्यों की क्षमता निर्माण, सहायक आय सृजन गतिविधियां, आरपीएस/ई-ट्रेडिंग/पैन, जीएसटी पंजीकरण आदि की निगरानी और सुदृढ़ीकरण।
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादकों के लिए आरटीपी नर्सरी प्रशिक्षण के 5 बैचों का आयोजन किया।
- ❖ प्रो-वुमन स्कीम: टैपर्स की कमी को दूर करने के लिए, पारंपरिक क्षेत्र में महिला लाभार्थियों को लक्षित करने वाली महिला-समर्थक योजना की शुरुआत की, 510 प्रतिभागियों के लिए एलएचटी कार्यक्रमों के 34 बैचों का आयोजन किया।
- ❖ रक्षा/रबर उद्योग के तकनीकी कर्मियों के लिए रबर और रबर उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद विश्लेषण पर एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण।
- ❖ एपीकल्वर पर एक वार्षिक सर्टिफिकेट कार्यक्रम के चौबीस बैच तेईस आरपीएस में चल रहे हैं।
- ❖ मैसर्स अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम (एएसएपी), केरल सरकार के साथ रसायन विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रत्येक दो और तीन महीने की अवधि के एक बैच के लिए लैब केमिस्ट पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 33 छात्रों को प्रमाणित किया गया और उद्योग के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 34 छात्रों के चल रहे बैच की इंटर्नशिप शुरू की गई।
- ❖ एनआईआरटी में पाठ्यक्रम से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और इंटर्नशिप/प्लेसमेंट के लिए सहायता प्रदान करने के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय और मैसर्स एनएसएस कॉलेज, चंगनाचेरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ❖ परामर्श के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ केरल में प्राकृतिक रबर आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स केरल रबर लिमिटेड, वेल्लूर, कोट्टायम के लिए डीपीआर तैयार करना।

(x) श्रम कल्याण उपाय

वर्ष 2021-2022 के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न श्रम कल्याण

योजनाओं के तहत 173.14 लाख रुपये वितरित किए, जिससे 12,655 रबर टैपर्स / बागान श्रमिक लाभान्वित हुए। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत 174.67 लाख रुपये वितरित किए, जिससे 6,886 रबर टैपर्स / बागान श्रमिक लाभान्वित हुए।

(xi) रबर गणना

रबर बोर्ड, डिजिटल विश्वविद्यालय, केरल के सहयोग से विकसित डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन, 'आरयूबीएसी' का उपयोग करके रबर पर राष्ट्रीय जनगणना कर रहा है, जिससे रबर, नए लगाए गए क्षेत्र, फिर से लगाए गए क्षेत्र, पेड़ों की आयु प्रोफाइल, परित्यक्त क्षेत्र का पता लगाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में, नए क्लोनों को अपनाने का स्तर, जोत का आकार और टैपर्स का विवरण आदि। केरल राज्य के सभी जिलों में रबर पर जनगणना प्रगति पर है। त्रिपुरा राज्य में रबर पर जनगणना करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(xii) बोर्ड द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहलें

- ❖ सहयोगात्मक परियोजना नेमित्रा : ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रमुख टायर कंपनियों से 1,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ 5 वर्षों में उत्तर पूर्व में 2,00,000 हेक्टेयर में नए रबर प्लांटेशन के विकास के लिए नेमित्रा नाम की एक परियोजना पर सहमति हुई। और परियोजना 2021 में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत, 2021 के दौरान 3,861.68 हेक्टेयर में रबर रोपण पूरा किया गया। 2022 के रोपण सीजन के दौरान, 23,370.39 हेक्टेयर में रोपण पूरा किया गया। दिसंबर 2022 तक परियोजना के तहत 27,232 हेक्टेयर में कुल रोपण किया गया था। बोर्ड ने नेमित्रा परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ लाभार्थियों की जानकारी हासिल करने के लिए एक आम मोबाइल ऐप 'रूबेक्स' विकसित किया।
- ❖ रबर के लिए ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म एमरूब : रबर बोर्ड ने जुलाई 2022 में प्राकृतिक रबर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म एमरूब लॉन्च किया है। एनआर की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावकारिता। दिसंबर 2022 तक प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1,135 पंजीकरण और 3,692 टन एनआर का कारोबार किया गया था।
- ❖ रबर उत्पादों के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर: रबर बोर्ड ने रबर और रबर उत्पादों के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) विकसित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच भारतीय रबर और रबर उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर है। मेले को <https://vtf->

rubberboard-org-in/rubberboard से देखा जा सकता है। इस मंच का तीसरा संस्करण प्रगति पर है।

- ❖ रबर उत्पादन संवर्धन स्कीम(आरपीआईएस) : केरल सरकार द्वारा 2015-16 में रबर उत्पादक समितियों के माध्यम से रबर बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई योजना अब संचालन के आठवें चरण में है। बोर्ड लाजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है और राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) मसाला सेक्टर

(i) स्पाइसेस बोर्ड

स्पाइसेस बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। बोर्ड में सचिव सहित 31 सदस्य हैं, जो मुख्य कार्यकारी हैं और इसका नेतृत्व गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कार्यालय केरल में कोच्चि में है। स्पाइसेस बोर्ड इलायची उद्योग के समग्र विकास और स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के कार्यों में छोटी और बड़ी इलायची का अनुसंधान और विकास और घरेलू विपणन, कटाई के बाद की गुणवत्ता मसालों का सुधार और निर्यात संवर्धन और भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों का गुणवत्ता प्रबंधन शामिल है। बोर्ड के देश भर में 83 कार्यालय हैं, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी और बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), अनुसंधान केंद्र, मसाला पार्क आदि शामिल हैं। बोर्ड उपक्रम के लिए मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ काम करता है। बोर्ड छोटी और बड़ी इलायची के विकास और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ काम करता है।

बोर्ड द्वारा किए गए कार्यक्रमों में शामिल हैं, अवसरचन विकास और मूल्यवर्धन के लिए निर्यातकों को समर्थन, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ किसानों और निर्यातकों के बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, प्रमुख बढ़ते केंद्रों (स्पाइस पार्क) में प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक प्रसंस्करण का समर्थन करना, अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में हितधारकों की सह-भागीदारी सहित भारतीय मसालों के लिए व्यापार और ब्रांड प्रचार गतिविधियां करना, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से भारत से निर्यात किए गए मसालों

का गुणवत्ता प्रबंधन, जो विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं और परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं, नीलामी प्रणाली के माध्यम से इलायची की प्राथमिक बिक्री की सुविधा, छोटी और बड़ी इलायची पर हितधारकों को अनुसंधान सहायता प्रदान करना, उत्पादन विकास के लिए छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादकों की सहायता करना और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए अन्य मसालों के उत्पादकों को नियामक निकाय के साथ काम करना मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात करने वाले देशों, व्यापार सहायता संस्थानों, अंतर-सरकारी संगठनों आदि।

(ii) भारतीय मसाले

भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है और 180 से अधिक देशों को मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। भारत में सालाना लगभग 10.88 मिलियन टन मसालों का उत्पादन होता है। भारत से मसालों का निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 14 प्रतिशत है। भारत मसाला प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र है और मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ और मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे मसाला तेल और तैलीराल, करी पाउडर आदि प्रमुख

मसालों के उत्पादन और निर्यात में विश्व में अग्रणी है।

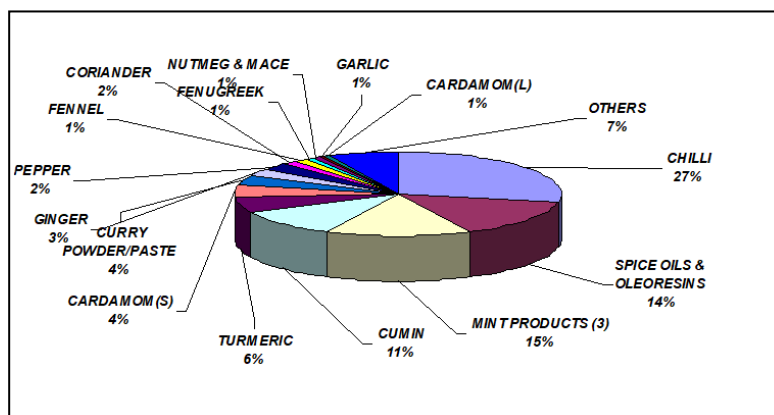
(iii) निर्यात

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत ने 30,576 करोड़ (4,102.29 अमरीकी मिलियन डालर) रुपये के मूल्य के 15,31,154 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया।। स्पाइसेस बोर्ड की प्रमुख फसल छोटी इलायची के निर्यात ने वित्त वर्ष 2021-22 में नई ऊंचाई हासिल की। 2021-22 के दौरान, 10,572 मीट्रिक टन छोटी इलायची, वित्त वर्ष 2020-21 में 1,10,346.58 लाख रुपये मूल्य के 6486 मीट्रिक टन के मुकाबले 1,37,570.40 लाख रुपये का निर्यात देश से किया गया है।

भारत से मसालों का निर्यात 2013-14 में 1373539 लाख रुपये (2268 मिलियन अम.डा. मूल्य का 8,17,250 मीट्रिक टन से बढ़कर रु. 2021-22 में 305764 लाख (अम.डॉ. 410.29 मिलियन) से मूल्य का 15,31,154 एमटी हो गया जिसमें मात्रा के रूप में मिलियन 87 प्रतिशत, मूल्य में 123 प्रतिशत (रुपये) और 81 प्रतिशत मूल्य (अम.डॉ.) की वृद्धि दर्ज की गई।

2021-22 के दौरान मूल्य के संदर्भ में मसाला निर्यात बास्केट के प्रमुख योगदानकर्ता नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान निर्यात निष्पादन



स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के अनुसार, देश से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष के 17,968.48 करोड़ रुपये (2425.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 18,138.57 करोड़ रुपये (2296.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में रुपये में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान मूल्य के संदर्भ में मसालों के निर्यात बास्केट में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (29%), जीरा (14%), मसाला तेल और ओलियोरेसिन (14%), पुदीना उत्पाद (12%),

हल्दी (5%), करी पाउडर (4%), इलायची (छोटी) (3%), काली मिर्च (2%) और धनिया (2%) हैं। इसी अवधि के दौरान, भारतीय मसालों के प्रमुख गंतव्य चीन (21%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15%), संयुक्त अरब अमीरात (6%), बांग्लादेश (6%), इंडोनेशिया (4%), थाईलैंड (4%), मलेशिया (4%), यूके (3%), श्रीलंका (3%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), नेपाल (2%) और सऊदी अरब (2%) हैं।

(iv) इलायची का उत्पादन (छोटी और बड़ी)

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में इलायची (लघु) के उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 24463 मीट्रिक टन है, जिसमें

औसत उत्पादकता 513.68 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 4.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इलायची (बड़ी)

के उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 285.20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ 9,072 टन है और पिछले वर्ष की तुलना में 2.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

छोटी और बड़ी इलायची (एमटी) का उत्पादन	
वस्तु	2021-22
छोटी इलायची	23340
बड़ी इलायची	8812

स्रोत: स्पाईसेस बोर्ड द्वारा अनुमानित, * 2022-23 प्रारंभिक अनुमान

(अ) 2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान प्रमुख कार्यकलाप/उपलब्धियां

- ❖ अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान, बोर्ड द्वारा कुल 873 निर्यातक पंजीकरण (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र, सीआरईएस) जारी किए गए, जिससे पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 6,700 से अधिक हो गई। इसके अलावा बोर्ड के कार्यालयों द्वारा 91 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए गए, जिससे लाइसेंस प्राप्त डीलरों की कुल संख्या 600 से अधिक हो गई।
- ❖ मसाला बोर्ड ने मसालों के लिए सामान्य अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करके मसाला उद्योग के हितधारकों, विशेष रूप से कृषक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उत्पादनध्वाजार केंद्रों में 8 फसल विशिष्ट मसाला पार्कों की स्थापना की है और उनका रखरखाव कर रहा है। बोर्ड ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और गुना, केरल के पुट्टाडी, राजस्थान के जोधपुर और कोटा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, तमिलनाडु के शिवगंगा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्क स्थापित किए हैं।
- ❖ कोचीन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में बोर्ड की 8 गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) ने विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करना और वर्ष के दौरान चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन जारी रखा। अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान, क्यूईएल ने मसाले के निर्यात खेप में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला आदि सहित 74,613 से अधिक मापदंडों का विश्लेषण किया। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए मसाला निर्यातकों को 4,211 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और 18,315 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी की हैं।
- ❖ भारत के मसाला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से,

अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय मिशनों के सहयोग से मसाला बोर्ड द्वारा दो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गईं। बीएसएम को भारतीय निर्यातकों और प्रमुख विदेशी खरीदारों की सक्रिय भागीदारी द्वारा चिह्नित किया गया था और बोर्ड मिशनों के सहयोग से वर्ष के दौरान ऐसे और कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रक्रिया में है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने संबंधित देशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से 12 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की हैं।

- ❖ अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की पहल के अनुरूप मसाला बोर्ड ने प्रमुख हितधारक अनुपालनों को डिजिटाइज किया है और तदनुसार मसाला निर्यातक (सीआरईएस), इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस (सीएएल), और इलायची डीलर लाइसेंस (सीडीएल) के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है और त्रैमासिक निर्यात रिटर्न (क्यूईआर) पूर्णता से ऑनलाइन प्रस्तुत किया है।
- ❖ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए इलायची छोटी के पुनर्रोपण/कायाकल्प के लिए 307.3 हेक्टेयर और बड़ी इलायची के पुनर्रोपण के लिए 399.11 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए आवेदन एकत्र किए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।
- ❖ गुणवत्ता में सुधार के लिए फसलोपरांत हल्दी पॉलिशर, हल्दी बॉयलर, काली मिर्च थ्रेसर, बीज मसाला थ्रेसर, पुदीना आसवन इकाइयाँ आदि प्रचालनों के मशीनीकरण में किसानों की सहायता करने के लिए बोर्ड 1,200 उपस्करों के लिए आवेदन एकत्र करने की प्रक्रिया में है।
- ❖ भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने एक उच्च उपज और रोग सहिष्णु छोटी इलायची क्लोन (परिग्रहण संख्या 594) विकसित किया है जो रिलीज के अंतिम चरण में है।

2. तंबाकू

भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। उत्पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति और मांग में असंतुलन के आवर्ती उदाहरणों को नियंत्रित करने के लिए, तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1976 को भारत सरकार द्वारा तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत की गई थी।

(i) मुख्य कार्यकलाप

तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य देश में तंबाकू उद्योग का नियोजित विकास करना है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड के विभिन्न कार्यकलाप हैं:

- ❖ भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन और इलाज को विनियमित करना।
- ❖ वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैकर्स सहित) और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं और अन्य संबंधित लोगों को उपयोगी जानकारी का प्रसार।
- ❖ उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- ❖ पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्मों की स्थापना और नीलामी प्लेटफार्मों पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।

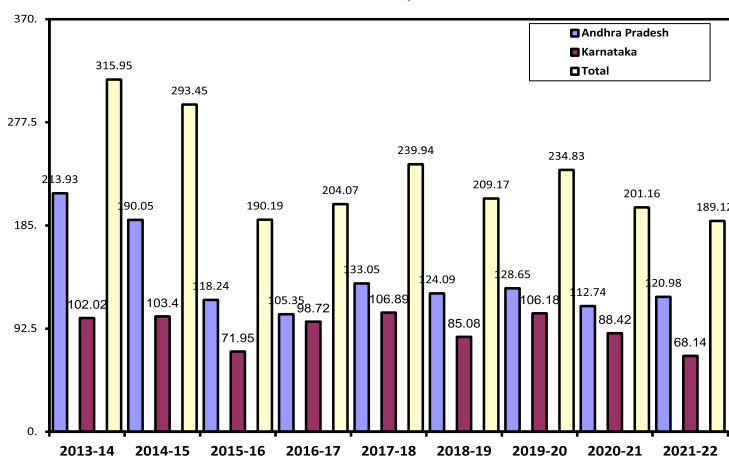
- ❖ भारत और विदेशों दोनों में वर्जीनिया तंबाकू बाजार की निरंतर निगरानी/निगरानी रखना और उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- ❖ उत्पादकों से वर्जीनिया तंबाकू खरीदना जब इसे भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या समीचीन माना जाता है।

(ii) एफसीवी तंबाकू के उत्पादन को विनियमित करना

तंबाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (2) (क) के अनुसार, तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भारत और विदेशों में तंबाकू की मांग को ध्यान में रखते हुए एफसीवी तंबाकू के उत्पादन और उपचार का विनियमन है। इस उद्देश्य को फसल योजना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए हर साल अलग-अलग एफसीवी तंबाकू के फसल आकार को तय करके और वाणिज्यिक नर्सरीमैन, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान ऑपरेटरों को पंजीकृत करके प्राप्त किया जा रहा है।

(iii) भारत में एफसीवी तंबाकू उत्पादन

2021-22 में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 189.12 मिलियन किलोग्राम है, जबकि 2020-21 में यह 201.16 मिलियन किलोग्राम था। आंध्र प्रदेश में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 120.98 मिलियन किलोग्राम है और कर्नाटक में 68.14 मिलियन किलोग्राम है। फसल सीजन 2021-22 के दौरान लगभग 1,38,142 हेक्टेयर में एफसीवी तंबाकू की खेती की गई



(iv) फसल सीजन 2022-23 के लिए एफसीवी फसल उत्पादन नीति

फसल सीजन 2021-22 की तुलना में 2022-23 फसल सीजन के दौरान निर्धारित राज्यवार फसल का आकार इस प्रकार है:

(फसल का आकार मिलियन किलोग्राम में)

फसल सीजन	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
2022-23	142.00	100.00	242.00
2021-22	130.00	97.00	227.00

(v) विस्तार और विकास गतिविधियां

तम्बाकू बोर्ड भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विस्तार और विकासात्मक योजनाओं को लागू करता है ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। तम्बाकू बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को नई और बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देता है। आईसीएआर-सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीटीआरआई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट (एनआईपीएचएम) और तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान और विकास विंग के साथ सहयोग से तम्बाकू बोर्ड उपजकर्ताओं को क्वालीफाइड और प्रशिक्षित क्षेत्र स्टॉफ का प्रयोग करने व्यापक सहायता पैकेज और प्रसार सेवाएं प्रदान करता है।

❖ सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को आईसीएआर-सीटीआरआई, राजामुंदरी और आईटीसी अनुसंधान प्रभाग, राजमुंदरी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किस्मों के 8,493.75 किलोग्राम बीज आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।

❖ किसानों की समिति के माध्यम से उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2022-23 के फसल सीजन के दौरान सफलतापूर्वक लागू किया गया था। कर्नाटक के उत्पादकों को 21,283.85 मीट्रिक टन उर्वरक की मात्रा वितरित की गई। आंध्र प्रदेश में, एनएलएस क्षेत्र में 8,154.70 मीट्रिक टन की मांग की मात्रा के मुकाबले 8,140.25 मीट्रिक टन की मात्रा वितरित की गई थी और एसएलएस/एसबीएस क्षेत्रों में 2,870.925 मीट्रिक टन उर्वरकों की मात्रा वितरित की गई थी।

❖ आंध्र प्रदेश में, हरी खाद की फसलें 19,480.90 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई गई और कर्नाटक में हरी खाद की फसलें 2022-23 के फसल सीजन के लिए 6,060 हेक्टेयर में मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए बोई गई, जिससे उत्पादकों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और गुणवत्ता को कम करने में सुविधा होगी। फसल में सुधार बोर्ड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के उत्पादकों को 200 रुपये प्रति खलिहान की सब्सिडी भी दे रहा है, जिन्हें इस मिट्टी की उर्वरता पहल को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के माध्यम से हरी खाद के बीज की आपूर्ति की गई थी।

❖ कर्नाटक में 13.86 लाख ट्रे और आंध्र प्रदेश में 7.98 लाख ट्रे उत्पादकों को स्वस्थ और मजबूत तम्बाकू पौध के उत्पादन

के लिए आपूर्ति की गई। ट्रे में अंकुर उत्पादन क्षेत्र में बेहतर स्थापना सुनिश्चित करेगा जो बदले में बिना किसी प्रत्यारोपण झटके और कीट कीट और रोग की घटनाओं को कम करने के साथ समान फसल वृद्धि में मदद करता है। कर्नाटक के एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को स्वस्थ तम्बाकू पौध (गुणवत्ता सुधार) के उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पादकों को 30 प्रतिशत की दर से और अन्य श्रेणी के उत्पादकों को 20 प्रतिशत की सब्सिडी के लिए 63.03 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

❖ बोर्ड कीटनाशक अवशेषों से मुक्त सुरक्षित तम्बाकू के उत्पाद अखंडता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों के बीच एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। 2022-23 के फसल सीजन के दौरान, बोर्ड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, जैव कीटनाशक, गेंदा की पौध, ज्वार और बाजरा के बीज जैसे आईपीएम इनपुट के वितरण की व्यवस्था कर रहा है।

❖ बोर्ड ने क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को 3,563 लीटर और ट्राइकोडर्माहर्जियानम और स्पूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैव कीटनाशक के 3561 लीटर के वितरण की व्यवस्था की। जैव कीटनाशक मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायता करेंगे, जो बदले में रासायनिक कवकनाशी के उपयोग को कम करता है। जैव कीटनाशकों के लिए कर्नाटक में सभी श्रेणी के उत्पादक लाभार्थियों को 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी के लिए 1.61 लाख रुपये की राशि दी गई।

❖ कर्नाटक में उत्पादकों को फेरोमोन ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप की आपूर्ति पर सब्सिडी के रूप में 0.46 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

❖ बोर्ड 0.75 /- प्रति सीडलिंग की दर से एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को मुफ्त में वितरण के लिए सीटीआरआई अनुसंधान स्टेशन, कंडुकुर और जीलुगुमिली की नर्सरी से 9.10 लाख गेंदे के पौधे खरीद रहा है। कर्नाटक में, सीटीआरआई अनुसंधान केंद्र, हुनसूर से खरीदे गए 2.56 लाख गेंदे के पौधे उत्पादकों को मुफ्त में दिए गए।

❖ कर्नाटक राज्य बीज निगम (केएसएससी लिमिटेड), कर्नाटक सरकार से 1,062 किलोग्राम बाजरे के बीज की 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 852 किलोग्राम ज्वार के बीज की 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद के लिए 1.11 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

कर्नाटक में एफसीवी उत्पादकों को खेत की मेड़ पर बाधा/सीमा फसल के रूप में उगाने के लिए मुफ्त में आपूर्ति की जाती है, जो तम्बाकू फसल पर सफेद मक्खी, एफिड जैसे चूसने वाले कीटों के हमले से निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है।

- ❖ कुल 2003 एल.टी. एनआईपीएचएम, हैदराबाद से पोटेशियम रिलीजिंग बैक्टीरिया (केआरबी) संस्कृतियों की आपूर्ति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को की गई, जो पोटेशियम पोषक तत्व को अनुपलब्ध रूप में उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है।
- ❖ बोर्ड रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए उत्पादकों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2022-23 के फसल सीजन के दौरान, कर्नाटक के 101 उत्पादकों ने प्राकृतिक खेती मोड में 101 एकड़ में एफसीवी तंबाकू की खेती की और 16 उत्पादक आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती का परीक्षण करने के लिए आगे आए। बोर्ड रुपये की राशि बढ़ा रहा है। प्राकृतिक खेती मोड में एफसीवी तंबाकू की खेती में उपयोग किए जाने वाले जैविक उर्वरकों, प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को नकद संवर्धन के लिए 15,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहा है।
- ❖ बोर्ड, पर्यावरण के अनुकूल उपायों के एक भाग के रूप में उत्पादकों को एफसीवी तम्बाकू उपचार के लिए ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ के पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू उत्पादकों के लिए उत्पादक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए तेजी से बढ़ने वाले 10 पेड़ पौधे लगाने का आदेश दिया है।
- ❖ कार्यक्रम के माध्यम से एफसीवी तंबाकू की उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्पाद अखंडता को बढ़ाने के उद्देश्य से मॉडल प्रोजेक्ट एरिया स्कीम (एमपीए) लागू कर रहा है। 2022-23 के फसल सीजन के दौरान, आंध्र प्रदेश के 19 गाँवों और कर्नाटक के 10 गाँवों को आदर्श परियोजना क्षेत्र योजना लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। समय-समय पर अच्छी कृषि पद्धतियों पर उत्पादकों को सलाह देने और डेटा एकत्र करने के लिए एक विस्तार कार्यकर्ता को मॉडल परियोजना गांव में 4 महीने के लिए लगाया जाता है। विस्तार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रु. 8000/प्लेटफॉर्म की राशि आवंटित की जा रही है।

- ❖ बोर्ड एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को पोस्ट हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, बोर्ड पैकड तंबाकू में गैर-तंबाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) के मिश्रण से बचने के लिए कैनवास तिरपाल की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है और प्रचार कर रहा है। तंबाकू के भंडारण के लिए बल्क शेड के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।
- ❖ आईसीएआर-सीटीआरआई, राजमुंदरी को केएलएस क्षेत्र में 'न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, नेमाटोड/एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रोग नियंत्रण के लिए बायो कंसोर्टिया का मूल्यांकन करने के लिए एक शोध परियोजना प्रदान की। परियोजना की लागत रु. 5 लाख और परियोजना का एमओयू 11.07.2022 को किया गया था।
- ❖ एफ सीपी तम्बाकू के उपचार में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने व्यापार के सहयोग से वेंचुरी भट्टी की स्थापना के इन्सुलेशन के लिए सब्सिडी देकर पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 2022-23 के फसल सीजन के दौरान, कर्नाटक में 1,500 खलिहानों और आंध्र प्रदेश में 400 खलिहानों की छत इन्सुलेशन का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 102 खलिहानों में वेंचुरी भट्टी की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖ बोर्ड एफसीवी तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए विस्तार कर्मियों के उत्पादक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है।
- ❖ अक्टूबर 2022 तक 95.73 लाख रुपये की राशि विस्तार और विकास योजनाओं पर व्यय की गई। मौजूदा फसल सीजन के दौरान विस्तार और विकासात्मक योजनाओं (आंध्र प्रदेश और कर्नाटक) के कार्यान्वयन की दिशा में खर्च को पूरा करने के लिए 579 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

(vi) तंबाकू की नीलामी

एफसीवी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली पहली बार 1984 में कर्नाटक में शुरू की गई थी और उसके बाद 1985 में आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी।

(vii) 2022-23 के दौरान हुई प्रगति

- ❖ आंध्र प्रदेश में, 2022-23 के दौरान, 2021-22 की कुल 113.46 मिलियन किलोग्राम की मात्रा आंध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल औसत कीमत रु 178.88 प्रति किलोग्राम की

दर से 01.04.2022 से 28.07.2022 तक (नीलामी की बिक्री 14.03.2022 को शुरू हुई और 28.07.2022 को समाप्त हुई)।

- ❖ कर्नाटक में, 2022-23 के दौरान, 2022-23 को कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू फसल की कुल 20.57 मिलियन किलोग्राम तंबाकू का विपणन 10.10.2022 से 28.11.2022 तक 238.42 रुपये प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य पर किया गया (नीलामी बिक्री 10.10.2022 को शुरू हुई और प्रगति पर हैं)।

(viii) उत्पादक कल्याण निधि पहल

तम्बाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों में लगभग 86000 तम्बाकू उत्पादकों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से 2009-10 में टोबैको बोर्ड ग्रांटेड वेल्फेयर स्कीम स्थापित करके विभिन्न कल्याणकारी उपाय कर रहा है।

कल्याण योजना मृत सदस्यों को प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बेटी की शादी करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, आश्रित बच्चों की शिक्षा, बड़ी बीमारी/दुर्घटना के मामलों के लिए उपचार जिसमें शल्य चिकित्सा और प्राकृतिक आपदाओं/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत की आवश्यकता होती है। योजना की शुरुआत के बाद से, तंबाकू बोर्ड ने अब तक 19,927 सदस्यों को 73.45 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की थी। 60.47 करोड़ को से 15,148 सदस्यों और 4,779 उत्पादकों को 12.97 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया।

वर्ष 2022-23 (29.11.2022 तक) के दौरान रु. 771 उत्पादक सदस्यों को 3.90 करोड़ रुपये जारी किए गए (3.42 करोड़ रुपये का अनुदान और 0.48 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण)।

(ix) व्यापारियों का पंजीकरण

तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 11-क, 11-ख प(प) और 12 के अनुसार कैलेंडर वर्ष के आधार पर व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजीकरण प्रदान करता है। तम्बाकू बोर्ड। वर्जीनिया तम्बाकू के निर्माता, तम्बाकू के निर्माता, तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू के डीलर, तम्बाकू के पैकर और वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडर की विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण देता है।

‘डिजिटल इंडिया’ पर भारत सरकार की पहल के अनुरूप, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू को एक पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की थी। पोर्टल www.tobaccoboard.in के माध्यम से सभी श्रेणियों के व्यापारियों द्वारा पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। दिनांक 28.11.2022 तक, कुल 1,184 व्यापारियों को पंजीकरण वर्ष 2022 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण/नवीनीकरण प्रदान किया गया था। पंजीकरण वर्ष 2022 के लिए पंजीकरण का पंजीकरण/नवीनीकरण 4 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है और कुल 195 व्यापारियों का पंजीकरण प्रदान/नवीनीकृत और पंजीकरण प्रगति पर है।

(x) 2021-22 के दौरान निर्यात प्रदर्शन

2021-22 के दौरान तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात 6,880.21 करोड़ रुपये (यूएस + 923.40 मिलियन) मूल्य का 2.25 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 6,496.09 करोड़ रुपये (यूएस + 876.58 मिलियन) के 2.22 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। 2021-22 के दौरान, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात में 2020-21 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में मात्रा, रुपये में मूल्य और अमेरिकी डॉलर में मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 1.35 प्रतिशत, 5.91 प्रतिशत और 5.34 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

(xi) 2022-23 (अप्रैल- अक्टूबर 2022) में निर्यात की प्रगति

अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात 6,031.74 करोड़ रुपये (यूएस + 762.16 मिलियन) मूल्य के 1.86 लाख मीट्रिक टन था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4,062.54 करोड़ रुपये (यूएस + 548.60 मिलियन) मूल्य के 1.38 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए निर्यातों की तुलना में मात्रा, रुपये और डॉलर के संदर्भ में क्रमशः 34.78 प्रतिशत, 48.47 प्रतिशत और 38.93 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

(xii) निर्यात संवर्धन

तम्बाकू बोर्ड भारतीय तम्बाकू के लिए ब्रांड छवि बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तम्बाकू के प्रदर्शन के

लिए अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू अनन्य व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया था।

- ❖ वर्ल्ड टोबैको यूरोप 2022, सोफिया, बुल्गारिया – 18 से 19 मई 2022
- ❖ वर्ल्ड टोबैको एशिया 2022, सुरबाया, इंडोनेशिया – 7 से 8 सितंबर 2022
- ❖ इंटर टैबैक & इंटर सप्लाई 2022, डॉर्टमुंड, जर्मनी – 15 से 17 सितंबर 2022
- ❖ 2022, दुबई, यूएई – 15 से 16 नवंबर 2022

(xiii) निर्यात सुविधा

- ❖ तम्बाकू बोर्ड डीजीएफटी के ई-आरसीएमसी प्लेटफॉर्म पर पात्र निर्यातकों को डिजिटल मोड में ई-आरसीएमसी जारी कर रहा है। 2022-23 के दौरान, 28 नवंबर 2022 तक, निर्यातकों को कुल 33 आरसीएमसी जारी किए गए।
- ❖ डीजीएफटी के ई-सीओओ प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत निर्यातकों को डिजिटल मोड में सभी अधिमाम्य प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी कर रहा है।
- ❖ तम्बाकू बोर्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अनिर्मित तम्बाकू की निर्दिष्ट शृंखलाओं के निर्यात के लिए प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र भी जारी कर रहा है। 2022-23 के दौरान, 28 नवंबर 2022 तक पात्र निर्यातकों को कुल 671 प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- ❖ जीएसपी योजना के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात किए जा रहे माल की उत्पत्ति के स्व-प्रमाणन के लिए ईयू रेक्स प्रणाली के तहत निर्यातकों के पंजीकरण के लिए तम्बाकू बोर्ड भी प्राधिकृत है। 28 नवंबर 2022 तक, तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से ईयू रेक्स प्रणाली के तहत कुल 46 निर्यातक पंजीकृत किए गए हैं।

3. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी,

हैदराबाद, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लद्दाख, मुंबई, श्रीनगर और वाराणसी में इसके 14 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

❖ एपीडा का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन करना है

- ◆ एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में उत्पाद
- ◆ फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
- ◆ मांस और मांस उत्पाद
- ◆ पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद
- ◆ डेयरी उत्पादों
- ◆ कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
- ◆ शहद, गुड़ और चीनी के उत्पाद
- ◆ कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट
- ◆ मादक और गैर मादक पेय
- ◆ अनाज और अनाज उत्पाद
- ◆ मूंगफली, मूंगफली और अखरोट
- ◆ अचार, चटनी और पापड़
- ◆ ग्वार गम
- ◆ फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद
- ◆ हर्बल और औषधीय पौधे
- ◆ तेल रहित चावल की भूसी
- ◆ काजू और उसके उत्पाद

❖ एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उत्पाद

दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विशेष उत्पादों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों (भारत में या भारत के बाहर) के पंजीकरण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, दूसरी अनुसूची में केवल बासमती चावल शामिल हैं।

इसके अलावा एपीडा चीनी के आयात की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। उत्पादों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्यात के लिए शैविक उत्पाद के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

(i) एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अवसंरचना निर्माण/उन्नयन के लिए तीन उप-घटकों (बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास) के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) बाजार का विकास

यह खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए संरचित विपणन रणनीतियों, सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग को कवर करता है। इस घटक के तहत सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
- ❖ व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान
- ❖ क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन
- ❖ नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास करना और मौजूदा मानकों का उन्नयन करना

(ख) बुनियादी ढांचे का विकास

योजना घटक में ताजा उपज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं। योजना का उद्देश्य खराब होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, यह फसल कटाई के बाद की सुविधाओं को स्थापित करना चाहता है। इस घटक के तहत सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैक हाउस सुविधाओं जैसी अवसंरचना

- ❖ कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग इकाइयां।
- ❖ केले जैसी फसलों के प्रबंधन के लिए केबल सिस्टम
- ❖ सामान्य अवसंरचना सुविधाएं
- ❖ आयातक देशों की फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्री-शिपमेंट उपचार सुविधाएं जैसे विकिरण, वाष्प ताप उपचार (वीएचटी), गर्म पानी डुबकी उपचार (एचडब्ल्यूडीटी)।
- ❖ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए एक्स-रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टेक्स, फिल्टर / मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर या कोई नया उपकरण या तकनीक जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।

(ग) गुणवत्ता विकास

कई आयातक देश कड़े अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) के पालन की मांग करते हैं। इसके लिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च परिशुद्धता उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस घटक के तहत सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
- ❖ प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण,
- ❖ ट्रेसिबिलिटी सिस्टम और नमूनों के परीक्षण आदि के लिए खेत स्तर के परिधीय निर्देशांकों को कैप्चर करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस।
- ❖ पानी, मिट्टी, अवशेषों या कीटनाशकों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, दूषित पदार्थ आदि का परीक्षण।

(ii) एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना का बजट

2021-22 के लिए बजट आवंटन का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	प्लान स्कीम	मात्रा
1.	सहायता अनुदान-सब्सिडी	
क)	बाजार का विकास	48.00
	कुल (क)	48.00

2.	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	
क)	अवसंरचना विकास	24.60
	कुल (ख)	24.60
3.	सामान्य सहायता अनुदान	
क)	गुणवत्ता नियंत्रण	7.00
	कुल (ग)	7.00
4.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)	
	(i) सहायता अनुदान (सामान्य)	2.00
	(ii) सब्सिडी	2.00
	(iii) पूँजीगत संपत्ति का निर्माण	1.40
	कुल (घ)	5.40
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	85.00

(iii) एपीडा की ई-गवर्नेंस पहल

- ❖ अनिवार्य दस्तावेजीकरण में कमी: एपीडा ने व्यापारियों, निर्यातकों आदि के पंजीकरण के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या कम कर दी है और व्यापारी निर्यातकों के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं है। व्यापारी निर्यातक अब अपने आईई कोड के साथ आरसीएमसी प्राप्त कर सकते हैं और केवल आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- ❖ ऑटो-नवीनीकरण: एपीडा ने आरसीएमसी जारी करने और पैक हाउसों के पंजीकरण के लिए निर्यातकों के पंजीकरण का स्वतः नवीनीकरण लागू किया है। 2021-22 के दौरान, 1938 आरसीएमसी और पंजीकरण 15 पैक हाउस ऑटो-नवीनीकृत हैं।
- ❖ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस): एपीडा ने एनएसडब्ल्यूएस के साथ अपनी निर्यातक पंजीकरण प्रणाली को एकीकृत किया है और इसे एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- ❖ किसान सुविधा के साथ एपीडा सेवाओं का एकीकरण: एपीडा ने किसान सुविधा एक सर्वव्यापी मोबाइल ऐप है जिससे किसानों को सीजन, बाजार मूल्य, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, डीलर, कृषि सलाह, पौधों की सुरक्षा और आईपीएम प्रथाओं आदि से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।

- ❖ किसानरथ के साथ एपीडा सेवाओं का एकीकरण : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ मिलकर कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज में किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए मोबाइल एप्लिकेशन ८ किसानरथ ८ विकसित किया है। एपीडा ने किसानरथ के साथ अपनी सेवाओं को एकीकृत किया है।
- ❖ पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन प्रणाली का सुदृढीकरण: एपीडा ने कृषि निर्यात के लिए पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन प्रणाली जैसे जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए ट्रेसनेट , अंगूर, अनार, आम, 43 सब्जियां, खट्टे फल, पान के पत्ते, प्याज और केला, मीट.नेट के लिए हॉर्टीनेट भैंस के मांस, भेड़ और बकरी के मांस आदि के लिए, मूंगफली उत्पादों के लिए पीनट.नेट और भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल के लिए बासमती.नेट को कार्यान्वित किया है,।
- ❖ उन्नत लैब मॉड्यूल: एपीडा ने एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की लैब टेस्ट रिपोर्ट को ट्रेसनेट के साथ एकीकृत किया है, जिससे भारत के जैविक निर्यात की गुणवत्ता की निगरानी करना आसान हो गया है।
- ❖ ट्रेसनेट के तहत किसानों के पंजीकरण में बढ़ोतरी: 2021-22 में, एपीडा ने 9 लाख से अधिक किसानों को ट्रेसनेट पर जोड़ा है और कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 24.99 लाख तक पहुंच गई है। निगरानी और निर्यात आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण की सुविधा के लिए बासमती.नेट

पर लगभग 80,000 किसान पंजीकृत हैं। पहली बार हॉर्टीनेट ने प्याज, केला आदि के निर्यात के लिए किसान पंजीकरण की शुरुआत की।

- ❖ हितधारकों के लिए वीडियो मैन्युअल एपीडा ने हितधारकों को ट्रेसेबिलिटी, हॉर्टीनेट सिस्टम (अंगूर, आम, प्याज, केला, साइट्रस, सब्जियां आदि) की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो ट्यूटोरियल बनाया।
- ❖ ब्लॉकचैन की शुरुआत के माध्यम से एपीडा की ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में आश्वासन बढ़ाना एपीडा ने ट्रेसेबिलिटी सिस्टम गारपेनेट और हॉर्टीनेट में ब्लॉकचैन की शुरुआत की है।
- ❖ एग्रीएक्सचेंज ऐप एपीडा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दैनिक व्यापार अलर्ट, ट्रेड लीड्स, एपीडा के पास दायर विभिन्न आवेदनों की स्थिति आदि पर बाजार की जानकारी तक पहुंचने के लिए एग्रीएक्सचेंज ऐप लॉन्च किया है।

(iv) बागवानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियां और फूलों की खेती)

(क) आम – बाजार पहुंच और निर्यात संवर्धन

- ❖ भारत के दूतावास, बर्लिन के सहयोग से बर्लिन, जर्मनी में जून 2021 के पहले सप्ताह में मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
- ❖ वर्चुअल मैंगो फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 का आयोजन टोक्यो, जापान में 28 मार्च 2022 को भारत के दूतावास, टोक्यो के माध्यम से किया गया था, जहाँ जापान के आयातकों, निर्यातकों, एपीडा और ईओआई, टोक्यो के अधिकारियों ने बातचीत की।
- ❖ एपीडा ने भारत से यूएसए को फलों के सहकारी निर्यात के लिए यूएस+ए एपीएचआईएस के साथ सहकारी सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका को आम के निर्यात में सहायता करने जा रहा है।

(ख) निर्यात पहल

- ❖ बर्मी अंगूर (उर्फ लेटेकु) की पहली खेप 26 जून 2021 को असम से दुबई को निर्यात की गई।
- ❖ 25 जून 2021 को महाराष्ट्र के सांगली जिले से दुबई के लिए ड्रेगन फ्रूट की पहली खेप निर्यात की गई।
- ❖ मध्य प्रदेश के क्लस्टर छिंदवाड़ा से 24 मीट्रिक टन संतरे की पहली खेप बांग्लादेश को निर्यात की गई।

- ❖ कश्मीर घाटी, श्रीनगर से दुबई के लिए मिश्री वैरायटी चेरी की पहली खेप 5 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी।
- ❖ जापान के लिए 2022 सीजन के लिए आम की पहली खेप 26 मार्च 2022 को मुंबई बंदरगाह से जापान के ओकिनावा हवाई अड्डे के लिए गई।
- ❖ जीआई टैग वाले आमों की पहली खेप जून 2021 में निर्यात की गई थी। जीआई टैग वाले जर्दालू आमों को पहली बार भागलपुर, बिहार से यूके और मलिहाबादी दशहरी आमों को लखनऊ, उत्तर प्रदेश से यूके में निर्यात किया गया था।
- ❖ जीआई टैग जलगाँव केले को जून 2021 के महीने में दुबई में निर्यात किया गया था।
- ❖ जीआई टैग वाली किंग चिल्ली (नागा मरीचा) को नागालैंड से लंदन के लिए 29 जुलाई 2021 को पहली बार गुवाहाटी में एपीडा मान्यता प्राप्त पैक हाउस से गुवाहाटी हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाई गई।

(ग) क्रेता विक्रेता सम्मेलन

- ❖ भारतीय कृषि उत्पादों को ईरान को निर्यात करने के लिए भारत के निर्यातकों और ईरान के आयातकों के साथ दिसंबर 2021 में वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी।
- ❖ शिलांग में अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया, जहां ग्रीस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर के आयातकों ने एनईआर राज्यों के निर्यातकों और एफपीओ/एफपीसी के साथ बातचीत की।

(v) प्रसंस्कृत और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

(क) नई प्रौद्योगिकी पहलें – बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से निर्यातकों को नई तकनीकों जैसे फ्रीज ड्राईंग, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन (आईक्यूएफ), फ्रूट फ्लाय स्कैनिंग मशीन आदि की स्थापना में अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है। एपीडा निर्यातकों को उनकी एफएसएमएस योजनाओं को स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) प्रमाणन और कार्यान्वयन एजेंसियों को भी मान्यता देता है।

(ख) पी-नट- मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए संशोधित प्रक्रिया व्यापार सूचना संख्या एपीडा/पीपीपी/क्यू/2021 दिनांक 05.07.2021 के माध्यम से जारी की गई थी। मूंगफली के छिलके/ग्रेडिंग/प्रसंस्करण इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की अवधि को

कम करने के लिए, निरीक्षण की अवधि 1 दिन से घटाकर 1१२ दिन कर दी जाती है और पूर्ण आवेदन के 24 घंटे के भीतर निर्यात का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, एपीडा ने मूंगफली इकाइयों के नए पंजीकरण/धनवीकरण के लिए 199 पंजीकरण प्रमाणपत्र और 5.05 लाख मीट्रिक टन मूंगफली के निर्यात के लिए 26,365 निर्यात प्रमाणपत्र जारी किए।

(ग) इंडी दिखाकर खाना किया- जीआई टैग 'मिहिदाना' की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। उपभोक्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल की स्वीट डिश बहरीन के अलजजीरा सुपर स्टोर्स में प्रदर्शित की जा रही है।

(vi) पशुधन क्षेत्र

(क) निर्यात संवर्धन पहल

- ❖ 25 मार्च, 2022 को भारतीय आवास केंद्र, नई दिल्ली में मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएचडी, एमओसी एंड आई और एमओएफपीआई के अधिकारी, सुअर पर निदेशक-एनआरसी, निदेशक-एनआरसी ने भाग लिया। मांस, एआईएमएलईए, मांस निर्यातकों आदि पर यह आयोजन मूल्यवर्धित मांस उत्पादों के निर्यात में व्यापार के अवसरों का पता लगाने पर केंद्रित था।
- ❖ माननीय मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों पर बैठक की और जमे हुए भैंस के मांस, भेड़/बकरी के मांस, डेयरी उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों जैसे पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति सह कार्य योजना तैयार की।
- ❖ भारतीय दूतावास, अंगोला के सहयोग से एक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई और भारत से अंगोला में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में अवसरों का पता लगाने के लिए ईओआई, अंगोला के अधिकारियों, अंगोला के व्यापार संघों, आयातकों और निर्यातकों ने भाग लिया।
- ❖ 7 जून 2022 को नमक्कल, इरोड और सेलम में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में पोल्ट्री क्लस्टर में निर्यातकों के लिए एक वर्चुअल संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- ❖ झाबुआ जिले में कड़कनाथ मुर्गे (जीआई) पर वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला पशुपालन विभाग, केवीके और संभावित

कड़कनाथ किसान उपस्थित थे। झाबुआ जिले में कड़कनाथ मुर्गे को बढ़ावा देने के लिए केवीके के वैज्ञानिकों ने अलग-अलग तरीके बताए।

- ❖ मई 2021 के दौरान एपीडा ने राज्यों के पशुपालन विभाग के साथ पोल्ट्री निर्यातकों, प्रयोगशाला और अन्य हितधारकों के साथ पोल्ट्री उद्योग के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों कोविड-19 संबंधित, बाजार पहुंच, रोग मुक्त क्षेत्र की घोषणा, आदि पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की।

(ख) बाजार पहुंच के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- ❖ मलेशियाई निरीक्षण मिशन ने मलेशिया में जमे हुए भैंस के मांस और ऑफल के निर्यात के लिए मांस संयंत्रों को मंजूरी देने के लिए भारत में मांस प्रतिष्ठानों की समीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा के लिए भारत का दौरा किया है। उन्होंने दो चरणों में 39 मांस प्रतिष्ठानों और एक भैंस जिलेटिन इकाई का दौरा किया और निर्यातकों के संवेदीकरण, ठहरने और प्रतिनिधियों की यात्रा जैसी सभी तैयारियां एपीडा द्वारा की जाती हैं।
- ❖ एपीडा ने मांस प्रसंस्करण इकाइयों के निरीक्षण के लिए ब्रुनेई, इंडोनेशिया, अंगोला, वियतनाम और अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया है ताकि उनकी इकाइयों को अपने देशों में जमे हुए भैंस के मांस के निर्यात की अनुमति मिल सके। एपीडा ने भारत से वियतनाम को भैंस के आंतरिक अंगों (ऑफल्स) के निर्यात पर हस्ताक्षर करने के लिए पशु स्वास्थ्य विभाग (डीएच), कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन तैयार किया और साझा किया।
- ❖ सऊदी अरब ने दो राज्यों-केरल और एमपी को छोड़कर भारत से अंडे से निकले अंडे (एक दिन पुराने) के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है।

(vii) अनाज क्षेत्र

(क) व्यापार संवर्धन गतिविधियाँ

- ❖ 22 अप्रैल, 2021 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, हो ची मिन्ह सिटी और लाम डॉंग प्रांत की पीपुल्स कमेटी के सहयोग से एक वर्चुअल बीएसएम का आयोजन किया गया।
- ❖ 27 अप्रैल 2021 को भारतीय उच्चायोग, ब्रुनेई और कृषि और कृषि-खाद्य विभाग, ब्रुनेई दारुस्सलाम के सहयोग से एक वर्चुअल बीएसएम का आयोजन किया गया।

- ❖ 3 मई 2021 को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से गैर-बासमती चावल निर्यात की पहली खेप वियतनाम के लिए रवाना हुई ।
- ❖ 5 मई 2021 को उत्तराखंड से डेनमार्क के लिए ऑर्गेनिक बार्नयार्ड और फिंगर बाजरा शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई गई । देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देवभूमि (की भूमि) में गंगा के बर्फ-पिघले पानी से हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप भगवान), उत्तराखंड को डेनमार्क को निर्यात किया गया था ।
- ❖ 29 मई 2021 को कुंभकोणम, तंजावुर जिले, तमिलनाडु से घाना और यमन को पेटेंटेटेड श्यामीण चावल निर्यात करने के लिए एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया था । इसके अलावा, एक स्टार्ट-अप उदय एगो फार्म द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम से 4.5 मीट्रिक टन पेटेंटेटेड श्विलेज राइस की दो खेप घाना और यमन को निर्यात की गई थी ।
- ❖ पूर्वी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संभावनाओं की एक खिड़की खोलने के लिए 7 जून 2021 को पश्चिम बंगाल से नेपाल के लिए मूंगफली की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई गई ।
- ❖ भालिया गेहूं (जीआई) की पहली खेप 7 जुलाई 2021 को गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई थी ।
- ❖ ओडिशा के एफपीओ/प्रगतिशील किसानों के लिए एक निर्यात संवेदीकरण कार्यक्रम सह क्रेता-विक्रेता बैठक 27 जुलाई 2021 को आयोजित की गई है ।
- ❖ 30 जुलाई 2021 को स्टार्ट-अप/एफपीओ के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) के सहयोग से एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।
- ❖ एपीडा ने भारतीय दूतावास के सहयोग से 11 अगस्त 2021 को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ एक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक (विबिएएसएम) का आयोजन किया, जिसमें कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के खाद्य उद्योगों के प्रमुख अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया ।
- ❖ लोमे, टोगो में भारतीय दूतावास के सहयोग से 1 अक्टूबर 2021 को गैर-बासमती चावल निर्यातकों और टोगो आयातकों की एक वर्चुअल बातचीत का आयोजन किया

(ख) खरीफ, 2021 में कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए जागरूकता अभियान

- ❖ बेहतर गुणवत्ता वाले बासमती चावल की उपलब्धता बढ़ाने और कीटनाशकों के अवशेषों के संबंध में आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए, एपीडा बासमती जीआई क्षेत्र में बासमती उत्पादकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी 7 राज्यों का समर्थन कर रहा है । एपीडा द्वारा बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन (बीईडीएफ) के सहयोग से किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूक करने के लिए लगभग 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

(viii) जैविक क्षेत्र

(क) आयातक देशों के साथ पारस्परिक मान्यता

ताइवान- भारत और ताइवान के बीच ताइवान के जैविक मानकों के साथ भारत के एनपीओपी की समानता के लिए समझौता किया गया है ।

(ख) प्रत्यायन गतिविधियों

एपीडा आईएसओ-17011 आवश्यकताओं के अनुपालन में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है । एपीडा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (आईएएफ) का भी सदस्य है । इस अवधि के दौरान प्रत्यायन संबंधी गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- ❖ एनपीओपी में उल्लिखित प्रत्यायन प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा एक प्रमाणन निकाय को मान्यता प्रदान की गई है, जिससे कुल 33 प्रमाणन निकाय बन गए हैं ।
- ❖ प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन एनएबी द्वारा मध्य पूर्व, एनडब्ल्यू एशिया और पड़ोसी देशों के अलावा यूरोपीय संघ, अफ्रीका में विदेशी प्रमाणन के लिए बढ़ाया गया है ।
- ❖ एपीडा भूटान को जैविक प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करने और स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है ।

(ग) ट्रेसनेट ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से एनपीओपी प्रक्रियाओं की निगरानी

एपीडा ट्रेसनेट से जैविक प्रोसेसर और व्यापारियों का डेटा वेब आधारित अनुमार्गणीयता प्रणाली से एफएसएसआई को

प्रदान कर रहा है ताकि टूफसाई प्रमाणित जैविक उत्पादों के घरेलू अखंडता का सत्यापन किया जा सके। उच्च जोखिम वाले उत्पादों के निर्यात से संबंधित जानकारी जैसे सैंपलिंग और विश्लेषण रिपोर्ट, परीक्षण रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एकीकृत मॉड्यूल विकसित किया गया है।

(घ) जीआई उत्पाद - निर्यात संवर्धन

- ❖ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत, व्यंजनों और किस्मों के लिए जाने जाने वाले भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांड के लिए एक आला बाजार बनाने के लिए जीआई-टैग किए गए कृषि उत्पादों के लिए कई प्रचार गतिविधियां की गई हैं।
- ❖ काला नमक चावल, नागा मिर्चा, असम काजी नेमू, बैंगलोर रोज प्याज, आम की जीआई किस्में, जीआई-टैग वाली शाही लीची, भालिया गेहूं, मदुरै मल्ली, बर्धमान मिहिदाना और सीताभोग, दहानु वाझाकुलम अनानास, मरयूर गुड़, आदि जैसे जीआई उत्पादों के लिए नए बाजारों में कई परीक्षण शिपमेंट की सुविधा दी गई है।
- ❖ नागा मिर्चा (राजा मिर्च) का निर्यात नागालैंड से ब्रिटेन, मणिपुर से काला चावल ब्रिटेन, असम नींबू ब्रिटेन और इटली को, पश्चिम बंगाल से आम की तीन जीआई किस्में (फजली, खिरसापति, और लक्ष्मणभोग) और आम की एक जीआई किस्म (जरदालु) बिहार से बहरीन और कतर तक।
- ❖ जयनगर मोआ, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का एक मीठा व्यंजन पहली बार बहरीन को निर्यात किया गया था। जीआई टैग वाली शाही लीची की पहली खेप मई 2021 में मुजफ्फरपुर, बिहार से लंदन, आंध्र प्रदेश से बनगनपल्ले आम को दक्षिण कोरिया में निर्यात किया गया था। मलीहाबादी दशहरी आम को लखनऊ से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात किया गया था।
- ❖ दोहा, कतर के विदेशी खुदरा विक्रेताओं के सहयोग से आयातक देशों में इन-स्टोर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्यात बढ़ाने के लिए कर्नाटक से जीआई-टैग किए गए नंजनगुड केले के नमूनों को लुलु समूह, संयुक्त अरब अमीरात को भेजने की सुविधा भी प्रदान की गई।

(ix) गुणवत्ता विकास

(क) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ

- ❖ एपीडा ने अपने अनुसूचित उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए 234 आईएसओ-17025 मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत किया है।
- ❖ पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) को एनआरएल के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है जिससे ताजे फल, सब्जियां और मूंगफली जैसे पौधों की उत्पत्ति के उत्पादों की निगरानी की जा सके।
- ❖ निर्यातकों की निर्माण इकाइयों द्वारा स्थापित घरेलू गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में 20 और निर्यात प्रमाणन के लिए खाद्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए 11 प्राधिकृत प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता विकास घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्नत किया गया।

(ख) एचएसीसीपी कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियां

5 कार्यान्वयन और 5 प्रमाणन एजेंसियों को एचएसीसीपी, आईएसओ-22000, आईएसओ-9001, बीआरसी और जीएपी के लिए खाद्य निर्माण इकाइयों को कार्यान्वयन और प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करने के लिए मान्यता दी गई है।

(ग) एफ्लाटॉक्सिन की ऑनलाइन निगरानी

आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्यात प्रक्रियाओं को कार्यान्वयन के लिए उन्नत किया गया है।

- ❖ अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया – कृषि रसायनों के अवशेषों के नियंत्रण के लिए ताजा टेबल अंगूर के निर्यात के लिए ग्रेपनेट।
- ❖ अनार के निर्यात की प्रक्रिया – अनार के निर्यात के लिए अनारनेट।
- ❖ मूंगफली और मूंगफली के उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया – एफ्लाटॉक्सिन के नियंत्रण के लिए पी-नट य
- ❖ मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया – एग्रोकेमिकल्स के अवशेषों की निगरानी

(घ) निर्यात मानकों और सामंजस्यीकरण

एपीडा निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था।

- ❖ कोडेक्स मानकों पर चर्चा करने और अपनाने के लिए नवंबर 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 44 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल।
- ❖ मई 2021 में वस्तुतः आयोजित प्रदूषकों पर कोडेक्स समिति के 14वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोडेक्स की

स्थापना के लिए भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करते हुए समिति को रेडी टू ईट (आरटीई), मूंगफली, अनाज, विचनोआ आदि से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदानकीय

- ❖ खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणालियों पर कोडेक्स समिति के 25 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मई-जून 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया, जिसमें स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष आश्वासन के मूल्यांकन और उपयोग के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों, राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियों की समानता की मान्यता और रखरखाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्रों के पेपरलेस उपयोग जैसे एजेंडा मदों पर डेटा, इनपुट प्रदान किए गए
- ❖ कीटनाशक अवशेषों (सीसीपीआर) पर कोडेक्स समिति के 52 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई-अगस्त 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया, जो पौधों की उत्पत्ति के उत्पादों के लिए भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने वाले कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा को अपनाने और सामंजस्य बनाने पर इनपुट प्रदान करता है

(ड.) अलर्ट की निगरानी, एमओएफपीआई समितियों में योगदान, जीएपी और खाद्य सुरक्षा मानक

- ❖ निर्यात अस्वीकृति और त्वरित अलर्ट को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह देने के लिए नियंत्रण नमूनों के पुनर्विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं और एनआरएल जैसे संबंधित हितधारकों को प्रसार सहित त्वरित अलर्ट, शिकायतों की निगरानी कीय
- ❖ एपीडा, अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) पर राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह का सदस्य होने के नाते, इंडगैप के विकास में योगदान दिया। यह जीएपी प्रमाणन की लागत को कम करने में मदद करेगा।
- ❖ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना उन्नयन के लिए एमओएफपीआई की तकनीकी जांच समितियों और परियोजना अनुमोदन समितियों में योगदान दिया। परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में कई व्यावसायिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित/उन्नत की गई हैं।

(च) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

- ❖ परीक्षण और प्रमाणन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एनआरएल के माध्यम से नमूनाकरण, विश्लेषण और ग्रेडिंग के हालिया तरीकों पर प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के फील्ड सैपलरों को प्रशिक्षण दिया गया।

❖ सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) द्वारा अनुरूपता का प्रमाण पत्र, एग्रोकेमिकल्स और प्रदूषकों से संबंधित एमआरएल और कीटनाशकों और एपलाटॉक्सिन के अवशेषों के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के लिए प्रवीणता परीक्षण जैसे देश की आवश्यकताओं को आयात करने पर एनआरएल के समर्थन से हितधारकों को हैंड होल्डिंग कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किया प्रयोगशालाएँ अंतर्राष्ट्रीय क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

❖ पुणे में ईयूआरएल के साथ समन्वित खाद्य उत्पादों में ईटीओ की प्रवीणता परीक्षण ईटीओ के विश्लेषणात्मक तरीकों को सुसंगत बनाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय प्रयोगशालाओं के 100 से अधिक विश्लेषकों ने भाग लिया।

(x) एपीडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र

- ❖ एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)। 2021-22 में, एपीडा ने 4,311 आरसीएमसी जारी किए।
- ❖ बासमती चावल के निर्यात के लिए पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी)। 2021-22 में, एपीडा ने 3.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफओबी मूल्य के साथ 30,320 आरसीएसी जारी किए।

4. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

(i) संगठनात्मक संरचना और कार्य

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय का गठन 1972 में देश में समुद्री उत्पादों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है और इसमें एक अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) सहित 30 सदस्य हैं। हितधारकों को समय पर सलाह सुनिश्चित करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रोसेसर और एक्वा कृषकों की सहायता के लिए पूर्वोत्तर भारत में एक सहित तटीय राज्यों में 18 फील्ड कार्यालय हैं। एमपीईडीए के न्यूयॉर्क, जापान और नई दिल्ली में तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं और पांच पूर्ण विकसित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ हैं। एमपीईडीए ने मछली गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तार गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निर्यात प्रोत्साहन का समर्थन करने के लिए विविध जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजीव

गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए), मछली गुणवत्ता प्रबंधन और सतत मछली पकड़ने के लिए नेटवर्क (एनईटीएफआईएसएच) और किसानों को एक्वाकल्चर में स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (एनएसीएसए) एक्वाकल्चर नामक तीन पंजीकृत सोसायटी भी स्थापित की हैं।

(ii) निर्यात निष्पादन

वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से सितंबर के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमेरिकी डॉलर आय में 3.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान देश के समुद्री खाद्य निर्यात बास्केट में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात				
		अप्रैल से नवंबर 2021-22	अप्रैल से नवंबर 2022-23* अंतिम	वृद्धि (%)
यूएस \$ मिलियन	\$:	5,392.96	5,579.41	3.46

(iii) निर्यात सुविधा और संवर्धन

एमपीईडीए ने वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों में भाग लिया:
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों का विवरण

प्रदर्शनी का नाम	तारीख
समुद्री खाद्य एक्सपो ग्लोबल 2022, बार्सिलोना	26-28 अप्रैल 2022
जापान इंटरनेशनल समुद्री खाद्य एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो (जेआईएसटीई 2022), टोक्यो, जापान	24-26 अगस्त 2022-
फिश इंटरनेशनल, ब्रेमन, जर्मनी	4 से 6 सितंबर 2022
समुद्री खाद्य एक्सपो एशिया 2022, सिंगापुर	14 से 16 सितंबर 2022
वर्ल्ड फूड मॉस्को 2022, मॉस्को, रूस	20 - 23 सितंबर 2022
बुसान इंटरनेशनल समुद्री खाद्य एंड फिशरीज एक्सपो 2022, बुसान, दक्षिण कोरिया	2-5 नवंबर 2022

- ❖ वियतफिश 2022: एमपीईडीए के अधिकारी और 11 निर्यात कंपनियों सहित व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 26 अगस्त 2022 तक वियतफिश 2022 में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने नमस्ते वियतनाम 2022 के संबंध में आयोजित बैठक में भी भाग लिया।
- ❖ वर्चुअल व्यवसाय बैठक: 2022-23 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान एमपीईडीए ने जर्मनी (2), मलेशिया (2), कोरिया, सिंगापुर, रूस, वियतनाम और चीन के आयातकों के साथ 09 वर्चुअल व्यवसाय बैठक का आयोजन किया।
- ❖ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें: 2022-23 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान एमपीईडीए भारतीय मिशनों, नियामक एजेंसियों, वाणिज्य मंडल, आयातक संघों आदि के साथ समन्वय ने

ओमान, स्पेन (2), रीयूनियन, रूस (3), जापान (6), यूके और चीन (5) के आयातकों के साथ 19 वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।

- ❖ एमपीईडीए ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर 'लीवरेजिंग एफटीए टू ग्रो एक्सपोर्ट्स' विषय पर वेबिनार आयोजित किया, जिसमें 80 निर्यातकों ने भाग लिया। साथ ही संबंधित भारतीय मिशनों के सहयोग से बेनेलक्स और जर्मन बाजार के लिए एक समुद्री खाद्य बाजार अध्ययन पूरा किया गया।
- ❖ इंडिया इंटरनेशनल समुद्री खाद्य शो 2023: एमपीईडीए, एसईआई के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल समुद्री खाद्य शो-आईआईएसएस (2023) के 23 वें संस्करण का

आयोजन 15 से 17 फरवरी, 2023 तक बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में करेगा।

❖ इकाइयों का पंजीकरण 15 प्रसंस्करण संयंत्र, 105 निर्यातक, 19 भंडारण परिसर, 5 सूखी मछली प्रबंधन केंद्र, 3 जीवित मछली प्रबंधन केंद्र, 2 ताजा/ठंडा मछली प्रबंधन केंद्र, 16 छीलने वाले शेड, 2 वाहन, 1 अन्य खाद्य प्रबंधन केंद्र और 5 अन्य अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक एमपीईडीए के साथ गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र पंजीकृत किए गए थे। निर्यातकों और संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण को व्यापार करने में आसानी के हिस्से के रूप में पूरी तरह से डिजिटाइज किया गया है।

❖ प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन सत्यापनरु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए सभी निर्यात सुविधा प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य कर रहा है। 01 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान एमपीईडीए ने 7476 कैच सर्टिफिकेट, 346 आईसीसीएटी स्वोर्डफिश स्टैटिस्टिक्स डॉक्यूमेंट, 14671 डीएस 2031 सर्टिफिकेट, 177 नॉन-रेडियोएक्टिविटी सर्टिफिकेट, 13 लीगल ओरिजिन सर्टिफिकेट, 38 ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सर्टिफिकेट और 33 आरसीएमसी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए।

❖ मछली पकड़ने के बंदरगाह का उन्नयनरु एमपीईडीए के हस्तक्षेप के आधार पर, केंद्रीय बजट 2020-21 में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआघाट में 05 फिशिंग हार्बर की घोषणा की गई। केंद्रीय शीर्ष समिति (सीएसी), मत्स्य विभाग ने अपनी 7 वीं बैठक में 169.17 करोड़ रुपये की राशि के कोचिन फिशरीज हार्बर परियोजना प्रस्ताव के आधुनिकीकरण और 18 महीने की अवधि में परियोजना को पूरा करने की सिफारिश की। मैसर्स आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोच्चि, केरल को निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में चुना गया है। एमपीईडीए बंदरगाह में उतरी मछलियों की गुणवत्ता/धारणीयता पहलुओं में सुधार के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(iii) आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्र में पकड़ी गई सामग्री की स्थिरता के मुद्दों का समाधान।

❖ एमपीईडीए कथित आधार पर कि भारत में मछली पकड़ने के तरीके समुद्री कछुओं की आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, वर्ष 2019 के दौरान यूएस पब्लिक लॉ की धारा 609 के

तहत लगाए गए पकड़े गए जंगली झींगा निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए यूएस एम्पीडी और सीआईएफटी के भारतीय विशेषज्ञों एनओए के साथ समन्वय कर रहा है। जून 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एनओए और भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से गोता मूल्यांकन अध्ययन किया गया था और वे सफल रहे और यूएस एनओए विनिर्देश को पूरा किया। एमपीईडीए सीआईएफटी टीईडी डिजाइन के अनुमोदन के लिए यूएस एनओए से एक आधिकारिक संचार की प्रतीक्षा कर रहा है। नवंबर 2022 के दौरान एमपीईडीए को संशोधित टीईडी प्राप्त हुआ। सीआईएफटी ने पर्याप्त संख्या में संशोधित टीईडीएस का निर्माण किया। टीईडीएस का उपयोग फील्ड परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। भारत संशोधित टीईडी के क्षेत्र परीक्षणों को सत्यापित करने और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूएसए एनओए टीम की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है।

❖ समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियमरु यूएस एमएमपीए विनियम 01.01.2024 से लागू किए जाएंगे, जिसके तहत विदेशी मत्स्य पालन की सूची (एलओएफएफ) के तहत षनिर्यात मत्स्य पालन के रूप में नामित चयनित समुद्री उत्पादों के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी जब निर्यातक देश एक समुद्री स्तनपायी संरक्षण के लिए कार्यक्रम, अमेरिकी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के तुलनीय उपयुक्त नियामक विकसित करेंगे। इसमें एक प्रमुख घटक समुद्री स्तनधारियों के स्टॉक मूल्यांकन डेटा की उपलब्धता है। स्टॉक मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में, सीएमएफआरआई, एफएसआई और एमपीईडीए-एनईटीएफआईएसएच ने संयुक्त रूप से समुद्री स्तनधारियों के दृश्य सर्वेक्षण और बाय कैच अनुमानों का संचालन किया। भारत की ओर से एमपीईडीए ने यूएस-एमएमपीए की शर्तों को पूरा करने के लिए 25 नवंबर 2021 को सफलतापूर्वक यूएस एनओएका तुलनात्मक खोज आवेदन (सीएफए) प्रस्तुत किया। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। एमपीईडीए ने एफएसआई, सीएमएफआरआई, सीआईएफटी, डीओएफ एंड एमओईएफ एंड सीसी के परामर्श से 17 नवंबर 2022 को यूएस एनओएके प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया। भारत के सीएफए पर अंतिम निर्धारण की प्रतीक्षा है।

❖ चल रही विभिन्न एफटीए वार्ताओं के संबंध में डीओसी और अन्य मंत्रालयों को इनपुट।

❖ एमपीईडीए विभिन्न एफटीए वार्ताओं के संबंध में टैरिफ तौर-तरीकों, उत्पत्ति के नियमों, एसपीएस टीबीटी टेक्स्ट

आदि पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता रहा है। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों को हाल ही में संपन्न भारत-यूआई सीडीपीए और भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत मछली और मत्स्य उत्पादों पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क प्रदान किया गया है, जो संबंधित बाजारों में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में सहायक होगा।

- ❖ जापानी नियमों के अनुसार आईयूयू मछली पकड़ने को खत्म करने के लिए निर्दिष्ट जलीय जानवरों और पौधों के उचित घरेलू वितरण और आयात को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 11 के तहत वर्ग II जलीय जानवरों और पौधों के लिए जापान कैच डॉक्यूमेंटेशन स्कीम (जेसीडीएस) 01.12.2022 को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

(iv) निर्यात के लिए अत्याधुनिक/अभिनव मूल्य वर्धन के लिए सहायता

मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात ने भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि की है। लेकिन अधिकांश आधुनिक उपकरण अत्यधिक पूंजी गहन हैं। भारतीय समुद्री खाद्य प्रोसेसरों को मूल्यवर्धन अपनाने में सहायता करने के लिए, एमपीईडीए नई इकाइयों की स्थापना के लिए, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और संस्थागत वित्त के माध्यम से मूल्यवर्धन में विविधता लाने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित कर रहा है। वित्तीय सहायता योजनाओं के अलावा एमपीईडीए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022) के दौरान एमपीईडीए द्वारा दी गई वित्तीय सहायता।

योजना	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (मूल्य लाख रुपये में)
विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पाद योजना के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएपी)	4	949.20
समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी और अवसंरचनात्मक योजना (टीआईयूएसएमपी)	1	45.55
बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन विकास योजना	2	100.71
कुल	7	1,095.46

(v) जलीय कृषि विकास

- ❖ क्षमता निर्माण कार्यक्रम: एमपीईडीए ने तटीय राज्यों में जलीय कृषि किसानों के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक अवशेषों, बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) को अपनाने और निर्यात उन्मुख प्रजातियों के प्रति विविधीकरण सहित प्रमुख मुद्दों पर किसानों को संवेदनशील बनाना है। अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान, 759 जागरूकता अभियान (खेत से खेत तक) एक्वाकल्चर में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ और 156 प्रजातियों के विविधीकरण के प्रसार के लिए आयोजित किए गए थे। एमपीईडीए योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 5 किसानों की बैठक आयोजित की गई।
- ❖ प्रजाति विविधीकरण: एमपीईडीए ने तिलापिया, सीबास, स्कैम्पी, मड क्रैब आदि जैसी विविध प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन का मानकीकरण किया है। 5 (पांच) निर्यात योग्य प्रजातियों के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम विविध

प्रजातियों के लोकप्रियकरण की अवधि के दौरान शुरू किए गए हैं जबकि 9 प्रदर्शन पिछले साल से जारी हैं।

- ❖ खेतों और हैचरी का नामांकन: जलीय कृषि उत्पादन का पता लगाने के लिए, 4795 हेक्टेयर और 7 हैचरी के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 1075 संख्या में फार्म एमपीईडीए द्वारा 1683 मिलियन क्षमता के साथ नामांकित किया गया है।
- ❖ एक्वाकल्चर का प्रमाणन (शापारी): प्रमाणन कार्यक्रम के तहत, एंटीबायोटिक मुक्त बीज के उत्पादन की अवधि के दौरान एक हैचरी को शेफारी प्रमाणित किया गया था। हैचरी ने 8-10 महीनों की अवधि में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए हैचरी के इनपुट और हैचरी के बीजों पर सफलतापूर्वक लेखा परीक्षा और परीक्षण की एक श्रृंखला को पूरा किया था। लेखापरीक्षा के दौरान सभी ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों के लिए हैचरी के बीजों का भी नकारात्मक परीक्षण किया गया था। 21 हैचरी के लिए लेखापरीक्षा प्रगति पर है। 36 हेक्टेयर क्षेत्र के एक्वाकल्चर फार्म को अच्छी प्रबंधन पद्धतियों के तहत उत्पादन के लिए शेफारी प्रमाणित किया गया है।

- ❖ थाईलैंड ने एल.वन्नामेई पर प्रतिबंध हटाया: भारत सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, थाईलैंड सरकार ने भारत के झींगा रोग नियंत्रण प्रणाली लेखापरीक्षा वर्चुअल के बाद 15 जून 2022 से भारत से जमे हुए वन्नामेई झींगा के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया है।।

(vi) गुणवत्ता आश्वासन

- ❖ एनआरसीपी: अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के तहत एमपीईडीए प्रयोगशालाओं द्वारा कुल 7771 नमूनों का परीक्षण किया गया। पीएचटी कुल 9044 पीएचटी प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
- ❖ कोविड-19 परीक्षण: एमपीईडीए क्यूसी लैब के सूक्ष्म जीव विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान प्रभाग, कोच्चि कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड सहित रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का पता लगाने के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों का परीक्षण कर रहा है। अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान कुल 2510 कमर्शियल समुद्री भोजन पैकेजिंग सामग्री में एसएआरएस कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड सामग्री के नमूनों का परीक्षण किया गया।
- ❖ समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण: एमपीईडीए ने विभिन्न स्थानों पर 6 समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए और भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के 166 प्रौद्योगिकीविद इससे लाभान्वित हुए।
- ❖ श्रिम्प रेगुलेटरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (आरपीए) के हिस्से के रूप में, यूएसएफडीए, एमपीईडीए और जेआईएफएसएएन के सहयोग से भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के लाभ के लिए प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। अप्रैल 2022 के महीने के दौरान एमपीईडीए मुख्यालय में दो समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए गए। मई 2022 के दौरान एक अच्छा जलीय कृषि अभ्यास अभ्यास आयोजित किया गया। एमपीईडीए, ईआईए, अकादमिक और समुद्री खाद्य उद्योग के हितधारकों को इन प्रशिक्षणों से लाभान्वित किया गया।
- ❖ जुलाई 2022 के महीने के दौरान यूएसएफडीए और जिफसान के सहयोग से एक समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और एफडीए आयात संचालन प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। यूएसएफडीए ने भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के लाभ के लिए जनवरी 2023 के दौरान स्वच्छता प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव दिया है।

(vii) क्यूए और जैव सुरक्षा पर बाजार विशिष्ट कार्रवाई

(क) ईयू मिशन 2022

- ❖ जलीय कृषि, पोल्ट्री और दुग्ध संबंधी यूरोपीय आयोग ने 12 से 23 सितंबर 2022 तक भारत का दौरा किया। टीम ने 14 सितंबर 2022 को कोच्चि में एमपीईडीए क्यूसी प्रयोगशाला का लेखा परीक्षा किया। खेत, पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों की दुकानों में और कोच्चि के आसपास प्रत्येक सुविधा द्वारा किए गए संचालन का लेखा-जोखा करने के लिए।
- ❖ यूरोपीय संघ की टीम ने 19 -20 सितंबर 2022 को प्री-हार्वैस्ट टेस्टिंग (एलिसा) के लिए एमपीईडीए क्यूसी लैब भुवनेश्वर और एमपीईडीए लैब का लेखा परीक्षा किया। ईयू मिशन की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।

(ख) चीन

- ❖ रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, जीएसीसी ने पैकेजिंग सामग्री, उत्पाद या कंटेनर की दीवार पर कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति के कारण 23 समुद्री भोजन प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है।
- ❖ आज तक, जीएसीसी ने कोविड-19 के कारण 99 समुद्री भोजन प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। डब्ल्यूएसएसवी, विब्रियो, कैडमियम आदि जैसे अन्य कारणों से भी 22 इकाइयों को जीएसीसी द्वारा अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
- ❖ विभाग एमपीईडीए और ईआईसी के समन्वय से इन मुद्दों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। आज तक, जीएसीसी ने 105 समुद्री भोजन प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिन्हें कोविड-19 के कारण निलंबित कर दिया गया था।
- ❖ निरंतर प्रयासों के कारण, जीएसीसी ने 11 समुद्री भोजन प्रसंस्करण इकाइयों के निलंबन को रद्द कर दिया।
- ❖ एमपीईडीए मामले को सुलझाने और मूल्य श्रृंखला में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व का प्रचार करने के लिए निर्यातकों और अन्य हितधारकों को लगातार संवेदनशील बना रहा है।
- ❖ गुणवत्तापूर्ण समुद्री खाद्य उत्पादन और निर्यात के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला एम्पीडा ने 17 जून के दौरान चेन्नई में सभी तटीय राज्यों और संबंधित आईसीएआर संस्थानों के मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दिवसीय

कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव मत्स्य, भारत सरकार ने की और एनएफडीबी द्वारा समर्थित किया गया।

(viii) प्रौद्योगिकी विस्तार और समर्थन

- ❖ एनएसीएसए अप्रैल-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में लगभग 22 कृषक क्लस्टर सोसायटी का आयोजन किया गया था। एनएसीएसए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात राज्यों के 8374 किसानों के लाभ के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी), फसल योजना को अपनाने और झींगा पालन में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम और मंडल ब्लॉक तालुक स्तरों पर कुल 778 बैठकें आयोजित की हैं। एनएसीएसए ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों से एमपीईडीए फार्म नामांकन प्राप्त करने के लिए 76 किसानों की सहायता की।
- ❖ 02 सोसायटियों को 2022-2023 के दौरान अनुसूचित जाति ६ अनुसूचित जनजाति समाज के लिए एमपीईडीए वित्तीय सहायता योजना के तहत 17,74,116.00/- करोड़ रुपये की राशि मिली। 04 सोसायटियों को 2022 अप्रैल-सितंबर के दौरान 30,82,175.50/- रुपये की राशि प्राप्त हुई। एमपीईडीए वित्तीय सहायता योजना के तहत सामान्य समाज के लिए जल गुणवत्ता और झींगा पशु स्वास्थ्य विश्लेषण के इन परीक्षणों के माध्यम से 25,20,295/- रुपये एकत्र किए गए थे।
- ❖ समितियों के झींगा किसानों की सुविधा के लिए एनएसीएसए बिचौलियों से बचकर निर्यातकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ई-सांता) पर काम कर रहा है। ई-सांता प्लेटफॉर्म में अब तक 32 किसानों का पंजीकरण हो चुका है।
- ❖ एनईटीएफआईएसएच: ने अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान 2,958 विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 20,000 हितधारकों को लाभ हुआ है। मछली पकड़ने के बाद के नुकसान और समुद्री संसाधनों के विनाश को कम करने के लिए ये चयनित बंदरगाह और लैंडिंग केंद्रों में और उसके आसपास आयोजित किए गए थे।
- ❖ आजादी का अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2022 के संबंध में भारत सरकार के 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान के हिस्से के रूप में, नेटफिश ने

जुलाई-सितंबर 2022 के दौरान 9 तटीय राज्यों और पांडिचेरी यूटी में 14 संख्या में समुद्र तट/तटीय सफाई कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिससे मछुआरों और आम जनता को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रभाव के बारे में और समुद्र तटों/तटीय क्षेत्रों में आवश्यक स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में को जागरूक किया गया।

- ❖ अनुसूचित जाति के मछुआरों के कौशल विकास और आजीविका वृद्धि के लिए लैंडिंग सेंटर प्रशिक्षण, ऑन-बोर्ड कार्यक्रम, एक सप्ताह का कौशल विकास, मूल्यवर्धन, समुद्री सुरक्षा और ब्लैक क्लैम प्रशिक्षण सहित 134 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से समुद्री भोजन इकाइयों में प्रसंस्करण श्रमिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए 82 संख्या में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा, पांडिचेरी के राज्य मत्स्य विभाग के वित्त पोषण से पांडिचेरी के मछुआरों के लिए 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के कौशल का उन्नयन किया जा सके।
- ❖ नेटफिश ने अप्रैल 2022 में मछुआरों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के साथ-साथ पीएमएमएसवाई योजना के तहत पर्याप्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके संसाधन संरक्षण और कटाई के बाद की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सीआईएफएनईटी), कोच्चि के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- ❖ डीओएफ, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन परियोजना के हिस्से के रूप में, इस वर्ष के लिए बाय कैच सर्वेक्षण का पहला चरण 9 तटीय राज्यों में 138 चयनित लैंडिंग साइटों को कवर करते हुए लगभग 6,918 फिशर साक्षात्कार आयोजित करके पूरा किया गया था।

(ix) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विविध जलीय कृषि को बढ़ावा देना

आरजीसीए ने अवधि के दौरान एंटीबायोटिक्स 35 सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। निर्यातानुमुख जलीय कृषि के विविधीकरण के लिए आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

आरजीसीए द्वारा आपूर्ति किए गए बीज का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीज आपूर्ति की संचयी कुल संख्या		
	बीज आपूर्ति विवरण (प्रजातिवार)	प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या)	को पहुंचाना
1	एशियन सीबास हैचरी	समुद्री बास तलना	57 लाख	किसान/मैक/आरजीसीए
2	मैंग्रोव मड क्रैब हैचरी	मैंग्रोव मड क्रैब हैचरी	2.92 लाख	किसानों
3	एक्वाकल्चर प्रदर्शन फार्म	केकड़े	-	-
4	समुद्री फिनफिश हैचरी परियोजना	सीबास फिंगरलिंग्स	70,231 नग	किसानों
5	आर्टेमिया प्रोजेक्ट और डेमोफार्म	आर्टेमिया बायोमास	474 किग्रा	आरजीसीए/किसान
		आर्टेमिया सिस्ट	239 टिन	आरजीसीए/किसान
6	एल वन्नामेई ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र	एल वन्नामेई ब्रूडस्टॉक	-	-
7	तिलापिया परियोजना	तिलापिया बीज	4.07 लाख	किसान/मैक/महाराष्ट्र और केरल विभाग/एडीएके
		तिलापिया ब्रूडस्टॉक	7,800 नग	किसान/मैक/केरल विभाग/एडीएके
8	एल. वन्नामेई के लिए जलीय संगरोध सुविधा	एक्यूएफ (एल. वन्नामेई)	1.25 लाख	हैचरी
		एक्यूएफ (पी. मोनोडॉन)	7,061 नग	हैचरी
		एक्यूएफ (पीपीएल)	1.10 लाख	हैचरी
9	आरजीसीए - मैक (वल्लारपदम)	तिलापिया फ्राई / फिंगरलिंग्स	10.76 लाख	किसानों
		सीवेस फ्राई/ फिंगरलिंग्स	1.1 लाख	किसानों
		एंद्रोप्लसुएरेंटिसिस तलना/फिंगरलिंग्स	66,660 सं.	किसानों
		पी मोनोडॉन पोस्ट लार्वा	3.7 लाख	किसानों

5. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले पाटन रोधी और संबद्ध शुल्कों के महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। 1997 में गठित पाटनरोधी एंड एलाइड ड्यूटीज (डीजीएडी) के महानिदेशालय को सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों यानी पाटनरोधी ड्यूटी (एडीडी) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी), सुरक्षा शुल्क (एसजीडी), सुरक्षा उपाय (क्यूआर) एकल खिड़की ढांचे के तहत को शामिल करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित और फिर से डिजाइन करके मई 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार, डीजीटीआर का गठन डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा महानिदेशालय, राजस्व और सुरक्षा विभाग (क्यूआर) के कार्यों को डीजीएफटी के कार्यों में विलय करके किया गया है। डीजीटीआर एक पेशेवर रूप से एकीकृत संगठन है जिसमें विभिन्न सेवाओं और

विशेषज्ञताओं से लिए गए अधिकारियों से निकलने वाले मल्टी-स्पेक्ट्रम कौशल सेट हैं। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच करता है। यह पाटनरोधी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को संचालित करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक ढांचे के तहत व्यापार उपचारात्मक तरीकों का उपयोग करके किसी भी निर्यातक देश से डंपिंग और कार्रवाई योग्य सब्सिडी जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करता है। और अन्य प्रासंगिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई व्यापार उपाय जांच के मामलों से निपटने में व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

6. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) भारत के व्यापार आंकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। महानिबंधक की अध्यक्षता में निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में है और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ विदेशों में खरीदार आवश्यक व्यापार सांख्यिकी और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाओं को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह निर्यात और आयात डेटा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाला पहला बड़े पैमाने का डेटा प्रोसेसिंग संगठन है, जिसे भारत के विदेशी व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाणन 9001:2015 प्राप्त है।

डीजीसीआई एंड एस की नई पहल

- ❖ डीजीसीआई ने अप्रैल 2022 से उद्गम देश वार आयात डेटा प्रसार जारी करना शुरू कर दिया है
- ❖ सेवा क्षेत्र में निर्यात पर डेटा संग्रह के लिए रूपरेखा तैयार करने की पहल प्रगति पर है
- ❖ डीजीसीआईएस ने अप्रैल 2022 से नए आईटीसीएचएस वर्गीकरणों को सफलतापूर्वक अपनाया है।
- ❖ डीजीसीआईएस में आईटी प्रणाली और प्रसार प्रणाली का पुनरुद्धार चल रहा है।
- ❖ आईटी सुधार परियोजना के तहत पोर्टल और डैशबोर्ड के उन्नयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

वर्ष 2016-17 से 2022-23 (सितंबर 2022 तक) प्रोसेस किए गए रिकार्डों की संख्या

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2016-17	10482529	8190495	18673024
2017-18	11288464	9198264	20486728
2018-19	13360422	12188592	25549014
2019-20	13743809	12087439	25831248
2020-21	12503114	9987444	22490558
2021-22	23715941	19332285	43048226
2022-23 (30.09.22 तक)	7848775	6912861	14761636

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

रिकॉर्ड के प्रकार द्वारा संसाधित रिकॉर्ड का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली
2016-17	90.31	9.13	0.56	94.08	5.88	0.04	91.96	7.7	0.33
2017-18	91.85	8.02	0.13	94.62	5.36	0.01	93.09	6.83	0.08
2018-19	93.30	6.70	0.00**	95.21	4.78	0.01	94.21	5.78	0.00**
2019-20	92.93	7.07	0.00**	94.93	5.07	0.00**	93.86	6.13	0.00**
2020-21	93.13	6.87	0.00**	94.77	5.23	0.00**	93.86	6.14	0.00**
2021-22	95.19	4.81	0.00**	95.67	4.33	0.00**	95.40	4.60	0.00**
2022-23 (30 सितंबर 2022 तक)	93.49	6.51	0.00	94.24	5.76	0.00	93.84	6.16	0.00**

* गैर-ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है

** मैन्युअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

व्यापार के मूल्य में विभिन्न प्रकार के लेन-देन का प्रतिशत योगदान

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली
2016-17	79.79	20.11	0.11	80.53	19.30	0.17	80.22	19.64	0.14
2017-18	83.57	16.33	0.1	87.40	12.55	0.05	85.89	14.04	0.07
2018-19	84.84	15.16	0.00**	89.05	10.94	0.01	87.40	12.59	0.01
2019-20	84.48	15.52	0.00**	88.19	11.81	0.00**	86.71	13.28	0.00**
2020-21	87.46	12.35	0.19	88.06	11.94	0.00**	87.80	12.11	0.08
2021-22	82.40	17.60	0.00**	88.72	11.28	0.00	86.14	13.86	0.00**
2022-23 सितंबर 2022 तक)	79.77	20.23	0.00	90.21	9.79	0.00	86.24	13.76	0.00**

* गैर-ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है

** मैन्युअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

संसाधित रिकॉर्ड की संख्या

वर्ष	निर्यात			आयात		
	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली
2021-22	22574996	1140936	0.00**	18494780	837505	0.00
2022-23 सितंबर 2022 तक)	7337944	510831	0.00	6514457	398404	0.00

* गैर-ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है

** मैन्युअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

विभिन्न प्रकार के लेन-देन का व्यापार

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात			निर्यात कुल	आयात			आयात कुल
	ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली		ईडीआई	गैर ईडीआई *	नियमावली	
2016-17	1475633.80	371834.85	1964.90	1849433.55	2075751.56	497510.78	4413.02	2577675.37
2017-18	1634995.78	319592.69	1926.06	1956514.53	2622952.40	376483.51	1597.53	3001033.43
2018-19	1957858.04	349793.52	74.63	2307726.19	3200890.43	393283.00	501.18	3594674.61
2019-20	1875434.47	344412.99	6.72	2219854.18	2963912.85	2963912.85	78.80	5927904.49
2020-21	1888317.33	266729.34	3996.55	2159043.22	2567750.41	348093.81	113.48	2915957.70
2021-22	2592995.33	554026.10	0.06	3147021.49	4056856.75	515917.84	0.00	4572774.59
2022-23 सितंबर 2022 तक)	1461662.48	370717.65	0.00	1832380.14	2693131.47	292205.29	0.00	2985336.76

* गैर-ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है

** मैन्युअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

7. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति लाने के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। पिछले वर्षों में, जीईएम ने अपने प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचारों और अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में सार्वजनिक खरीद स्थान को सफलतापूर्वक बदल दिया है। इसने अपने लॉन्च के बाद से अपने तीन मूलभूत स्तंभों, यानी समावेशन, पारदर्शिता और सार्वजनिक खरीद में दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जीईएम इस बात का एक उदाहरण है कि विरासती प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने और फिर से कल्पना करने के लिए एक रणनीतिक और स्पष्ट इरादे के साथ बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे देश के साथ-साथ वंचितों के लिए स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विक्रेताओं और खरीदारों के लिए कैंशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस अनुभव प्रदान करता है, और सरकारी खरीदारों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एंड-टू-एंड समाधान है।

जीईएम ने लगभग 65 के सरकारी खरीदारों के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू खजीएमवी, में 3.61 लाख करोड़ के लगभग 1.3 करोड़ ऑर्डर संसाधित किए हैं। पोर्टल में 5 मिलियन से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां हैं। जीईएम में 260 से अधिक सेवा श्रेणियां हैं और 2 लाख से अधिक सेवा पेशकशें हैं।

सरकार की मेक इन इंडिया पहल और स्थानीय एमएसई को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप, कई पहलुओं पर केंद्रित एक विचारशील रणनीति के माध्यम से जीईएम ने समावेशिता हासिल की है। जीईएम इन एमएसई को आसान बाजार पहुंच प्रदान कर रहा है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश भारतीय एमएसई डिजिटल पदचिह्न की कमी है और एमएसई का केवल एक छोटा प्रतिशत ही अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बेचता या बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि जीईएम पर ऑर्डर मूल्य का 55 प्रतिशत से अधिक एमएसई को प्रदान किया जाता है।

‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में मेक इन इंडिया पहल को गति प्रदान करने के लिए, और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने जीईएम पर सभी विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे नए उत्पादों का पंजीकरण करते

समय उद्गम देश की सूची बनाएं। मंच पर सरकारी संगठन अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देख सकते हैं। सरकारी खरीदार मेक इन इंडिया फिल्टर का उपयोग उन उत्पादों को देखने के लिए कर सकते हैं जो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और घरेलू विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सामग्री पर उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं।

प्रमुख विशिष्टताएं

- ❖ संशोधित विकल्प खंड के माध्यम से अनुबंध की कार्यक्षमता चलाना— जीईएम ने अब सीमित खरीदार और सीमित वस्तु श्रेणी के लिए पायलट आधार पर संशोधित विकल्प खंड के माध्यम से दर अनुबंधों को संभालने के लिए वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया है। अनुमत अधिकतम मूल्य मात्रा वृद्धि के लिए 2300: और अनुबंध मूल्य वैधता अवधि के लिए 24 महीने होगा।
- ❖ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओएस) जीईएम में ऑनबोर्डिंग — एफपीओ सदस्य किसानों के लिए एक एग्रीगेटर है जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं। एफपीओ विक्रेता जीईएम में स्व-पंजीकरण करते हैं, हम एफपीओ द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर उन्हें एफपीओ ध्वज के साथ लेबल करते हैं। एफपीओ को उनके लिए निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए अतिरिक्त विक्रेता मूल्यांकन और कौशल मनी छूट दी जाती है।
- ❖ मेक इन इंडिया (एमआईआई) खंड अब सेवाओं में उपलब्ध है। खरीदारों के पास यह चुनने का विकल्प होगा कि क्या वे एमआईआई-अनुरूप सेवा प्रदाता चाहते हैं। यदि शहां चुना जाता है, तो सेवा प्रदाताओं को यह बताना होगा कि वे जीईएम में भाग लेते समय एमआईआई क्लॉज के तहत अनुपालन कर रहे हैं।
- ❖ मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुरूप, जीईएम ने सहकारी समितियों को जीईएम पर खरीदार के रूप में ऑनबोर्डिंग करने में सक्षम बनाया है।
- ❖ जीईएम को मौजूदा ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जहां जीईएम पोर्टल पर पंचायत द्वारा सामान्य और सेवाओं की सभी खरीद की जा सकती है। गुडगांव पंचायत और अयोध्या पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
- ❖ सिंगल पैकेट बिडिंग — जीईएम अब सिंगल पैकेट बिड्स की अनुमति देता है, जिसका उपयोग खरीदार खरीदारी

करने के लिए कर सकते हैं। एकल पैकेट बोली में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव एक साथ खोले जा रहे हैं और खरीदार वित्तीय और तकनीकी प्रस्ताव दोनों का एक साथ मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन परिणाम प्रकाशित करते हैं। बड़ी संख्या में बोलियां प्राप्त होने की स्थिति में इससे काफी समय की बचत होती है।

❖ पुश बटन की कार्यक्षमता – जीईएम ने प्रायोगिक आधार पर पुश बटन खरीद कार्यक्षमता शुरू की है, जिससे खरीदार 1 लाख रुपये तक की खरीद कर सकता है और खरीद प्रक्रिया को सरल बना सकता है और खरीदार से न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम संचालित खरीद सीमित 50 श्रेणियों के लिए सक्षम है।

❖ केवल वित्त वर्ष 2021-22 में, जीईएम ने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (लडट) रुपये से अधिक प्राप्त किया था। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 1 लाख करोड़ और प्रभावशाली 176 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि चालू वित्त वर्ष (2022-23) में, जीईएम ने वित्त वर्ष 2021-22 में 357 दिनों की तुलना में केवल 243 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी को से अधिक हो गया है। जीईएम अब चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक जीएमवी हासिल करने का इच्छुक है।

❖ 21 दिसंबर 2022 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) विक्रेता प्संवाद बुकलेट लॉन्च किया और कॉमन सर्विस सेंटर ई- के माध्यम से जीईएम सेवाओं के रोल-आउट को हरी झंडी दिखाई। गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी), और इंडिया पोस्ट, डाक विभाग

❖ जीईएम पोर्टल पर किसी भी धोखाधड़ी और विसंगति की जांच के लिए एआई-एमएल आधारित पूर्ण समाधान को लागू करने की प्रक्रिया में है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न चरणों में निर्णय लेने में भी सहायता करेगा।

जीईएम पर खरीद के लाभ

❖ जीईएम श्रेणी-आधारित खरीद की पेशकश करता है जो बेहतर मूल्य खोज को सक्षम बनाता है।

❖ अनुकूलन के लचीलेपन के साथ पहले से पहचाने गए महत्वपूर्ण तकनीकी विनिर्देश।

❖ पूर्व-निर्धारित और मानक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) और विशेष नियम और शर्तें (एसटीसी) बोली निर्माण और अनुबंध निर्माण को तेज बनाती हैं। खरीदार के पास बोली जारी करते समय अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने का विकल्प होता है।

❖ जीईएम कई परेषिती स्थानों और मात्रा प्रदान करने का विकल्प प्रदान करता है।

❖ हाल ही के डीओई दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाओं के लिए मूल्यांकन की एलसीएस/क्यूसीबीएस पद्धति का प्रावधान उपलब्ध है।

❖ अत्यावश्यकता के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से उपयुक्त अनुमोदन के साथ अल्पकालिक बोलियां मंगाई जा सकती हैं।

❖ जीईएम में एआईएमएल सक्षम निर्णय समर्थन प्रणाली है

❖ क्रेता-विक्रेताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को एक पूर्ण खरीद पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है

❖ जीईएम ने किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए सिस्टम में विभिन्न चेक और बैलेंस को लागू किया है

सामाजिक समावेशन की दिशा में उठाए गए कदम

❖ सामाजिक समावेश इसके मूल मूल्यों में से एक है, जीईएम विभिन्न स्थान और अभी तक कम सेवा वाले विक्रेता समूहों जैसे एमएसई, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों खएसएचजी,, दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्ति), स्टार्ट-अप, कारीगरों, बुनकरों आदिवासी शिल्पकारों और हुनर-हाट के शिल्पकारों आदि को विभिन्न सरकारी खरीदारों के साथ निर्बाध रूप से ऑनलाइन लेन-देन करने के लिए को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

❖ इस संदर्भ में, जीईएम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर 8 'जीईएम आउटलेट स्टोर' विकसित करने और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कम सेवा वाले विक्रेता समूहों के लिए बाजार ऑनलाइन ष्पहुंच प्रदान करने के लिए काम किया है। कम सेवा वाले विक्रेता समूहों को ऑनलाइन बाजार पहुंच प्रदान करने से 'आत्मनिर्भर भारत', 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया एमआईआई', पहल और स्थानीय एमएसई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति को मजबूती मिली है।

8. व्यापार सुविधा संस्थान (आईडीआई, आईआईपी, आईआईएफटी)

(क) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट (आईडीआई) की स्थापना 1978 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत की गई थी, जिसमें हीरा, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आईडीआई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई डायमंड मैनुफैक्चरिंग, डायमंड ग्रेडिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी मैनुफैक्चरिंग, जेमोलॉजी के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे एक छत के नीचे रत्न और आभूषण क्षेत्र के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल होता है। संस्थान स्वर्ण मूल्यांकन, कच्चे हीरे की छंटाई और हीरे की ग्रेडिंग के पहलुओं पर सीमा शुल्क अधिकारियों को कौशल का उन्नयन / प्रदान करता है। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट (सीईडी), गुजरात सरकार की कौशल वृद्धि योजना के तहत संस्थान एमएसएमई जी एंड जे इकाइयों के मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन भी करता है।

आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एक अग्रणी संस्थान रत्न और आभूषण के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

संस्थान की जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी हीरों, रत्नों और आभूषणों के परीक्षण और पहचान में लगी हुई है, और हीरे की ग्रेडिंग, रत्न पत्थर की पहचान और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करती है। हीरे के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए एफटीपी 2015-2020 के अध्याय 4 के अनुसार संस्थान की डायमंड ग्रेडिंग प्रयोगशाला डीजीएफटी, एमओसी एंड आई द्वारा अधिकृत है। आईडीआई अपने कटारगाम परिसर में डायमंड डिटेक्शन एंड रिसोर्स सेंटर (डीडीआरसी) भी संचालित करता है ताकि छोटे/मध्यम हीरा निर्माता/हीरा

व्यापारियों/ज्वेलर्स को सस्ती दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी कस्टम के साथ-साथ डीआरआई को उनके द्वारा जब्त किए गए सामानों की पहचान और परीक्षण सेवाएं भी प्रदान करती है। प्रयोगशाला एनएमडीसी को कच्चे हीरों की योजना और मूल्यांकन के लिए अपनी सेवाएं भी प्रदान करती है।

(ख) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1976) चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006), अहमदाबाद (2017) और विशाखापत्तनम (2021) में हैं। संस्थान घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और प्रमाणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें खतरनाक/खतरनाक सामानों के परिवहन के लिए पैकेजिंग का अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परियोजनाओं और पैकेजिंग का क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शामिल है।

(i) प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

- ❖ 2021-22 में पैकेजिंग में कुल 189 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास हुए और प्रतिष्ठित कंपनियों में सफलतापूर्वक प्लेसमेंट हुआ।
- ❖ लगभग 125 छात्रों ने पत्राचार के माध्यम से पैकेजिंग में डिप्लोमा पास किया।
- ❖ 49 छात्रों ने सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर (सीपीई) पास किया है।
- ❖ आईआईपी ने निर्यातकों/व्यापारियों के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा, फलों और सब्जियों, हार्डवेयर, रेडीमेड कपड़ों, खराब होने वाली वस्तुओं और मांस और मांस उत्पादों की पैकेजिंग पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।



एच एंड वीएस ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन हॉल, गंगटोक पूर्वी सिक्किम में 'पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्क्रीम' के तहत 'ताजा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग' पर दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 23 और 24 अगस्त, 2022 को आयोजित किया गया था।



पीएमकेवीवाई -3.0 - सीएसएसएम-आरपीएल कौशल विकास निदेशालय, भारत सरकार के सहयोग से 18 और 19 जून, 2022 को अगरतला में त्रिपुरा सरकार के तहत एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय पैकेजिंग संस्थान, कोलकाता केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था।

(ii) पैकेजिंग डिजाइन और विकास

आईआईपी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मिलेट रिसर्च (आईआईएमआर) और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एएलएमसीओ) के लिए मिलेट और व्हील चेरर उत्पादों के प्रोटोटाइप डिजाइन और विकसित किए हैं।



15 जून 2022 को अलीमको, कानपुर में व्हीलचेयर के लिए पैकेजिंग प्रोटोटाइप विकसित किया गया



आईआईएमआर, हैदराबाद में 26 मई 2022 को आईआईपी द्वारा विकसित बाजरा उत्पादों के लिए पैकेजिंग प्रोटोटाइप।

(iii) परीक्षण और प्रमाणन

वर्ष	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान) आईएमडीजी	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) आईसीएओ
2021- 22	9895	1798
2022- 23 (29 नवंबर 2022तक)	5782	1446

(iv) अनुसंधान एवं विकास

आईआईपी ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त कीं।

- ❖ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रायोजित 21 संभावित एपीडा अनुसूचित कृषि उत्पादों (जैविक और जीआई टैग सहित) के लिए पैकेजिंग समाधान का विकास।
- ❖ यूएफएलईएक्स लि. द्वारा प्रायोजित फलों और सब्जियों की

संतुलन संशोधित वातावरण पैकेजिंग (ईएमएपी)।

- ❖ खाद्य संपर्क सामग्री का सुरक्षा मूल्यांकन, खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग नेटवर्क द्वारा प्रायोजित – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एनईटीएससीओएफएएन-एफएसएसआई)

(v) अन्य उपलब्धियां

सहयोग और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर



मुंबई में 8 जुलाई 2022 को प्रिंटिंग में अल्पावधि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ऑल इंडियन प्रिंटिंग इंक मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(i) सिंहावलोकन

- ❖ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 2 मई 1963 को विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- ❖ अपनी सर्वांगीण उपलब्धियों की मान्यता में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में संस्थान को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून 2018 में श्रेणी – I 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- ❖ राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (नाक) ने आईआईएफटी को 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर के साथ उच्चतम ग्रेड 'ए' (वर्तमान में समकक्ष ए.) के साथ मान्यता दी।
- ❖ संस्थान ने एएसीएसबी व्यवसाय मान्यता प्राप्त की है और

21 दिसंबर 2021 को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

(ii) आईआईएफटी की रैंकिंग

एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा), रैंकिंग 2022 में

- ❖ प्रबंधन श्रेणी के तहत आईआईएफटी को 24 वां स्थान दिया गया है।
- ❖ 'बिजनेस टुडे – एमडीआरए बेस्ट बी-स्कूल' द्वारा भारत के शीर्ष 10 बिजनेस स्कूल में स्थान दिया गया।
- ❖ क्रॉनिकल्स ऑल इंडिया बी-स्कूल सर्वे द्वारा आईआईएफटी को शीर्ष 5 में स्थान दिया गया।
- ❖ एमबीए यूनिवर्स बी-स्कूल रैंकिंग में आईआईएफटी शीर्ष आठ में है।
- ❖ आउटलुक – बी-स्कूल सर्वेक्षण ने आईआईएफटी को शीर्ष 15 में स्थान दिया।
- ❖ इनसाइडआईआईएम एमबीए रैंकिंग ने आईआईएफटी को शीर्ष 10 में रखा।

(iii) संगठनात्मक संरचना और कार्य

प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। बीओएम में 11 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता संस्थान के कुलपति करते हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव संस्थान के कुलाधिपति हैं। संस्थान के कुलपति संस्थान के प्रमुख कार्यकारी होते हैं और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं।

(iv) आईआईएफटी का संस्थागत ढांचा

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए आईआईएफटी के निम्नलिखित प्रभाग हैं:

- ❖ कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग
- ❖ प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग
- ❖ प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग
- ❖ अर्थशास्त्र प्रभाग
- ❖ अनुसंधान प्रभाग
- ❖ पूर्व छात्र मामलों का प्रभाग
- ❖ कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग
- ❖ पत्रिका प्रभाग
- ❖ दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीआई)

(v) कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग (ईएमपीडी) की कल्पना सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार नीति पर इसके प्रभावों की व्यापक समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। ईएमपीडी उन विचारों, विचारों, समकालीन व्यापार और आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों की शुरुआत करता है जो विभिन्न देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए रुचि रखते हैं।

(vi) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग

प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात आयात प्रबंधन,

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सामरिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी एसईजेड के लिए क्षमता निर्माण, डेटा एनालिटिक्स, ट्रेड एनालिटिक्स आदि के क्षेत्र में सरकार & पीएसयू, कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के अधिकारियों & अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह डिवीजन आईएसएस और अन्य अखिल भारतीय सेवा सहित भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

आईआईएफटी भारतीय व्यापार सेवा परिवीक्षाधीनों के लिए नौ महीने का आवासीय आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक नोडल संस्थान है। इसके अलावा, संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

संस्थान डीजीएफटी, भारत की सरकार की निर्यात बंधु योजना के तहत देश भर में फैले निर्यातकों और उद्यमियों के लिए निर्यात आयात व्यवसाय पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। हाल ही में, डीजीएफटी की पहल पर, आईआईएफटी ने एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात बंधु कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से भाग ले सकता है।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग

आईआईएफटी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों को सक्षम करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ अकादमिक संबंध स्थापित करके संस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र और संकाय का आदान-प्रदान अकादमिक सहयोग का एक अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग ने संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों, सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के विकास, अनुसंधान और शिक्षण कर्मियों के आदान-प्रदान आदि के लिए विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर चर्चा चल रही है:

- ❖ फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एफआईयू), यूएसए
- ❖ निर्यात व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओईटी)
- ❖ इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया (आईयूपी), यूएसए

(viii) प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग

संस्थान का ग्रेजुएट स्टडीज इन मैनेजमेंट (जीएसएम) डिवीजन पूर्णकालिक लंबी अवधि के कार्यक्रमों का नोडल डिवीजन है। प्रशासनिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के अलावा, प्रभाग संस्थान के पूर्णकालिक एमबीए, सप्ताहांत एमबीए और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया करता है।

(ix) अर्थशास्त्र प्रभाग

अर्थशास्त्र में उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए आईआईएफटी में एमए (अर्थशास्त्र – व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता) कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम दिल्ली और कोलकाता में एक साथ आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभागों से पाठ्यक्रम और शिक्षण अध्यापन को आत्मसात करता है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र और उनके अनुभवजन्य अनुप्रयोगों के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर जोर दिया गया है। कक्षा की बातचीत के अलावा, ट्यूटोरियल के साथ-साथ समूह कक्षाओं में प्रत्येक छात्र को सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है। पीएच.डी. अर्थशास्त्र में (पूर्णकालिक) आईआईएफटी में पेश किया जाने वाला कार्यक्रम भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उपलब्ध सबसे पसंदीदा शोध डिग्री कार्यक्रमों में से एक है।

(x) अनुसंधान प्रभाग

अनुसंधान संस्थान के विकास में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह ज्ञान और प्रशिक्षण के निर्माण के बीच एक मजबूत इंटरफेस प्रदान करता है। संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य का विश्लेषण करने और उचित कॉर्पोरेट रणनीति विकसित करने में पर्याप्त परामर्श क्षमता विकसित की है।

संस्थान भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक बोली लगा रहा है। अनुसंधान प्रभाग समय-समय पर समकालीन विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है, जो बहुपक्षीय निकायों, सरकारी क्षेत्र और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों दोनों से प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को एक साथ लाता है। पीएच.डी. विभाग द्वारा पेश किया गया कार्यक्रम (प्रबंधन) अत्यधिक प्रशंसित है।

(xi) पूर्व छात्र मामलों का प्रभाग (डीए)

डीए सभी नियमित वार्षिक गतिविधियों जैसे क्षेत्रीय चौपटर मीट, आईआईएफटी कॉन्क्लेव, ग्रैंड एलुमनी रीयूनियन,

एलुमनी राउंडटेबल, बैच मीट, और विभिन्न अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है ताकि संस्थान के साथ पूर्व छात्रों का जुड़ाव बढ़ता और सार्थक रहे। आईआईएफटी के पूर्व छात्र कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा के विभिन्न व्यवसायों में शीर्ष पदों पर हैं। पूर्व छात्र छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन और अंतिम प्लेसमेंट, अतिथि व्याख्यान श्रृंखला, कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव परियोजनाओं, सलाह और अन्य संस्थान-उद्योग इंटरफेस गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से काफी मदद, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(xii) कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट डिवीजन (सीआरपीडी)

प्लेसमेंट कमेटी, जो एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस फुल टाइम प्रोग्राम के छात्रों का एक निर्वाचित निकाय है, कॉर्पोरेट रिलेशंस और प्लेसमेंट डिवीजन के तहत कार्य करती है। प्लेसमेंट कमेटी के पास कॉर्पोरेट क्षेत्रों तक पहुंचने और ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप और संस्थान में अंतिम प्लेसमेंट प्रक्रिया को संचालित करने का अधिकार है।

नियुक्ति समिति इन प्रयासों में प्रभाग के प्रमुख द्वारा निर्देशित होती है। प्लेसमेंट कमेटी पिचिंग करती है, गेस्ट लेक्चर के लिए कंपनी के दिग्गजों को आमंत्रित करती है, समर इंटरनशिप प्रोग्राम के लिए कॉर्पोरेट सेक्टरों को उलझाती है और स्नातक छात्रों के अंतिम प्लेसमेंट हासिल करती है।

आईआईएफटी ने अपने प्रमुख एमबीए (आईबी) प्रोग्राम के 2020-22 बैच के लिए अंतिम प्लेसमेंट का समापन किया। प्लेसमेंट में रुपये का औसत सीटीसी 25.16 लाख प्रति वर्ष और माध्यिका सीटीसी रु. 24 लाख प्रति वर्ष देखा गया। प्रस्तावित उच्चतम सीटीसी रु. 80 लाख प्रति वर्ष, जबकि बैच के शीर्ष 25 प्रतिशत छात्रों को औसतन 34.3 लाख प्रति वर्ष। रुपये का सीटीसी प्राप्त हुआ। प्लेसमेंट प्रक्रिया में 82 कंपनियों ने हिस्सा लिया।

2021-23 की ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ अंतिम प्लेसमेंट चुनौतीपूर्ण समय में एक असाधारण उपलब्धि को दर्शाता है।

(xiii) जर्नल डिवीजन

(क) मासिक संगोष्ठी श्रृंखला

मासिक संगोष्ठी श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए पत्रिका प्रभाग ने पहल की है। इस संगोष्ठी में, हम बाहरी विशेषज्ञों को अकादमिक शोध पत्र विषय प्रस्तुत करने और आईआईएफटी में संकाय सदस्यों/शोधार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह के आयोजनों के प्राथमिक

उद्देश्यों में से एक संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच एक शोध संस्कृति को बढ़ावा देना है

(ख) प्रकाशन फोकस विश्व व्यापार संगठन आईबी जर्नल और आईआईएफटी त्रैमासिक समाचार पत्र

जर्नल्स डिवीजन आईआईएफटी का इन-हाउस त्रैमासिक प्रकाशन प्रकाशित करता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन अनुसंधान में पूर्ण शोध पत्र, केस-स्टडी, मोनोग्राफ, पुस्तक समीक्षा और डॉक्टरेट शोध प्रबंध का सारांश प्रकाशित करता है।

(ग) विदेश व्यापार समीक्षा का प्रकाशन

जर्नल डिवीजन विदेश व्यापार समीक्षा (एफटीआर) प्रकाशित करता है, जिसमें सीमा पार के मुद्दों में सैद्धांतिक और अनुभवजन्य मुद्दों के क्षेत्र में अनुसंधान लेख, टिप्पणी और पुस्तक समीक्षाएं शामिल हैं।

(xiv) दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिकल्पना के अनुसार देश के सबसे दूरस्थ स्थानों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2021 में संस्थान में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) की स्थापना की गई थी। सीडीओई निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान करता है:

- ❖ इंटरनेशनल बिजनेस में एक्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम (ईपीजीडीआईबी)-ऑनलाइन (15 महीने की अवधि)।
 - ❖ फिनेटेक के माध्यम से विकास और परिवर्तन पर 4 महीने की अवधि का प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
 - ❖ आईएनसीओ शर्तों पर ऑनलाइन एमडीपी।
- सीडीओई निम्नलिखित नए कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है:
- ❖ राज्यवार निर्यात अवसरों पर ऑनलाइन एमडीपी।
 - ❖ प्रमाणपत्र कार्यक्रम:
 - ❖ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में फिनेटेक
 - ❖ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पाद प्रबंधन।
 - ❖ एमबीए (इंटरनेशनल बिजनेस) -ऑनलाइन।

(xv) उत्तर पूर्वी अध्ययन केंद्र (सीईएनईएसटी)

एनईसी के सहयोग से आईआईएफटी ने 2016 में सीईएनईएसटी (पूर्वोत्तर अध्ययन केंद्र) की स्थापना की है। एनईसी के सचिव सीईएनईएसटी के शीर्ष निकाय के अध्यक्ष भी हैं। केंद्र में हितधारकों के सदस्य शामिल हैं जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्र निर्यात में सुधार की दिशा में सभी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग में शामिल है। केंद्र ने पहले ही उद्योग विभाग के सहयोग से असम राज्य के लिए गुवाहाटी में निर्यात क्लिनिक स्थापित कर लिया है। क्लिनिक के माध्यम से, केंद्र ने असम के सभी जिलों में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की शुरुआत की है। असम मॉडल की सफलता ने केंद्र को पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इसे दोहराने में मदद की है। केंद्र असम सहित उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले समकालीन मुद्दों पर विभिन्न शोध अध्ययन भी करता है

9. सार्वजनिक क्षेत्र निगम (ईसीजीसी, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, आईटीपीओ, एसटीसी, एसटीसीएल लिमिटेड।)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक प्रीमियर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) की स्थापना 1957 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। ईसीजीसी दुनिया के 200 से अधिक देशों के निर्यात लेनदेन को कवर करता है।

भारत सरकार ने पांच साल की अवधि में, यानी 2021-22 से 2025-26 तक ईसीजीसी लिमिटेड को 4,400 करोड़ रुपये के पूंजी इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है। 2021-22 के दौरान इसमें से 500 करोड़ रुपये डाले गए हैं। कुल निवेश से ईसीजीसी की हामीदारी क्षमता में रु. 88,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सरकार ने कंपनी की अधिकृत अधिकतम देनदारी को 1.00 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

2021-22 के दौरान ईसीजीसी ने 6.18 लाख करोड़ रुपये के कुल निर्यात का समर्थन किया है। पिछले पांच वर्षों में समर्थित निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	वित्त वर्ष 2022-23 (31.12.2022 तक)
निर्यात समर्थित मूल्य	6,59,926	5,61,606	6,02,80	6,18,841	4,49,989

इस प्रकार, ईसीजीसी भारत से लगभग 20% व्यापारिक निर्यात का समर्थन करता है।

सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को अपने समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए, ईसीजीसी ने हाल ही में बैंक (ईसीआईबी) उत्पादों के लिए अपने निर्यात ऋण बीमा के तहत बढ़ाया कवरेज उपलब्ध कराया है, प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को एक से 90 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति प्रदान की है। विनिर्माण में लगे निर्यातकों के लिए 20 करोड़ रुपये तक की निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों के लिए औसत 70 प्रतिशत। ईसीआईबी के तहत बढ़ाए गए कवरेज का उद्देश्य बैंकों को छोटे निर्यातकों को वहन करने योग्य और पर्याप्त निर्यात ऋण देने और आने वाले वर्षों में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार छोटे निर्यातकों को इस कदम का लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि बढ़ा हुआ कवर बेहतर क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और उनके खातों के लिए स्कोर को सक्षम बनाता है।

ईसीजीसी को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के पहली बार एमएसई निर्यातकों (सीबीएफटीई) उप-घटक की क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत, एमएसई निर्यातक ईसीजीसी को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की अधिकतम प्रतिपूर्ति के लिए 10,000 प्रति वित्तीय वर्ष रुपये तक पात्र हैं। बशर्ते उनके आयात निर्यात कोड के अधीन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं है और उनके पास वैध उद्यम पंजीकरण है। इस कदम से एमएसई निर्यातकों को निर्यात में उद्यम करने और क्रेडिट बीमा कवर की लेनदेन लागत का कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईसीजीसी का निष्पादन (31 दिसंबर 2022 तक)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	निष्पादन पैरामीटर	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23 31 दिसंबर 2022 तक)
1	बीमा कवर की कुल संख्या	24,718	20,116
2	कुल अधिकतम देयता	1,03,879	1,07,653
3	कवर किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मूल्य)	6,18,841	4,49,989
4	कुल प्रीमियम राशि	1,107	832

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड को 1963 में मुख्य रूप से खनिजों और अयस्कों के निर्यात और अलौह धातुओं के आयात से निपटने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शामिल किया गया था। बाद में, इसने राष्ट्रीय आवश्यकताओं नए व्यापार अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाई और विभिन्न वस्तुओं जैसे उर्वरक, बुलियन, कृषि आदि को धीरे-धीरे कंपनी के पोर्टफोलियो में जोड़ा गया।

जापान और दक्षिण कोरिया को उच्च ग्रेड लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौता 31 मार्च 2021 के बाद जारी नहीं रखा गया था। एमएमटीसी को नवंबर 2021 में

उर्वरक विभाग की ओर से यूरिया के आयात के लिए एसटीई के रूप में हटा दिया गया था। इसके अलावा, एमएमटीसी से बाहर निकल गया है। बुलियन ऑपरेशंस और अन्य कैनालाइज्ड बिजनेस और इसके बिजनेस ऑपरेशंस की समीक्षा की जा रही है।

(i) पहले

स्वच्छ भारत - स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी- 2022-23)

2021-22 के दौरान, एमएमटीसी ने स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करने के लिए एसएपी गतिविधियाँ शुरू कीं।

(क) स्वच्छ कार्यालय परिसर

- ❖ पूरे भारत में स्थित सीओ क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएमटीसी के कार्यालय परिसर में स्वच्छता से संबंधित नारों/संकेतों और तस्वीरों का प्रदर्शन।
- ❖ एमएमटीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यालय के रिकॉर्ड के संचालन की सफाई का उचित रखरखाव और निरंतरता।
- ❖ एमएमटीसी कालोनी स्थित रिकार्ड रूम में भेजकर रिकार्ड रिटेन्शन शेड्यूल के अनुरूप पुरानी फाइलों/अभिलेखों की छंटाई अभियान को जारी रखते हुए फाइलों की छंटाई की जा रही है।

(ख) स्वच्छ विद्यालय पहल

- ❖ स्वच्छता अभियान में भागीदारी के माध्यम से गोद लिए गए स्कूल, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली को स्वच्छता मिशन में शामिल करना
- ❖ विद्यालय का सौंदर्यीकरण अर्थात् साफ-सफाई, पौधों का पालन-पोषण, रंग-रोगन, मरम्मत आदि का कार्य कराया जा रहा है।
- ❖ स्वास्थ्य और फिटनेस बच्चों को खुद को स्वस्थ, फिट और सक्रिय रखने के लिए बढ़ावा देना।

(ग) कार्यशाला एवं संगोष्ठी/प्रशिक्षण

- ❖ स्वीकृत स्कूल यानी नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता/बेहतर स्वच्छता प्रथाओं पर चर्चा आयोजित की गई, जिसके बाद स्वच्छता किट का वितरण किया गया।
- ❖ पूरे भारत में एमएमटीसी कॉलोनीयों में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारिक पहलू को बदलने के लिए डोर-टू-डोर अभियान विशेष रूप से सूखे और गीले घरेलू कचरे के लिए स्वच्छता के संबंध में।
- ❖ देश भर में हर साल 1 नवंबर से 15 नवंबर तक विभिन्न गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करना।

एमएमटीसी ने अतीत में एमएमटीसी कार्यालयों/कालोनी में कई गतिविधियां शुरू की हैं, जिसमें कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों/कंटेनरों के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता फैलाना, कार्यालय परिसर में स्वच्छता (स्वच्छता) से संबंधित पोस्टर/नारों/संकेतों/फोटोग्राफ का प्रदर्शन शामिल है। एमएमटीसी कॉलोनी/गोद लिए गए स्कूल में पेड़पौधों का रोपण, एमएमटीसी कार्यालयों

में कार्यालय रिकॉर्ड सहित सफाई कार्यों का उचित रखरखाव और निरंतरता, गोद लिए गए स्कूल के परिसर की सफाई, स्वच्छता/स्वच्छता/स्वच्छता प्रथाओं पर वेबिनार, स्वच्छता का वितरण गोद लिए गए स्कूल के शिक्षकों/छात्रों आदि के लिए किट यानी फेस मास्क और सैनिटाइजर।

(ii) डिजिटल इंडिया

सरकार को लागू करने के एक हिस्से के रूप में डिजिटल इंडिया की भारत की पहल के तहत, एमएमटीसी निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता के लिए एनआईसी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन) से ई-ऑफिस लाइट को लागू करने की प्रक्रिया में है।

(iii) स्वच्छ ऊर्जा

एमएमटीसी ने 2007-08 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता वाली विंड मिल परियोजना स्थापित की थी। परियोजना ने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ हिस्से को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। एमएमटीसी पवन उत्पादन से भी आय अर्जित करती है।

(iv) वित्तीय प्रदर्शन

एमएमटीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत 36364.50 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में 2021-22 के दौरान 7,840.78 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस टर्नओवर में रुपये का 34.41 करोड़ रुपये का निर्यात 7070.57 करोड़ का आयात और 735.80 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। एमएमटीसी को 2021-22 में 241.93 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(v) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए 486.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 456.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया।

(vi) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एमएमटीसी लिमिटेड ने ओडिशा सरकार और अन्य के साथ संयुक्त रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) - 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उत्पाद इकाई की स्थापना की। भारत सरकार ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल के विनिवेश

के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, जिसमें चार केंद्रीय पीएसयू यानी एमएमटीसी, एनएमडीसी, बीएचईएल और मेकॉन और ओडिशा सरकार की दो कंपनियां यानी ओएमसी और आईपीआईसीओएल शेयरधारक थीं। सरकार ने एनआईएनएल के विनिवेश का निर्णय लिया था ताकि सफल रणनीतिक खरीदार कंपनी के विकास के लिए नया प्रबंधनधर्मौद्योगिकीनिवेश ला सके और कंपनी के व्यवसाय संचालन के विकास के लिए नवीन तरीकों का उपयोग कर सके, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 04.07.2022 को पूरी हुई।

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, बोर्ड स्तर पर निदेशक मंडल/सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित कोई सीएसआर बजट नहीं है क्योंकि कंपनी ने पिछले वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में घाटा उठाया है। तदनुसार,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत नकारात्मक है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य आवंटन खर्च करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है।

(ग) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड का गठन 21 अप्रैल 1971 को एसटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। पीईसी लिमिटेड 27 मार्च 1991 से वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। वर्षों से, पीईसी लिमिटेड विभिन्न आवश्यक और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात और आयात में शामिल है। सितंबर 2019 से कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया है।

(i) निष्पादन

2016-17 से निगम का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मर्दे	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
संचालन से राजस्व	4,271.51	4,470.91	627.87	8.32	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)	(314.29)
कर पश्चात लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)	(314.29)
लाभांश और कॉर्पोरेट कर	--	-	-	-	-	-
इक्विटी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
आरक्षितियां	(1,139.97)	(1,193.91)	(1,693.10)	(1,840.12)	(1,969.21)	(2,163.98)
निवल मूल्य	(1,079.97)	(1,133.91)	(1,633.10)	(1,780.12)	(1,909.21)	(2,223.98)

(ii) बिक्री कारोबार

2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री कारोबार
2016-17	4,254.07
2017-18	4,451.92
2018-19	617.87
2019-20	8.03
2020-21	0.00
2021-22	0.00

(iii) निर्यात और आयात

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वस्तु	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
निर्यात	63.27	327.61	51.97	7.79	0.00	0.00
आयात	3,980.11	3,849.10	523.24	0.00	0.00	0.00

(iv) मानव संसाधन

पीईसी लिमिटेड में 2021 में एक वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) चरण- III की शुरुआत की गई, जिसके तहत 07 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया। 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 37 कर्मचारी हैं जिनमें से 07 कर्मचारी पीईसी के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(v) अनुपालन

कंपनी सरकारी कामकाज, सिटीजन चार्टर, पब्लिक रिड्रेसल मैकेनिज्म और आरटीआई में हिंदी के प्रयोग से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है।

(vi) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

अधिनियम की धारा 135 की शुरुआत के साथ, कंपनी ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.peclimited.com पर उपलब्ध है। पीईसी 2014-15 से घाटा उठा रहा है, इसलिए सीएसआर व्यय करने का कोई दायित्व नहीं है।

(घ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार और उद्योग को सेवाओं का व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, आईटीपीओ भारत और विदेशों में अपने आयोजनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधि भागीदारी सुनिश्चित करता है।

(i) प्रगति मैदान का पुनर्विकास - आईईसीसी परियोजना

अक्टूबर 2021 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा चार प्रदर्शनी हॉल का उद्घाटन किया गया। प्रगति मैदान में और उसके आसपास एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट (आईटीसीडी) परियोजना के 5 अंडरपास के साथ-साथ प्रगति मैदान परिसर

में मुख्य सुरंग का जून 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया आईईसीसी परियोजना के शेष खंडों पर काम तेजी से चल रहा है और पूरी परियोजना को अब जनवरी, 2023 तक पूरा करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। जी- 20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाना है। मार्च, 2023 से कन्वेंशन सेंटर में जी-20 शिखर सम्मेलन के संबंध में मंत्रिस्तरीय बैठकें शुरू हो रही हैं। आईईसीसी परियोजना की प्रगति की सरकार में उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

पिछले दो महीनों के दौरान आईईसीसी परियोजना के विभिन्न खंडों में निर्माण गतिविधियों की गति को वांछित गति मिली है। साप्ताहिक आधार पर उच्चतम स्तर पर प्रगति की स्थिति प्राप्त हो रही है।

(ii) वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड प्रभाव के बावजूद आईटीपीओ द्वारा सृजित कुल आय पिछले वर्ष हुई 50.30 करोड़ रुपये की तुलना में रु.79.17 करोड़ है। आईटीपीओ का पिछले वर्ष 2020-21 में हुए 84.15 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में शुद्ध घाटा घटाकर 56.30 करोड़ रुपये हो गया है। आईईसीसी परियोजना के लिए पर्याप्त धन/कॉर्पस का उपयोग किए जाने के मद्देनजर बैंकों में जमा राशि पर आय अब मामूली है।

अब तक कोविड का प्रभाव कम हो गया है और प्रदर्शनी उद्योग सामान्य स्थिति में आ गया है और आईटीपीओ अच्छी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और तीसरे पक्ष के आयोजक भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि चालू वर्ष आय के संबंध में सामान्य वर्ष रहेगा।

(iii) घरेलू मेले

चालू वर्ष में आईटीपीओ ने अपने प्रमुख कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022, 41 वें संस्करण का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 73,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में किया। 2022 का थीम वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल था। श्री पीयूष गोयल, माननीय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 14 नवंबर, 2022 को मेले का उद्घाटन किया। आईआईटीएफ 2022 में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र 3 भागीदार राज्य थे। केरल और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य थे। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 53 सरकारी विभागों/मंत्रालयों/पीएसयू और 242 निजी प्रतिभागियों ने आईआईटीएफ 2022 में भाग लिया। 14 विदेशी देशों ने भी भाग लिया। 14 दिनों के दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने मेगा इवेंट का दौरा किया और सभी हितधारकों ने प्रगति मैदान में स्वच्छता और सुविधाओं सहित व्यवस्थाओं की सराहना की।

लगभग 25,843 व्यापार आगंतुकों ने मेले का दौरा किया। तंजानिया, ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रिया, यूके, यूएसए, बहरीन, यूएई, कोरिया गणराज्य, जापान और दुनिया भर के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी व्यापार आगंतुकों ने आईआईटीएफ 2022 का दौरा किया। आहार-आईटीपीओ का अंतराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आयोजित किया गया था। आईटीपीओ में अप्रैल 2022 में, जिसने बड़ी संख्या में व्यापारिक आगंतुकों को भी आकर्षित किया। जैसा कि सामान्य स्थिति लौटती है, यह उम्मीद की जाती है कि आईटीपीओ अपनी पहले की राजस्व आय में वापस आ जाएगा और आने वाले वर्षों में बेहतर वित्तीय परिणाम पेश करेगा।

(iv) विदेशों में लगाने वाले मेले

आईटीपीओ ने अनुगा, कोलोन (जर्मनी) में 9 से 13 अक्टूबर 2021 तक 591 वर्ग मीटर और प्रेरित होम शो, शिकागो (यूएसए) 5 से 7 मार्च 2022 में सफलतापूर्वक भागीदारी का आयोजन किया। लेकिन यात्रा में छूट के बाद चालू वर्ष में आईटीपीओ ने विदेश में 12 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें सियाल पेरिस, अक्टूबर 2022 में मेगा भागीदारी शामिल है, जहां 90 से अधिक भारतीय व्यवसाय दिसंबर 2022 में संस्थाओं और एएफएल, मिलान ने भी भाग लिया।

(vi) तीसरे पक्ष के आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने और आयोजकों को राहत प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एक प्रमुख स्थल और सेवा प्रदाता के रूप में, वर्ष के दौरान विभिन्न छूटों की भी घोषणा की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान पच्चीस (25) तीसरे पक्ष के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई पहली बार कार्यक्रम और मार्की कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जैसे कार लॉन्च, स्किल इंडिया का सरकारी कार्यक्रम आदि। इसके अलावा, भारत के

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आईआईसीसी कॉम्प्लेक्स हॉल 2 से 5 के उद्घाटन के साथ मिलकर गति शक्ति कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था। चालू वर्ष में ड्रोन फेस्टिवल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी), इंडियन मोबाइल कांग्रेस और इंटरपोल की 90 वीं महासभा जैसे प्रमुख सरकारी और कॉर्पोरेट कार्यक्रम नए विकसित प्रदर्शनी हॉल संख्या 2-5 में आयोजित किए गए थे जहां के प्रगति मैदान जहां उद्घाटन के लिए माननीय प्रधान मंत्री उपस्थित थे।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान सेलुलर ऑपरेटर्स द्वारा 500 सेवाओं की शुरुआत प्रगति मैदान से की गई थी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल दिग्गज फॉक्सवैगन ने अपनी नई कार वर्टस को प्रगति मैदान से लॉन्च किया। इंटरपोल की 90 वीं महासभा में 195 देशों के पुलिस विभाग के प्रमुखों और मंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

(vi) क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

आईटीपीओ ने राज्य की राजधानियों/प्रमुख शहरों में निर्यात अवसरचना बनाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र (आरटीपीसी) स्थापित करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की है।

❖ चेन्नई में तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ): चेन्नई ट्रेड सेंटर का प्रबंधन टीएनटीपीओ द्वारा किया जाता है, जो आईटीपीओ और टीआईडीसीओ का एक संयुक्त उपक्रम है। 2021-22 के दौरान, चेन्नई ट्रेड सेंटर के प्रदर्शनी हॉल में 15 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं और 22 कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए गए। जीएसटी सहित 308.75 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर चेन्नई ट्रेड सेंटर में 20,322 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक बहुउद्देश्यीय (प्रदर्शनी/सम्मेलन) हॉल की विस्तार परियोजना पर काम चल रहा है। विस्तार के बाद, 34.61 एकड़ भूमि के कुल क्षेत्रफल 35,677 वर्ग मीटर में कुल 2 सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनियों के लिए 5 हॉल होंगे।

❖ बेंगलुरु में कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ) व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित है, यह 48.35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 5,371 वर्गमीटर का एक वातानुकूलित प्रदर्शनी हॉल है। कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ) आईटीपीओ और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का एक संयुक्त उद्यम है। केटीपीओ की अनुमानित परियोजना लागत 67.59 करोड़ रुपये 7633 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक

बहुउद्देश्यीय (सम्मेलन/प्रदर्शनी) हॉल का विस्तार परियोजना। यह चल रहा है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। विस्तार के बाद, 14,504 वर्गमीटर के कुल प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के संचालन के लिए 2 हॉल होंगे।

- ❖ पंपोर में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ) जेकेटीपीओ एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास 51.25: इक्विटी शेयर, 40: इक्विटी शेयर के साथ भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), 4.55 : इक्विटी शेयर के वी कंपनी का इक्विटी शेयर। साथ निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) और 4.20: के साथ कालीन निर्यात संवर्धन परिषद है।

(vii) आईटीसीडी परियोजना की मुख्य सुरंग का उद्घाटन

- ❖ प्रगति मैदान परिसर के आरपार मुख्य सुरंग और 5 अण्डरपास को प्रगति मैदान के पुर्नीविकास परियोजना के एक भाग के रूप में 19 जून 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

- ❖ यह व्यापक यातायात समाधान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्र सरकार) द्वारा 80 प्रतिशत वित्त पोषित है और आईटीसीडी परियोजना के एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास (आईटीसीडी) योजना के हिस्से के रूप में आईटीपीओ द्वारा 20 प्रतिशत धन का योगदान दिया गया है। आईटीसीडी की स्वीकृत लागत 923 करोड़ रुपये है। आईटीसीडी की आधारशिला 22 दिसंबर 2017 को पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा रखी गई थी।
- ❖ सुरंग रिंग रोड को इंडिया गेट और प्रगति मैदान से गुजरने वाली मथुरा रोड से जोड़ती है। यह स्मार्ट फायर मैनेजमेंट, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी यातायात की सुचारु आवाजाही के लिए नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से लैस है। यह परेशानी मुक्त वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा, यात्रियों के समय और लागत को बड़े पैमाने पर बचाने में मदद करेगा।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, दिनांक 19 जून, 2022 को इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कोरिडोर का उद्घाटन करते हुए।

(ड.) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन (एनसीटीआई) की स्थापना 30 अगस्त 1994 के एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से की गई थी और 31 मार्च 1995 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 में) के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल की गई थी। संगठन एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा था और वाणिज्य विभाग, आईटीपीओ और अन्य सरकारी संगठनों को

अनुकूलित व्यापार सूचना सेवाएं प्रदान करने में शामिल था। जैसा कि कंपनी को खराब व्यवसाय, जनशक्ति की कमी और बिगड़ते वित्त के कारण अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 7 जुलाई 2017 को हुई एक बैठक में कंपनी के समापन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने 30 जून 2021 को अपनी बैठक में राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) के समापन/स्वैच्छिक परिसमापन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी और कंपनी अधिनियम 2013 और दिवालियापन और दिवालियापन संहिता 2016 के

प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अपने सभी ऋणों का निपटान करने राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) के पास उपलब्ध कॉर्पस फंड और अन्य निधियों के उपयोग को मंजूरी दे दी। तदनुसार, एनसीटीआई ने 24 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 94वीं बोर्ड बैठक में एनसीटीआई के स्वेच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया।

परिसमापन कार्य यानी एनसीटीआई की संपत्ति की नीलामी, आईटीपीओ और एनआईसी के दावों का निपटान, भारत के एलआईसी के साथ ग्रेच्युटी पॉलिसी को बंद करना, और कोड के प्रावधान के अनुसार रिकॉर्ड के भंडारण के लिए एजेंसी की नियुक्ति के साथ-साथ आईटीपीओ को उपलब्ध अधिशेष का वितरण, पूरा हो चुका है। आयकर विभाग के पास 14.93 लाख रुपये का रिफंड लंबित है। आगेय एनसीटीआई के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका अब 19 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध है। इस प्रकार, उपरोक्त मुद्दों (दिल्ली उच्च न्यायालय में एटैक्स रिफंड और लंबित डब्ल्यूपी) को देखते हुए, कंपनी के विघटन के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड और माननीय एनसीएलटी अपेक्षित आवेदन के साथ अंतिम रिपोर्ट अभी तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रस्तुत की जानी है।

(ii) राजभाषा (हिंदी) का प्रगामी प्रयोग

आईटीपीओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आईटीपीओ के सीएमडी की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया है और हिंदी में राजभाषा का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

(iii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आईटीपीओ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीएसआर और स्थिरता दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू अधिनियम और नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। सीएसआर पहल/गतिविधियों को लागू किया जाता है और तदनुसार निगरानी की जाती है। आईटीपीओ की सीएसआर

पहलों के बारे में विस्तृत नीति <http://www.indiatradefair.com/csr.php> पर उपलब्ध है।

आईटीपीओ ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ गंगा और पीएम केयर फंड में से प्रत्येक को 2.42 करोड़ की दर से कुल 7.32 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

(च) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

एसटीसी की स्थापना 18 मई 1956 को मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने और देश से निर्यात के विकास में निजी व्यापार और उद्योग के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। एसटीसी ने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और भारत में औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था की और भारत से बड़ी संख्या में वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्तमान में, एसटीसी मार्च/जून 2018 से ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में अपने खाते के वर्गीकरण के कारण अनिश्चित वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है। एसटीसी ऋणदाता बैंकों के साथ बकाया राशि के एकमुश्त निपटान पर बातचीत कर रहा है। एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और तदनुसार एसटीसी फिलहाल एक गैर-परिचालन कंपनी के रूप में जारी है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के खातों को नॉन-गोइंग कंसर्न आधार पर प्रकाशित किया गया था। कंपनी ने देश भर में फैले अपने सभी शाखा कार्यालयों (आगरा को छोड़कर) को बंद कर दिया है और कानूनी, वसूली और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को देखने के लिए केवल अल्प कर्मचारियों को रखा है। इसके अलावा, खर्चों में कटौती करने की दृष्टि से कंपनी ने समय-समय पर अपने कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की है।

2020-21, 2021-22 और अप्रैल-जून 2022 के दौरान एसटीसी का समग्र प्रदर्शन पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	वास्तविक	वास्तविक	गैर लेखापरीक्षित	
	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून 2021	अप्रैल-जून 2022
निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आयात	12	शून्य	शून्य	शून्य
घरेलू	235	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बिक्री	247	शून्य	शून्य	शून्य
कर पूर्व लाभ	(51.23)	(93.97)	(6.35)	7.89

(i) निष्पादन: 2021-22

(क) कारोबार

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी एक गैर-परिचालन कंपनी के रूप में जारी रही क्योंकि एसटीसी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कारोबार वर्ष 2020-21 के दौरान 247 करोड़ रुपये के मुकाबले शून्य था।

(ख) लाभप्रदता

वर्ष 2020-2 में कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए 51.23 करोड़ रुपये के (कर पश्चात) निवल घाटे की तुलना में कंपनी ने वर्ष 2021-22 में 93.97 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा (कर के बाद) दर्ज किया। वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया निवल घाटा एल एण्ड डीओ को देय 85.42 करोड़ (लगभग) की राशि के कारण था।

एसटीसीएल लिमिटेड

एसटीसीएल लिमिटेड को 1982 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लि. इलायची ट्रेडिंग कॉर्प के रूप में शामिल किया गया था। 1987 में, इसका नाम बदलकर स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. कर दिया गया। 1999 में, यह एसटीसी ऑफ इंडिया लि. की सहायक कंपनी बन गई। अगस्त 2004 में, इसका नाम बदलकर एसटीसीएल लि. कर दिया गया।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये है। प्रदत्त शेयर पूंजी 1.5 करोड़ रुपये है। संपूर्ण प्रदत्त पूंजी एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। 31 मार्च 2021 तक इसकी कुल संपत्ति (–) रुपये 4557.10 करोड़ थी।

अगस्त 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, कंपनी ने 2014-15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वर्तमान में, कंपनी परिसमापन के अधीन है और व्यापारिक सहयोगियों से अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न कानूनी मामलों का अनुपालन कर रही है और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन कर रही है।

10. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण और उससे जुड़े मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के ध्वनि विकास को सुनिश्चित करने के लिए

की गई थी। ईआईसी उन वस्तुओं की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है जो निर्यात किए जाने से पहले गुणवत्ता नियंत्रण, मानकों, निरीक्षण आदि के अधीन हैं।

ईआईसी की प्रमुख भूमिका आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन या तो खेप-वार निरीक्षण प्रणाली या गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-आधारित प्रमाणन के माध्यम से अपनी फील्ड एजेंसियों अर्थात अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ईआईए का मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में हैं और इसके 24 उप-कार्यालयों का नेटवर्क अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित है, जो पूरे भारत में आईएसओ 17025 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

ईआईसी विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रदान करता है, जैसे कि पशु आवरण, काली मिर्च, बासमती चावल और गैर-बासमती चावल (यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए), क्रशड बोन, ओसीन और जिलेटिन, अंडा और अंडे के उत्पाद, फीड योजक और प्रीमिक्सचर, मछली और मत्स्य पालन उत्पाद, ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, शहद, दूध और दूध उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया)। अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें भी आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणन ईआईसी के क्षेत्रीय संगठनों निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईएस) द्वारा किया जाता है, और यह दो प्रणालियों पर आधारित है, अर्थात्, माल के अनुसार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी) प्रणाली जो अंक (एचएससीपी) जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण पर आधारित है। इन प्रणालियों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। ईआईसी प्रमाणन प्रणाली को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, ईआईसी ने दुनिया भर के व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को बदल दिया है। ईआईसी बढ़ती खाद्य सुरक्षा घटनाओं के साथ आयात करने वाले देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों को विकसित करने में सहायक रहा है। ईआईसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है कि निर्यातकों के साथ-साथ हमारे व्यापार भागीदारों के आयातकों के हित सुरक्षित हैं। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन है।

अन्य बातों के साथ-साथ ईआईसी की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- ❖ आयात करने वाले देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए आने वाली वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की स्वीकृति
- ❖ निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माल-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) के आधार पर प्री-शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणीकरण
- ❖ विभिन्न तरजीही टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए उत्पत्ति का अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी करना
- ❖ विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अर्थात्, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, प्रामाणिकता प्रमाण पत्र, गैर-जीएमओ प्रमाण पत्र आदि जारी करना
- ❖ निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं की मान्यता

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

ईआईसी, अपनी स्थापना के बाद से आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से भारत से निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईआईसी की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ भारतीय निर्यातों के लिए विश्व व्यापी पहुँच को सुगम बनाने और आयातकों के साथ-साथ आयात करने वाले देशों के अधिकारियों में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में विश्वास पैदा करने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, ईआईसी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयूएस)/पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरएस)/तुल्यता समझौते/मान्यता/सहयोग व्यवस्था प्राप्त करने का

प्रयास करना जारी रखता है। ये व्यवस्थाएं आयात करने वाले देशों के नियामक प्राधिकरणों द्वारा ईआईसी की प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती हैं और कई सीमा निरीक्षणों से बचती हैं।

ईआईसी ने अपने संसाधनों और सेवा की गुणवत्ता को विशिष्ट उद्देश्य के साथ व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया पर भारत सरकार द्वारा की गई पहल को पूरा करने के लिए बदल दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए अवसर प्रदान करना है। ईआईसी अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है, जैसे, अन्य प्रचार बोर्ड, निर्यातक, आयात करने वाले देशों के प्राधिकरण, उद्योग संघ, वाणिज्य मंडल बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता में। ईआईसी विकसित देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी क्षमता विकसित कर रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक ईआईसी/ईआईए की प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- ❖ मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए समुद्री भोजन एचएससीपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
ईआईसी और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (EIA) के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी-एफएसएएन) में 18 से 19 अप्रैल 2022 के दौरान सेगमेंट 2 – मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए समुद्री भोजन एचएससीपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। ईआईए मुंबई। प्रशिक्षण संयुक्त रूप से ईआईसी, यूएस-एफडीए और संयुक्त खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (जेआईएफएसएएन) द्वारा आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में सरकारी नियामक निकायों, उद्योगों और शिक्षा जगत के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ❖ रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए भारत-यूई सीईपीए के तहत मूल प्रमाण पत्र पर जागरूकता कार्यक्रम
6 मई 2022 को रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत और यूई-सीईपीए के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते के तहत मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के नियमों और प्रक्रिया पर भारतीय निर्यातकों को जागरूक किया।

❖ जैव सुरक्षा क्षमता निर्माण परियोजना के तहत प्रशिक्षण

एफएओ-श्रीलंका द्वारा जैव सुरक्षा क्षमता निर्माण परियोजना के तहत निर्यात निरीक्षण एजेंसी-कोच्चि ने श्रीलंका के प्रतिभागियों के लिए 13 जून से 16 जून 2022 तक शानुवांशिक रूप से संशोधित जीवोन्धजीवित संशोधित जीवों की जांच पर व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया। चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ईआईसी और ईआईए के अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण संयुक्त रूप से ईआईसी, खाद्य और कृषि संगठन, श्रीलंका सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। ईआईए अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें खाद्य वस्तुओं में जीएमओ/एलएमओ का पता लगाने में शामिल आधुनिक उपकरणों और तकनीकों पर जोर दिया गया।

❖ एफडीए आयात संचालन प्रशिक्षण कार्यक्रम

यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) के सहयोग से ईआईसी ने पूरे भारत में 22 से 29 अगस्त 2022 तक एफडीए आयात संचालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम ईआईसी में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, 300 से अधिक निर्यातकों/नियामकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं से अवगत कराया गया कि अनुपालन उत्पादों को अमेरिका में आयात के लिए पेश किया जाता है।

11. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट

❖ भारत सरकार ने भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की जो रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं। ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़ रुपये के योगदान के साथ प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा 4,665.99 करोड़ रुपये के योगदान से ट्रस्ट का कुल कोष 6,707.92 करोड़ रुपये है। हालांकि, दायर किए गए दावों/संभावित दावों/ट्रस्ट के पास रिपोर्ट की गई चूकों के लिए प्रावधान करने के बाद, अंडरराइटिंग के लिए कोई कॉर्पस उपलब्ध नहीं है (31 दिसंबर 2022 तक)।

❖ एनईआईए के तहत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निर्माण, इंजीनियरिंग सामान की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र,

बिजली पारेषण और वितरण परियोजनाएं आदि शामिल हैं, जबकि कवर किए गए प्रमुख देशों में श्रीलंका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया। शामिल हैं। एनईआईए परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय रणनीतिक हित के क्षेत्रों में एक मजबूत पैर जमाने में मदद करता है। सफल परियोजना निर्यात विदेशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर निरंतर स्पष्ट प्रभाव को सक्षम बनाता है।

❖ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में एनईआईए ट्रस्ट के लिए कॉर्पस प्रतिबद्धता को 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रु. 4,741 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी और पांच साल की अवधि यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 160 करोड़ रुपये के इन्फ्युजन को स्वीकृति दी। इसमें से 1,574.99 करोड़ ख्यानी 2021-22 के दौरान 744 करोड़ रुपये और 2022-23 के दौरान 830.99 करोड़ (31 दिसंबर 2022 तक), सहायता अनुदान के रूप में ट्रस्ट को पहले ही जारी किया जा चुका है।

❖ 31 दिसंबर 2022 तक 42,641 करोड़ मूल्य की कुल 153 परियोजनाएँ एनईआईए ट्रस्ट द्वारा विस्तारित 200 कवर के तहत भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

12. वर्ल्ड एक्सपो 2020

वर्ल्ड एक्सपो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आयोजन है। यह 1851 से 6 महीने की अवधि के लिए 5 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन बीआईई (ब्यूरो इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशन), पेरिस द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। यह एमईएसए (मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया) क्षेत्र में आयोजित पहला एक्सपो था और अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो भी था। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का मुख्य विषय (कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर) था। मुख्य विषय को एक्सपो के तीन उप-विषयों — अवसर, गतिशीलता और स्थिरता में विभाजित किया गया था।। वर्ल्ड एक्सपो 2022 में 192 देशों ने भाग लिया और 6 महीने की अवधि में 24 मिलियन से अधिक आगंतुकों ने एक्सपो का दौरा किया।

वर्ल्ड एक्सपो 2020, दुबई में भारत प्रमुख प्रतिभागियों में से एक था। वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस आयोजन में भारत की भागीदारी के आयोजन के लिए नोडल विभाग था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई) इंडस्ट्री पार्टनर था और एनबीसीसी इंडिया पवेलियन का कंस्ट्रक्शन पार्टनर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) था। इंडिया पवेलियन का निर्माण लगभग 10,000 वर्ग मीटर के प्रदर्शन क्षेत्र के साथ 4,614 वर्ग मीटर के भूखंड पर किया गया था। भारत मंडप का स्थान अवसर जिले के एक प्रमुख क्षेत्र में था। भारतीय पवेलियन के तत्काल पड़ोसी जापान, इजराइल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर और कजाकिस्तान के पवेलियन थे। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन माननीय सीआईएम द्वारा 01.10.2021 को यूएई सरकार के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ उद्योग जगत के नेताओं की उपस्थिति में किया गया था।

इंडिया पवेलियन के अंदर प्रदर्शन ने कई क्षेत्रों में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित किया, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की ताकत, जीवंत स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के अलावा कपड़ा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, बुनियादी ढांचा, सेवाओं आदि सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर शामिल हैं। भाग लेने वाले राज्यों, क्षेत्रों के साथ-साथ भारतीय कॉरपोरेट्स से डिजिटल और इमर्सिव सामग्री के गतिशील प्रदर्शन के माध्यम से हमारी समृद्ध कला और विरासत। पवेलियन में 'इंडिया ऑन द मूव' का प्रतिनिधित्व

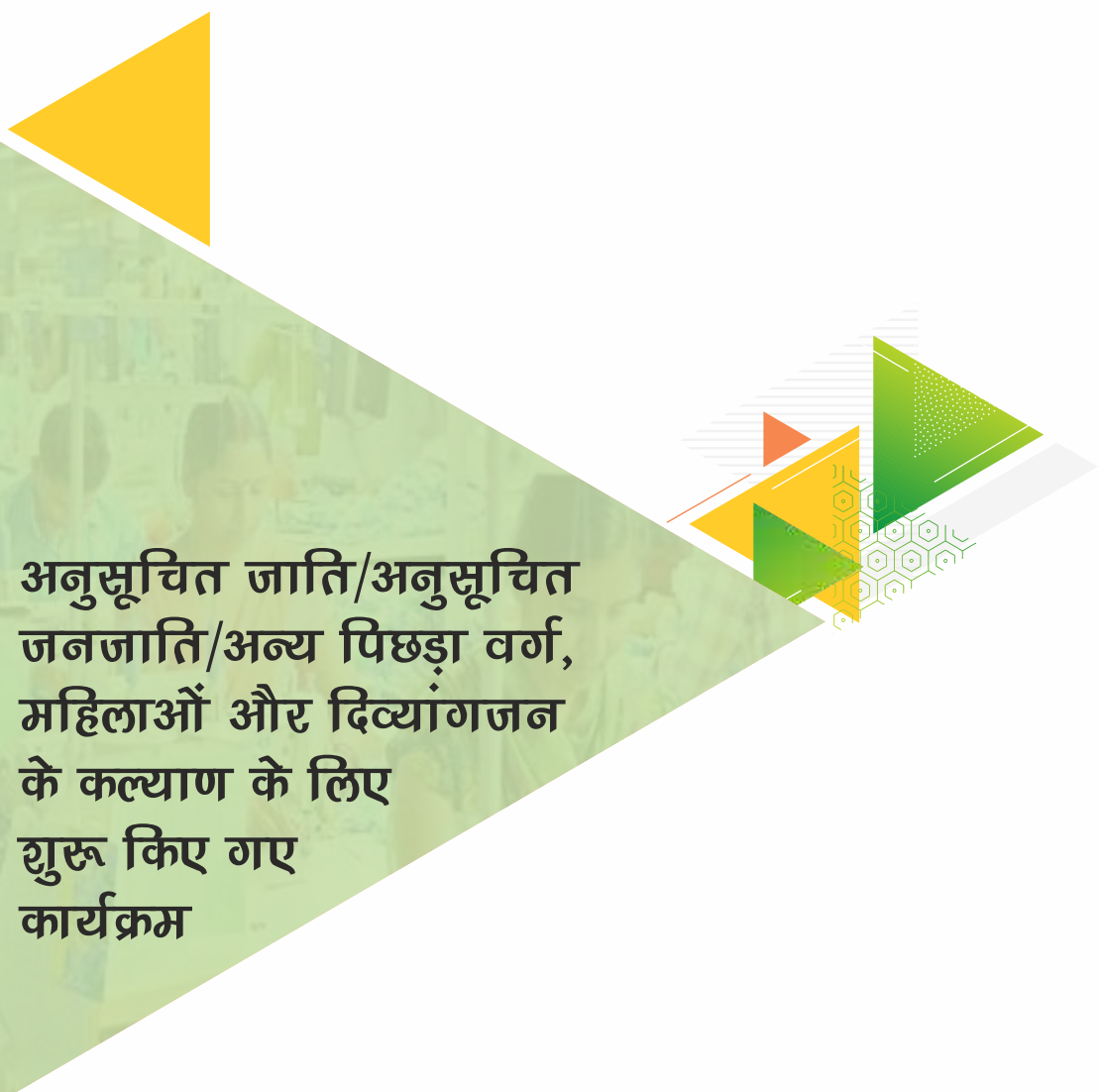
करने के लिए बहुरंगी मूविंग ब्लॉक्स से युक्त एक अद्वितीय गतिशील अग्रभाग भी शामिल है। जबकि चलती ब्लॉकों ने दिन के दौरान कई पैटर्न बनाए, शाम को प्रक्षेपण के माध्यम से समृद्ध विषयगत एवी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए अग्रभाग को एक विशाल स्क्रीन में बदल दिया गया। भारतीय पवेलियन ने आगंतुकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुमुखी आयामों की अंतर्दृष्टि प्रदान की और आगंतुकों की बढ़ती रुचि को बनाए रखा।

भारतीय मंडप 1.75 मिलियन से अधिक आगंतुकों के साथ सबसे अधिक देखे जाने वाले मंडपों में से एक था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा एक्सपो 2022 में मंडप को सबसे प्रतिष्ठित में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। गल्फ न्यूज, एक प्रमुख दैनिक द्वारा एक्सपो में मंडप को सबसे प्रमुख मंडपों में से एक के रूप में भी घोषित किया गया था। मंडप में 2000 से अधिक व्यावसायिक कार्यक्रम, जी2बी और बी2बी बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें निवेश के अवसरों और सहयोग के पारस्परिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुल 107 एमओय/एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका मूल्य लगभग रु. 80,000 करोड़। इंडिया पवेलियन में विशेष रूप से तैयार किए गए एलिवेट पिचिंग सेशन के 20 से अधिक संस्करणों के साथ-साथ इंडिया इनोवेशन बस में 433 से अधिक स्टार्ट-अप को प्रदर्शित किया गया। इंडिया पवेलियन में इंडिया इनोवेशन हब भारत के चमकते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, नवाचार के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक छत के नीचे लाने और इसे सभी खिलाड़ियों के लाभ के लिए साकार करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल थी।



वर्ल्ड एक्सपो दुबई में भारतीय पवेलियन

अध्याय 9



अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग,
महिलाओं और दिव्यांगजन
के कल्याण के लिए
शुरू किए गए
कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजन के कल्याण हेतु किए जाने वाले अन्य उपायों के साथ-साथ आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के उचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और कमोडिटी बोर्डों के साथ संपर्क करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग-अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) कार्यरत हैं। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि विभाग के सहयोगी संगठनों द्वारा आरक्षित श्रेणियों के लिए स्वीकार्य विभिन्न लाभ उन्हें दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग (मुख्य) के अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों और अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए अलग से 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन भी किया गया है।

वाणिज्य विभाग (मुख्य) और उसके सहयोगी संगठनों में 30 सितंबर 2022 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-ख में दिया गया है। इस विभाग से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यकलाप का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

तुममाला, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश में निर्मला नगर परियोजना एमपीईडीए ने निर्मला नगर को गोद लिया है – आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) के तहत अनुसूचित जनजाति के एक्वाकल्चर किसानों का एक विशेष गांव, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना, स्थापना करना है प्रत्येक तालाब पर जैव सुरक्षा उपायों जैसे केकड़े की बाड़ लगाना और पक्षियों को डराने के लिए जाल आदि लगाना और जल परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराना।

एमपीईडीए ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 75% योगदान के रूप में एसटी फंड से और शेष 25% जिला प्रशासन से योगदान के रूप में 2.03 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। जिला प्रशासन ने विद्युत विभाग को कार्यों के

निष्पादन के निर्देश दिए हैं और मत्स्य विभाग बिजली के खंभों से लेकर खेतों तक आंतरिक विद्युतीकरण की प्रक्रिया चला रहा है।

फील्ड दौरों के माध्यम से अनुसूचित जातिजनजाति के किसानों और हैचरी संचालकों को तकनीकी सहायता देना और प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, किसान बैठक आदि जैसे नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

सी बास/केकड़ा/नरम खोल केकड़ा/गिफ्ट/स्कम्पी और पर्ल स्पॉट जैसी विविध प्रजातियों की खेती पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी लि.)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के संबंध में सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का पीईसी में विधिवत पालन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की छूट दी गई है।

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी लिमिटेड)

30 सितंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या 536 (बोर्ड स्तर के अधिकारियों और एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थी, जिसमें से 113 (21.08%) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 64 (11.94%) अनुसूचित जनजाति और 62 (11.57%) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(i) संपर्क अधिकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में उन्हें अनुमत आरक्षण एवं अन्य रियायतों के संबंध में सरकार के आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(ii) छूट/रियायतें

- ❖ सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई रियायतें/छूटें नीचे दी गई हैं:
- ❖ आयु में 5 वर्ष तक की छूट,
- ❖ लिखित परीक्षा/वैयक्तिक साक्षात्कार में अर्हक अंकों में 5% की छूट,
- ❖ भर्ती नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अंकों के प्रतिशत में छूट।

विभागीय पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाती है:

- ❖ कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट।
- ❖ कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति में टंकण परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट दी गई।
- ❖ वरिष्ठता-सह-फिटनेस के तहत स्टाफ संवर्ग के भीतर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक वर्ष की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति हेतु सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं।

(iii) प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कार्यात्मक और सॉफ्ट कौशल को उन्नत करने के लिए उन्हें समय-समय पर विभिन्न इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

(iv) क्वार्टर आवंटन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन में बी टाइप के आवास के लिए 10% तथा सी और डी टाइप के आवास के संबंध में 5% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(v) बैठकें

कंपनी की 'संरचित बैठक योजना' है जिसमें प्रबंधन-तंत्र सेवा मामलों और कल्याण उपायों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों से भेंट करता है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, कंपनी के और फेडरेशन ऑफ एमएमटीसी एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के सभी कार्यालयों में एमएमटीसी एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) आंतरिक शिकायत निवारण समिति

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

(घ) मसाला बोर्ड

बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण हेतु और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया था। बोर्ड ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से

संबंधित आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया था। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है जैसाकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा अनुशंसित किया गया था।

(ड.) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों अनुदेशों का एनएसईजेड द्वारा विधिवत पालन किया जाता है। एनएसईजेड में कुल 57 कर्मचारियों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्रमशः 8, 3 और 17 कर्मचारी हैं।

(च) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित करता है।

(छ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति (डीपीसी/डीएससी) की बैठकों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उपयुक्त स्तर के अधिकारी इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के कार्य से जुड़े होते हैं।

(ज) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण और विकास का कार्य किया जा रहा है।

(I) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यक्रम

- ❖ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

- ❖ सरकारी कंपनियों में भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- ❖ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ❖ भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ❖ अभ्यर्थियों/कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति के लिए गठित पैनल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
- ❖ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।

(ख) ओबीसी कल्याण के लिए कार्यक्रम

- ❖ ओबीसी उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
- ❖ ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए ओबीसी कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ❖ भर्ती पैनल में ओबीसी वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति पर उचित विचार किया जाता है।

(ग) ईडब्ल्यूएस कल्याण के लिए कार्यक्रम

ईसीजीसी लिमिटेड में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार की नीति को लागू किया गया है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भर्ती में 10% पद सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।

(उ) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। संपर्क अधिकारी शिकायतों/समस्याओं को दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है। बोर्ड आवधिक तौर पर ऐसी शिकायतों को, यदि कोई हो, मॉनिटर करता है, और ऐसी शिकायतों का समय पर निपटान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों द्वारा शिकायत/समस्या होने पर संपर्क अधिकारी की सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

(ट) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ठ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ड) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी संसद के तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण की नीति लागू करता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भेदभाव विरोधी समिति का गठन किया गया है।

(ढ) फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू सभी लाभ/कल्याणकारी उपाय हमेशा उन्हें दिए जाते हैं।

2. दिव्यांगजन के कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रम (पीडब्लूडी)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में प्रत्येक समूह में पदों की संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के कम से कम चार प्रतिशत को संदर्भित दिव्यांगजन से भरेगी, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत संदर्भित दिव्यांगजन के लिए और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत संदर्भित दिव्यांगजन के लिए आरक्षित होगा अर्थात्

(क) अंध और निम्न दृष्टि।

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत मस्तिष्क घात रोग, मुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता।

(ड) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है।

दिव्यांगजन को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश हैं ताकि दिव्यांगजन के लिए एक बाधा मुक्त कार्यस्थल सुलभ हो सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23(1) के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग में एक

शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। वाणिज्य विभाग (मुख्य) और उसके सहयोगी संगठनों में 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-ग में दिखाया गया है।

(क) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी लिमिटेड)

दिव्यांगजन के संबंध में सरकारी निर्देशों अनुदेशों का पीईसी में विधिवत अनुपालन किया जाता है। पीईसी में, स्टाफ संवर्ग के लिए समय वेतनमान पदोन्नति योजना चलाई जा रही है। दिव्यांगजन के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड)

- ❖ कार्यालय परिसर में आसानी से पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है।
- ❖ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए पदों पर तैनात किया जाता है, ताकि वे अपना काम कुशलता से कर सकें।
- ❖ कार्यालय लिफ्टों में मंजिल गंतव्य की घोषणा करने वाले श्रवण संकेत होते हैं। उनमें से कुछ में ब्रेल चिह्नों में फर्श मांग बटन हैं। साथ ही कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए अलग से वॉशरूम है।
- ❖ कंपनी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करती है, जो अधिकारी की विकलांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए होती है।
- ❖ इसके अलावा, विकलांगता और विकास से संबंधित सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने के लिए विकलांग कर्मचारियों के लिए काम की अत्यावश्यकता के अधीन एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मामलों को देखने के लिए नियुक्त संपर्क अधिकारी भी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

(ग) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने आरक्षण के मामलों और दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के प्रयोजन से वर्ष 2019 के दौरान एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) इस समिति के अध्यक्ष हैं और चार अन्य सदस्य हैं जिनमें एक समूह-ख अधिकारी दिव्यांगजन श्रेणी के हैं।

(घ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

यह कार्यालय पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ गलियारों, स्वागत कक्ष, शौचालयों, रेलिंग के साथ सीढ़ियों आदि जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। सेवा केंद्र भवन में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित पार्किंग स्लॉट भी आरक्षित किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट व्यवस्था के साथ जोन परिसर में एनएसईजेड द्वारा छह सार्वजनिक सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है। एनएसईजेड (आइडेमिया) की एक इकाई ने अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में व्हीलचेयर और दिव्यांगजन के अनुकूल बाथरूम फिटिंग दान की है। व्हीलचेयर को कार्यालय में रणनीतिक स्थानों और जोन में मानक डिजाइन कारखानों (एसडीएफ) में रखा गया है।

(ङ) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड आमतौर पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करता है।

(च) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। दिव्यांगजन के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। दिव्यांगजन के लिए पदोद्घ्सेवाओं में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण भी शामिल है।

(छ) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया। वह शिकायतधसमस्या दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय-समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है, और समय पर उनका निपटान करता है। बोर्ड हर वर्ष 3 दिसंबर को प्रतिष्ठित दिव्यांगजन का भाषण समारोह आयोजित करके 'अंतरराष्ट्रीय

दिव्यांगजन दिवस' मनाता है और बोर्ड के दिव्यांगजन कर्मचारियों को सम्मानित करता है। बोर्ड ने दिव्यांगजन कर्मचारियों की सुचारु आवाजाही के लिए 'रैंप' और लिफ्ट की व्यवस्था की। दृष्टिबाधित कर्मचारी ईपीएबीएक्स के संचालन में लगे हुए हैं। बोर्ड ने दिव्यांगजन को यूनिसेक्स शौचालय की सुविधा प्रदान की। का.ज्ञा.सं.3612/1/2020-स्थापना (रेस-II) दिनांक 17/05/2022 के अनुसार, ग्रुप ए, बी और सी में 4% प्रमोशनल रिक्तियों को भरने के लिए बोर्ड द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है।

(ज) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

सरकारी मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में दिव्यांगजन का आरक्षण कुल संख्या का 4% होता है। मौजूदा 80 कर्मचारियों में दो पदधारी शारीरिक रूप से विकलांग हैं। एपीडा ने दिव्यांगजन के कल्याण का ख्याल रखा है। एपीडा ने एक कर्मचारी के लिए कार्यालय के भीतर आने-जाने के लिए मोटर चालित व्हीलचेयर की व्यवस्था की है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अभी तक उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(झ)एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

- ❖ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन कर्मचारियों के पदों की उपयुक्तता के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है।
- ❖ भर्ती और पदोन्नति परीक्षा में उन्हें लिखने वाले(स्क्राइब) को साथ रखने की अनुमति है।
- ❖ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को अक्षमता के अनुकूल सुलभ कार्यालय स्थानों पर तैनात किया जाता है। पीडब्ल्यूडी की भर्ती के लिए सरकारी आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- ❖ दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित मामले पर कार्रवाई करने के लिए दिव्यांगजन हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ❖ कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजन कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।
- ❖ प्रधान कार्यालय, ईसीजीसी भवन, अंधेरी पूर्व, मुंबई में नए कार्यालय परिसर में पीडब्ल्यूडी के अनुरूप बुनियादी ढांचा उपलब्ध है

(उ)विद्याखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

- ❖ वीएसईजेड के भवन के प्रवेश द्वार पर सुगम पहुंच और रैंप की व्यवस्था की गई है।
- ❖ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।
- ❖ शौचालय का निर्माणव्यवस्था।
- ❖ पार्किंग स्थल को चिह्नित कर लिया गया है।
- ❖ दिव्यांगजन अनुकूल भवन की व्यवस्था की गई है।
- ❖ दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ट) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड का दिव्यांगजन कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ठ)भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी संसद के किसी भी तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण नीति लागू करता है।

(ड) फाल्टा एसईजेड

प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू सभी लाभधकल्याणकारी उपाय हमेशा उन्हें दिए जाते हैं।

2. महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में निम्नलिखित कार्यों के साथ एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है:

- ❖ महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित मामलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय।
- ❖ वाणिज्य विभाग की प्लान स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण, विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- ❖ महिला-उन्मुखी बजटिंग से संबंधित सभी मामले और वार्षिक रिपोर्टधनिष्ठादन बजट में महिला संबंधी मुद्दों को शामिल करना।
- ❖ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्धअधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठनय उनके प्रदर्शन की निगरानी

करना और आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

- ❖ महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता सप्ताह के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाना।
- ❖ इस विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक मामले।

(क) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी लिमिटेड)

- ❖ पीईसी एक छोटा संगठन है जिसमें कुल 29 कर्मचारी हैं (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर), जिनमें से 04 महिलाएं हैं, 30.09.2022 तक।
- ❖ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की शर्तों के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाएं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए पीईसी में आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।
- ❖ पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक व्यापक नीति अपनाई गई है।
- ❖ वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लि.)

- ❖ एमएमटीसी में महिला कल्याण गतिविधियां राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के व्यापक दिशानिर्देशों और सरकारी क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के उद्देश्यों से उद्भूत होती हैं। एमएमटीसी इस मंच पर अपनी महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी की एक महिला महाप्रबंधक डब्ल्यूआईपीएस —एपेक्स की उपाध्यक्ष है। कई अन्य महिला कर्मचारी डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।
- ❖ एमएमटीसी की पदोन्नति नीति में बोर्ड स्तर से नीचे हर स्तर पर बिना महिला-पुरुष भेदभाव के योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों को चयन का समान अवसर दिया जाता है।
- ❖ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सक्रिय आंतरिक शिकायत समिति है। महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति

संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं।

- ❖ एमएमटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यात्मक और व्यावहारिक प्रशिक्षणों में महिला कर्मचारियों का अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) मसाला बोर्ड

30 सितंबर, 2022 को मसाला बोर्ड के स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 379 है और मौजूदा संख्या 249 है। इनमें से 68 महिला कर्मचारी हैं। बोर्ड की एक महिला (समूह ए स्तर) अधिकारी को महिला कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि यदि कोई कठिनाइयां/समस्याएं हों, तो उन्हें हल किया जा सके, या उन्हें संभावित समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर और उचित तरीके से समाधान किया जाता है।

(घ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

एपीडा ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

(ड.) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

- ❖ महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें कैंसर जांच शिविर और कैंसर जागरूकता पर सेमिनार आदि शामिल हैं।
- ❖ कंपनी नेतृत्व विकास के लिए महिला कर्मचारियों को कार्यक्रमों सेमिनारों कार्यशालाओं में नामित करती है।
- ❖ कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां मौजूद हैं।
- ❖ भर्ती एवं पदोन्नति पैनल में महिला सदस्य की नियुक्ति पर समुचित ध्यान दिया जाता है।
- ❖ कंपनी में पदोन्नति पैनल सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेते समय दो वर्ष से कम आयु के शिशु वाली महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना है, जिसमें महिला कर्मचारी की संबंधित पात्रता के अनुसार साथ रह रहे बच्चे के लिए तथा एक परिचर के लिए प्रावधान है।
- ❖ ईसीजीसी लिमिटेड की महिला कर्मचारियों के लिए शिशु के दो वर्ष की आयु प्राप्त करने तक करों को छोड़कर रुपये

5000/- की सीमा तक क्रेच व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना है। नए कार्यालय प्रधान कार्यालय, ईसीजीसी भवन, अंधेरी पूर्व, मुंबई परिसर में क्रेच सुविधा के लिए प्रावधान किया गया है।

- ❖ कंपनी के पास महिला कर्मचारियों को उनके बच्चे के 2 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक दो दिन का विशेष अवकाश देने की योजना है।
- ❖ कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।

(च) रबर बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन चार सदस्यों से किया जाता है, जिसमें बाहर से एक सदस्य भी शामिल होता है, जो सामाजिक कार्य गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं (विवरण रबर बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित है)। प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और इस अवधि में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(छ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

(ज) नोएडा एसईजेड

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार इस कार्यालय में एक आंतरिक समिति मौजूद है।

(झ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड का महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ञ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

संस्थान ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

(ट) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

- ❖ एमपीईडीए के सभी कर्मचारियों के लिए अगस्त 2022 के दौरान संगठन के महिला प्रकोष्ठ के तहत स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया।
- ❖ 5 अगस्त, 2022 को मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल – एर्नाकुलम से मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अन्नम्मा बाबू (एमबीबीएस, डीजीओ, एमडी) द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया।

(ठ) फाल्टा एसईजेड

प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू सभी लाभ कल्याणकारी उपाय हमेशा उन्हें दिए जाते हैं।

4. महिला सेल

वाणिज्य विभाग में निम्नलिखित कार्य वाला एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है:

- ❖ महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित मामलों और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- ❖ वाणिज्य विभाग की प्लान स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण, विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- ❖ महिला-उन्मुखी बजटिंग से संबंधित सभी मामले और वार्षिक रिपोर्ट/निष्पादन बजट में महिला संबंधी मुद्दों को शामिल करना।
- ❖ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/आदि में शिकायत समिति का गठन उनके प्रदर्शन की निगरानी करना और आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ❖ इस विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक मामले।

अध्याय 10



पारदर्शिता, सार्वजनिक
सुगमता और संबद्ध
गतिविधियां

1. नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग, व्यापार और आम जनता के साथ व्यवहार करने में सत्यनिष्ठा, विवेक, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा शिष्टाचार और समझ के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों तक सभी सेवाएं और प्रतिबद्धताएं सर्वाधिक प्रभावी और कुशल तरीके से पहुंचाई जाएंगी।

यह विभाग सार्वजनिक लाभ में वृद्धि करने के लिए विदेश

व्यापार नीति की प्रक्रियाओं को विकसित करने का प्रयास करेगा और वैश्वीकृत एवं उदार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत आवश्यक विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग ग्राहक समूहों से लगातार परामर्श करता रहेगा और इस विभाग के लिए प्रासंगिक कानून एवं प्रक्रियाओं में हुए सभी परिवर्तनों का यथा समय प्रचार करेगा। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सेवाएँ/लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	ईएंडएमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह।
2.	निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	3 माह* (*पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन।)
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना के लिए अनुमोदन।	राज्य सरकार की सिफारिशों और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मामलों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना; सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अध्यधीन, अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के 7 दिनों के भीतर अनुमोदन पत्र जारी करना।
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 i. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर अपीलों का निपटान।	i. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर।
लोक शिकायत निवारण तंत्र		
5.	लोक शिकायतों का समाधान	30 दिन (पूर्ण विवरण प्राप्त होने और शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के अध्यधीन) (*यदि अधिक समय लगने की संभावना हो, तो शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर अंतरिम उत्तर देकर सूचित किया जाएगा।)
6.	डीजीएफटी, आदि द्वारा पारित सांविधिक आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों पर अपीलीय समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए।	3 महीने के अंदर- नोट: यह अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं से पूर्ण विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अध्यधीन है।

2. लोक शिकायतें

लोक शिकायत प्रकोष्ठ इस विभाग और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण की कार्यवाही करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अनुसार, 01.01.2022 से 31.12.2022 (पीएमओ और कोविड -19 संबंधित लोक शिकायतों सहित) के दौरान 5587 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। एक शिकायत पेटिका भी गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली स्थित सूचना और सुविधा काउंटर पर रखी गई है।

3. सतर्कता स्कन्ध

विभाग में सतर्कता अनुभाग, जिसके प्रभागीय प्रमुख संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एंड सीवीओ) हैं, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और वस्तु बोर्ड में कार्यरत बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों और वाणिज्य विभाग के समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों की शिकायतों और सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करता है।

सतर्कता अनुभाग एआईएस (आचरण) नियमावली और सीसीएस (आचरण) नियमावली (विभाग के सभी समूह 'क' अधिकारियों की वार्षिक अचल विवरणी सहित) से संबंधित मामलों को भी देखता है और सीवीसी एवं डीओपीटी को विभिन्न वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। सतर्कता अनुभाग निवारक सतर्कता के अंतर्गत संवेदनशील कार्यालयों के नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें सुव्यवस्थित करने जैसे कार्यकलाप भी करता है, जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश हो और उनकी रोकथाम के लिए अन्य उपाय शुरू करने, भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार का पता लगाने और विभाग के साथ-साथ उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचारियों को दंड देने, विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की आवा-जाही/आगमन पर नजर रखने, संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची/सहमत सूची तैयार करने और उनकी तैनाती गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में करने और पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और पीसी अधिनियम की धारा 17क के तहत सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की अनुमति देने का कार्य शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान लगभग 63 जांच/पूछताछ की गई और इन जांच कार्यवाहियों के आधार

पर, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/कमोडिटी बोर्डों और वाणिज्य विभाग में 15 मामलों में बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई।

अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 की अवधि में कार्यशाला/संवेदनवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, बैनरों आदि का प्रदर्शन करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विषय "भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत" पर मनाया गया।

4. सूचना का अधिकार

❖ वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है और विभाग की वेबसाइट पर सभी आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है।

❖ आरटीआई आवेदन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन दायर किए जाते हैं और आरटीआई प्रकोष्ठ वाणिज्य विभाग के नोडल खाते में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए/लोक प्राधिकारी(यों) को अग्रेषित/स्थानांतरित करते हैं। वाणिज्य विभाग ने अपने आरटीआई आवेदन/अपील व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में एक सुविधा काउंटर की व्यवस्था की है।

❖ वर्तमान में, इस विभाग में निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव स्तर के 34 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) हैं और 17 प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) हैं, जो आरटीआई अधिनियम के तहत दायर पहली अपील(लों) की सुनवाई और निपटान के लिए अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। श्री लक्ष्मण राव अथुकुरी, उप निदेशक वाणिज्य विभाग के नोडल सीपीआईओ हैं और श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

❖ वर्तमान में वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में 31 लोक प्राधिकरण (पीए) हैं। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए इनमें से प्रत्येक पीए के अपने स्वयं के नोडल सीपीआईओ, सीपीआईओ और एफएए हैं। यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्य विभाग स्वयं एक सरकारी प्राधिकरण है। छोटे सरकारी प्राधिकरणों में, अक्सर नोडल सीपीआईओ स्वयं उस सरकारी प्राधिकरण का एकमात्र

सीपीआईओ होता है जबकि बड़े सरकारी प्राधिकरण जैसे वाणिज्य विभाग, जीजीएफटी आदि में, नोडल सीपीआईओ आरटीआई आवेदन/अपील को उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए को अग्रेषित करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है और उस सरकारी प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पारदर्शिता ऑडिट का वार्षिक संचालन, आरटीआई ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत सीपीआईओ को यूजर आईडी/पासवर्ड जारी करना और आरटीआई के सभी मामलों के लिए डीओपीटी और केंद्रीय सूचना आयोग के साथ संपर्क सूत्र की भूमिका निभाना शामिल है।

❖ जनवरी से दिसंबर, 2021 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 463 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया और 721 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 51 अपीलों का निपटारा भी किया गया था।

❖ जनवरी से अक्टूबर, 2022 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 370 आवेदनों का निपटारा किया गया और 446 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 41 अपीलों का निपटारा भी किया गया।

5. राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति को विभाग के सरकारी काम-काज में लागू करता है। 2022-2023 के दौरान राजभाषा प्रभाग की गतिविधियां नीचे दी गई हैं:-

(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

वाणिज्य विभाग में एक हिंदी सलाहकार समिति है जो विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी उपयोग की समीक्षा करती है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति

वर्ष 2022-23 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन संगठनों का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) एवं निदेशक (राजभाषा)/उप

सचिव(राजभाषा प्रभारी)/सहायक निदेशक(राजभाषा) ने भाग लिया। इन बैठकों के दौरान दिए गए आश्वासनों को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित संगठन को संप्रेषित किया गया।

(ग) राजभाषा प्रोत्साहन

(i) हिंदी पखवाड़ा

विभाग में 16-30 सितंबर 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं नामतः राजभाषा ज्ञान और हिंदी अनुवाद, निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूपण, हिंदी टंकण, कवितापाठ, श्रुतलेख और हिंदी में आशुभाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पुरस्कार राशि 5000/- रूपए (प्रथम), 3000/- रूपए (द्वितीय), 2000/- रूपए (तृतीय) और 1000/- रूपए (सातवना) थी। विभाग के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

(ii) वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना

विभाग के कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत 5,000/- रुपये (प्रथम) 4000/- रुपये (द्वितीय) और 3000/- रुपये (तृतीय) का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 60 पुरस्कार (हिंदी और हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(iii) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग के कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(iv) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

वाणिज्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

(v) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना

यह प्रोत्साहन योजना विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कई वर्षों से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्यालयों को राजभाषा के क्षेत्र में उनके निष्पादन के लिए शील्ड/ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। कार्यालयों के

निष्पादन का मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र में दी गई जानकारी और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर एक समिति द्वारा किया जाता है।

(घ) निरीक्षण

विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से और निरीक्षण करके की जाती है। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के कुछ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया।

6. ई-गवर्नेंस

वाणिज्य विभाग के लिए वाणिज्य इंफॉर्मेटिक्स प्रभाग एनआईसी द्वारा किए गए परियोजना कार्यकलाप:

❖ **व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड (निर्यात):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समय पर नीति निर्माण/अंतःक्षेप की सुविधा के लिए डिजिटाइज्ड डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड (निर्यात) पोर्टल विकसित किया गया है जो भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं और डेटा को एकीकृत और प्रसारित करने के लिए एक एकल दृश्य मंच होगा। यह टूल/पोर्टल वाणिज्य विभाग, ईपीसी और विदेश मंत्रालय (राजनयिक मिशनों और दूतावासों सहित) के अधिकारियों को और उसके बाद राज्यों को पहुंच योग्य रहेगा ताकि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके और यथापेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पोर्टल को क्लाउड <https://niryat-gov-in> पर चालू कर दिया गया है।

❖ **वाणिज्य विभाग के अनुप्रयोगों के लिए पोर्टल:** वाणिज्य विभाग के लिए विकसित किए जाने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों को एक ही पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा, जिसे <https://apps-commerce-gov-in> पर क्लाउड पर लॉन्च किया गया है।

❖ **वाणिज्य विभाग का इंटरनेट पोर्टल:** वाणिज्य विभाग के आंतरिक उपयोग के लिए विकसित किए जाने वाले और केवल परिसर के भीतर ही पहुंच योग्य विभिन्न अनुप्रयोगों को एक ही पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा, जिसे

<https://intra.commerce.gov.in> पर क्लाउड पर लॉन्च किया गया है।

❖ **वाणिज्य विभाग के लिए युवा पेशेवरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति और निगरानी के लिए पोर्टल:** वाणिज्य विभाग के लिए युवा पेशेवरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति और निगरानी के लिए पोर्टल विकसित किया गया है और इसे <https://apps.commerce.gov.in/recruits> पर प्रचालित किया जा रहा है।

❖ **वाणिज्य विभाग की पीएमओ संदर्भ निगरानी प्रणाली:** वाणिज्य विभाग के लिए पीएमओ संदर्भ निगरानी प्रणाली विकसित की गई है और सुरक्षा ऑडिट मंजूरी प्राप्त करने और <https://intra.commerce.gov.in/pmoref> पर शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

❖ **वाणिज्य विभाग के सम्मेलन कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस) का उद्घाटन:** वाणिज्य विभाग के लिए सम्मेलन कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस) को नई प्रौद्योगिकी मुक्त स्रोत में उन्नत किया जा रहा है। प्रणाली को विकसित किया गया है, और <https://apps.commerce.gov.in/crbs> पर शुरू किया जा रहा है।

❖ **वाणिज्य विभाग की वेबसाइट:** सामग्री की प्रयोक्ता अनुकूल प्रस्तुति तथा सुखद अनुभूति में वृद्धि के साथ एक नई अनुक्रियाशील, द्विभाषी वेबसाइट अभिकल्पित की गई है तथा डब्ल्यूसी दिशानिर्देशों और भारत सरकार की वेबसाइट के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुसार विकसित की गई है। वाणिज्य विभाग की शिकायत निगरानी प्रणाली को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। विभाग द्वारा इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत कार्यप्रवाह आधारित कार्रवाई-तंत्र भी विकसित किया गया है। वेबसाइट और शिकायत निगरानी प्रणाली को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है और इसमें निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। वेबसाइट का एसटीक्यूसी ऑडिट भी चल रहा है जिसके बाद यह साइट जीआईजीडब्ल्यू के अनुरूप हो जाएगी।

❖ **पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) - केपीआई एकीकरण:** पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) में केपीआई का एकीकरण वाणिज्य विभाग के लिए किया गया है। आयात/निर्यात और सेवा क्षेत्र से जुड़े छ:

केपीआई प्रचालित किए गए हैं और आंकड़े किसी माह विशेष के लिए नामतः आरंभिक, अन्तिम और अंतिम 3 चरणों पर डाले जा रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देखने के लिए इन केपीआई पर सहज दृश्य व्यवस्था विकसित की गई है। प्रयास डैशबोर्ड के देखने के अधिकार सभी मंत्रियों को दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को डैशबोर्ड पर निदर्शनध्रशिक्षण दिया गया।

❖ **डीओसी के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस कार्यान्वयन:** डीओसी के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों में ई-ऑफिस कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए वाणिज्य इंफॉर्मेटिक्स प्रभाग एनआईसी द्वारा आवश्यक परामर्श/समन्वय किया जा रहा है। सातों एसईजेड को कॉमर्स ई-ऑफिस इंस्टेंस पर ऑन-बोर्ड लिया गया है और ई-ऑफिस को कार्यान्वित किया गया है। सेज के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। एमएमटीसी में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन पूरा हो गया है और आईटीपीओ के लिए ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

❖ **भारत के व्यापार से संबंधित डेटाबेस/प्रणालियों का उन्नयन:** देश के निर्यात और आयात व्यापार से संबंधित डेटाबेस अर्थात् मासिक निर्यात आयात डेटा बैंक (एमआईडीबी) और निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली जो वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित है तथा प्रमुख वस्तुका विदेश व्यापार एवं देश (एफटीएसपीसीसी) और विदेश व्यापार निष्पादन विश्लेषण (एफटीपीए) प्रणाली जो देश-वार और देश के प्रमुख वस्तु-वार निर्यात और आयात की जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित है, को नवीनतम ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ क्लाउड पर कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा ऑडिट की स्वीकृति के अधधीन हैं।

❖ **वाणिज्य विभाग के लिए डैशबोर्ड:** वाणिज्य विभाग की व्यापार संबंधी विभिन्न सांख्यिकी और अन्य कार्यकलापों को मॉनिटर करने के लिए, व्यवसाय आसूचना (बीआई) टूल का उपयोग करके एक डैशबोर्ड बनाया गया है। आम जनता द्वारा देखने के लिए यह डैशबोर्ड विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है, जबकि दूसरा संस्करण जिसमें आंतरिक मुद्दे भी हैं, विभाग के अधिकारियों द्वारा देखने के लिए इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड वातावरण में नियोजित किया गया है। डैशबोर्ड के URL <https://dashboard.commerce.gov.in> और <https://intradashboard.commerce.gov.in> हैं।

❖ **व्यापार विश्लेषण संबंधी डैशबोर्ड:** देश के व्यापार विवरण को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने और उसे मॉनिटर करने के लिए, एनआईसी के उत्कृष्ट आंकड़ा विश्लेषण केंद्र (सेंटर एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स-सीईडीए) की मदद से देश के पण्य व्यापार पर एक डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। वस्तु और प्रमुख वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण के आधार पर डीजीसीआईएंडएस के मासिक व्यापार डेटा का उपयोग देश-वार और देश के वस्तु-वार व्यापार के रुझान का विश्लेषण करने के लिए किया जाना है। डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड वातावरण में कार्यान्वित किया जाना है।

❖ **विदेश स्थित भारतीय मिशनो द्वारा रिपोर्टिंग के लिए प्रणाली:** विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक मिशनो द्वारा रिपोर्टिंग के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की जा रही है। ये मिशन माल, सेवा, व्यापार रक्षा उपायों, किए गए व्यापार संवर्धन कार्यकलापों निवेश, लॉजिस्टिक आदि में व्यापार के संबंध में देश विशिष्ट मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक डेटा पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यह प्रणाली एनआईसी क्लाउड वातावरण में लगाई गई है।

❖ **व्यापार से संबंधित डेटाबेस/प्रणालियों का रखरखाव:** देश के निर्यात और आयात पर व्यापार संबंधी डेटाबेस अनुरक्षित किया जा रहा है। इसमें निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली शामिल है, जो वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण और प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख वस्तुओं और देशों का विदेश व्यापार (एफटीएसपीसीसी) प्रणाली पर आधारित है, जो देश के आयात और निर्यात की देश-वार एवं प्रमुख वस्तु-वार जानकारी प्रदान करती है। डी जी सी आई एंडएस से उपलब्ध नवीनतम डेटा के साथ इन प्रणालियों का उन्नयन किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ इंटरनेट पर वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

❖ **वाणिज्य विभाग का इंटरनेट पोर्टल:** इंटरनेट पोर्टल में विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न एप्लिकेशन हैं।

◆ सम्मेलन कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस) बैठकों के लिए सम्मेलन कक्ष और उपकरण (लैपटॉप, एलसीडी प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर) की ऑनलाइन बुकिंग करने तथा इंटरनेट पोर्टल पर कक्ष की उपलब्धता के संबंध में पूछताछ करने की सुविधा देती है।

◆ लेखन-सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक मांग प्रणाली (ईआरएसएसआई) विभाग में प्रयोक्ताओं को लेखन-सामग्री की अपनी मांग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से

प्रस्तुत करने और इंटरनेट पोर्टल पर उनके अनुरोधों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने की सुविधा प्रदान करती है।

♦ विभाग में वाणिज्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त वीआईपी सन्दर्भों पर समय पर कार्रवाई किए जाने एवं की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

♦ विभाग में वस्तु/क्षेत्रीय प्रभागों के माध्यम से विभिन्न संगठनों/एजेंसियों और व्यापारिक समुदायों से प्राप्त बजट-पूर्व प्रस्तावों को समेकित करने, उन पर कार्रवाई करने और मॉनिटर करने के लिए, बजट-पूर्व प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की प्रणाली एक वार्षिक अभ्यास के रूप में लागू की गई है।

♦ विभाग के अनुभाग/प्रभागों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय आदेश/नोटिस/परिपत्र के रखरखाव और प्रसार के लिए विभाग में कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय आदेश/नोटिस/परिपत्र के प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र बनाया गया है।

❖ **विश्व व्यापार एटलस तक पहुंच:** वाणिज्य विभाग ने मैसर्स आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड, यूके के साथ एक करार किया है जिसमें डीजीसीआईएंडएस से लिए गए भारतीय व्यापार डेटा के बदले 80 से अधिक देशों के विश्व व्यापार एटलस नामक व्यापार डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जाएगी। केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को कनेक्ट पर ग्लोबल ट्रेड एटलस (जीटीए) तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित एक्सेस कंट्रोल तंत्र तैयार किया गया है। जीटीए प्रणाली पर प्रयोक्ता सृजन और व्यापार डेटा के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी मुद्दे/स्पष्टीकरण के लिए डीजीसीआईएंडएस एवं आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड के बीच समन्वयन एनआईसी द्वारा किया जा रहा है।

❖ निम्नलिखित के लिए एनआईसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन हेतु समन्वय:

- ♦ मसाला बोर्ड
- ♦ रबड़ बोर्ड
- ♦ कॉफी बोर्ड
- ♦ भारतीय निर्यात परिषद
- ♦ विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईजेड)

- ♦ एपीडा
- ♦ एम्पीडा
- ♦ एमएमटीसी
- ♦ ईआईसी
- ♦ लॉजिस्टिक्स प्रभाग
- ♦ आईटीपीओ
- ♦ चाय बोर्ड
- ♦ एसटीसी
- ♦ डीजीटीआर
- ♦ जेम

❖ **प्रबंधन सुविधा सेवाएँ (एफएमएस):** एनआईसी अधिकारियों की टीम एनआईसीनेट पर निम्नलिखित नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रही है:

- ♦ ईमेल सेवाएँ
- ♦ नेटवर्क प्रबंधन
- ♦ वीसी सेवाएँ
- ♦ एंटी-वायरस लगाना
- ♦ ओएस पैच प्रबंधन
- ♦ वीएनपी सेवाएँ

❖ **केंद्रीय परियोजनाओं पर सहायता:** केंद्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी) परियोजनाओं पर सहायता जैसे:

- ♦ ई-कार्यालय
- ♦ स्पैरो
- ♦ पीएफएमएस
- ♦ सीपीजीआरएएमएस
- ♦ सूचना का अधिकार-एमआईएस
- ♦ प्रगति
- ♦ भविष्य- ऑनलाइन पेंशन और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली
- ♦ एलआईएमबीएस
- ♦ अनुभव

◆ ई-विजिटर

◆ एसीसी रक्ति की निगरानी प्रणाली।

7- विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट्स में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ

भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक प्रकोष्ठ विदेश स्थित 105 भारतीय मिशनों का हिस्सा हैं। वे वाणिज्य विभाग (डीओसी) के विस्तार कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं जो सरकार से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय, प्रसार करते हैं और मिशन देश में हो रहे महत्वपूर्ण व्यापार एवं आर्थिक घटनाक्रम पर रिपोर्ट करते हैं। वाणिज्यिक प्रकोष्ठ में वाणिज्यिक प्रतिनिधि निजी और सरकारी क्षेत्रों के आर्थिक ऑपरेटर्स के लिए मिशन में पहला संपर्क-सूत्र होता है। 105 वाणिज्यिक प्रकोष्ठों में से, 2 मिशनों का एक विशेष वाणिज्यिक अभिविन्यास है—विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में भारत का स्थायी मिशन और बसेल्स में विभाग का मिशन।

वाणिज्यिक प्रकोष्ठ के लिए बजट प्रावधान वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है। तथापि, इन पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण विदेश मंत्रालय के पास है। इनमें से अधिकांश पद विदेश सेवा बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा भरे जाते हैं। वाणिज्यिक प्रकोष्ठ को मजबूत करने और उनके कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए, इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन समय-समय पर बढ़ाया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 179.59 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 2022-23 के बजट अनुमान में 230.12 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विदेशों में हमारे मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके तहत निम्नलिखित शामिल है:

- ❖ व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधी जानकारी का संग्रह और प्रचार-प्रसार।
- ❖ आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यापार नीति संबंधी घटनाक्रम की निगरानी दोनो देशों की सरकार के स्तर पर और व्यापारिक समुदायों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की निगरानी।
- ❖ बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण और चल रहे व्यापार का महत्वपूर्ण विश्लेषण।
- ❖ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने सहित व्यापार और निवेश संबंधी पूछताछ पर कार्रवाई करना, पण्यवस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश और संयुक्त उद्यमों को

बढ़ावा देना तथा व्यापार विवादों के समाधान में सहायता करना।

- ❖ भारत के व्यापार और निवेश आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थानों से संबंधित उभरते रुझानों का विश्लेषण।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और माननीय विदेश मंत्री द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, मिशनों को निम्नलिखित पर सक्रिय रूप से काम करने अपने प्रयासों को जारी रखने की सलाह दी गई है:

- ❖ पर्यटन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, टैरिफ-भिन्न बाधाओं के समाधान से संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए एक संशोधित प्रोफार्मा मिशनों के साथ साझा किया गया है ताकि की गई कार्रवाई पर नजर रखी जा सके और नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।
- ❖ पर्यटन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से मिशन के लिए मार्गदर्शन नोट तैयार किये गये हैं जिनमें पर्यटन और प्रौद्योगिकी के तहत विभिन्न कार्रवाई योग्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, और उसे मिशनों/वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ अनुपालन हेतु परिचालित किया गया है।
- ❖ सभी मिशन बैठक के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों की रिपोर्ट दे रहे हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कार्य को प्रभावी बनाने की दिशा में की गई अन्य पहलों में ये शामिल हैं:

- ❖ **वेब आधारित रिपोर्टिंग:** वाणिज्य विभाग, संशोधित प्रोफार्मा (व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के सभी तीन पहलुओं को दर्ज करने के लिए) की ऑनलाइन प्रस्तुति देने के लिए एक पोर्टल को स्थिर करने की प्रक्रिया में है। परीक्षण पोर्टल पहले से ही चालू है और इसमें पहुँच बनाने के लिए मिशनों को ब्योरों से अवगत करा दिया गया है। ऑनलाइन डैशबोर्ड से वाणिज्यिक प्रकोष्ठ की रिपोर्टिंग, डेटा प्रबंधन और निष्पादन मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

- ❖ **वास्तविक समय में व्यापार के अवसरों को रिपोर्ट करना:** मिशनों को सलाह दी गई है कि वे निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यातकों को अपने-अपने देशों में वास्तविक समय में निर्यात के अवसरों के बारे में सचेत करने के अपने प्रयासों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करें। मिशनों से

कहा गया है कि वे विशेष रूप से एफआईईओ द्वारा सेवित इंडिया ट्रेड पोर्टल पर सार्वजनिक निविदाओं के आधार पर निर्यात के अवसरों को पोस्ट करें। कुछ मिशनों ने नियमित प्रस्तुतियों से इन उद्देश्यों का समर्थन करते हुए सराहनीय कार्य किया है।

8. विशेष अभियान

माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत विजन के अनुरूप वाणिज्य विभाग में लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु दिनांक 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान को वाणिज्य विभाग एवं इसके संगठनों में क्रियान्वित किया गया है। अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, स्वच्छता अभियान, स्क्रेप का निपटान और फाइलों की छंटाई शामिल हैं।

अभियान अवधि (2 से 31 अक्टूबर, 2022) के दौरान, विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयधस्वायत्त संगठनों द्वारा प्रारंभिक चरण के दौरान पहचान किए गए सभी संदर्भों को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रगति अपलोड की जाती है।

वाणिज्य विभाग और इसके संगठनों ने 138 स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया है। अभियान के दौरान 81419 वास्तविक फाइलों की समीक्षा की गई और 49959 फाइलों की छंटनी की गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार में 1000 वास्तविक फाइलों को संरक्षण के लिए स्थानांतरित किया गया था। स्क्रेप की नीलामी की गई है जिससे 50,33,534/- रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और 17786 वर्ग कि.मी. फीट स्थान मुक्त कराया गया। साथ ही 64249 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में से 29170 की समीक्षा की गई और 27790 ई-फाइलों को बंद कर दिया गया।

अनुलग्नक



अनुलग्नक

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निर्यात संवर्धन परिषद/अन्य संगठन।

(क) संबद्ध कार्यालय

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110107
2. व्यापार उपचार महानिदेशालय, जीवन तारा भवन, चौथी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23348653, 23348654

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

1. वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, 565, आनंदपुर, वार्ड नंबर 108, सेक्टर-1, प्लॉट नंबर 22, ईसीएडीपी कोलकाता- 700107 फोनरू 91.33. 24434055(4 लाइन) फैक्स: 91.3.24434051
2. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, कक्कनड, कोच्चि - 600030, केरल
3. फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय एमएसओ भवन, चौथी मंजिल, क्रमांक. 44, निजाम पैलेस कॉम्प्लेक्स, 234ध, एआईसी बोस रोड, कोलकाता - 700020, पश्चिम बंगाल
4. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक कार्यालय भवन, तांबरम, चेन्नई - 600045, तमिलनाडु
5. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, कच्छ-370230, गुजरात
6. एसईपीजेडविशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096, महाराष्ट्र
7. विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुव्वाडा, विशाखापत्तनम- 530046, आंध्र प्रदेश
8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा डाबरी रोड, फेज- II, नोएडा-201305, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य), उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110107
10. वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग), 16-ए अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011

(ग) स्वायत्त निकाय

अनुलग्नक-क

1. कॉफी बोर्ड, 1, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वेधी, बैंगलोर-560001, कर्नाटक
2. रबर बोर्ड, सब-जेल रोड, पी.बी. नं.1122, कोट्टायम दृ 686002, केरल
3. टी बोर्ड, 14, बीटीएम सारणी, ब्रेबोर्न रोड, पी.बी. नंबर 2172, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल
4. तंबाकू बोर्ड, पी.बी.नं. 322, गुंटूर - 522004, आंध्र प्रदेश
5. स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच. बाइपास, पीबी-2277, पलारीवट्टोम पी.ओ. कोच्चि - 682025, केरल
6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एम्पीडा हाउस, पनमपिल्ली एवेन्यू, कोच्चि - 682036, केरल
7. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एनसीयूआई बिल्डिंग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
8. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, तीसरी मंजिल, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
9. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, आईआईटी के दक्षिण में, नई दिल्ली-110016
10. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, बी-2, एमआईडीसी एरिया, पी.बी.नं. 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096, महाराष्ट्र

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001

एसटीसी की सहायक कंपनी

1. एसटीसीएल लिमिटेड, नंबर 7ए, 'एसटीसी ट्रेड सेन्टर', तीसरी मंजिल, नंदिनी लेआउट, बैंगलोर - 560096, कर्नाटक
2. एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
3. पीईसी लिमिटेड, 'हंसालय', 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001
4. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम) लिमिटेड, 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, पी. बी. नंबर 373, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021, महाराष्ट्र

5. भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली दृ 110001

(ड.) विशेष उद्देश्य वाहन

1. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) एसपीवी (जीईएम एसपीवी), जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

(च) वाणिज्य विभाग के तहत ईपीसी की सूची

1. केमेक्सिल, झांसी कैसल (चौथी मंजिल), 7-कूपरेज रोड, मुंबई-400039, महाराष्ट्र
2. कैपेक्सिल, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, तीसरी मंजिल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल
3. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टॉवर ५, तीसरी मंजिल, गांधी इरविन रोड, एगमोर, चेन्नई -600008। तमिलनाडु
4. ईईपीसी इंडिया, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, पहली मंजिल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल
5. ईओयू और एसईजेड (ईपीसीईएस) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8-जी, हंसालय, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
6. द जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऑफिस नंबर एडब्ल्यू - 1010, टॉवर - ए, जी- ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, आईसीआईसीआई बैंक के आगे, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई 400051
7. द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डायनेस्टी बिजनेस पार्क, ग्राउंड फ्लोर, बी-विंग, ऑफिस नंबर 2, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400059
8. द स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 1-ई/6, स्वामी राम तीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

9. शेलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल), वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, दूसरी मंजिल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल

10. फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल), 101, आदित्य ट्रेड सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038, आंध्र प्रदेश

11. सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डीपीटी-417, चौथी मंजिल, प्राइम टावर्स, प्लॉट नंबर 79 और 80, पॉकेट-एफ, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110020

12. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 411, सूर्य किरण बिल्डिंग (चौथी मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

13. भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद, 78-79 बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021, महाराष्ट्र

(छ) अन्य संगठन

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग, सेना अस्पताल (अनुसंधान और रेफरल) के विपरीत, नई दिल्ली -110057
2. इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, कटारगाम, जीआईडीसी, सुमुल डेयरी रोड, पीबी नंबर 508, सूरत-395008, गुजरात
3. व्यापार सूचना के लिए राष्ट्रीय केंद्र, एनसीटीआई परिसर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली -
4. मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट, कमरा संख्या 2003. 20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस नई दिल्ली - 110001
5. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, 20 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

अनुबंध ख

संगठन का नाम	समूह	जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	एसटी कर्मचारियों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारियों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2022 तक नहीं भरी गई	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	समूह क	145	0	22	0	5	0	15	0	0	0	0	समूह क अधिकारियों की भर्ती, सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसएसएस, के पद कैडर
	समूह ख	178	0	20	0	4	0	26	0	0	0	0	कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी हैं। पूर्व के लिए संवर्ग बाध्य (जेटीओ और एसटीओ), को राजभाषा विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	130	1	30	0	8	0	31	0	1	0	0	पदोन्नति/तैनाती/स्थानांतरण आदेशों को क्रियान्वित करता है। इसलिए, सूचना शून्य है
वाणिज्य विभाग (समुचित)	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	डीजीएसएंडी के समापन के बाद भारतीय निरीक्षण सेवा (आईआईएस) और भारतीय आपूर्ति सेवा (आईएसएस) संवर्ग को अनावश्यक (डाउन) संवर्ग के रूप में घोषित किया गया है।
	समूह क	70	0	10	0	7	0	10	0	0	0	0	जहाँ तक सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस का संबंध है, डीओपीटी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और इसलिए, भर्ती केवल डीओपीटीद्वारा की जाती है।
	समूह ख*	49	0	10	0	2	0	0	9	0	0	0	* 31.10.2017 को आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	29	0	13	0	2	0	0	3	0	0	0	
आपूर्ति प्रभाग	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

																				समापन के बाद, पूरे समूह - बी और सी के अधिकारियों को अधिशेष घोषित कर दिया गया और सभी पदों को समाप्त कर दिया गया। 01.11.2017 से आगे कोई भर्ती नहीं है। हालांकि, 5 ग्रुप-बी अधिकारी जो जीईएम-एसपीवी में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे, उन्हें अभी तक सरफ़ास घोषित किया जाना है और उन्हें फिर से नियुक्त किया जाना है।
उप योग (क)		601	1	105	0	28	0	82	12	1	0	0								
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय																				
विदेश व्यापार महानिदेशालय ((डीजीएफटी))	समूह क	133	6	16	1	10	0	15	1	1	1	एससी-1, एसटी-1, ओबीसी-2, ईडब्ल्यूएस-1								
	समूह ख	282	0	54	0	29	0	13	0	0	0	एससी-24, एसटी-13								
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	480	0	157	0	44	0	50	0	2	0	एससी-98, एसटी-70, ओबीसी-118, ईडब्ल्यूएस-8								
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
उप योग (ख)		895	6	227	1	83	0	78	1	3	1	336								
वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालय																				
वाणिज्यिक आपूर्तना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई&एस)	समूह क	18	0	6	0	0	0	3	0	0	0	आईएसएस/आईईएस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित								
	समूह ख	119	0	28	0	13	0	4	0	0	0	एससी-12 एसटी-6								
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	89	5	10	0	9	1	36	2	0	0	एससी-21, एसटी-05, ओबीसी-12, ईडब्ल्यूएस-16								
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
एमपीइजेड एसईजेड	समूह क	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0								
	समूह ख	61	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0								
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	25	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0								

वाणिज्य विभाग

समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	18	3	0	0	1	0	9	1	0	0	अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
समूह ख	74	0	11	0	7	0	13	0	0	0	
समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	36	2	8	0	3	1	15	0	0	0	ओबीसी-7, एससी-4, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस-2
समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप योग (ग)	643	12	126	0	42	2	122	3	0	0	89
वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्त निकाय और कम्प्लेटी बोर्ड											
समूह क	71	0	10	0	7	0	19	0	0	0	वैज्ञानिक-डी के एक पद को छोड़कर मंत्रालय के पत्र संख्या एफ संख्या 5/2015-संयंत्र (समन्वय) दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लान्ट-डी दिनांक 04.02.2020 के द्वारा मसाला बोर्ड के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमोदन के अनुसार, मंत्रालय ने अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार आगामी 3 वर्षों में पदोन्नति/चयन द्वारा 379 की संख्या के भीतर रिक्त पद को भरने की सलाह दी है। म्याइसेस बोर्ड ने स्वीकृति के लिए वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली को मसौदा भर्ती विनियम (आरआर) प्रस्तुत किया है। आरआर के अनुमोदन पर रिक्त पदों को भरने के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सहित फिर से शुरू किया जाएगा
समूह ख	89	0	10	0	12	0	27	0	0	0	4 (एससी), 1 (एसटी) और 3 (ओबीसी) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं
मसाला बोर्ड	89	0	15	0	8	0	35	0	0	0	3 (एससी), 1 (एसटी) और 8 (ओबीसी) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। ईडब्ल्यूएस* 4 (एससी), 2 (एसटी) और 9 (ओबीसी) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। ईडब्ल्यूएस*

206

अधिकारियों (चाय बोर्ड के अध्यक्ष के पद को छोड़कर, जो एक गैर-कार्यकारी पद है) के लिए अनुमानित किया है। दूसरी ओर, टी बोर्ड को प्लेटिथन डिवीजन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, सरकार द्वारा सलाह दी गई है। कि पत्र संख्या 5/1004/2015-संव्यव (समन्वय) दिनांक 22.02.2017 के अनुसार उनकी पूर्व अनुमति के बिना सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई रिक्त पद नहीं भरा जाना चाहिए। नतीजतन, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को लंबित रखा गया है												
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1
	29	0	6	0	1	0	4	0	0	0	0	1
	29	0	4	0	3	0	6	0	0	0	0	3
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62	0	4	0	5	0	19	0	0	0	0	2
	119	0	17	0	6	0	25	0	0	0	0	18
	341	0	60	0	20	0	47	0	0	0	0	15

208

[illegible]

	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कार्यपालक अधिकारी स्तर पर भर्ती का अंतिम परिणाम प्रक्रियाधीन है। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में रिक्तियां भरी जाएंगी।
ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)।	समूह क	257	0	45	0	0	19	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एससी (11), एसटी (10), ओबीसी (13), ईडब्ल्यूएस (7)
	समूह ख	278	16	50	4	21	1	73	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	समूह ग और ग्रुप डी में भर्ती क्रमशः 2007 और 1999 से बंद कर दी गई है।
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	19	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	प्रशासनिक मंत्रालय और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी संवर्ग में सभी भर्ती प्रक्रियाओं को 2019 से रोक दिया गया है क्योंकि कंपनी अपने संचालन को कम कर रही है और बंद कर रही है जो अंततः इसके बंद होने का कारण बन सकती है। स्टाफ संवर्ग में भर्ती 1992 से बंद है।
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एमएमटीसी लिमिटेड (खनिज और धातु व्यापार निगम)	समूह क	240	0	49	0	19	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	168	0	35	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	57	0	9	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप योग (ई)		1,622	21	344	5	125	1	239	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	57
कुल योग		6947	80	1257	18	500	5	1227	33	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	644

एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

अनुबंध- ग

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30.09.2022 तक)	जनवरी-सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अग्रणीवार पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या (30.09.2022 को)						जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या (अग्रणीवार)						कुल संख्या पीडब्ल्यूडी के लिए आवेदनित रिक्तियों की संख्या, जो भरी नहीं गई (30.09.2022 तक)	टिप्पणियां
				क	ख	ग	घ	ड.	क	ख	ग	घ	ड.	क	ख		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	समूह क अधिकारियों की भर्ती, सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसएस कैडर, के लिए डीओपीडी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। संवर्ग बाह्य कैडर (जेटीओ और एसटीओ), राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी पदोन्नति/तैनाती/स्थानांतरण आदेशों को क्रियान्वित करता है। इसलिए, सूचना भूय है	31.10.2017 को डीजीएसएंडडी के समापन के बाद भारतीय निरीक्षण सेवा (आईआईएस) और भारतीय आपूर्ति सेवा (आईएसएस) संवर्ग को अनावश्यक (डाइंग) संवर्ग के रूप में घोषित किया गया है। जहां तक सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस का संबंध है, डीओपीडीकैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और इसलिए, भर्ती केवल डीओपीडी द्वारा की जाती है। * 31.10.2017 को आपूर्ति और निपटान महाविद्यालय के समापन के बाद, पूरे समूह - बी और सी के अधिकारियों को अग्रिम घोषित कर दिया गया और सभी पदों को समाप्त कर दिया गया। 01.11.2017 से आगे कोई भर्ती नहीं की गई है। हालाँकि, 5 ग्रुप-बी अधिकारी जो जीईएस-एसपीबी में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे, उन्हें अभी तक सरप्लस घोषित किया जाना है और उन्हें फिर से नियुक्त किया जाना है।
	समूह क	145	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	178	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	130	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
आपूर्ति प्रभाग	समूह क	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
	समूह ख*	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
उप योग (क)		601	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय																	

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)	समूह क	133	6	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह ख	282	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	480	0	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप योग (ख)		895	6	3	6	12	0	0	0	1	0	0	0	0	
वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालय															
वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई&एम)	समूह क	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	आईएसएम/आईईएम कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित
	समूह ख	119	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	89	5	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	5	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एमपीईजेड एमईजेड	समूह क	5	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	समूह ख	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कांडला एमईजेड	समूह क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
विशाखापत्तनम एमईजेड	समूह क	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्त निकाय और क्मोडिटी बोर्ड																		
मसाला बोर्ड	समूह क	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	89	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	89	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह क	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
रबर बोर्ड	समूह ख	419	34	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	470	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह क	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
चाय बोर्ड	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	200	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह क	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	समूह ख	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

मंत्रालय के दिनांक 22.02.2017 के पत्र एफ. सं. 5/1004/2015 बालान (समन्वय) द्वारा बोर्ड को पुनर्गठन के कारण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना सीधी भर्ती रक्तियां नहीं भरने का निर्देश दिया गया था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत पुनर्गठन योजना में चाय बोर्ड ने सभी श्रेणियों के लिए 312 अधिकारियों (अध्यक्ष, चाय बोर्ड के पद को छोड़कर जो एक और कार्यकारी पद है) के लिए अनुमानित किया है। दूसरी ओर, टी बोर्ड को प्लानिशन डिवीजन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा भी सलाह दी गई है कि पत्र संख्या 5/1004/2015-बालान (समन्वय) दिनांक 22.02.2017 के अनुसार उनकी पूर्व अनुमति के बिना सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई रिक्त पद नहीं भरा जाना चाहिए। नतीजतन, रक्तियों को भरने की प्रक्रिया को लंबित रखा गया है।

एमओसी एंड आई द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के अनुसार, समूह ग के पदों को भरा नहीं जाएगा और पुनर्गठन लागू होने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा।

[illegible]

[illegible]

	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	279	1	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क	27	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पीईसी लिमिटेड (प्रोजेक्ट एंड इन्फ्रामेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बाहर प्रतिनिधिक 7 अधिकारियों को बाहर रखा गया है।
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क	257	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	278	16	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	
ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)।	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	प्रशासनिक मंत्रालय और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी संवर्ग में सभी भर्ती प्रक्रियाओं को 2019 से रोक दिया गया है क्योंकि कंपनी अपने संचालन को कम कर रही है और बंद कर रही है जो अंततः इसके बंद होने का कारण बन सकती है। स्टाफ संवर्ग में भर्ती 1992 से बंद है।
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क	240	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	168	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एमएमटीसी लिमिटेड (खनिज और धातु व्यापार निगम)	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)																
	समूह क																
	समूह ख																
उप योग (इ.)		1,622	21	10	9	28	1	0	0	0	0	1	0	0	4		कुल योग
		6947	74	34	28	85	1	2	0	1	2	1	0	0	17		

क (अंशपान और कम दृष्टि); **ख** (बहरा और सुने में मूशकिल); **ग** (मेरेवल पाल्सी, कुछ रोग से मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर डिसेबिलिटी) और 'डी एंड ई (डी) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट शृंखला

अनुबंध-घ

विभिन्न रिपोर्टों में प्रतिवेदित लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की स्थिति/की गई कार्रवाई

सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क/मुद्दे- डीजीएफटी		स्थिति	
क्र.सं.	सीएजी रिपोर्ट/पैरा संख्या और डीएपी संख्या	पैरा का सार	
1.	वर्ष 2008 का 6 (अध्याय IV)	निष्पादन लेखापरीक्षा तीन शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी स्कीमों नामतः (i) दर्जा धारक (ii) सेवा प्रदाता और (iii) विशेष कृषि उपज योजना (वीक्यूवाई) की समीक्षा करने के लिए आयोजित निष्पादन लेखा परीक्षा में शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र/स्क्रिप जारी करने और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने से संबंधित प्रणाली के साथ-साथ अनुपालन संबंधी कमजोरियों का पता चला।	प्रभाग द्वारा दिनांक 12.12.2022 को अंतिम एटीएन अपलोड किया गया और लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	वर्ष 2013 का पीए 8	मानद निर्यात ड्राबैक स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा - छोड़े गए राजस्व में ड्राबैक डीमंड निर्यात ड्राबैक और टीईडी पर कर व्यय शामिल नहीं था। व्याज भुगतान के लिए कोई अलग लेखा शीर्ष नहीं था।	प्रभाग द्वारा दिनांक 02.01.2023 को एटीएन अपलोड किया गया और लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	वर्ष 2014 का 12 पैरा 2.4 से 2.19	संवर्धनात्मक उपाय (फोकस उत्पाद स्कीम) - विलंबित आवेदनों पर विलम्ब कटौती का अनुप्रयोग न करने के परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिट की अधिक स्वीकृति, अवैध शिपिंग बिलों पर गलत विचार, प्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त करने के साक्ष्य प्राप्त किए बिना ईओयू को शुल्क क्रेडिट प्रदान करना आदि शामिल हैं।	सीएजी ने उन 7 मामलों की प्रगति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जहां मूल आदेश आरए सूरत द्वारा जारी किया गया था। 7 मामलों में से 5 मामलों को सीएजी द्वारा 4.04.2022 को क्लीयर कर दिया गया। एक मामले में व्याज सहित वसूली की गई और संशोधित एटीएन के माध्यम से सीएजी को सूचित किया गया। एक मामले में फर्म ने गुजरात हाई कोर्ट में वर्ष 2020 का एससीए 13340 दायर किया है। एटीएन अंतिम निर्देशों के लिए लंबित है। (न्यायाधीन)। पैरा 2.17 सीमा शुल्क (डीओआर) से संबंधित है और डीजीएफटी 2018 से पत्राचार कर रहा है। सीएजी को भी इस संबंध में सूचित किया गया था। हालांकि, उन्होंने डीओआर से एटीएन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक कार्यवाही जारी है।
4.	वर्ष 2015 का 8 पैरा 8.5.10	वीकीजीवाई स्कीम के तहत ऐसे अपात्र उत्पादों पर 172 अभिलेखों में 0.20 करोड़ रु. की झूठी क्रेडिट की अनुमति दी गई थी, जो डीजीएफटी ईडीआई	प्रभाग द्वारा दिनांक 14.12.2022 को संशोधित एटीएन अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

(डीएपी टीबीए)	प्रणाली में पर्याप्त जांच की अनुपस्थिति को दर्शाता है। विदेश व्यापार नीति की स्कीम: निर्यात दायित्वों की पूर्ति न करने के संबंध में लगातार अनियमितता।	विदेश व्यापार नीति की स्कीम: निर्यात दायित्वों की पूर्ति न करने के संबंध में लगातार अनियमितता।
5. वर्ष 2019 का 17 5.1 से 5.2 डीएपी-95	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण डीटीए निकासी आदि पर कम शुल्क लगाने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	सीएजी ने आगे प्रभावीकरण करने वाले दस्तावेज की मांग करते हुए सवाल उठाया है और कई मामलों में वसूली की स्थिति की मांग की है। मामले को संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है और इस संबंध में कार्रवाई जारी है।
6. वर्ष 2019 के 17 5.4 डीएपी-84	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण डीटीए निकासी आदि पर कम शुल्क लगाने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	आरए चेन्नई से दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त एटीएन पैरा के निपटान के लिए दिनांक 31.08.2022 को सीएजी को भेजा गया। एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।
7. वर्ष 2019 का 17 5.4 डीएपी-44	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण डीटीए निकासी आदि पर कम शुल्क लगाने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	आरए बंगलौर से उत्तर लंबित है। पैरा के शीघ्र निपटान के लिए आरए को अनुस्मारक जारी किए गए हैं।
8. वर्ष 2019 का 17 5.4.5.2 डीएपी 56	लागू दरों के अनुसार विलम्ब शुल्क प्रभारित नहीं करना/कम प्रभार लगाना।	प्रभाग द्वारा दिनांक 03.10.2022 को संशोधित एटीएन अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा की ओर से आवश्यक कार्रवाई लंबित है।
9. वर्ष 2020 का 5 अध्याय-3 संपूर्ण रिपोर्ट	भारत से वस्तु निर्यात स्कीम (एमआईएस) - एमआईएस स्क्रिप्स जारी करने में पर्याप्त विलंब, विदेशी मुद्रा दरों का गलत अभिग्रहण स्क्रिप मूल्य और वास्तविक हकदारी के बीच विसंगतियां आदि। भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसआईएस) - जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यकरण में विलंब और कमियां, अप्रभावी आरएमएस के परिणाम, आदि।	दिनांक 01.03.2021 को सीएजी को सिफारिशें/टिप्पणियां भेजी गईं। सीएजी द्वारा स्वीकृत 14 में से 9 सिफारिशों के संबंध में उत्तर दें। 5 सिफारिशों की पुनः जांच की गई। सभी संबंधित आरए/एसईजेड से पैरा-वार एटीएन मांगे गए हैं। 46 आरए/एसईजेड को एटीएन प्रारूप में पैरा विशिष्ट टिप्पणियां भेजनी हैं। पैरा विशिष्ट टिप्पणियों की प्रतीक्षा है। सभी आरए को समय-समय पर याद दिलाया गया है। कुछ आरए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और वसूली प्रक्रियाधीन है। आरए कोलकाता की टिप्पणियां दिनांक 29.08.2022 को प्राप्त हुईं। समेकित उत्तर सीएजी को भेजा जा रहा है।
10. वर्ष 2020 का 17 अध्याय 3 (डीएपी 110	कारण बताओ नोटिस और अधिनिर्णय प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा - प्रक्रिया में कमियां और अधिनिर्णयन की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाएं, अधिनिर्णय और समीक्षा आदेशों पर उचित अनुवर्ती की कमी और निगरानी और आंतरिक नियंत्रण में कमी।	परीक्षणधीन पैरा (डीएपी-110 सीएच-III)- आरए-राजकोट, अहमदाबाद और कोलकाता से जवाब प्राप्त हो गया है और 24.12.2021 को सीएजी को भेज दिया गया है। सीएजी ने कुछ पैरा की जांच की है और दिनांक 01.04.2022 की एपीएमएस टिप्पणियों के माध्यम से कुछ पैरा में आगे की टिप्पणियां मांगी हैं। मुख्य रूप से सीमा शुल्क से संबंधित पुनरीक्षित टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

11.	वर्ष 2021 का 10 संपूर्ण रिपोर्ट	अग्रिम प्राधिकरण स्कीम - एए जारी करने में पर्याप्त विलंब प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाता है। स्कीम का अप्रभावी कार्यान्वयन - वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना, लाइसेंस आदि के पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए एफटीपी/एचबीपी में निर्धारित कोई समय सीमा नहीं है।	प्रभाग द्वारा दिनांक 20/07/2022 को एटीएन अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।
12.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2.4(क) डीएपी-104	भारत से वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) (क) गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट की मंजूरी देना।	गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिट की अतिरिक्त मंजूरी हुई। अधिकांश राशि वसूल ली गई है। आरए मद्दे से शेष राशि वसूल करने और ऑडिट पैरा के निपटान के लिए एटीएन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
13.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2.2(ख) डीएपी-52	ईपीसीजी लाइसेंस के विरुद्ध निर्यात दायित्व को पूर्ति न करने में वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं।	बैंक गारंटी लागू करके वसूली योग्य राशि की वसूली कर ली गई है। सीएजी ने शेष वसूली का ब्योरा मांगा। आरए बैंगलोर से शेष राशि का विवरण मांगा गया है। लेखापरीक्षा द्वारा 12.05.2022 को ड्राफ्ट एटीएन प्रभाग को वापस कर दिया गया। संशोधित एटीएन प्रक्रियाधीन है।
14.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2.2(क)डीएपी-138	निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम - ईपीसीजी प्राधिकरण की अनियमित क्लबिंग और निर्वहन।	दिनांक 8.9.2021 को डिमांड नोटिस जारी किया गया। एनसीएलटी में प्रवेश पर आगे की कार्रवाई नहीं की जानी है। बैंक ने एससीएन और एनसीएलटी को भेजे गए पत्र की प्रति मांगी। अपेक्षित दस्तावेज सीएजी को भेजा गया। प्रभाग द्वारा दिनांक 16.09.2022 को संशोधित एटीएन अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
15.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2.1(क) डीएपी-35	अग्रिम प्राधिकरण स्कीम- अग्रिम प्राधिकरण के विरुद्ध निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना।	सीएजी पैरा के निपटान के मामले में एटीएन प्रस्तुत करने का अनुरोध आरए बैंगलोर को भेजा गया।
16.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-127	मानद निर्यातों पर रमिनल उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त रिफंड,	सीएजी ने उस चैनल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है जिसके माध्यम से सीएसटी की वसूली की गई थी। इस मामले की जांच की गई और 23.06.2022 को सीएजी को जवाब भेजा गया। सीएजी ने आगे 20.09.2022 को सीएसटी की वसूली के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। प्रभाग को लेखापरीक्षा द्वारा एटीएन 20.09.2022 को लौटाया

17.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-36	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एमईआईएस के तहत गलत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	गया। संशोधित एटीएन प्रक्रियाधीन है। सीएजी पैरा जांच और टिप्पणियों के लिए आरए मद्रुरे को भेजा गया।
18.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-20	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एमईआईएस के तहत गलत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	स्वीकार की गई और वसूल की गई राशि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित राशि से भिन्न है। आरए चेन्नई से अंतर का विवरण मांगा गया है।
19.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-16	ईपीसीजी स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा में निर्यात दायित्व को पूर्ति न करने के परिणामस्वरूप राजस्व निहितार्थ हुआ।	वसूली के लिए इस मामले को आरए कोलकाता के समक्ष उठाया गया है। सीएजी पैरा के निपटारे के मामले में एटीएन प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ पैरा आरए कोलकाता को भेजा गया। 31.08.2022 को डिवीजन द्वारा ड्राफ्ट एटीएन अपलोड किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा एटीएन दिनांक 07.09.2022 को प्रभाग को वापस कर दिया गया। संशोधित एटीएन प्रक्रियाधीन है।
20.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-III पैरा संख्या 3.8 डीएपी-3	विभिन्न अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग।	वसूली के लिए इस मामले को आरए कोलकाता के समक्ष उठाया गया है। पैरा सीएजी पैरा के निपटारे के मामले में एटीएन उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ आरए कोलकाता को भेजा गया।
21.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-80	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एमईआईएस के तहत गलत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
22.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV पैरा संख्या 4.2 डीएपी-50	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एमईआईएस के तहत गलत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	सेटलमेंट के लिए एटीएन 01/12/2022 को अपलोड किया गया।
23.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय-IV	अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एमईआईएस के तहत गलत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने जैसी अनियमितताएं हुई हैं।	सेटलमेंट के लिए एटीएन 01/12/2022 को अपलोड किया गया।

	पैरा संख्या 4.2 डीएपी-49			
24.	वर्ष 2022 का 19 संपूर्ण रिपोर्ट सभी पैरा	सीमा शुल्क बाण्डेड गोदामों (सीबीडब्ल्यूएस) और मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों (एफटीडब्ल्यूजेडएस) की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
25.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.1 (क), डीएपी-36	अपात्र निर्यात उत्पाद "पेलेट फॉर्म में गोदा फूल मील" के लिए 21 एमईआईएस लाइसेंस की अपात्र स्वीकृति।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
26.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (क), डीएपी-95	प्रदान की गई अपात्र सेवा के लिए एमईआईएस लाइसेंस जारी करना।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
27.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (ख), डीएपी-77	1 अप्रैल 2015 से पहले प्रदान की गई सेवाओं पर एमईआईएस लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप पांच प्रतिशत की देरी से कटौती के बाद गलत प्रोत्साहन दिया गया।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
28.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (ग), डीएपी-41	विभाग ने 21 फरवरी से 31 मार्च, 2021 के दौरान निर्यात की गई सेवा के लिए गलत एमईआईएस लाभ प्रदान किया था।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
29.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (घ), डीएपी-57	दावा प्रस्तुत करने में विलंब के लिए लेट कट न लगाने के कारण एमईआईएस स्क्रिप्स की अतिरिक्त मंजूरी।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
30.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (ङ), डीएपी-81	एमईआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत गणना।		एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

31.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2.2 (च), डीएपी-110	एसईआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी, जो लागू ब्याज सहित फर्म से वसूली योग्य था।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
32.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 1, डीएपी-33	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: एसईआईएस लाभ पुनः आयात के समय वसूल नहीं किए गए।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
33.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 2, डीएपी-78	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: 1 अप्रैल 2015 से पहले की सेवाओं पर दिए गए एसईआईएस प्रोत्साहन।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
34.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 3, डीएपी-82	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: सेवा कर और जीएसटी प्राप्ति पर एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
35.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 4, डीएपी-88	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: लेट कट न लगाने के कारण एसईआईएस स्क्रिप्स का अतिरिक्त अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
36.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 5, डीएपी-107	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: एसईआईएस लाभों का गलत अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

37.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 6, डीएपी-108	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: एसईआईएस लाभों का गलत अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
38.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 7, डीएपी-07	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: गलत संवर्धन दर लागू करने के कारण एसईआईएस स्क्रिप्स का अधिक अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
39.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 8, डीएपी-70	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
40.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 9, डीएपी-112	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का अनुदान।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
41.	वर्ष 2022 का 30 अध्याय IV पैरा संख्या 4.2 अनुबंध-7, क्रम संख्या 10, डीएपी-102	निर्यात संवर्धन स्कीमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना: अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना।	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

ईओयू / एसईजेड के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे			स्थिति
क्र.सं.	सीएजी रिपोर्ट/पैरा संख्या और डीएपी संख्या	पैरा का सार	
1.	वर्ष 2020 का 17 अध्याय- IV पैरा संख्या 4.12.3 डीएपी- 60	सॉरेडर नहीं किए गए और समाप्त हो चुके गेट पास के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना।	लेखापरीक्षा से दिनांक 08/12/2022 को पुनरीक्षण टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं लेखापरीक्षा पैरा के निपटान के लिए अंतिम एटीएन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
2.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय- IV पैरा संख्या 4.2.6(ए) डीएपी- 94	एसईजेड/आईसीडी/सीएफएस में तैनात कस्टम अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभावों की वसूली न करना।	प्रभाग द्वारा दिनांक 18/11/2022 को एटीएन अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	वर्ष 2021 का 18 अध्याय- IV पैरा संख्या 4.2.3(ए) डीएपी- 133	इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए में रिजेक्ट्स की विक्री एफटीपी के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करती है।	लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 09.12.2022 को अंतिम नोट शुद्धिपत्र मांगा गया है और इसकी तैयारी प्रक्रियाधीन है।

सिविल पैरा आईआईसी / एपीडा/खड़ बोर्ड की स्थिति			स्थिति
क्र.सं.	सीएजी रिपोर्ट/पैरा संख्या और डीएपी संख्या	पैरा का सार	
1.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 18 का पैरा संख्या 2.2	अधिसूचित वस्तुओं के निर्यातकों से सेवा कर एकत्र करने के लिए आईआईसी से आईआईए को समय पर निदेश के अभाव में सेवा कर का संग्रह न होने के कारण परिहार्य व्यय।	मामला विचाराधीन है।
2.	वर्ष 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 पैरा संख्या 4.1,	एपीडा द्वारा अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित नहीं करने के कारण नुकसान।	दिनांक 22.10.2021 को लेखापरीक्षा से विधीक्षा टिप्पणियां प्राप्त हुईं और पैरा की लेखापरीक्षा टिप्पणियां ऑडिट पैरा में बताई गईं

	(अध्याय - IV)		राशि की पूरी वसूली तक कायम हैं और इसकी सूचना निगरानी प्रकोष्ठ को दी जा सकती है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3.	वर्ष 2021 का 16 अध्याय- III (पैरा 3.1)	रबर बोर्ड के कार्यकरण में अपर्याप्तता जैसे रबर उत्पादक समितियों की अपर्याप्त संख्या का गठन, व्यवस्थित तरीके से एकत्र करने और संकलित करने में विफलता, श्रम कल्याण स्कीमों को बंद करना आदि।	लेखापरीक्षा द्वारा एटीएन 31.10.2022 को प्रभाग को वापस क दिया गया और संशोधित एटीएन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
सीएंडएजी (वाणिज्यिक) बकाया अनुच्छेदों की सूची-एफटी (एसटी) अनुभाग- एसटीसी लिमिटेड/एमएमटीसी			
क्र.सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	स्थिति
1.	(4.3.1) वर्ष 2010 का 9	वाणिज्यिक एसोसिएट्स के साथ अनुबंध में प्रवेश करने और निष्पादित करने में आंतरिक नियंत्रणों को विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान नहीं किया गया और निकल/कॉपर स्क्रेप के मुकाबले लोहे के स्क्रेप की आपूर्ति की गई।	मामला विचाराधीन होने के कारण पैरा लंबित है ।
2.	(4.1) वर्ष 2011-12 का सीए 3	कंपनी ने बीए की वित्तीय साख को सुनिश्चित किए बिना और अपने हितों की रक्षा के लिए बैंक-टू-बैंक अनुबंधों पर जोर दिए बिना उनके साथ लौह अयस्क व्यापार के लिए उनके सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना स्वीकार किया।	मामला विचाराधीन होने के कारण पैरा लंबित है ।
3.	वर्ष 2012-13 का 8 (4.1)	एक वाणिज्यिक एसोसिएट्स को धन जारी करने में अनियमितताएं-धन एक अवैध समझौते के आधार पर और शक्तियों के प्रत्यायोजन के उल्लंघन में जारी किया गया था।	मामला विचाराधीन होने के कारण पैरा लंबित है ।

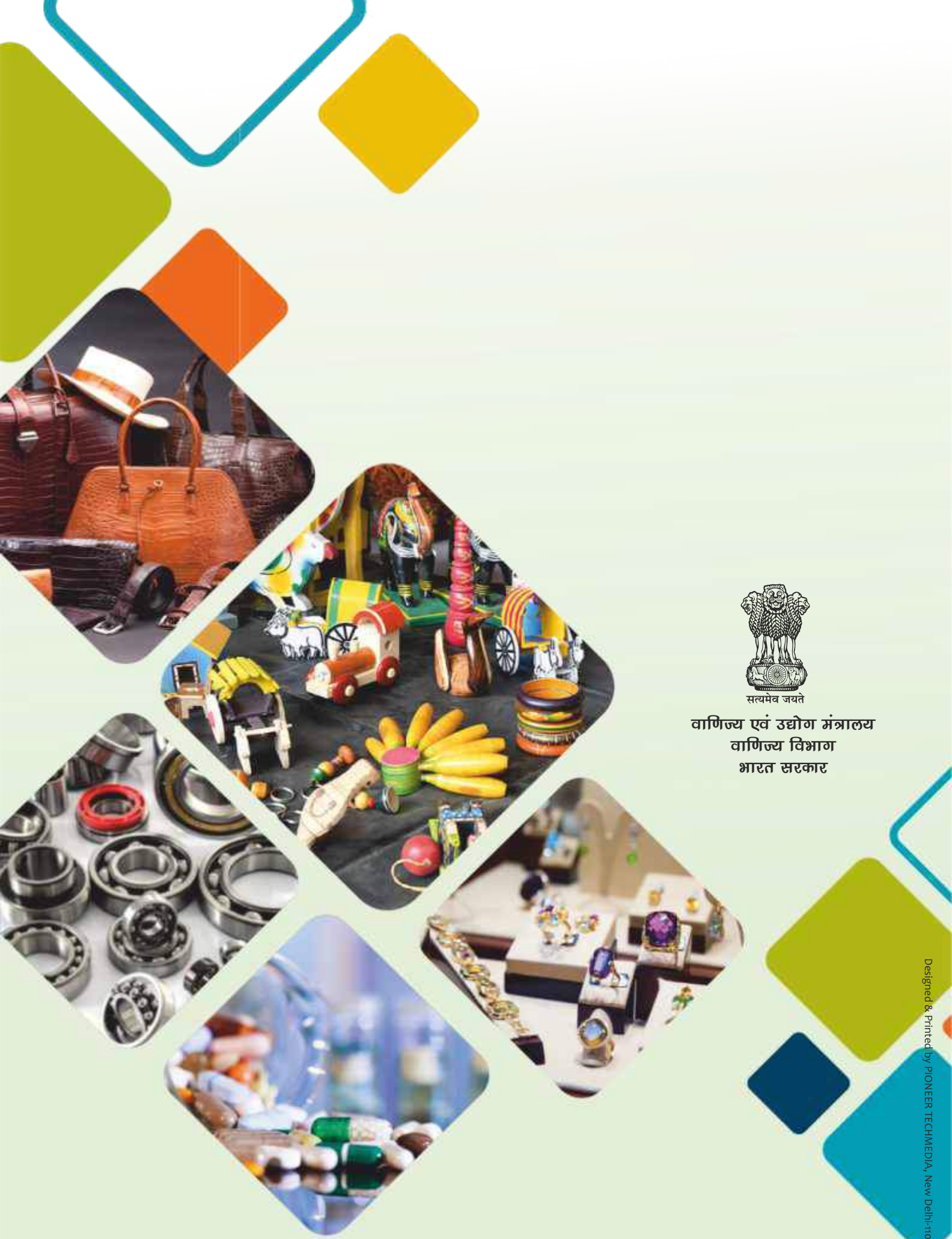
पीएससी पैरा की स्थिति - एसईजेड

कुल पैरा	रिपोर्ट संख्या	विषय	स्थिति
09	17 ^{वीं} लोकसभा की 40 ^{वीं} रिपोर्ट	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का कार्य प्रदर्शन	दिनांक 24/11/2022 को प्रभाग द्वारा ए0टी0आर0 अपलोड किया गया एवं लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुलग्नक-ड.

विभिन्न रिपोर्टों में प्रतिवेदित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र.सं.	वर्ष	चैरा की प्रकृति	मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	लेखापरीक्षा के पास लंबित एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा जिन्हें पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रही है	निगरानी कक्ष/पीएसी शाखा (लोकसभा) को प्रेषित	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
1.	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे	--	01	--	--	--
2.	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
3.	2011	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
4.	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
5.	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	01	--	--	--
6.	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
7.	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	01	--	--	--
		सिविल	--	--	--	--	01
8.	2018	सिविल	--	--	01	--	--
9.	2019	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	01	02	--	01
10.	2020	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	02	--	--
		सिविल	--	--	01	--	--
11.	2021	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	01	04	08	--	--
		सिविल	--	01	02	--	--
		पीएसी	--	09	--	--	--
12.	2022	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	18				
		सिविल					
		पीएसी					
		कुल -59	19	18	17	--	05



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार

वाणिज्य विभाग